"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2021 — आश्विन 30, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–31/2021/38–2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 10346/प्र.परि./प्र.अ./भारती वि.वि./2021/16327, दिनांक 13–10–2021 द्वारा भारती यूनिवर्सिटी, ग्राम–चंदखुरी, पोस्ट–तहसील एवं जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भूवनेश यादव,** विशेष सचिव.

# प्रथम परिनियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में शासी निकाय में निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाया है:

## I लघु शीर्षक और प्रारंभ –

1. इन परिनियमों को भारती विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम कहा जाएगा।
2. आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे।

## II- परिभाषा :

इन नियमों में जब तक अन्यथा आवश्यक न हो :

1. ''अधिनियम'' का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम–2005
2. ''कुलाध्यक्ष'' का अर्थ है छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल है।
3. CGPURC का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग।
4. ''अकादमिक वर्ष'' का अर्थ है अधिनियमों के उल्लिखित आवश्यकताओं और संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए लगभग 12 महीने की अवधि और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तो के अनुसार अधिनियम में विभाजित किया गया है।
5. ''अध्ययन मंडल'' का अर्थ विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन बोर्ड है।
6. ''दीक्षांत समारोह'' का अर्थ है विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है।
7. ''पाठ्यक्रम'' का अर्थ है अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन कार्यक्रम या कोई अन्य घटक जो उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र या किसी अन्य को पुरस्कार के लिए पाठ्यक्रम, अकादमिक विशेष योग्यता विश्वविद्यालय के खिताब ।
8. ''कर्मचारी'' का अर्थ है विश्वविद्यालय के वेतनमान पर कार्य कर रहे है।
9. ''संकाय'' का अर्थ है विश्वविद्यालय के संकाय है।
10. ''नियमित शिक्षा'' का अर्थ है एक प्रणाली जिसमें कक्षाओं में छात्रों को विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षित करना और संबंधित जिसके लिए व्याख्यान् और प्रौद्योगिकी में अलग–अलग पचहत्तर प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है।

11. ''विनियमन'' का अर्थ विश्वविद्यालय के विनियमन से है।

12. ''नियम'' का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) नियम–2005

13. ''योजना और पाठ्यक्रम'' का अर्थ है विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रकृति, अवधि, अध्यापन पाठ्यक्रम, योग्यता और अन्य संबंधित विवरण

14. ''मुहर'' का अर्थ है विश्वविद्यालय की आम मुहर।

15. ''विषय'' का अर्थ है शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि की जिस भी नाम से निर्धारित योजना एवं पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

16. ''विश्वविद्यालय'' का अर्थ है, भारती विश्वविद्यालय ।

17. अधिनियम और नियमों में परिभाषित सभी शब्दो और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः अधिनियम और नियमों में उन्हें सौंपा गया हो।

III प्रथम परिनियम निम्नानुसार है :–

| परिनियम | शीर्षक |
|---|---|
| परिनियम क्रं. 1 | विश्वविद्यालय के उद्देश्य |
| परिनियम क्रं. 2 | विश्वविद्यालय की मोहर और चिन्ह |
| परिनियम क्रं. 3 | कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 4 | कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 5 | कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 6 | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 7 | शासी निकाय का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 8 | प्रबंध मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 9 | शैक्षणिक परिषद का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 10 | अध्ययन मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 11 | परीक्षा मंडल का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 12 | वित्त एवं बजट समिति का गठन, शर्तें व शक्तियाँ |
| परिनियम क्रं. 13 | विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण |
| परिनियम क्रं. 14 | विभिन्न संकायों व विभागों में संचालित विषय |

| | |
|---|---|
| परिनियम क्रं. 15 | गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति का संविधान एवं कार्य |
| परिनियम क्रं. 16 | परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति– नियम, शर्तें |
| परिनियम क्रं. 17 | ग्रंथापाल की नियुक्ति नियम, शर्तें, ग्रंथालय समिति का गठन एवं कार्य |
| परिनियम क्रं. 18 | शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति |
| परिनियम क्रं. 19 | विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, नियम एवं शर्तें |
| परिनियम क्रं. 20 | गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति |
| परिनियम क्रं. 21 | पंचनिर्णय/परिवेदना समिति |
| परिनियम क्रं. 22 | मानद उपाधि एवं अलंकरण |
| परिनियम क्रं. 23 | शुल्क माफी, छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति |
| परिनियम क्रं. 24 | प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण |
| परिनियम क्रं. 25 | शुल्क विनियम |
| परिनियम क्रं. 26 | विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या |
| परिनियम क्रं. 27 | अकादमिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को हटाना |
| परिनियम क्रं. 28 | अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियां एवं आदेश |
| परिनियम क्रं. 29 | नव–स्थापित भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के वर्तमान कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में। |

## परिनियम क्रमांक–01

## विश्वविद्यालय के उद्देश्य

**विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**

1. उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान के प्रसार के लिए प्रावधान करना।
2. बौद्धिक और नवाचार क्षमताओं के उच्च स्तर का निर्माण करना।
3. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना करना।
4. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण करना और सतत शिक्षा कार्यक्रमों को प्रमोट करना।
5. अनुसंधान और विकास के लिए और ज्ञान और उसके अनुप्रयोग को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना ।
6. उद्योग और सार्वजनिक संगठनों को परामर्श प्रदान करना।
7. समुदाय की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम संस्थान और पाठ्यक्रम स्थापित करना।
8. परीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक ग्रेड प्रदान करना।
9. यूजीसी और संबंधित नियामक निकायों या परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के मानकों को बनाए रखना।
10. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
11. भारत और विदेशों के छात्रों को सार्थक सीखने के अवसर प्रदान करना।
12. विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक प्रावधान स्थापित करना ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों को संकाय और छात्रों के आदान–प्रदान, दोहरी डिग्री विकल्पों और विदेश में सेमेस्टर कार्यक्रमों के लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
13. प्रायोजक निकाय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए।
14. अखिल भारतीय सांविधिक निकायों जैसे एआईसीटीई, एनसीटीई, यूजीसी, एमसीआई, डीसीआई, पीसीआई, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन करना ।

## परिनियम क्रमांक–02

## विश्वविद्यालय की मोहर और चिन्ह

1. विश्वविद्यालय की अपनी एक सामान्य मोहर होगी जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन में प्रयुक्त होगी और इस मोहर का रूपण विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसमें परिवर्तन या संशोधन समय–समय पर आवश्यक होने पर हो सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय ऐसे ध्वज, समूह गान, चिन्ह, वाहन ध्वज और अन्य सांकेतिक रूपित अभिव्यक्तियां, संक्षिप्त शब्द और समान प्रकार की वस्तुओं आदि को बनाने और प्रयोग करने के संबंध में निर्णय ले सकता है जो उन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सकेंगे जो समय–समय पर निश्चित किए जाएंगे। ये चिन्ह एवं अन्य विशिष्ट, भूमि के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

## परिनियम क्रमांक–03

## कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005, की धारा–16 का संदर्भ)**

1. कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

2. कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा होगी। इस प्रावधान के साथ कि विश्वविद्यालय की स्थापना और इसे कार्यकारी बनाने के लिए, प्रायोजक निकाय राज्य सरकार की सलाह पर, एक वर्ष के लिए कुलाधिपति नियुक्त करेगा जिसकी कार्यावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. प्रायोजक निकाय साधारण बहुमत के द्वारा कुलाधिपति के नाम का निर्णय करेगा। प्रायोजक निकाय अंतिम रूप से तय किये गये नाम को प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम जीवनवृत (बायोडाटा) के साथ, कुलाध्यक्ष को अनुमोदन के लिए भेजेगा। कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित निकाय द्वारा की जाएगी।

4. कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभालेगा और इस परिनियम के अनुसार निश्चित की गई प्रक्रिया के अनुरूप कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा। कुलाधिपति, अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी, पुनर्नियुक्ति होने या उसके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार संभालने तक, अपने पद पर बना रहेगा।

5. कुलाधिपति की अस्वस्थता, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी आकस्मिक अवस्था में उसके कर्तव्य का निर्वाह प्रो–वाइस चांसलर द्वारा किया जाएगा जब तक वह अपने पदभार को पुनः न संभाल ले या नए कुलाधिपति की नियुक्ति न हो जाए। यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

6. कुलाधिपति विधि की धारा 16 में वर्णित परिनियमों में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

7. कुलाधिपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों का अक्षरशः एवं भाव रूप में पालन सुनिश्चित करें।

8. कुलाधिपति का विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

9. कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय, व्यय एवं भत्ते प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

10. कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित करते हुये स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे जिसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष को भेजी जावेगी।

11. कुलाधिपति को शासी–निकाय की ओर से आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने का विशेष अधिकार होगा परंतु उसके द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय का अनुमोदन शासी निकाय की अगली ही बैठक में लेना होगा। शासी निकाय द्वारा ऐसे निर्णय को अस्वीकार कर दिए जाने की स्थिति में संबंधित निर्णय निरस्त माना जावेगा।

## परिनियम क्रमांक –04

## कुलपति की नियुक्ति, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, धारा–17 का संदर्भ)

1. कुलपति विश्वविद्यालय का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होगा।
2. कुलपति, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 17 (1, 2, 3 एवं 4) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जावेगा।
3. कुलपति प्रथम कार्य अवधि की समाप्ति पर द्वितीय कार्य अवधि हेतु पुर्ननियुक्ति के योग्य होंगे। कुलपति, अस्वस्थता, लंबी अनुपस्थिति, निलंबन, बर्खास्तगी, पदत्याग या मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति में कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ सदस्य को कुलपति पद के दायित्व एवं कर्तव्य सौंप दिए जावेंगे। सामान्यतः अंतरिम रूप से की गई इस व्यवस्था की अवधि छः माह से अधिक नहीं हागी।
4. अधिनियम की धारा 17 में यथा वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति विश्वविद्यालय के विभिन्न परिनियमों अध्यादेशों एवं विनियमों मे निहित शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।
5. कुलपति अधिनियम की धारा 17 के अनुसार नियुक्त पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे तथा उन्हें प्रायोजक निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित भत्ते भी प्राप्त होंगे।
6. कुलपति, शैक्षणिक परिषद, परीक्षा मंडल एवं वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वे विश्वविद्यालय शासी निकाय को छोड़कर अन्य किसी भी निकाय की बैठकों में आवश्यकतानुसार अध्यक्षता कर सकते है।
7. कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों तथा विनियमों का राज्य शासन एवं यूजीसी की अधिसूचनाओं सहित कठोरता से पालन हो रहा है।
8. कुलपति, अधिनियम में वर्णित समस्त प्राधिकारियों एवं निकायों की बैठकें आयोजित करते रहेंगे।
9. कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु पर्याप्त शक्तियाँ होंगी तथा वे यदि आवश्यक समझें तो प्राप्त किसी भी शक्ति को किसी भी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकेंगे।

(I) आपात स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी/निकाय की ओर से निर्णय ले सकते है परन्तु ऐसा करने पर कुलपति को संबंधित प्राधीकारी या समिति को निर्णय लिए

जाने का कारण बतलाना होगा। उन्हें संबंधित प्राधिकारी/निकाय की आगामी बैठक में उक्त निर्णय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसी बैठक में कुलपति एवं निकाय सदस्य के बीच मतैक्य न होने पर प्रकरण कुलाधिपति को सौंपा जावेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(II) कुलपति को अपने कर्तव्य के निर्वाह हेतु आवश्यक समितियाँ गठित करने की शक्ती होगी जिन्हें वे अधिनियम द्वारा वर्णित कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझते है।

(III) कुलपति की अधिवार्षिकी आयु 70 वर्ष पूर्ण होगी।

(IV) कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे जिसकी एक प्रति कुलाधिपति को भेजी जावेगी।

(V) कुलपति की अध्यक्षता वाली बैठकों की कार्यसूची का अंतिम निर्धारण स्वयं कुलपति द्वारा किया जावेगा जहाँ वे पदेन अध्यक्ष है।

# परिनियम क्रमांक –05

## कुलसचिव की नियुक्ति, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–18 का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समिति की सिफारिश पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार चार वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी।
2. कुलसचिव विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारी होंगे जो कुलपति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जिन्हें अधिनियम के अनुसार पदमुक्त किया जा सकेगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से समस्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रमाणित भी कर सकेंगे। सदस्य नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जिन्हें अधिनियम के अनुसार पदमुक्त किया जा सकेगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से समस्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रमाणित भी कर सकेंगे।
3. कुलसचिव प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे।
4. कुलसचिव 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु तक चार–चार वर्ष की किसी भी संख्या की कालावधियों हेतु नियुक्त किए जा सकेंगे। चयन समिति निम्न प्रकार से होगी :

| | | |
|---|---|---|
| (अ) कुलपति | – | अध्यक्ष |
| (ब) कुलाधिपति नामिति | – | सदस्य |
| (स) कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ | – | सदस्य |
| (द) शासी निकाय द्वारा नामित दो विशेषज्ञ | – | सदस्य |
| (इ) CGPURC द्वारा नामित एक विशेषज्ञ सदस्य जो प्राध्यापक संवर्ग से निम्न का न हो। | – | सदस्य |

5. कुलसचिव के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:

(अ) अभिलेखों, सामान्य संपत्ति तथा विश्वविद्यालय की ऐसी संपत्ति जैसा कि शासी निकाय विनिश्चत करें, का रख रखाव करना ।

(ब) शासी निकाय, प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद् एवं कोई अन्य निकाय या समिति जिसमें वह सचिव हो, का कार्यालयीन पत्राचार करना।

(स) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों, समितियों व निकायों की बैठकों की तिथि एवं एजेंडा से सदस्यों को अवगत करने हेतु सूचना निर्गत करना तथा बैठक संपन्न करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। शासी निकाय द्वारा प्रदत्त अन्य दायित्वों के निर्वाह हेतु वांछित सहायता करना।

(द) वह शासी निकाय, प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद तथा अन्य निकाय जिनमें कुलपति अथवा परिनियमों द्वारा उन्हें मताधिकार के बिना सचिव नियुक्त किया गया है, के पदेन सचिव रहेंगे।

(इ) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करना।

(एफ) शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद, प्रबंध मंडल तथा ऐसे निकाय जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देशों के अधीन गठित हों, की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ उपलब्ध कराना तथा कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखना तथा उचित प्राधिकारियों को उसे प्रेषित करना।

(जी) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा वांछित समस्त प्रपत्रों, अभिलेखों व सूचना उपलब्ध कराना।

(एच) कुलसचिव विश्वविद्यालय के विभागों/कार्यालयों व इकाइयों में कार्यरत स्टाफ के कार्यो का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करेगा वह कार्यरत स्टाफ की गोपनीय चरित्रावली भी लिख सकेगा।

(आई) वह अपनी मुद्रा एवं हस्ताक्षर से मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जारी करेगा। वह उपाधि, प्रमाण पत्र जारी करने से पर्व उनके पीछे अपने हस्ताक्षर व मुहर भी लगायेगा।

# परिनियम क्रमांक –06

## मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति, शर्ते व शक्तियां

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–19 (1व 2) तथा 26 (1) (c) का संदर्भ)**

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा इस हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा उन्हें अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष तक उक्त कार्यावधियों की किसी भी संख्या में पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा। चयन समिति निम्न होगी :

| | | |
|---|---|---|
| (i) कुलपति | – | अध्यक्ष |
| (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति | – | सदस्य |
| (iii) कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक | – | सदस्य |
| (iv) शासी निकाय द्वारा नामित दो बाहय विशेषज्ञ जिनमें एक वित्त तथा दूसरा लेखा संबंधी विशेषज्ञ हो | – | सदस्य |
| (v) CGPURC द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर संवर्ग से निम्न का न हो | – | सदस्य |
| (vi) कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे | | |

2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की योग्यताएं निम्न होंगी :

(i) वाणिज्य / अर्थशास्त्र / एम.बी.ए. (वित्त प्रबंधन) जैसे किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से अर्जित हो तथा अभ्यर्थी में स्वयं लेखा/वित्त प्रबंध क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकने की क्षमता हो। अभ्यर्थी के पास वित्त व लेखा संबंधी कार्य, किसी विश्वविद्यालय या संस्था / उच्च शिक्षा संस्थान में कार्य करने का 15 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए ।

(ii) चार्टड एकाऊंटेट अथवा समकक्ष शैक्षणिक उपलब्धि वांछित।

3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को विश्वविद्यालय की शासी निकाय द्वारा निश्चित वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

4. कुलपति के नियंत्रणाधीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे–

(अ) यह सुनिश्चित करना कि शासी निकाय द्वारा वित्त वर्ष हेतु आवर्ती व अनावर्ती व्यय की निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हों तथा आबंटित समस्त राशि उनके लिए निर्धारित मदों पर ही व्यय हो।

(ब) उपलब्ध नकद राशि, बैंक शेष व विनियोगों की स्थिति पर सतत निगरानी रखना।

(स) विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त आय सृजित करने के उपायों पर सुझाव देना।

(द) विश्वविद्यालय हेतु दान प्राप्त करना।

(ई) बजट निर्माण हेतु वित्त समिति की सहायता करना।

5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय/संस्थान से आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे वह अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु आवश्यक समझे।

6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान हेतु सभी देयक भुगतान पूर्व अंकेक्षित हों,

7. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के उत्तरदायित्व निम्न है :

(a) विश्वविद्यालय के कोषों का सामान्य पर्यवेक्षण कर कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नितियों पर आवश्यक परामर्श देना।

(b) विश्वविद्यालय की संपत्ति व विनियोगों का अभिरक्षण व प्रबंध करना जिसमें ट्रस्ट व एंडोमेंट प्रापर्टी भी शामिल है ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पोषण किया जा सके।

(c) विश्वविद्यालय के प्रयोग एवं लाभार्थ समस्त राशि की प्राप्ति जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों व प्रादेशों की सीमा के भीतर हो।

(d) आय/राजस्व के संग्रहण की प्रगति की निगरानी करना एवं संग्रहण विधि के संबंध में उचित सलाह देना।

(e) बजट के प्रत्येक मद से शासी निकाय या प्रबंध मंडल अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशियों का भुगतान करना।

(f) वित्त एवं बजट समिति तथा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतरिम प्रतिवेदन तैयार करना।

(g) प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कुलपति एवं कुलसचिव से मंत्रणा कर वित्त एवं बजट समिति के अनुमोदन एवं संशोधन के अधीन विश्वविद्यालय की आय–व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना।

(h) वित्त एवं बजट समिति से मंत्रणा कर विश्वविद्यालय के कोषों के विनियोजन हेतु शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना।

(i) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों व संस्थानों में स्थित भूमि, भवन, फर्नीचर तथा उपकरण सहित समस्त संपत्तियों की पंजियां अद्यतन रखी गई है तथा उपकरणों एवं अन्य उपभोगयोग्य सामग्रियों का सत्यापन अद्यतन किया जा रहा है।

(j) विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों, प्राधिकारियों, निकायों समितियों या मंडलों द्वारा किए गए अनाधिकृत व्ययों तथा अन्य वित्तीए अनियमितताओं के लिए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करना तथा दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में सुझाव देना।

(k) वित्त संबंधी समस्त विधिक प्रकरणों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना।

(l) वर्ष में कम से कम एक आंतरिक अंकेक्षण तथा एक वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय के समस्त लेखों हेतु करना।

(m) आंतरिक अंकेक्षण इकाई के प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों की समीक्षा करना।

(n) शासी निकाय को अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करना तथा विश्वविद्यालय के वित्तीय अंकेक्षण का निरीक्षण करना।

(o) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करना जो परिनियमों, अध्यादेशों विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवश्यक है अथवा कुलपति या उनके अन्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त हो।

(p) अपने वित्तीय कार्य संबंधी दायित्यों के निर्वाह हेतु आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी सूचना/प्रतिवेदन विश्वविद्यालय के किसी भी संबंधित व्यक्ति कार्यालय/संस्था से प्राप्त करना।

(8) परिनियमों में अन्यथा न होते हुए भी मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा कुलपति/शासी निकाय/प्रबंध मंडल द्वारा प्रदत्त अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह किया जावेगा जो भी उसे सौंपे जावें।

## परिनियम क्रमांक –07

## शासी निकाय का गठन, शर्ते एवं शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (a) 22 व 26 1 (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 व 22 के अनुसार किया जावेगा।
2. शासी निकाय का कोई भी सदस्य जो शासी निकाय से पदत्याग का इच्छुक हो निकाय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर ऐसा कर सकता है। ऐसे सदस्य का इस्तीफा उसकी स्वीकृति की तिथि से प्रभावशील होगा।
3. शासी निकाय अपनी शक्तियों व दायित्वों को परिचालन में प्रायोजक निकाय के लक्ष्य व दर्शन को ध्यान में रखेगा एवं समस्त प्रमुख निर्णयों से पूर्व प्रायोजक निकाय से सलाह करेगा।
4. शासी निकाय अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त निकाय की शक्तियां का दायित्व निम्न होंगे :

(i) विश्वविद्यालय के संपूर्ण प्रशासन को विकसित करना तथा अधिनियम के अनुसार निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों व विश्वविद्यालय के नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति, अनुशासन व पदमुक्ति जैसे कार्यो का संपादन करना।

(ii) परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों अथवा विश्वद्यिालय के नियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नई समितियों, कार्यालयों व मंडलों के गठन को अनुमोदन प्रदान करना।

(iii) प्रबंध मंडल तथा शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर अध्ययन इकाइयों, विभागों तथा अध्ययन कार्याक्रमों के निर्माण अथवा विलोपन का अनुमोदन करना।

(iv) प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना।

(v) विश्वविद्यालय की संपत्तियों व कोषों का संरक्षण, नियंत्रण व प्रशासन करना।

(vi) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों को अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ अंगीकृत करना।

(vii) विश्वविद्यालय की ओर से कोषों का आहरण एवं प्रदाय का कार्य करना। परन्तु यह भी देखना कि कोषों का आहरण विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर न किया जावे।

(viii) विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाजनक प्रयोजन हेतु किसी भूमि इमारत या संपत्ति, चल अचल या बौद्धिक संपत्ति को पटटे पर लेना, उपहार रूप में उचित व योग्य शर्तो पर स्वीकार करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना और ऐसी किसी भूमि, इमारत या संपत्ति पर निर्माण करना, परिवर्तन करना या रख रखाव करना।

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से उसे अधिनियम व परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई अनुबंध करना, उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।

(x) विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा का चयन अभिरक्षण व प्रयोग के प्रावधान सुनिश्चित करना।

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकों व अन्य साधनों हेतु प्रावधान करना।

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान तथा विश्वविद्यालय हेतु चल व अचल संपत्ति का कोई भी अंतरण स्वीकार करना।

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे एवं निवेशों का नियमन एवं प्रबंधन।

(xiv) विश्वविद्यालय के अधिकारियें, प्राधिकारियों, निकायों, शिक्षण विभागों, विशिष्ट अध्ययन के अनुसंधान केंद्र, प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों से प्रतिवेदन व अन्य सूचनाएं प्राप्त करना।

(xv) अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक एवं पुरस्कारों की स्थापना करना।

(xvi) नियुक्ति करना :

(a) अन्य संगठनों व संस्थानों में जहां आवश्यक हो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नियुक्त करना।

(b) विश्वविद्यालय के किसी कार्य अथवा अभिलेख के, निष्पादन हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शक्तियों के साथ जो कि उचित समझी जावे विश्वविद्यालय का अटॉर्नी नियुक्त करना।

(xvii) प्रबंध मंडल के प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम की सीमाओं के भीतर विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के संशोधन अथवा निरस्ती का अनुमोदन करना।

(xviii) विनियमों के माध्यम से कुलपति, कुलसचिव अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा शासी निकाय द्वारा नियुक्त समिति को अपनी किसी शक्ति को प्रदत्त करना जो कि उचित समझी जावे ।

## परिनियम क्रमांक –08

## प्रबंध मंडल का गठन, शर्ते एवं शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (b) 23 व 26 1 (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का गठन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 की धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) के अनुसार किया जावेगा।
2. प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।
3. प्रबंध मंडल की बैठकें प्रत्येक दो माह की अवधि में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगी।
4. प्रबंध मंडल की बैठकों हेतु गणपूर्ति पांच होगी।
5. अधिनियम के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंध मंडल, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालिक निकाय होगा तथा उसके निम्न कर्तव्य एवं शक्तियां होंगी

   (i) शासी निकाय को छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों व निकायों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों में विनिश्चित प्रावधानों से भिन्न हों।

   (ii) विश्वविद्यालय के आगामी परिनियमों की रचना करना।

   (iii) वित्त व बजट समिति द्वारा अग्रेषित विश्वविद्यातय के वार्षिक बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुमोदित करना।

   (iv) विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति विवरण सहित वार्षिक खाते तैयार करने संबंधी आवश्यक निर्देश देना।

(v) विश्वविद्यालय के स्थिति विवरण सहित वार्षिक खातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।

(vi) विश्वविद्यालय के आगामी अध्यादेशों को अनुमोदित करना।

(vii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन पश्चात शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का क्रियान्वयन बजट सीमा के भीतर करने के उद्देश्य से आवश्यक छानबीन करना।

(viii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा अन्य शैक्षणिक पदों का निर्माण करना।

(ix) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, कार्यालयीन व अन्य पदों का निर्माण करना।

(x) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा अन्य कोई भी शैक्षणिक पद अथवा अशैक्षणिक पद समाप्त अथवा निलंबित करना।

(xi) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग विशिष्ट अध्ययन के शोध केन्द्रो, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालायों, संग्रहालयों व छात्रावासों की स्थापना, रख–रखाव व प्रबंधन करना।

(xii) शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से ऐसे उद्देश्यों व ऐसी शक्तियों के साथ समितियों का गठन करना जैसा कि वह उचित समझें तथा समितियों में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना। विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अथवा समस्य समितियों की अनुशंसाओं की समीक्षा, अनुमोदन, अस्वीकृति अथवा आवश्यक परिवर्तन करना।

(xiii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु छात्रावास अथवा आवासीय व्यवस्था का रखरखाव करना।

(xiv) विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों में छात्रो के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा छात्रों के सामान्य कल्याण एवं स्वास्थ्य में सुधार संबंधी प्रबंध करना।

(xv) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार कुलाधिपति के समक्ष मानद उपाधियों व अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय संबंधी अनुशंसा करना।

(xvi) परिनियमों में निहित व्यवस्था अनुसार उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों व अन्य अकादमिक अलंकरणों के प्रदाय अथवा उन्हें वापस लिए जाने संबंधी कार्य ।

(xvii) विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक स्टाफ, प्रशासनिक व कार्यकालयीन स्टाफ में अनुशासन की स्थापना व नियमन का कार्य करना।

(xviii) परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(xix) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कदाचरण/अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर उन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त करना तथा छात्रों के निष्कासन सहित ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह जो ऐसे कदाचरण के दोषी हों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना।

(xx) जहां कहीं आवश्यक हो विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(xxi) परीक्षा में कार्यरत स्टाफ, वीक्षकों आदि के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी अनुशासनहीनता अथवा कदाचरण में संलिप्तता के आधार पर करना।

(xxii) अध्यादेशों द्वारा प्रावधानित अनुसार शुल्क व अन्य व्ययों का निर्धारण, मांग तथा वसूली करना।

(xxiii) शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति के विरूद्ध बांड्स, बंधक, प्रतिज्ञापत्र या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना किसी प्रतिभूति के अनुमोदित नियम एवं शर्तो पर ऋण प्राप्त करना तथा ऐसे ऋण प्राप्ति संबंधी समस्त व्ययों का तथा ऐसे ऋणों का पुर्नभुगतान करना।

(xxiv) परीक्षा मंडल से मंत्रणाकर परीक्षा कार्य में नियुक्त आंतरिक व बाहय परीक्षकों, तथा मॉडरेटर्स एवं परीक्षा हेतु नियुक्त अन्य कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक यात्रा व अन्य भत्तो का निर्धारण करना।

(xxv) उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अवॉडस तथा फेलोशिप्स के प्रदाय का अनुमोदन करना।

(xxvi) उसके द्वारा अथवा कुलपति द्वारा गठित समिति अथवा उप समिति को अपनी समस्त अथवा कुछ शक्तियों को प्रदत्त करना।

(xxvii) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय या उनके अधिकारियां के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की दशा में कुलसचिव या अन्य कोई अधिकारी, प्राधिकारी, निकाय, समिति या मंडल को ऐसी कार्यवाही संस्थित, बचाव, प्रतिवाद या छोड़ने संबंधी अधिकार देना।

(xxviii) प्रथम परिनियमों की रक्षा हेतु शासी निकाय के अनुमोदन से प्रबंध मंडल के पास परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के निर्माण, संशोधन व निरस्त करने की शक्ति होगी। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्मित अध्यादेशों व विनियमों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने या वापस करने की शक्ति होगी।

(xxix) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की परिवेदनाओं को ग्रहण करने, निर्णय करने तथा यदि आवश्यक समझा जावे तो उनका समाधान करने का कार्य।

(xxx) प्रबंध मंडल पर्याप्त एवं उचित कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त उपाधि या अकादमिक अंलकरण अथवा कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को अपनी बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा वापस ले सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब कि संबंधित व्यक्ति को लिखित में सूचना न दे दी जावे जिसमें उससे निर्धारित समय सीमा के भीतर

कारण बताने का मौका प्रदान किया जाए। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं अथवा साक्ष्यों पर यदि कोई हो पर प्रबंध मंडल द्वारा विचारोपरांत ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

# परिनियम क्रमांक –09

## शैक्षणिक परिषद का गठन, शर्तें एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (c)
24 व 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. भारती विश्वविद्यांलय की शैक्षणिक परिषद में निम्न सदस्य होंगे

(a) कुलपति, अध्यक्ष

(b) समस्त संकायाध्यक्षों में से तीन संकायाध्यक्ष वरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से

(c) समस्त विभागाध्यक्षों में से तीन विभागाध्यक्ष वरिष्ठता क्रम में क्रमिक रूप से

(d) अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष जिन्हें मामला अकादमिक परिषद हेतु सूची बद्ध किया गया हो।

(e) ख्यातिलब्ध (विश्वविद्यालय से संबंधित न हो) चार शिक्षाविद् जिनमें दो कुलाधिपति व दो कुलपति द्वारा नामित होंगे।

(f) दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक/तकनीकी विशेषज्ञ अथवा उद्योगों के विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामित हों

(g) कुलसचिव शैक्षणिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे जिन्हें मताधिकार नहीं होगा।

2. कुलपति, अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे परन्तु कुलसचिव के पास मताधिकार नही होगा।

a. शैक्षणिक परिषद हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई से होगी। परन्तु स्थगित बैठकां हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं है।
b. साधारणतया शैक्षणिक परिषद की बैठक हेतु 15 दिवसों की सूचना दी जानी चाहिए तथा बैठक की कार्यसूची बैठक तिथि से 07 दिवस पूर्व निर्गत की जानी चाहिए। तथापि आकस्मिक बैठक की सूचना 03 दिवस पूर्व दी जानी चाहिए।

c. शैक्षणिक परिषद के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

d. शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अधीन बनाए जावेंगे, विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

e. शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किसी विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक होने पर परिषद किन्हीं ऐसे दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी जिन्हें संबंधित विषय में अनुभव/विशेषज्ञता प्राप्त है। ये दोनों सदस्य भिन्न–भिन्न व्यवसायों से होने चाहिए। इस प्रकार सहयोजित सदस्यों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो उस विषय/क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित होंगे जिसके लिए उन्हें सहयोजित किया गया है।

3. शैक्षणिक परिषद की निम्न शक्तियाँ होगी तथा निम्न कर्तव्य होंगे :

(i). परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करने के साथ–साथ शिक्षण पद्धतियों, विभिन्न विभागों व शिक्षकों द्वारा परस्पर सहकारिता व समन्वय पूर्वक अध्यापन, शोध मूल्याकंन एवं अकादमिक स्तर के उन्नयन संबंधी निर्देश दे सकेगी।

(ii). विश्वविद्यालय उपाधियों, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र हेतु अग्रसरित पाठयक्रमों का निर्धारण करना।

(iii). विभिन्न पाठयक्रमों एवं अध्ययन के पाठयक्रमों की पाठयचर्या का अनुमोदन करना।

(iv). विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा किए जा रहे शोधकार्यो पर समय समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(v). अकादमिक रूचि के सामान्य विषयों पर विचार, स्वयं की पहल पर अथवा किसी संकाय या प्रबंध मंडल द्वारा संदर्भित किए जाने पर करना तथा उपयुक्त कार्यवाही करना।

(vi). पाठयक्रम एवं अकादमिक नीति समिति के समक्ष विभागों के आबंटन का प्रस्ताव रखना।

(vii). प्रबंध मंडल के अनुमोदन से आगामी अध्यादेशों का निर्माण करना।

(viii). विश्वविद्यालय में अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनियां, पदक व पुरस्कारों की व्यवस्था संस्थित करने हेतु प्रस्ताव रखना तथा उनके प्रदाय संबंधी नियम बनाना।

(ix). संबंधित उस विषय में अकादमिक ख्यातिलब्ध व्यक्तियों की पहचान करना, ताकि व उन विषयों में शोध पर्यवेक्षक कार्य कर सके।

(x). विश्वविद्यालय में शिक्षकीय कार्य हेतु संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडो के परिप्रेक्ष्य में अर्हता का निर्धारण करना। इस अर्हता के अनुरूप व्यक्तियों को पहचान कर शिक्षक के रूप में मान्यता देना।

## परिनियम क्रमांक –10

## अध्ययन मंडल का गठन, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (d) एवं 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. प्रत्येक विषय या विषय समूह हेतु एक अध्ययन मंडल होगा।
2. अध्ययन मंडल के निम्न सदस्य होंगे:
   (a) संबंधित विषय के, विश्वविद्यालय के विभाग/संस्थान के प्रमुख
   (b) कुलपति द्वारा नामांकित संबंधित विभाग के दो संकाय सदस्य।
   (c) कुलपति द्वारा नामांकित अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के दो सदस्य।
3. अध्ययन मंडल अपनी प्रथम बैठक में सहयोजित करेंगे :
   (a) विश्वविद्यालय के विभाग से ऐसे दो संकाय सदस्य जो विभाग प्रमुख नहीं है।
   (b) अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित संकाय के दो ऐसे सदस्य जिनका संबंधित विषय में अध्यापन का अनुभव 10 वर्ष से कम न हों।
4. कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जावेगा।
5. अध्ययन मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
6. अध्ययन मंडल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। कुल सदस्यों से आधे सदस्य कोरम पूरा करेंगे। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व सदस्यों को देनी होगी ।
7. विश्वविद्यालय में विषयों को आंरभ करने पर, जब और जैसी आवश्यकता हो कुलपति अध्ययन मंडल का गठन कर सकते है।
8. अध्ययन मंडल द्वारा शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित विषय का विस्तृत पाठयक्रम तैयार करने के साथ–साथ परीक्षा प्रणाली, मूल्याकंन एवं अन्य आवश्यक निर्देशावली तैयार की जावेगी।
9. पाठयक्रम विवरण, अध्ययन मंडल द्वारा समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं प्रकाशन से पूर्व शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

**<u>अध्ययन मंडल की शक्तियाँ एवं कर्तव्य</u>**

अध्ययन मंडल के निम्न कर्तव्य एवं शक्तियाँ होगी :

(a) शैक्षणिक परिषद द्वारा संदर्भ किए जाने पर किसी विषय अथवा विषय समूह के भीतर अध्ययन के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना।

(b) प्रत्येक अध्ययन के पाठयक्रम हेतु पुस्तक, पाठयपुस्तक, पूरक अध्ययन सामग्री, संदर्भ पुस्तक व अन्य अध्ययन सामग्री की अनुशंसा करना।

(c) शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों की भावना के अनुरूप, परिषद को प्रसिद्ध लेखकों व अन्य विशेषज्ञों द्वारा रचित कार्य अथवा सकंलन तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठयक्रम विकास में कार्य के अंतर्गत पाठयक्रम विकास करने हेतु तैयार सामग्री को पाठयक्रम में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा करना।

(d) विभिन्न संकायों को अध्ययन पाठयक्रमों में वांछित सुधार हेतु सलाह देना।

(e) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के विभिन्न संबंधित विषयों हेतु परीक्षा मंडल को परीक्षकों के पेनल में सम्मिलित करने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के नाम प्रश्नपत्र रचियता, परीक्षक, अनुसीमक के रूप में कार्य करने हेतु अनुशंसित करना।

(f) जहां कही स्नातकोत्तर उपाधि, डॉक्टरेट तथा उच्च उपाधियों हेतु आवश्यक हो वहां शोध प्रबंध, शोध लेख तथा मौखिक संपादित करने हेतु उपयुक्त शिक्षाविदों के नामों की अनुशंसा परीक्षा मंडल को करना।

(g) विभिन्न विषयों में उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठयक्रमों के आयोजन हेतु आवश्यक सुझाव देना।

# परिनियम क्रमांक –11

## परीक्षा मंडल का गठन, शर्ते एवं शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा–21 (1) (d) एवं 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. विश्वविद्यालय के परीक्षा मंडल को परीक्षाओं के आयोजन तथा तत्संबंधी नीतिगत निर्णय यथा प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षकों, अनुसीमक की नियुक्तियां करने, परीक्षा समय सारिणी निर्धारित करने तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा करने संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय के विभागों में परीक्षा संपादन का पर्यवेक्षण एवं नियमन करने हेतु भी अधिकृत होगा।
2. मंडल को परीक्षा संबंधी सभी मामलों की सुनवाई करने तथा किसी मामले में परीक्षा संपादन संबंधी शिकायत पर निर्णय करने का अधिकार होगा।
3. परीक्षा मंडल में निम्न सदस्य होंगे :

   (a) तीन वर्ष की कार्यावधि हेतु चार विभाग प्रमुख सदस्य के रूप में

   (b) उक्त में से एक विभाग प्रमुख को कुलपति द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु मंडल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जावेगा

   (c) दो वरिष्ठ संकाय सदस्य 2 वर्ष की कार्यावधि हेतु

   (d) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सचिव के रूप में
4. मंडल के सदस्य अध्यक्ष सहित कोरम का निर्माण करेंगे।

<u>**परीक्षा मंडल के कर्तव्य एवं शक्तियाँ**</u>

(1) परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं जॉच परीक्षाओं के व्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करेगा। जिसमें अनुसीमन, सारणीकरण तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा भी सम्मिलित है।

(2) मंडल शैक्षणिक सत्र में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।

(3) परीक्षा मंडल विशेषरूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपधारा (1) में वर्णित अनुसार निम्न कर्तव्यों का निर्वाह करेगा :

(a) अध्ययन मंडल द्वारा तैयार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से ही प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक व अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहां कही आवश्यक हो समिति की

अनुशसानुसार उन नामों को हटाने का, या कुछ परीक्षकों के नामों को विवर्जित (Debar) भी कर सकता है।

(b) परीक्षा सुधार की दिशा में आवश्यक कार्य व प्रयोग करना।

(c) मंडल द्वारा सौपे गए कार्य या अध्यादेश के अनुसार अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त परीक्षा संबंधी अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(4) तत्काल कार्यवाही संबंधी अपातस्थिति में मंडल अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति समुचित व आवश्यक कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित व आवश्यक समझे तथा की गई कार्यवाही की सूचना मंडल की आगामी बैठक में देगा।

(5) (a) प्रश्नपत्र रचनाकर्ता, परीक्षक व अनुसीमक की नियुक्ति हेतु मंडल एक विषयवार समिति गठित करेगा :

(i) कुलपति/प्रति कुलपति यदि कोई हो – अध्यक्ष

(ii) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष

(iii) संबंधित अध्ययन मंडल के अध्यक्ष

(iv) अध्ययन मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य जो परीक्षा मंडल से नामित हो।

(b) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(c) समिति समस्त विभागों से प्राप्त परीक्षा समय सारिणी को संकलित कर अंतिम परीक्षा समय सारिणी तैयार करेगा।

(d) समिति आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित/एटीकेटी/पूरक परीक्षार्थियों की अंतिम कुल संख्या पर अपनी सहमति देगी।

(e) समिति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात पारित व अनुमोदित करेगी कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप हैं तथा किसी प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है वहां कार्यवाही हेतु अनुशंसा कुलपति को करेगी।

(f) समिति अध्ययन मंडल द्वारा तैयार परीक्षक पैनल में से विभिन्न परीक्षाओं व जांच परीक्षाओं हेतु परीक्षकों की सूची तैयार कर परीक्षा मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंडल ऐसी सूची से प्रश्न पत्र निर्माता, परीक्षक, अनुसीमक नियुक्त करेगा तथा जहां आवश्यक हो वहां रेफरीज (पंच) नियुक्त करेगा।

(g) यह समिति संबधित विषय के बंद लिफाफे में प्रश्न पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त करेगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा याद्रिच्छिक प्रक्रिया द्वारा मुहर बंद लिफाफे का चयन किया जायेगा। बंद लिफाफे बाद में मोहर सहित प्रकाशन हेतु भेजे जायेंगे।

6. (a) परीक्षार्थियों, प्रश्नपत्र रचियताओं, परीक्षकों, अनुसीमक, रेफरीज, संकाय सदस्यों या परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा कदाचरण व की गई किसी चूक के संबंध में जॉचकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परीक्षा मंडल अधिकतम 5 (पांच) सदस्यों की एक समिति गठित करेगा जिनमें एक अध्यक्ष होगा।

(b) उक्त समिति अपना प्रतिवेदन व अनुशंसाएं परीक्षा मंडल को प्रस्तुत करेगी जो प्रकरण में जहां आवश्यक है अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

7. परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय के बजट में शामिल करने हेतु वित्तीय प्राकलन तैयार करेगा एवं उसे वित्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

8. परीक्षा मंडल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन/कदाचरण का प्रयोग छात्रों, संकाय सदस्य, विक्षकों व पर्यविक्षकों द्वारा किए जाने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगा।

# परिनियम क्रमांक –12

## वित्त एवं बजट समिति का गठन, शर्तें व शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 धारा 21 (1) (d)
तथा 26 (1) (a) का संदर्भ)

1. वित्त व बजट कमेटी में निम्न सदस्य होंगे :

(a) शासी निकाय के एक सदस्य को प्रायोजक निकाय, अध्यक्ष के रूप में नामित करेगा

(b) कुलपति

(c) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

(d) विश्वविद्यालय का कुलसचिव

(e) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी वित्त एवं बजट समिति के सचिव के रूप में होंगे।

2. वित्त एवं बजट समिति बजट निर्माण हेतु प्रति वर्ष कम से कम दो बैठकें करेगी जिसमें लेखों की जांच तथा व्यय प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी ।

3. वित्त एवं बजट समिति में पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

4. अध्यक्ष सहित समिति के तीन सदस्य कोरम निर्मित करेंगे।

5. वित्त एवं बजट समिति की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व :

(a) समिति मध्यावधि वित्तीय पूर्वानुमान एवं वार्षिक बजट तैयार कर शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। इसके बाद प्रबंध मंडल स्वीकार करेगा।

(b) विश्वविद्यालय के संसाधन व आय के आधार पर प्रबंध मंडल से अनुमोदन प्राप्त कर समिति विश्वविद्यालय के कुल वार्षिक आवर्ती व कुल वार्षिक अनावर्ती व्ययों की सीमाएं निर्धारित करेगी।

(c) समिति सुनिश्चित करेगी की विश्वविद्यालय कोई भी व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं करेगा। किसी वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय अथवा ऐसी मद पर व्यय जिसके लिए बजट प्रावधान नहीं है केवल वित्त समिति एवं प्रबंध मंडल के पूर्व अनुमोदन पश्चात ही किये जा सकेंगे।

(d) समिति विश्वविद्यालय हेतु संसाधन निर्मित करने की विधियां एवं माध्यमों की अनुशंसा करेगी।

(e) समिति, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों पर विचारोपरांत उसे शासी निकाय के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी

(f) समिति उपयुक्त शर्तों पर विश्वविद्यालय हेतु वसीयतें एवं दान स्वीकृत करने की अनुशंसा शासी निकाय से करेगी।

(g) समिति, अनुमोदित बजट के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की प्रगति की निगरानी करेगी तथा तत्संबंधी छमाही प्रतिवेदन प्रबंध मंडल से अनुमोदन पश्चात शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी।

(h) समिति, शासी निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के पहलुओं पर जांच करेगी जिन पर आगे विश्लेषण अथवा कार्यवाही आवश्यक है।

(i) समिति विश्वविद्यालय की कोषालय प्रबंधन नीति का अनुमोदन करेगी व आवश्यक निगरानी रखेगी।

(j) समिति, शासी निकाय को कोष आहरण नीति, आहरण प्रस्ताव एवं तत्संबंधी बाहय वित्तयन प्रबंधन तथा तत्संबंधी विस्तृत शर्तों पर सलाह देगी।

(k) समिति विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन प्रबंधन, यदि हो, कर भुगतान, क्रय तथा बाहय निकायों से वित्तीय संबंधों की देखरेख करेगी।

(l) समिति विश्वविद्यालय के वित्तीय विनियमों के निर्धारण के लिए जवाबदेह होगी।

# परिनियम क्रमांक–13

## विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण

**(अधिनियम 2005 की धारा 14 (6) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के निम्न अन्य अधिकारी होंगे)**

**1. प्रति–कुलपति :**

1. प्रति–कुलपति की नियुक्ति इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा 4 वर्ष के लिए की जायेगी। चयन समिति का नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति करेंगे तथा जिसमें कुलपति एवं प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
2. प्रति–कुलपति वाक्य (1) में ऊपर दी गई प्रक्रिया व शर्तो का पालन कर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
3. कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति–कुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।
4. प्रति–कुलपति प्रायोजक निकाय द्वारा समय–समय पर तय किये गये वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
5. प्रति–कुलपति समय समय पर कुलाधिपति/कुलपति द्वारा आबंटित जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
6. प्रति–कुलपति अपने कार्यालय से कुलाधिपति को संबोधित, स्वयं हस्तलिखित इस्तीफा दे सकते हैं। प्रति–कुलपति, कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

**2. परीक्षा के नियंत्रक :**

1. परीक्षा का नियंत्रक विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
2. जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो या तो किसी अन्य कारण से या बीमारी या अनुपस्थिति के कारण खाली होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वाह किया जाएगा जिसे कि कुलपति इस उद्देश्य के लिए शिक्षको/अधिकारियों के मध्य से नियुक्त करें।

3. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के संचालन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद परीक्षाओं से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे।
4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां और कर्तव्यों को कुलसचिव द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
5. परीक्षा नियंत्रक कुलसचिव के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन और इनकी अधीनस्थता के तहत काम करेगा।

**3. ग्रंथपाल :**

ग्रंथपाल विश्वविद्यलाय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 19 में निर्धारित प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। ग्रंथपाल की योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगी और समय–समय पर शासी निकाय/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदिन की जाएगी।

**4. शारीरिक शिक्षा संचालक :**

शारीरिक शिक्षा संचालक, विश्वविद्यलाय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति शिक्षकों के लिए परिनियम संख्या 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। शारीरिक शिक्षा संचालक की योग्यता यूजीसी मानदंडो के अनुसार होगी जो समय–समय पर शासी/शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित होगी

**5. शारीरिक शिक्षा उपसंचालक/सहायक संचालक**

शारीरिक शिक्षा उप/सहायक संचालक, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो कुलपति द्वारा समय–समय पर यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता तथा वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से नियुक्त

**6. उप/सहायक ग्रंथपाल :**

सहायक ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जो समय समय पर कुलपति द्वारा यूजीसी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया योग्यता और वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से नियुक्त किए जायेंगे।

**7. उप/सहायक कुलसचिव :**

उप/सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा समय–समय पर यूजीसी के निर्देशों द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया पर निश्चित वेतन पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति से होगी।

# परिनियम क्रमांक–14

## विभिन्न संकायों व विभागों में विषय

(छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(एच), 21(1)(डी) और 26 (1)(ए) का संदर्भ)

### संकायों और विभाग

1. विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ में निम्नलिखित संकाय शामिल है जिनसे विभिन्न विभाग जुड़े हुए है :–

**I कला एवं मानविकी संकाय**

1. अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाएं
2. हिन्दी
3. संस्कृत, पाली और प्राच्य अध्ययन
4. दर्शनशास्त्र
5. उर्दू, अरबी, जापानी, फ्रेंच, फारसी
6. भाषा विज्ञान
7. मराठी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषा
8. इतिहास
9. तुलनात्मक धर्म और दर्शन
10. अर्थशास्त्र
11. संगीत, नृत्य और पेंटिग सहित ललित कला
12. समाजशास्त्र
13. सामाजिक विज्ञान
14. सामाजिक कार्य
15. गृह विज्ञान
16. भूगोल
17. राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन
18. मनोविज्ञान
19. रक्षा अध्ययन

**II विज्ञान संकाय**

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. भूगर्भ शास्त्र
5. सांख्यिकीय विज्ञान
6. अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान

7. इलेक्ट्रानिक्स
8. नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9. नैनो प्रौद्योगिकी
10. बहुलक रसायन
11. औद्योगिक रसायन
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा
13. फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी
14. संबद्ध विज्ञान
15. इंजीनियरिंग भौतिकी
16. कम्प्यूटेशनल भौतिकी
17. कम्प्यूटेशनल रसायन
18. कम्प्यूटेशनल गणित
19. जीवनांकिकी
20. एनिमेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी
21. जैव प्रौद्योगिकी
22. सूक्ष्म जीव विज्ञान
23. जैव सूचना विज्ञान
24. वनस्पति विज्ञान
25. जूलॉजी
26. जैव–रसायन विज्ञान
27. जैव विज्ञान
28. मनुष्य जाति का विज्ञान

**III इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी / डिजाइन संकाय**

1. सिविल इंजीनियरिंग
2. मैक्निकल इंजीनियरिंग
3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
4. इलेक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग
5. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
6. कैमिकल इंजीनियरिंग
7. सूचना प्रौद्योगिकी
. कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग
9. व्यावहारिक गणित
10. व्यावहारिक भौतिक
11. व्यावहारिक रसायन
12. व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र
13. कार्यात्मक अंग्रेजी
14. खनन अभियांत्रिकी

15. धातुकर्म इंजीनियरिंग
16. वास्तुकला
17. जैव प्रौद्योगिकी
18. जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी
19. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
20. वैमानिक अभियांत्रिकी
21. कृत्रिम बुद्धिमत्ता
22. डाटा विज्ञान

**IV वाणिज्य/प्रबंधन संकाय**

1. वाणिज्य
2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन
3. लेखा/वित्तीय/व्यवसाय/बीमा प्रबंधन सहित वाणिज्य

**V शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण संकाय**

1. शिक्षा
2. व्यावहारिक मनोविज्ञान
3. शारीरिक शिक्षा
4. यौगिक विज्ञान
5. वयस्क और सतत शिक्षा

**VI विधि संकाय**

1. कानून

**VII होटल प्रबंधन के संकाय**

1. होटल प्रबंधन

**VII स्वास्थ्य और संबंद्ध विज्ञान के संकाय**

**IX पत्रकारिता और जनसंचार संकाय**

1. पत्रकारिता और जनसंचार

**X पुस्कालय और सूचना विज्ञान संकाय**

1. . पुस्कालय और सूचना विज्ञान

ऐसे अन्य संकाय जिन्हें राज्य सरकार/ यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, समय–समय पर जोड़ा जाएगा

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होगें जो उसे समय–समय पर एकेडमिक काउंसिल द्वारा सौंपे जा सकते है।

1. परिनियमों में दर्शाए अनुसार विश्वविद्यालय में संकाय होंगे।

2. अध्ययन तथा विषय संबधी तथा मल्टीमीडिया अंतर अनुशासिक संकाय के शोध हेतु जिसमें बहुसंकाय/अंतरआनुशासिक संकाय संबधी अध्ययन व शोध भी सम्मिलित है, अध्ययन एवं शोध के संदर्भ में समस्त संकाय प्रमुख आकदमिक समन्वयक प्राधिकारी की भूमिका का निर्वाह करेंगे।

3. किसी भी संकाय की स्थापना, विभाजन, संयुक्तीकरण अथवा विलोपन केवल शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा एवं शासी निकाय के अनुमोदन से ही किया जावेगा।

4. संकाय में निम्न सदस्य होंगे:

(a) प्रत्येक अध्ययन मंडल के अध्यक्ष संकाय के अंतर्गत

(b) कुलपति द्वारा, कार्यरत प्राध्यापकों/सहप्राध्यापकों, जिनका अध्यापन अनुभव न्यूनतम 10 वर्ष हो मे से एक को संकायाध्यक्ष बनाया जावेगा जो संकाय का अध्यक्ष नामित होगा।

(c) संकाय के दो विषय कुलाध्यक्ष/कुलपति द्वारा नामित

5. संकाय के कर्तव्य एंव शक्तियां नियमानुसार होगी:

(a) प्रबंध मंडल तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर विचार कर प्रतिवेदन देना।

(b) अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसा एंव एक से अधिक अध्ययन मंडल से संबधित मामलों पर विचार व अनुमोदन करना बशर्तो कि वह अन्य संकाय को प्रभावित न करते हों तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु शैक्षणिक परिषद को अनुशंसाए करना जो वह उचित समझे।

(c) अपने क्षेत्राधिकार के ऐसे आकदमिक तथ्यों पर शैक्षणिक परिषद को अनुशंसा प्रस्तुत करना जो किसी अन्य संकाय/संकायों को प्रभावित करें अथवा जिसका प्रशासनिक अथवा वित्तीय प्रभाव होता हो।

(d) अध्ययन मंडल द्वारा प्रेषित नए पाठ्यकम, अंतर–अनुशासिक पाठ्यकम तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना संबधी प्रस्तावों पर विचार कर शैक्षणिक परिषद को तत्संबधी अनुशंसा करना।

(e) शैक्षणिक परिषद से स्नातकोत्तर अथवा स्नातक पाठ्यकम, अध्यापन शोध व प्रशिक्षण संबधी व्यवस्था की विश्वविद्यालय संस्थान अथवा विभागों में आवश्यकता संबधी अनुशंसाएं करना।

(f) यह सुनिश्चित करना कि शैक्षणिक परिषद द्वारा निम्न के संबध में जारी निर्देशावली एवं बनाए नियमों का पालन हो रहा है:–

(i) दीर्घकालीन पाठ्यक्रम विकास

(ii) संकाय विकास

(iii) अध्यापन तथा/अथवा शिक्षण सामग्री विकास

(iv) शैक्षणिक मामलों पर शोध

(g) अध्ययन मंडल व अन्य संकायो से सहयोग कर अंर्तविभागीय व अंतर संकाय कार्यक्रमों की योजना बनाना व प्रबंध करना।

(h) शैक्षणिक परिषद को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों के अभिमुखीकरण व पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन की अनुशंसा करना विशेषरूप से संशोधित, नवप्रारंभ अथवा अंतर अनुशासिक विषयों हेतु।

(i) कुलपति के समक्ष संकाय संचालन के संबध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना।

(j) अन्य किसी संदर्भित अकादमिक मामले पर विचार करना।

## परिनियम क्रमांक–15

## गुणवत्ता आश्वासन व शोध समिति का संविधान एवं कार्य

विश्वविद्यालय में एक गुणवत्ता आश्वासन एवं शोध समिति होगी ताकि पाठ्यक्रम/अभ्यासक्रम तथा समग्र शिक्षण/अध्यापन व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें तथा साथ ही शोध की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकें। समिति का गठन विश्वविद्यालय की सभी इकाईयों में गुणवत्ता मूल्यांकन व प्रत्यायन विशेषकर अध्यापन के संदर्भ में सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। समिति में निम्न होंगे :

1 कुलपति - अध्यक्ष

2 कुलपति द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष

3 संबंधित विषयों के अध्ययन मंडलों का अध्यक्ष

4 कुलपति द्वारा नामित एक संकाय सदस्य

5 विश्वविद्यालय का ग्रंथपाल

6 एक वरिष्ठ संकाय सदस्य जो कुलपति द्वारा नामित– सचिव

**समिति के निम्न कार्य होंगे :**

1 अकादमिक व शैक्षणोत्तर गतिविधियों की समीक्षा एवं संबंधित समस्याओं पर संभावित समाधान पर विचार करने हेतु समिति त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

2 प्रभावी छात्र प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना।

3 शोध छात्रों/अभ्यार्थियों की समस्यायों पर विचार व समाधान करना।

4 पाठ्यक्रम स्तर का मूल्यांकन एवं उसे वैश्विक स्तर तक उन्नत करने हेतु सहायता करना।

5 गुरू व शिष्य शिक्षण प्रणाली की स्थापना।

6 कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त शिक्षण का प्रारंभ ।

7 शोध पत्रिका का प्रकाशन।

8 विभाग प्रमुखों की अनुशंसानुसार शोध पत्रिकाएं क्रय करने हेतु ग्रंथपाल को निर्देश देना।

9 संकाय सदस्यों को शोध कार्य हेतु विभिन्न संबंद्ध अभिकरणों से शोध अनुदान प्राप्त करने में सहायता करना।

10 खेलकूद, परीक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों उन्नत प्रणाली द्वारा ग्रंथालय प्रयोग, डिजिटल संस्कृति, नवीनतम अभ्यास उपकरण तथा छात्रों की देखरेख औपचारिक अध्यापन व्यवस्था से सुनिश्चित करने हेतु उन्नत मानकीकृत व्यवस्था करना।

11 ग्रंथालय के श्रेष्ठ संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना।

## परिनियम क्रमांक–16

## परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति–विधि, शर्ते

परीक्षा नियंत्रक की अहर्ता विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित की जावेगी तथा उसका चयन इस परिनियम में वर्णित समिति द्वारा किया जावेगा

1 (a) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। परीक्षा नियंत्रण को 65 वर्ष की अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक 4 वर्षों के कितने भी कार्यकाल हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

(b) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय परीक्षा एवं जांच परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों की घोषण हेतु प्रमुख प्रभारी अधिकारी होगा। वह अपने कार्यो का निर्वाह परीक्षा मंडल के पर्यवेक्षक, निर्देशन व मार्गदर्शन में करते रहेंगे। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपना कार्य करेंगे।

2. परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा मंडल के सदस्य सचिव होंगे जिन्हें प्रबंध मंडल द्वारा प्रश्न–पत्र निर्माता, परीक्षकों व अनुसीमक की नियुक्ति का कार्य करने का दायित्व सौंपा जावेगा। वह परीक्षा संबंधी नीतियों के त्वरित व उचित कार्यान्वयन हेतु भी उत्तरदायी रहेंगे।

3. उपधारा (1)(ब) के संदर्भ में बिना किसी पूर्वाग्रह के परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं, जॉच परीक्षा व परीक्षा परिणामों की घोषणा संबंधी समस्त व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी रहेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि –

(a) परीक्षा कैलेंडर तैयार कर उसकी अग्रिम घोषणा करना।

(b) परीक्षार्थियों के परीक्षा में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों तैयार करने की व्यवस्था करना।

(c) विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कदाचरण पाए जाने पर परिस्थितियों की मांग पर परीक्षाएं स्थगित करना अथवा पूर्ण या आंशिक परीक्षाएं निरस्त करने के साथ साथ कदाचरण में संलिप्त पाए गए ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह महाविद्यालय /संस्थानों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, सिविल अथवा अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करना।

(d) परीक्षा संबंधी मामलों में कदाचार के दोषी पाए जाने पर, विद्यार्थी, प्रश्नपत्र निर्माता, परीक्षक, अनुसीमक या अन्य व्यक्ति जो परीक्षा से संबंधित हो, के खिलाफ अनुशासन समिति की अनुशंसा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(e) समय–समय पर विश्वविद्यालय परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर प्रतिवेदन परीक्षा समिति तथा/अथवा प्रबंध मंडल तथा/अथवा शासी निकाय को प्रेषित करना।

परिनियमों में अन्यथा उपबंधित ना होते हुए भी, परीक्षा नियंत्रक को समय समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए दायित्वों को भी निष्पादित करना होगा।

## परिनियम क्रमांक–17

## ग्रंथपाल की नियुक्ति विधि, शर्तें ग्रंथालय समिति का गठन व कार्य

1. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उनकी अर्द्धवार्षिकी आयु 65 वर्ष होगी। ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे।
2. ग्रंथपाल की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की सिफारिश पर की जावेगी। ग्रंथपाल की अर्हता, वेतन, सेवा नियम व शर्तें यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के शासी विकाय द्वारा निर्धारित होगी।
3. जब ग्रंथपाल का पद रिक्त हो, ग्रंथपाल बीमारी अथवा अन्य कारण से अनुपस्थित रहे या अन्य कारणों से अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में ग्रंथपाल के कर्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वाह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, जिसे कुलपति इस हेतु नियुक्त करेंगे। ऐसी नियुक्ति किसी भी दशा में छःमाह से अधिक की न होगी अथवा नव नियुक्ति ग्रंथपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा कार्यरत ग्रंथपाल द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।
4. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय/ ग्रंथालयों के विकास आधुनिकीकरण, रखरखाव, प्रबंधन व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी रहेगा तथा वह पांडुलिपियों के संग्रहण व सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।
5. ग्रंथपाल विश्वविद्यालय ग्रंथालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों, नियतकालिक, पत्रिकाओं, पांडुलिपियों, जर्नल्स तथा ग्रंथालय उपकरणों का संरक्षक होगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रंथालय में कोई भी अनियमितता न हो तथा पुस्तकें, पत्रिकाएं, पांडुलिपियॉं, जर्नल्स व उपकरण गुम न हो तथा क्षतिग्रस्त न हों। वह पुस्तकों का नियतकालिक सत्यापन करेगा। उसे ग्रंथालय/ग्रंथालयों के विकास संबंधी व्ययों हेतु अतिरिक्त संसाधन क्रियाशील करने सहित सभी मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देने का अधिकार होगा।
6. ग्रंथपाल ग्रंथालय समिति का सदस्य सचिव होगा तथा समिति के निर्णयों के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। उसे समिति में मताधिकार नहीं होगा।
7. उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा की जावेगी।

**ग्रंथालय समिति**

1. (a) विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में ग्रंथालय सेवा तथा ग्रंथालय प्रशासन संगठन व रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रंथालय समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | कुलपति | – | अध्यक्ष |
| (ii) | कुलपति द्वारा नामित किसी एक संकाय के संकायाध्यक्ष | | |
| (iii) | कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विभाग प्रमुख | | |
| (iv) | शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित परिषद का एक शिक्षक | | |
| (v) | कुलसचिव | | |
| (vi) | ग्रंथपाल | – | सचिव |

(b) सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। पदेन सदस्य को छोड़कर।

(c) समिति के कर्तव्य निम्न होगे :

(i) ग्रंथालय का उचित प्रबंधन व अभिलेखीकरण सेवाएं सुनिश्चित करते हुए पुस्तकों का भंडार/संकलन को अद्यतन करना।

(ii) ग्रंथालय एवं अभिलेखीकरण सेवाओं को उन्नत व आधुनिक बनाने हेतु पहल करना।

(iii) प्रबंध मंडल को छात्रों व अन्यों द्वारा ग्रंथालय सेवा प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप शुल्क व अन्य व्ययों वसूले जाने संबंधी अनुशंसा करना।

(iv) वित्त समिति के अनुमोदन हेतु ग्रंथालय विकास संबंधी वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना।

(v) कुलपति के मार्गदर्शन में ग्रंथालय स्थित पांडुलिपियों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों की अभिरक्षा हेतु उपदृसमिति गठित करना।

## परिनियम क्रमांक–18

## शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005**
**धारा 26(1)(डी), (इ) व (एफ) का संदर्भ)**

1. विश्वविद्यालय, संबंधित नियामक के निकाय के निर्देशानुसार समस्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ उचित समयावधि के भीतर संपन्न कर लेगा। शिक्षकों हेतु आहर्ता, संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।

2. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता :

(a) विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता संबंधी नियम जो यूजीसी विनियमों में तथा आगामी संशोधनों में निहित है का पालन करेगा। इस संबंध में यूजीसी परिपत्र "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कार्मिकों की न्यूनतम अहर्ता और उच्च शिक्षा में स्तरों को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित नीति का भी पालन करेगा।

(b) विश्वविद्यालय नियुक्तियों के संबंध में यूजीसी तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित अन्य कोई सक्षम निकाय के द्वारा निर्धारित आदि न्यूनतम शर्तो का पालन भी करेगा। अलग–अलग विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की शर्ते संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी। इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी नियुक्ति संबंधी न्यूतम अहर्ता, संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।

3. अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु चयन समिति :

(i) अस्थायी शिक्षकीय स्टाफ को छोड़कर प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शोध कर्मचारी एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति की अनुशंसा हेतु एक चयन समिति होगी।

(ii) समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी होगी।

(iii) अकादमिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति गठित होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :

1 कुलपति – अध्यक्ष

2 कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जो विशेषज्ञों के पैनल से शासी निकाय द्वारा अनुमोदित हों।

3 कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य

4 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का एक प्रतिनिधि जो उसका सदस्य हो अथवा अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक संवर्ग से निम्न स्तर का न हो।

5 कुलसचिव सचिव होंगे। (मताधिकार के बिना)

**3.1 चयन समिति की बैठक :**

(i) चयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जावेगी। जब और जैसे आवश्यक हो।

(ii) चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से एक सदस्य विषय विशेषज्ञ हो।

(iii) चयन समिति के अध्यक्ष के पास साधिकार मत के साथ–साथ मत देने का भी अधिकार होगा।

**4. नियुक्ति की विशिष्ट प्रणाली :**

इस परिनियम की धारा – 3 में अन्यथा उपबंधित ना होते हुए भी :

1. विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक अथवा अन्य अकादमिक पद को छोड़कर पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु उच्च अकादमिक अलंकरणयुक्त किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ऐसे नियम व शर्तो पर जो वे उचित समझे तथा संबंधित व्यक्ति जिस पर सहमत हो आमंत्रित कर सकते है तथापि ऐसी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
2. जहां किसी शिक्षक के पद की अस्थायी रिक्तता के कारण नियुक्ति होनी है वहां ऐसी नियुक्ति प्राविण्यता के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा से की जावेगी। यदि कुलपति यह समझते हैं कि अध्यापन कार्य के हित में रिक्त पद पर तत्काल नियुक्ति आवश्यक है, तो पूर्ण अहर्ता प्राप्त किसी व्यक्ति को प्रथमतया, अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार गठित स्थानीय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त कर सकते है बशर्ते ऐसी नियुक्ति से प्रबंध मंडल को अवगत करा दिया गया हो :

(i) कुलपति

(ii) संबंधित संकाय के डीन

(iii) कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ परन्तु जहां विभाग प्रमुख स्वयं डीन भी है वहां पर कुलपति एक के स्थान पर दो विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

**5. संकाय हेतु पारिश्रमिक नीति :**

समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन एवं भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर देय होंगे जिसे प्रबंधन मंडल अंगीकृत करें अथवा समय–समय पर जिस पर निर्णय लेवे।

**6. आचार संहिता :**

संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमों व विनियमों के अनुसार निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा।

**7. भविष्य निधि :**

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि को गठित करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

## परिनियम क्रमांक–19

## विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति विधि एवं शर्ते

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 20 व 26(1)(सी) का संदर्भ)

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 के धारा 14 के वाक्य (1) से (5) में दर्शित अधिकारियों के अतिरिक्त शासी निकाय द्वारा स्वयं निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है अथवा कुलपति को नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जा सकता है तथा ऐसे अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य भारती विश्वविद्यालय के मानक, परिनियमों अध्यादेशों व विनियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करने हेतु कहा जा सकता है :
   - (i) संकायों के अध्यक्ष
   - (ii) विभिन्न कार्यक्रमों के संचालकगण
   - (iii) विश्वविद्यालय अभियंता
   - (iv) अन्य कोई अधिकारी यथाः उप–कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, ग्रंथपाल, परीक्षा नियंत्रक, क्षेत्रीय समन्वयक, संचालक छात्र कल्याण, छात्रावास वार्डन, चिकित्सा अधिकारी।
2. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों की नियुतिक्त कुलपति द्वारा इस आशय से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जावेगी। चयन समिति विश्वविद्यालय के शासी निकाय अथवा प्रबंध मंडल अथवा शैक्षणिक परिषद के निर्णयों के अनुसार अहर्ता, प्रक्रिया व वेतन संबंधी मानकों का अनुसरण करेगी जैसा मामला हो।
3. शासी निकाय विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उप–कुलसचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। जिनकी अहर्ता सक्षम प्राधिकारी/यूजीसी निर्देशों के द्वारा तय की जाएगी।
4. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों के वेतन इस संबंध में शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होंगे।
5. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियां इस संबंध में शासी निकाय द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।
6. उक्त वाक्य –(1) में दर्शित अधिकारीगण परिनियमों में कुछ भी उपबंधित न होने के पश्चात भी विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रबंध मंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करेंगे।

7. प्रायोजक निकाय की अनुशंसा पर शासी निकाय अन्य कोई भी शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होने पर कर सकता है।
8. परिनियमों के अनुसार निर्धारित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियों की जावेगी।

# परिनियम क्रमांक–20

## गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(सी)(इ) व (एफ) का संदर्भ)

**1. गैर–शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता :**

(a) विश्वविद्यालय गैर–शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु यूजीसी द्वारा (यदि हो) अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित अहर्ता का पालन करेंगी।

(b) विश्वविद्यालय नियुक्ति हेतु युजीसी द्वारा निर्धारित (यदि हो) अन्य न्यूनतम शर्ते अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धरित ऐसी न्यूनतम शर्तो का भी पालन करेगा।

**2. गैर–शैक्षणिक कर्मचारी–अधिकारी वर्ग की नियुक्ति हेतु चयन समिति**

(a) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा परीक्षा नियंत्रक (कुलसचिव तथा मुख्य लेखा एवं वित अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक

(iii) शासी निकाय द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ

(iv) कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे

(b) अन्य प्रशासनिक, गैर–शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय की चयन समिति

विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक (गैर–शैक्षणिक अधिकारी कर्मचारी) की नियुक्ति हेतु चयन समति निम्न होगी:

(i) कुलसचिव अध्यक्ष होंगे

(ii) कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

(iii) शासी निकास द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ

(c) चयन समिति की बैठक .

(i) चयन समिति के अध्यक्ष, जब और जैसे आवश्यकता हो समिति की बैठक आहूत कर सकेंगा।

(ii) समिति के तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।

(iii) समिति के अध्यक्ष के पास स्वयं का साधिकार वोट के साथ–साथ वोट का भी अधिकार होगा।

(iv) नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा तथा शासी निकास से अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलसचिव नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।

**3. पारिश्रमिक नीति :–**

3.1 समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान योग्य वेतन व भत्ते ऐसे वेतनमान अथवा वेतनमान के ऐसे स्तर पर निर्धारित व देय होंगे जैसा कि प्रबंध मंडल अंग्रीकृत करे अथवा समय –समय जो निर्णय लेवें।

3.2 विश्वविद्यालय के समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों नियक्ति के नियम व शर्ते शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

**4. आचार संहिता :**

संकाय के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार निर्मित आचार संहिता का पालन करना होगा।

**5. भविष्य निधि :**

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि का गठन करेगा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अभिदान करेगा।

## परिनियम क्रमांक—21

## पंचनिर्णय/परिवेदना समिति

1. विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों व परिवेदनाओं के निराकरण हेतु एक परिवेदना निवारण/पंच निर्णय समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य होंगे :

   (i) कुलपति — अध्यक्ष

   (ii) प्रबंध मंडल के सदस्यों में से प्रबंध मंडल द्वारा नामित चार सदस्य

   (iii) कुलसचिव सदस्य सचिव (मताधिकार के बिना)

   (iv) समिति उसे प्रस्तुत परिवेदनाओं एवं शिकायतों को ग्रहण कर उन पर विचार करेगी।

   (v) समिति प्राप्त परिवेदनाओं पर नियमानुसार विचार कर यथासंभव तीन माह की समय सीमा में उनका समाधान करेगी। यह समय सीमा एक माह की अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी। यदि आवश्यक हो तो ऐसे समाधानों संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत कये जा सकेंगे। प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

## परिनियम क्रमांक–22

## मानद, उपाधियाँ एवं अलंकरण

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(जी) का संदर्भ)**

1. मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव कुलाधिपति/कुलपति के नामित और संबंधित संकाय के डीन के समक्ष रखा जायेगा। यदि समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करेगा की जिस व्यक्ति को मानद डिग्री प्रदान किया जा रहा उसे प्रदान किया जा सकता है तभी उस प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा।
2. यदि शासी निकाय के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तभी उसे कुलाधिपति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जा सकेगा। कुलाधिपति अंतिम मंजूरी के लिए कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

## परिनियम क्रमांक–23

## शुल्क माफी छात्रवृत्ति तथा अध्ययनवृत्ति

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(एच) का संदर्भ)**

1. विश्वविद्यालय के छात्रों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति को अकादमिक प्रावीण्य तथा शैक्षणेत्तर प्रावीण्य के आधार पर प्रदान किया जावेगा। इस हेतु पात्र छात्रों का चयन कुलपति की अध्यक्षता एवं संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की सदस्यतावाली समिति करेगी। जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव होंगे।
2. शुल्क छूट, छात्रवृत्ति अथवा अध्ययनवृत्ति इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात ही प्रदाय किए जावेंगे।

## परिनियम क्रमांक–24

## प्रवेश नीति से संबंधित प्रावधान एवं आरक्षण

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(आई) का संदर्भ)**

विश्वविद्यालय में वे सभी अभ्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे जो निर्धारित अहर्ता रखते हो। विश्वविद्यालय की प्रवेश छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित नीति शासन की आरक्षण नीति तथा अन्य प्रभावशील कानूनों व विनियमों तथा संबंधित विषयों हेतु रचित अध्यादेशों के परिप्रेक्ष्य में शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

विश्वविद्यालय प्रतियोगी प्राविण्यता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्मित नियमों, यदि हो, प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के विभागों में सभी विषयों में राज्य शासन द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित विषयों एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित नियमों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी प्रावीण्यता के आधार पर नियमानुसार प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा और यह भी कि जहां राज्य शासन द्वारा छात्रों के हित में प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत निर्मित हो, विश्वविद्यालय उन्हें अंगीकृत कर, ऐसे नियमों को अधिकारिक गजट में अकादमिक सत्र प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित करेगा।

और यह भी कि विश्वविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था की दृष्टि से संबंधित अधिकारी किसी छात्र को प्रवेश उसके अभिलेखों के आधार पर देने से इंकार भी कर सकते है।

विश्वविद्यालय राज्य शासन की शैक्षणिक संस्थाओं विशेषकर निजी विश्वविद्यालय हेतु प्रचलित वर्तमान आरक्षण नीति तथा राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय से अपेक्षित अन्य आवश्वासनों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।

यदि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों हेतु आरक्षित सीट्स अथवा कमजोर वर्गो यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिलाओं हेतु आरक्षित सीट्स में से कुछ रिक्त रह जाने की स्थिति में, ऐसी रिक्त सीट्स अन्य श्रेणी के छात्रों से प्राविण्यता के आधार पर आपूरित कर ली जावेगी।

## परिनियम क्रमांक–25

## शुल्क विनियम

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005**
**धारा 26(1)(आई) का संदर्भ)**

1. विश्वविद्यालय छात्रों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क के संबंध में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के दिशा निर्देश अन्य प्रभावशील नियमों व विनियमों तथा संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों व छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के निर्देशों के प्रति वचनबद्ध रहेगा।
2. विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा किया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय समय समय पर कई अन्य शुल्क भी निधारित करेगा जिनमें प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क, खेलकूद, ग्रंथालय, परीक्षा, चिकित्सा शुल्क सहित अन्य सेवाओं यथा लॉड्री व मुद्रण शुल्क भी सम्मिलित हैं।
4. विश्वविद्यालय शुल्क विवरण छात्रों को उस सत्र की प्रवेश विवरणिका के साथ उपलब्ध करा दिया जावेगा।
5. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम के शुल्क ढांचे में किसी भी परिवर्तन से पूर्व शासी निकाय तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग सहित संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

## परिनियम क्रमांक–26

## विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट संख्या

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005**
**धारा 26(1)(के) का संदर्भ)**

1. प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक अकादमिक सत्र हेतु सीट संख्या का निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा शैक्षणिक परिषद एवं नियामक निकाय के अनुमोदन पश्चात किया जावेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय हेतु निर्धारित की गई सीट संख्या में परिवर्तन से संबंधित वैधानिक निकाय तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अवगत कराया जावेगा।

# परिनियम क्रमांक–27

## अकादमिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को हटाना

(छ.ग. निजी वि.वि. (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005
धारा 26(1)(इ) का संदर्भ)

1. शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा गैर–शैक्षणिक एवं गैर–प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों में कुछ भी अन्यथा न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय सेवा से, नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है यदि ऐसा व्यक्ति :

   (a) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो।

   (b) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध या नैतिक अक्षमता का दोषी करार दिया जाकर उस संबंध में कारावास की सज़ा सुनाई गई हो।

   (c) ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त शक्तियों व कर्तव्य निर्वाह के परिप्रेक्ष्य में गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया हो।

   (d) विधिवत गठित जांच समिति के निर्देश पर

2. जहां ऐसे शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी अथवा गैर–शैक्षणिक एवं गैर प्रशासनिक कर्मचारी की पदमुक्ति उपरोक्त वाक्य–(1) में स्पष्ट कारणों के बजाय अन्य कारणों से हो वहां ऐसा व्यक्ति रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार पदमुक्त किया जावेगा।

3. ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे उपरोक्त (अ) से (द) में से किसी भी कारण से दोषी पाया गया हो, को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जावेगा जिसके बाद ही कोई अंतिम कार्यवाही की जा सकेगी।

## परिनियम क्रमांक—28

## अधिनियम का संरक्षण, कार्यवाहियां एवं आदेश

**(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना व संचालन) अधिनियम 2005 धारा 26(1)(इ) का संदर्भ)**

1. शासी निकास, प्रबंध मंडल या अन्य कोई अधिकारी, प्राधिकारी, निकाय समिति या विश्वविद्यालय द्वारा गठित किसी भी मंडल द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा या उस पर केवल इस आधार पर प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकेगा कि विश्वविद्यालय के संविधान में किसी प्रकार की रिक्तता (कमी) या दोष विद्यमान है।
2. किसी मुकदमें की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

# परिनियम क्रमांक–29

## नव–स्थापित भारती विश्वविद्यालय के वर्तमान कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में।

नव स्थापित भारती विश्वविद्यालय में, होलिस्टिक फाउंडेशन के तहत काम करने वाले वर्तमान स्टाफ को भारती विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध रिक्ति और योग्यता आवश्यकता के आधार पर भारती विश्वविद्यालय के नियमों और शर्तों के आधार पर उनके वर्तमान वेतन संरचना को संरक्षण देने के आधार पर नियुक्त / स्थानांतरित / पदोन्नत किया जाएगा।

# अध्यादेश–1

## विद्यार्थियों का प्रवेश एवं नामांकन

(धारा 28 (1) (क))

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन इसके पश्चात उपबंधित रीति से विनियमित होंगे।

**परिभाषाएं :**

(क) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से है।

(ख) "ए.आई.यू." का तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ से है।

(ग) "ए.आई.सी.टी.ई." का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है।

(घ) "एन.सी.टी.ई." का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से है।

(ङ) "आई.सी.सी.आर." का तात्पर्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद् से है।

(च) "अर्हकारी परीक्षा" से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण करने पर छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. व डॉक्टरेट उपाधियों अथवा डिप्लोमा या प्रमाण पत्रों की ओर अग्रसरित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माना जाता है।

(छ) "एटीकेटी" अभ्यर्थी से तात्पर्य ऐसा अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न–पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से कम प्राप्त कर असफल रहा जहां 35 प्रतिशत के निर्धारण हेतु गणना हमेशा पूर्णांकित तरीके से होगी एवं ऐसा अभ्यर्थी पुनः उसी सेमेस्टर की परीक्षा में आगामी सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रविष्ट हो रहा है।

(ज) समकक्ष परीक्षा से अभिप्राय है:

- कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल
- किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय.

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, के द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा।

(झ) "अंतराल कालावधि" से अभिप्राय है अभ्यर्थी द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में अंतिम उपस्थिति की तिथि तथा इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के मध्य के अंतराल से है।

**1 प्रवेश हेतु पात्रता :**

1.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता का उल्लेख संबंधित पाठ्यक्रम विवरण में किया जावेगा। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके द्वारा किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मण्डल (HSSC) की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली गई हो अथवा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो जिसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर समकक्ष परीक्षा के रूप में मान्य किया गया हो।

1.2 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से बाहर का कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होगा।

1.3 यह भी प्रावधानित है कि विश्वविद्यालय के कुलपति शासकीय निर्देशावली के अनुसार अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रावीण्यता/उपलब्धियों के आधार पर आयु सीमा को शिथिल भी कर सकेंगे।

1.4 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न हो तथा वह प्रवेश हेतु निर्धारित ऐसी अन्य आव्रजन भी धारित करता हो जो वांछित है।

1.5 यह भी आगे प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्नातकोत्तर परीक्षा

हेतु तब तक अर्हता प्राप्त नहीं माना जावेगा जब तक कि उसके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण न कर लिया गया हो।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीट्स की अधिकतम संख्या का निर्धारण अकादमिक परिषद्, संबंधित नियामक संस्था द्वारा समय–समय तय मापदंडो एवं राज्य शासन की मार्गदर्शिका, यदि हो।

प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के निदेर्शों का पालन किया जाएगा।

**2 प्रवेश हेतु प्रावधान :**

2.1 कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश को अधिकार के रूप में दावे के पात्र नहीं होंगे।

2.2 प्रवेश प्रक्रिया छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जावेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रावीण्यता के आधार पर और/या प्रवेश समिति द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.4 प्रवेश के समय प्रदेश शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

2.5 प्रवेश शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार प्रस्तावित किया जावेगा या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार दिया जावेगा।

2.6 प्रवेश आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगेः

(1) स्कूल अथवा महाविद्यालय छोड़ने विषयक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्था जहां छात्र अध्ययनरत था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) अंक विवरण की सत्य प्रति जो दर्शाता हो कि आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है।

(3) यदि आवेदक उक्त परीक्षा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो तो उसे पात्रता हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित आव्रजन प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित आव्रजन (माइग्रेशन) शुल्क की राशि जमा करनी होगी। छात्र द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख कुटरचित, छेड़छाड युक्त या असत्य पाए जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा तथा उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

2.7 प्रवेश हेतु आवेदन सीधे/काउंसिलिंग द्वारा/मार्गदर्शन/सूचना केन्द्र/डाक द्वारा/ विश्वविद्यालय वेबसाइट द्वारा भेजे जा सकेंगे। भारत अथवा विदेश के छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक है वे विश्वविद्यालय से आनलाईन संपर्क कर सकते है।

2.8 प्रवेश समिति आवेदनों की जांच कर चयनित आवेदकों को अनंतिम प्रवेश देगी।

2.9 प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता–पिता या विधिक पालक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य प्राधिकारियों के अनुशासानात्मक एनं धन संबंधी अधिकारिता के अधीन स्वयं को रखेगा।

2.10 कोई आवेदक जिसने अन्य मान्य विश्वविद्यालय/मान्य निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है, को विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद, संबंधित उत्तीर्ण परीक्षा की समतुल्यता निर्धारित करने के पश्चात आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दे सकेगें ।

2.11 ऐसा प्रवेशोच्छुक छात्र एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक के गेप अंतराल के बाद प्रवेश चाहता हो उसे अपने आवेदन के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें गैप अंतराल के कारणों को दर्शाते हुए यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने संबंधित अवधि में किसी भी महाविद्यालय/संस्थान/या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया

था तथा न तो उसे निष्कासित किया गया और न ही किसी आपराधिक मामले में उसे कारावास हुआ।

**2.12** छात्रों के प्रवेश प्रत्येक सेमेस्टर प्रारंभ होने के एक माह के भीतर पूर्ण कर लिए जावेंगे अथवा ऐसी तिथि तक जिसे शैक्षणिक परिषद ने निर्धारित किया हो।

**2.13** यह भी प्रावधनित है कि जब निर्धारित अंतिम तिथि अथवा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पर कोई अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जावेगा।

**2.14** कुलपति को किसी पाठयक्रम में विद्यार्थी को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश देने का अधिकार होगा, सिर्फ स्थानान्तरण के मामले में ।

**2.15** छात्रों का विश्वविद्यालय में पंजीयन मूल प्रयास के पश्चात दो अतिरिक्त प्रयासो (Attempts) तक वैध रहेगा। इस समय सीमा के पश्चात अनुत्तीर्ण छात्रों को समय–समय पर परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना होगा।

**3 कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु निषेध :**

**3.1** कोई भी छात्र एक साथ दो नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

**3.2** जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई भी छात्र प्रमाण पत्र अथवा अंशकालिक पाठ्यक्रम कर सकेगा बशर्ते वह इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक अर्हता रखता हो।

**3.3** कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगा तथापि वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या अतिरिक्त उपाधि/डिप्लोमा उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में प्राप्त करने हेतु प्रवेश ले सकेगा बशर्ते वह आव्रजन संबंधी अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

**3.4** संकायों की सूची परिनियम क्रं.–14 में दी गई है परंतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची में कोई भी वृद्धि या विलोपन के संबंध में

विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्णय लेगा।

**3.5** ऐसा कोई भी छात्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित, निष्कासित वंचित या प्रतिबंधित किया गया हो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से प्रतिबंधित होगा।

**3.6** भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में किसी भी पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना झूठी/गलत हो या उसके आचरण के आधार पर भी ऐसा किया जा सकेगा।

**3.7** यदि विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो तो उसे निष्कासन या अयोग्यता की अवधि में इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

**3.8** अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किसी भी विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्य न कर लिया जावे।

**3.9** कोई भी छात्र जिसने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो उसे कुलपति या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय में आगामी उच्च कक्षा की परीक्षा हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

**3.10** अभिभावकों के स्थानांतरण के कारण अन्य विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय आ रहे विद्यार्थियों को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

**3.11** सत्र प्रांरभ के उपरांत जो विद्यार्थी संस्था में प्रवेश लेते है उन्हें पूरे शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं अन्य शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।

**4 विद्यार्थियों का नामांकन/पंजीयन :**

4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण समस्त मूल अभिलेखों व नामांकन शुल्क के साथ जैसा कि विद्या परिषद समय –समय पर निर्धारित करें कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 प्रवेश हेतु प्रस्तुत स्थानांतरण व आव्रजन प्रमाण पत्र भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की संपत्ति होगी।

4.3 नामांकित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ते समय भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की मुद्रा के अधीन नया स्थानांतरण प्रमण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी होगा।

4.4 किसी भी विद्यार्थी को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की किसी भी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के रूप में सही तरीके से नामांकित न हुआ हो।

4.5 कुलसचिव द्वारा समस्त नामांकित छात्रों का एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा जो भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न संकायों व संस्थानों में अध्ययन/शोध कार्य कर रहे है।

4.6 उक्त रजिस्टर में छात्रों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियां यथा प्रवेश प्राप्ति तिथि, विश्वविद्यालय छोड़ने की तिथि सहित विभिन्न परीक्षाओं जिनमें उपाधि/डिप्लोमा/प्रदत्त प्रमाण–पत्र आदि जानकारियाँ होगी।

4.7 छात्र को उसके नामांकन क्रमांक की जानकारी दी जावेगी, छात्र को विश्वविद्यालय से किसी भी संवाद हेतु उस क्रमांक का उल्लेख करना होगा जिसके सम्मुख रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, उसे भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग परीक्षाओं में प्रवेश हेतु भी उक्त नामांकन क्रमांक पश्चावर्ती आवेदनों में दर्शाना होगा।

4.8 परीक्षाओं हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की स्क्रूटनी (जाँच पड़ताल ) नामांकन पंजी के परिप्रेक्ष्य में की जावेगी। परीक्षा विभाग आवेदकों को ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करेगा जिनमें अपूर्ण जानकारी है तथा पूर्ण

विवरण तथा वांछित अभिलेख समय–सीमा से वांछित है।

**4.9** कोई भी नामांकित छात्र, नामांकन पंजी में स्वयं से संबंधित दर्ज विवरण की प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त कर सकता है।

**4.10** किसी छात्र को विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में तब ही सदस्य रूप में नामांकित किया जा सकेगा जब उसे प्रवेश समिति/विभाग प्रमुख द्वारा प्रवेश दे दिया गया हो तथा उसके द्वारा निर्धारित शुल्क चुका दिया गया हो।

**5 नाम परिवर्तन :**

**5.1** विद्यार्थी जो नामांकन पंजी में अपना नाम परिवर्तित करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय के संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा :

(1) निर्धारित शुल्क

(2) उसके वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथ–पत्र, अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष उसके माता–पिता या पालक द्वारा, एवं व्यस्क की स्थिति में वह स्वयं शपथ ले सकता है।

(3) समाचार पत्र में प्रकाशन जिसमें नाम के प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना हो परंतु विवाह उपरांत महिला यदि नाम परिवर्तन करे तो उस पर प्रकाशन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कुलसचिव ऐसे आवेदनों पर विचारोपरांत निर्णय लेंगे एवं शैक्षणिक परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

**6 विषय परिवर्तन :**

**6.1** सामान्यतया एक छात्र के वैकल्पिक/सहायक/विशेषज्ञता वाले विषय जो प्रवेश के समय उसके द्वारा चयन किए गए विषय है में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने ऐसी अनुमति हेतु आवेदन प्रवेश तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत न किया हो। ऐसे आवेदन

संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभाग प्रमुख की अनुशंसा सहित कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

**7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगो व महिला वर्ग के छात्रों के प्रवेश पर विचार :**

7.1 अ.जा., अ.ज.जा., दिव्यांगो व महिला वर्ग के आवेदक छात्रों का प्रतिवर्ष प्रवेश आरक्षित वर्ग में करने हेतु समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रवेश संबंधी नियमों के तहत तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिया जावेगा।

टीपः— विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश संबंधी नियमों में किसी अस्पष्टता की दशा में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

**8 प्रवेश समिति :**

8.1 भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम फिल, पी.एचडी, स्नाताकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट हेतु एक प्रवेश समिति गठित की जावेगी, जिसका प्रमुख प्रवेश समन्वयक होगा।

8.2 समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य प्रतिपादित किये जायेंगेः

(i) विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार अभ्यार्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदनों का परीक्षण।

(ii) प्रवेश परीक्षाओं और/या साक्षात्कार का और या अन्यथा उपबंधित अनुसार प्रक्रिया करेगी।

(iii) प्रवेश परीक्षा पश्चात प्रत्येक वर्ग के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट संख्या की तीन गुनी संख्या में आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेगी केवल उन्ही उम्मीदवार को आमंत्रित किया जावेगा जिन्होने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 34 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

(iv) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी।

(अ) संबंधित संकायाध्यक्ष के समस्त अस्थायी प्रवेश योग्य सूची

तैयार कर प्रवेश समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा समय पर प्रवेश हेतु निर्मित सिद्धांतों के अनुसार प्रवेश नियमन हेतु समिति कर्तव्यनिष्ठ रहेगी।

(vii) प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता व स्तर उन्नत करने हेतु सुझाव देगी।

8.3 प्रवेश समिति का गठन कुलपति द्वारा किया जावेगा।

8.4 प्रवेश समन्वयक, कुलपति की अनुमति से विभिन्न विभाग/केन्द्र/संस्थानों से विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रवेश समिति में अधिकतम तीन सदस्य सहयोजित कर सकेंगे।

8.5 समिति के न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

9 **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेशः**

9.1 **परिचय :** भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न पाठयक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु अर्हता संबंधी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु इन नियमों को बनाया गया है।

9.2 **कार्यालय :** अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन हेतु वि.वि. में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ होगा। यह प्रकोष्ठ ऐसे छात्रों के प्रवेश पर न केवल नियंत्रण रखेगा वरन उन्हें प्रवेश सुरक्षित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह भी देगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों संबंधित समस्त पत्र–व्यवहार विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार को संबोधित होने चाहिए।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय छात्र :** इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र में निम्न सम्मिलित है :

1.विदेशी छात्र : छात्र जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी पासपोर्ट धारक हो जिनमें भारतीय मूल के ऐसे लोग भी सम्मिलित है जिन्होने विदेशी नागरिकता अंगीकार कर ली हो, को अंतर्राष्ट्रीय छात्र माना जाता है।

2 अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई) : केवल ऐसे अनिवासी भारतीय

छात्र जिन्होने विदेशी राष्ट्रों के स्कूल/कालेजों में अध्ययन किया एवं अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अंतर्गत वे छात्र भी शामिल होंगे जो विदेशी राष्ट्रों में स्थित स्कूल/कालेजों (भारत में स्थित) में पढ़ रहे है यद्यपि ऐसे संस्थान भारत स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल विश्वविद्यालयों से संबंद्धता प्राप्त हो परन्तु इस श्रेणी में वे स्कूल/कालेजों शामिल नहीं किए जाएंगे जो विदेश स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडलों या विश्वविद्यालय से संबंद्ध हो।

ऐसे छात्र जिन्होने अर्हकारी परीक्षा विदेशी राष्ट्र में स्थित शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से बाह्य छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो तथा अनिवासी भारतीयों के आश्रित है तथा जो भारत में अध्ययनरत है को अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं माना जावेगा।

आव्रजन विभाग अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा देश में प्रवेश करने पर उनकी प्रवेश स्तरीय स्थिति को आव्रजन विभाग या विदेश मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित रखा जावेगा।

**9.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यक अभिलेख :**

**(i) वीज़ा :** समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से इस संस्थान को पृष्ठांकित वीज़ा पूर्णकालिक पाठयक्रम करने हेतु आवश्यक होगा। कोई अन्य पृष्ठांकन मान्य नही होगा। शोध कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छक छात्रों को इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीज़ा आवश्यक होगा जो पाठयक्रम की निर्धारित अवधि के लिए वैध लेना चाहिए। अनिवासी भारतीय के लिए वीज़ा वांछित नहीं है। ऐसे छात्र जो वि.वि. में पूर्णकालिक पाठयक्रम कर रहे है उन्हें अंशकालिक प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु उन्हें पृथक वीज़ा लेना आवश्यक नहीं है बशर्ते उनका वर्तमान वीज़ा पाठयक्रम की सम्पूर्ण अवधि में वैध हो।

**(ii) अनापत्ति प्रमाण पत्र :** व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को

अब अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी (भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 33–17/2002–यू. 4 दिनांक 20 अगस्त 2004 के अनुसार)। ऐसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो शोध/पी.एच.डी. कार्य के इच्छुक है या एम.फिल. करने हेतु इच्छुक है उनहें गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से सुरक्षा निर्वाहन तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से इस संस्था को पृष्ठांकित शोध वीजा पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

**9.5 पात्रता योग्यता :**

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक आव्रजन का अवलोकन प्रवेश विवरणिका अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा सकता है। केवल ऐसे छात्र जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा मंडलों से अर्हित है प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक समझा जावे, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ऐसी समकक्षता की जांच कर सकेगा।

**9.6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश :**

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के माध्यम से होगा। प्रवेश सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में दिया जावेगा तथापि पात्र छात्रों को अन्य संस्थानों से स्थानांतरण की दशा में सत्र के मध्य में भी प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रों का प्रवेश दो चरणों में हो सकेगा। प्रथम–प्रवेश इच्छुक छात्र आवेदन पत्र, प्रवेश विवरणिका प्राप्त कर, वेबसाइट से आवश्यक आव्रजन, उपलब्ध पाठ्यक्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् अस्थायी प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेगा। प्रकोष्ठ द्वारा अर्हता का परीक्षण कर अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। यह वीज़ा प्राप्त करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा।

अस्थायी प्रवेश पश्चात् छात्र को वीज़ा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण

करना होगा तत्पश्चात् वह अंतिम प्रवेश हेतु जहां पाठ्यक्रम करना चाहता है वहां प्रतिवेदन देगा। अलगे चरण में वह संबंधित संस्थान का प्रवेश आवेदन पूर्ण कर आवश्यक शुल्क चुकाएगा तत्पश्चात् उसे चिकित्सा परीक्षण करानी होगी। ऐसे छात्रों के विश्वविद्यालय अथवा अन्य एजेंसी से अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में प्रविष्ट होकर प्राप्तांक विवरण विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। इन औपचारिकताओं के पश्चात् उसे अंतिम प्रवेश दिया जावेगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शुल्क भुगतान अमेरिकन डालर में करना होगा परन्तु विशेष प्रकरणों में समकक्ष भारतीय रूपयों में भी भुगतान की अनुमति होगी। अंतिम प्रवेश हेतु सामान्यतः जो शुल्क देय होंगे उनमें प्रपत्र शुल्क (प्रवेश विवरणिका की लागत में सम्मिलित यदि क्रय किया जाता है) पात्रता शुल्क प्रशासनिक शुल्क (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण प्रकरणों में भिन्न–भिन्न हो सकते है)।

**9.7 अंग्रेजी में अनुपालन पाठ्यक्रम :**

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रम के छात्र जिन्हें अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा देना आवश्यक है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जैसा लागू हो का भुगतान करना होगा। अंतिम प्रवेश के समय ऐसा भुगतान करना होगा। शुल्क समय समय पर पृथक–पृथक पाठ्यक्रमों हेतु भिन्न होगी। विद्यार्थी द्वारा अस्थायी प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रमों में अंतिम प्रवेश न लिए जाने पर उसे लिया गया प्रशासनिक शुल्क का वापसी परीक्षण शुल्क, बैंक कमीशन व पोस्टेज यदि हो की कटौती पश्चात कर दिया जावेगा।

ऐसा अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिसे भारत से बाहर स्थित किसी वैधानिक मंडल / विश्वविद्यालय से आव्रजन परीक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात प्रवेश दिया गया है को विश्वविद्यालय / संस्थान या अन्य संगठन द्वारा

आयोजित अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा परंतु उसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें आव्रजन परीक्षा, अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की है उन्हें अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा से छूट होगी।

ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो अथवा जो ऐसी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए उन्हें अंग्रेजी भाषा के उपचारात्मक पाठ्यक्रम जो "Remedial English Course for International Students(RECIS)" अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा आयोजित आधार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। छात्रों को यह पाठ्यक्रम सफल होने तक जारी रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करना होगा।

**9.8 स्थानान्तरण एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन :**

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा प्रवेशित पाठ्यक्रम को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से भारत स्थित एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की भी अनुमति नहीं होगी। अपवाद प्रकरणों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ द्वारा इसकी अनुमति पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियम तथा वि.वि./संस्थान के समक्ष अधिकारी की अनुमति के आधार पर दी जा सकती है।

**9.9 भारत सरकार के स्कॉलर :**

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्हें आई.सी.सी.आर. द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है, को प्रवेश देते समय छात्रावास सुविधा की प्राथमिकता होगी। विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को भी जो प्रशिक्षण, शोध या अध्ययन कर रहे है, इसी तरह से प्राथमिकता होगी।

**9.10 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया**

**चरण 1.** ऐसे छात्र को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के निमित्त वि.वि./संस्थान की प्रवेश विवरणिका का क्रय/वि.वि. वेबसाइट से डाउनलोड (पात्रता प्रपत्र सहित) करना होगा।

**चरण 2.** पात्रता प्रपत्र भरकर प्रपत्र में दर्शित प्रमाण पत्रों की प्रतियों व

निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य समय रहते सम्पन्न करें ताकि छात्र को प्रवेश तिथि से पूर्व वीज़ा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके।

**चरण 3**. वीज़ा प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से अनंतिम प्रवेश प्राप्ति संबंधी पत्र प्राप्त करें।

**चरण 4.** यह पत्र संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में प्रस्तुत कर वि.वि./संस्थान को पृष्ठांकित वीज़ा प्राप्त करें। अनिवासी भारतीयों से वीज़ा वांछित नहीं है।

**चरण 5.** प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थिति दें। स्थायी प्रवेश आवेदन प्रपत्र भरकर निम्न मूल दस्तावेज उनकी छायाप्रति सहित प्रस्तुत करें :

अ. आव्रजन परीक्षा उत्तीर्ण करने विषयक उपाधि/प्रमाण पत्र

ब. आव्रजन परीक्षा की अंक सूची

स. मूल छात्र वीज़ा

द. नोटरी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट की छायाप्रति।

**टीप :** छात्र को उसके मूल प्रमाण पत्र आवश्यक पृष्ठांकन के तत्काल पश्चात वापस कर दिए जावेंगे।

**चरण 6.** चिकित्सा जॉच परीक्षा पश्चात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शासकीय नियमों के अनुसार समस्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का जो भारत में छात्र वीज़ा द्वारा प्रवेश करते है को एच.आई. व्ही./कोविड–19 परीक्षण कराना होगा ऐसा परीक्षण पाजीटिव होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। ऐसे सभी छात्रों को चिकित्सा शुल्क के रूप में यू.एस. डालर 50 भुगतान करने होंगे। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्र चिकित्सा बीमा कवर के लिए भी भुगतान करना होगा।

**चरण 7.** अंग्रेजी में प्रवीणता जांच परीक्षा में प्रविष्ट हो जो कि विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश औपचारिकता में वांछित

है। यह केवल तब ही आवश्यक होगा जबकि आव्रजन परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण न की गई हो।

**चरण 8.** अंतर्राष्ट्रीय छात्र का प्रवेश तब ही अंतिम रूप से होगा जब छात्र द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया हो तथा उसके द्वारा सभी वांछित शुल्क जमा करा दिए गए हो एवं उसके सभी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कर लिया गया हो।

**चरण 9.** भारत में आगमन से 48 घंटो के भीतर स्थानीय पुलिस को विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफ.आर.आर.ओ) में पंजीकृत करावें।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो किसी भी संस्थान में कोई भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे है उन्हें वि.वि. में किसी भी अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है यदि वे वैध वीज़ा, पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए धारित करते हों। अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें वांछित शुल्क चुकाना होगा। संस्था ऐसे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ से सलाह कर सीधे प्रवेश दे सकती है यदि वे आव्रजन रखते हों।

**9.11 अनुशासन :**

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय छात्रों की ही तरह जो समान पाठ्यक्रम कर रहे है। उन्हें भारती विश्वविद्यालय के नियमों एवं आचार संहिता का पालन करना बंधनकारी होगा।

**9.12 परीक्षा एवं डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों का प्रदाय :**

परीक्षा, परीक्षा शुल्क भुगतान, अंकसूची का जारी करना व उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का जारी करना तथा उपाधि, डिप्लोमा व प्रमाण पत्रों के जारी करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो समान पाठ्यक्रम करने वाले भारतीय छात्रों के लिए अपनाई जाती है।

**9.13 निष्कर्ष :**

उक्त नियम प्रवेश के संबंध में प्रभावशील होंगे।

नियमों के क्रियान्वयन में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ का मत लिया जावेगा जो कि अंतिम होगा। शुल्क संरचना पुनरीक्षण के अधीन होगी तथा छात्रों को पुनरीक्षित शुल्क जब कभी प्रभावशील हो देना होगा। ऐसे बिन्दु जो विशेष रूप से समाहित नहीं है के संबंध में वि.वि./संस्थान का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विवाद का समाधान कुलपति द्वारा इस हेतु नियुक्त समिति द्वारा किया जावेगा। निर्धारित समय सीमा में समाधान न हो पाने पर न्यायालय की शरण की आवश्यकता होने पर वह केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग. ) में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10 **अध्यापन का माध्यम :**

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्यापन का माध्यम ऐसे विषय जो विशिष्ट भाषा से संबंधित हैं को छोड़कर हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा।

# अध्यादेश–2

## विश्वविद्यालय परीक्षायें

(धारा 28 (1) (ई))

**अध्याय–1**

**1 परिभाषाएं –**

1.1 **आकादमिक कार्यक्रम** से अभिप्राय स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाण पत्र के लिए अग्रेषित पाठ्यक्रम / या अन्य कोई विषय से है। एक शैक्षणिक वर्ष से अभिप्राय सामान्यतः शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु समर्पित 12 माह की कालावधि है।

1.2 **सेमेस्टर प्रणाली** सेमेस्टर प्रणाली से अभिप्राय है वह शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 6 माह की कालावधि के दो सेमेस्टर में विभाजित होगी। पाठ्यक्रम से तात्पर्य आकादमिक कार्यक्रम के उस भाग से है जिसका पृथक कोड नंबर एवं जिस पर विशिष्ट क्रेडिट / अंक नियत होते है।

1.3 **बाह्य परीक्षक** बाह्य परीक्षक से अभिप्राय उस परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान / केन्द्र / विभागों में कार्यरत नहीं है।

1.4 **आंतरिक परीक्षक से तात्पर्य** – उस परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय या उसके संस्थान / केन्द्र / विभाग में कार्यरत है।

(अ) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की स्थिति में परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, विभागों/अध्ययन केन्द्रों या संस्थानों में शिक्षक हो।

(ब) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की स्थिति में परीक्षक जो विश्वविद्यालय में, विभागों में, अध्ययन केन्द्र में या संस्थान में शिक्षक है जिसके अभ्यार्थियों की परीक्षा, परीक्षा केन्द्र में ली जा रही है।

1.5 **सह परीक्षक** से तात्पर्य उस परीक्षक से है जो किसी लिखित प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र रचियता के अतिरिक्त नियुक्त है।

छात्र से तात्पर्य– ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विभागों एवं उससे संबंद्ध महाविद्यालय, संस्थान अथवा सहयोगी संस्थान / केन्द्र में किसी भी अकादमिक कार्यक्रम जिसके लिए अध्यादेश प्रभावशील है में प्रवेशित हो।

1.6 **नियमित अभ्यर्थी** –नियमित अभ्यर्थी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्ययन के किसी नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में प्रवेश प्राप्त हो तथा तत्संबंधी परीक्षा में प्रवेश का इच्छुक हो।

1.7 **भूतपूर्व छात्र** – भूतपूर्व छात्र से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थी से है जिसके द्वारा नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लिया गया था परंतु वह परीक्षा में असफल रहा अथवा वह परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् भी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः वह भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग की उक्त परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने का इच्छुक है।

1.8 **एटीकेटी अभ्यर्थी** – से अभिप्राय उस अभ्यर्थी से है जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या के 35 प्रतिशत से अनाधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है तथा उसे अगले सेमेस्टर में उन्नत कर दिया गया है एवं वह अनुत्तीर्ण सेमेस्टर परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो रहा है जो आगामी नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित है।

1.9 **नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम** नियमित अध्ययन पाठ्यकम से तात्पर्य है, नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्रों में प्रत्येक विषय में संचालित है जिसे परीक्षार्थी परीक्षा हेतु आफर करना चाहता है।

1.10 **छात्र को उपस्थिति संबंधी निम्न मापदंड को पूर्ण करना होगा :**

एक अभ्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की तभी पात्रता होगी जिसकी 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी।

1.11 **अग्रेषण अधिकारी** – से तात्पर्य विभाग/संस्था/ केन्द्र के प्रमुख से है जहां अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में नियमित पाठ्यक्रम कर रहा है अथवा नियमित छात्र था परंतु अब परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्टि होना चाहता है।

1.12 **सत्यापित** से तात्पर्य अग्रेषण अधिकारी द्वारा सत्यापन से है।

1.13 **विश्वविद्यालय** से तात्पर्य भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग से है।

अध्याय–2

**2 विश्वविद्यालय परीक्षाएं –**

**2.1** विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित उन समस्त अकादमिक कार्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर सकता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अग्रेषित है जो कि शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के अनुसार अध्यापन, परीक्षा व पाठ्यक्रम में निर्धारित योजना के अनुसार है।

**2.2** विश्वविद्यालय परीक्षाएं उन समस्त नियमित व भूतपूर्व छात्रों के लिए उन निर्धारित कार्यक्रम/विषयों में आयोजित होंगी बशर्ते कि शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति होती हो।

**2.3** ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा निरसित किया गया है या विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि में किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

और यह भी कि विद्यार्थी को कम उपस्थिति के कारण अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वर्जित किया जा सकेगा।

**3 कार्यक्रम विषय वस्तु एवं अवधि**

**3.1** स्नातक उपाधि की अवधि 3 वर्ष (6 सेमेस्टर)/स्नातकोत्तर उपाधि की अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)/एम.फिल उपाधि की अवधि 1 वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं/ या अन्य विषय वस्तु समाविष्ट होगें। प्रत्येक पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय–समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

**3.2** किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अवधि वह होगी जो शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम हेतु सिलेबस में यथा

निर्धारित कार्यक्रम अवधि होगी।

**3.3** कार्यक्रम जिसके लिए निर्धारित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है, को पूरा करने के लिए न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि (n+4) के लिए होगी। जहां "n" सेमेस्टर की कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं (n+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना होगा।

**4 सेमेस्टर –**

**4.1** शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होगा, प्रत्येक सेमेस्टर की कार्यावधि लगभग 23 सप्ताह होगी। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक कैलेण्डर प्रति वर्ष एकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अधिसूचित कर दिया जायेगा।

**4.2** शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर का शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार है:

(अ) शिक्षण एवं/अथवा प्रयोगशाला कार्य – 19 सप्ताह (जिसमें क्लास टेस्ट सम्मिलित है।)

(ब) परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश – 01 सप्ताह

(स) सेमेस्टर अंत परीक्षा जिसमें प्रायोगिक /प्रयोगशाला कार्य शामिल है। – 03 सप्ताह

**5 आंतरिक अंकों की प्रस्तुति –**

परीक्षा के नियंत्रक को असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण सेमेस्टरांत परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आंतरिक अंक छात्र द्वारा क्लास टेस्ट असाइनमेंट एवं उपस्थिति के संबंध में निर्धारित अधिमान्यता पर दिए जाएंगे।

**6 विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश –**

**6.1** विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित परीक्षा आवेदन फार्म भरना होगा जो कि परीक्षा नियंत्रक को संकायाध्यक्ष /विभाग प्रमुख के द्वारा विधिवत अग्रेषित होकर प्रस्तुत होने चाहिए।

**6.2** नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय संकायाध्यक्ष/संस्था प्रमुख अथवा विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूल प्रमुख

को स्पष्ट करना होगा :

(i) यह कि आवेदक ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे संतुष्ट कर दिया है कि वह आगामी परीक्षा हेतु आर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण है।

(ii) यह कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित कालावधि में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दी गई तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(iii) यह कि उसका आचरण संतोषजनक है।

(iv) उप वाक्य 6.2 (ii) के आधार पर प्रमाण पत्र अंतिम होगा तथा उसे परीक्षा प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है यदि आवेदक व्याख्यान कक्षाओं के निर्धारित प्रतिशत , ट्यूटोरियल, प्रायोगिक, एनसीसी परेड आदि में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

**6.3** अध्यादेशों में प्रावधान के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु नियमित एवं भूतपूर्व छात्रों के आवेदन निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती के साथ परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में निर्धारित तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

**6.4** परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव द्वारा ऐसे छात्रों को जिन्होनें समय पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया है उन्हें निश्चित तिथि से सात दिन पश्चात् तक अपने परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते है। निर्धारित विलंब शुल्क अवधि के भी बीत जाने के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में परीक्षा नियत्रंक को यह विवेकाधिकार होगा कि वह ऐसे आवेदन पत्र को स्वीकार करें अथवा अस्वीकृत कर दें। स्वीकृति की दशा में विलंब शुल्क का निर्धारण भी वहीं करेगें।

**6.5** परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव कार्यालय में एटीकेटी परीक्षा आवेदन की प्रस्तुति परिणामों की घोषणा से 30 दिवस के भीतर संस्थान जहां से छात्र ने नियमित पाठ्यक्रम किया है के अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से ऐसे

आवेदन पत्र पहुंच जाने चाहिए।

6.6 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक नियमित सेमेस्टर अंत परीक्षा प्रारंभ से 30 दिवस पूर्व संबंधित संकायाध्यक्ष/संस्थान प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये। परीक्षा आवेदन पत्र में निम्न स्पष्ट होना चाहिए

(i) विषय अथवा विषयों जिनमें आवेदक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है।

(ii) आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पूर्व में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने विषयक प्रमाण संलग्न करना होगा।

(iii) भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में उन्हीं प्रश्नपत्रों पर प्रविष्ट होना होगा जिनमें वह नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हुआ था परंतु परीक्षा योजना में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा पूर्व में लिये गये विषय / प्रश्न पत्रों का यदि विकल्प अब समाप्त हो गया हो तो उसे ऐसे प्रश्नपत्रों के स्थान पर भिन्न विषय/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में विभिन्न विषयों में अध्ययन के निर्धारित महत्व की पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक भूतपूर्व छात्र को उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा जिस केन्द्र से विभाग/संस्थान / केन्द्र संस्थान के नियमित छात्र भी प्रविष्ट हो रहे है। परंतु परीक्षा नियंत्रक पर्याप्त कारणों से किसी अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर सकते है।

6.7 किसी भी नियमित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जब तकः

(i) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उसका नामांकन नियमित विद्यार्थी के रूप में न हो गया हो।

(ii) वह उस परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु न्यूनतम अकादमिक अर्हता रखता हो जिसमें वह प्रविष्ट होना चाहता है तथा-उसके द्वारा उस परीक्षा हेतु नियमित पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया

गया है।

(iii) वह इस अध्यादेश तथा अन्य सभी संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों को संतुष्ट करता है जो उस परीक्षा में जिसमें वह प्रवेश चाहता है के लिए आवश्यक है।

**6.8** जहां अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अध्यादेशों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है वहां उसे ऐसे विषय में भी समान रूप से न्यूनतम उपस्थिति की शर्त संतुष्ट करना होगा जो उस पर लागू होती है।

**6.9** नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में न्यूनतम उपस्थिति की गणना में:

(i) शिक्षा सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्रीय यदि हो में उसकी उपस्थिति की गणना की जायेगी।

(ii) नियमित परीक्षार्थी की उच्च कक्षा में उपस्थिति की गणना उसकी निम्न कक्षा में परीक्षा की पात्रता के निर्धारण हेतु प्रतिशत के रूप में की जायेगी। जिस कक्षा में द्वितीय एटीकेटी/पूरक परीक्षा में असफल रहने के कारण उसे अवनत किया गया।

**6.10** अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक की वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत न करें या परीक्षा संबंधित अन्य अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर देता हो कि अधीक्षक या वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

**6.11** परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अधीक्षक के अनुशासात्मक नियंत्रण में रहेगा तथा उसके निर्देशों का विनम्रतापूर्वक पालन करें। परीक्षार्थी द्वारा अध्यादेशों की निर्देशों अवज्ञा या अनुशासनहीनता युक्त व्यवहार या परीक्षा अधीक्षक अथवा किसी भी वीक्षक की उपेक्षा प्रदर्शित करने की स्थिति में उसे उस संबंधित दिवस की परीक्षा से निष्कासित किया जायेगा और यदि फिर भी वह दुर्व्यवहार जारी रखता है तो उसे अधीक्षक द्वारा शेष परीक्षाओं से भी

वंचित किया जा सकेगा। अधीक्षक ऐसी स्थिति में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव को उसी दिन भेजेगा।

**7 उपस्थिति :**

**7.1** एक अभ्यर्थी द्वारा नियमित विद्यार्थी के रूप में नियमित पाठ्यक्रम किया जाना तब माना जायेगा जब उसके द्वारा प्रत्येक विषय में कम से कम 60 % व्याख्यानों में अपनी उपस्थिति दी गई हो तथा कुल मिलाकर सभी व्याख्यानों, ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 % उपस्थिति दी गई हो। ऐसी स्थिति में ही उसे परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य माना जायेगा। अन्यथा उपबंधित को छोड़कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऐसे छात्र की उपस्थिति में कमी के संबंध में छूट दी जाकर परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

**7.2** किसी नियमित विद्यार्थी को कुलपति द्वारा उपस्थिति में अधिकतम 15 % की सीमा तक छूट दी जा सकती है यदि उपस्थिति में कमी छात्र की बीमारी, N.C.C./N.S.S. शिविर की परेड में भाग लेने अथवा अंतर विश्वविद्यायलयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में टीम के सदस्य के रूप में छात्र की भागीदारी रही अथवा निर्धारित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड यात्रा/फील्ड कार्य जैसे उचित कारणों से उपस्थिति में ऐसी छूट दी जा सकती है बशर्ते कि तत्संबंधी अभिलेख प्रभारी शिक्षक के हस्ताक्षर से विभाग प्रमुख को ऐसे उत्सव/गतिविधि के समापन के दो सप्ताह के भीतर भेज दिये जावें ।

**7.3** यह भी प्रावधानित है कि बीमारी, चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में उपस्थिति प्रतिशत में छूट का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा भारती विश्वविद्यालय अथवा उसके संस्थान/विभाग/अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा छात्र का ऐसा आवेदन समर्थित हो। ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा/चिकित्सालय में भर्ती होने की कालावधि

के मध्य अथवा स्वास्थ्य लाभ होने के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

## 8 मूल्यांकन एवं परीक्षाः

**8.1** पाठ्यक्रम में दिया गया सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण पाठ्यक्रम के निर्धारित क्रेडिट/अंकों के अध्याधीन रहेगा।

**8.2** जब तक शिक्षण एवं परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कुछ विर्दिष्ट न हो तब तक पाठ्यकम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में दो भाग होंगेः

(i) सेमेस्टर परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन ।

(ii) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन ।

**8.3** सतत मूल्यांकन

**अभिभाजित अंक**

**स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र**

**पाठ्यक्रम प्रभाग**

| **सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन निम्न स्तरों पर आधारित होगा** | **स्नातक स्तरीय डिप्लोमा** | **स्नातकोत्तर स्तरीय डिप्लोमा** |
|---|---|---|
| *तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षा | आबंटित अंक आंतरिक जांच का 70% | आबंटित अंक आंतरिक जांच का 80% |
| असाइनमेंट/समूह चर्चा/ आबंटित अंक मौखिकी/अतिरिक्त जांच आंतरिक जांच परीक्षा का परीक्षा/क्विज आदि | आंबटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 30% | आबंटित अंक आंतरिक जांच परीक्षा का 20% |

शैक्षणिक सत्र में निर्धारित तीन कक्षा स्तरीय जांच परीक्षायें साधारणतः विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार अध्यापन प्रारंभ के पश्चात चौथे सप्ताह, आठवे सप्ताह एवं बारहवे सप्ताह में आयोजित होंगे।

प्रायोगिक / प्रयोगशाला पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा छात्रों का सतत मूल्यांकन करने हेतु छात्रों का प्रयोगशाला में, उनकी नियमित उपस्थिति एवं प्रायोगिक / कुल आंतरिक परीक्षा अंक अभ्यास / असाइनमेंट / क्विज आदि पर आधारित होगीं। ऐसे मूल्यांकन लगभग तीन समान अंतराल पर किए जायेंगे।

**8.4 असाइनमेंट :**

(i) छात्रों को असाइनमेंट्स निर्गत करने तथा छात्रों से असाइनमेंट्स प्रस्तुत करवाने एवं उनके मूल्यांकन का दायित्व संबधित संकायध्यक्षों अथवा विभागों का होगा। वह असाइनमेंट तैयार करने एवं मूल्यांकन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे।

(ii) सम्पूर्ण कक्षा को समूहों में बांटा जायेगा।

(iii) प्रत्येक समूह को पृथक असाइनमेंट दिया जायेगा जिसमें अन्य समूह को दिये गये असाइनमेंट्स से न्यूनतम समानता हो सकती है।

(iv) छात्रों को प्रति सेमेस्टर, प्रति विषय न्यूनतम दो असाइनमेंट दिए जायेंगे।

(v) प्रत्येक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के पश्चात् अपने द्वारा पूर्ण किये गये असाइनमेंट का बचाव प्रस्तुति / मौखिकी के माध्यम से करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

(vi) असाइनमेंट्स विभाग व शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित के अनुसार मानक प्रारूप में तैयार किए जायेंगे।

(vii) छात्रों को उन्हें सौंपा गया असाइनमेंट जारी करने की तिथि से

दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(viii) देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत असाइनमेंट का मूल्यांकन निर्धारित अंकों के 50% से अधिक पर नहीं किया जायेगा।

**8.5 शोध लेख / थिसिस–**

जहां कहीं पाठ्यक्रम में निर्धारित है स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु शोध लेख / थिसिस का मूल्यांकन किया जायेगा तथा एक कमेटी द्वारा जिसमें आंतरिक परीक्षक जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होगा तथा एक या एक से अधिक बाह्य परीक्षक सम्मिलित होंगे द्वारा अंक दिए जायेंगे। आंतरिक परीक्षक द्वारा कुल अंक के 40 % में से अंक दिए जायेंगे जबकि बाह्य परीक्षक द्वारा कुल निर्धारित अंक के 60 % में से अंक दिए जायेंगे। इस हेतु कुलपति द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति इस अध्यादेश के उपबंध 10 (D) (3) के अनुसार तीन या अधिक परीक्षकों के नामों के पैनल में से की जायेगी।

यदि विशिष्ट प्रकरण में आवश्यक समझा जावें तो शिक्षकों के द्वारा किये गये सतत मूल्यांकन के अभिलेख को अपने समक्ष बुलाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा वह आवश्यकतानुसार शिक्षकों के द्वारा किए गए मूल्यांकन को मॉडरेट कर सकेगा।

**8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन–**

मूल्यांकन के विभिन्न प्रभागों में अधिभार का वितरण निम्नानुसार होगाः

| क्रमांक | विवरण | स्नातक उपाधि / स्नातक स्तर डिप्लोमा | स्नातकोत्तर उपाधि / स्नातकोत्तर स्तर डिप्लोमा |
|---|---|---|---|
| A. | सैद्धांतिक पाठ्यक्रम | | |
| | (1) सेमेस्टरांत परीक्षा | 70 % | 70 % |
| | (2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन | 30 % | 30 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. | प्रायोगिक / प्रयोगशाला पाठ्यक्रम<br>(1) सेमेस्टरांत परीक्षा<br>(2) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन | <br>70 %<br>30 % | <br>70 %<br>30% |
| C. | (1) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन<br>(2) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन | 70 %<br>30 % | 70 %<br>30 % |

D. अध्ययन पाठ्यक्रम के अन्य किसी प्रभाग जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है के लिए क्रेडिट / अंक प्रभार अध्यनमण्डल द्वारा तैयार किया जाकर शासी निकाय के अनुमोदन के अनुसार लागू होगा।

**9 श्रुतिलेखक की नियुक्ति / लेखक :**

**9.1** परीक्षार्थी के दृष्टिहीन होने अथवा अन्य प्रकार से असमर्थ होने की स्थिति में श्रुतिलेखक अनुज्ञात किए जाने संबंधी नियम निम्न है:

(i) "दृष्टिहीन अभ्यर्थी "एवं

(ii) ऐसे परीक्षार्थी जो दुर्घटना अथवा किसी रोग के कारण वर्तमान में अपने हाथ से परीक्षा में लिख पाने में असमर्थ है। .

उपरोक्त 9.1 स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतिलेखक की अनुमति होगी।

**9.2** परीक्षा नियंत्रक ऐसे परीक्षार्थी से परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त आवेदन के आधार पर श्रुति लेखक की नियुक्ति की व्यवस्था कर संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

**9.3** नियुक्त किया जाने वाला श्रुतिलेखक संबंधित परीक्षार्थी कि शैक्षणिक अर्हता से निम्न शैक्षणिक अर्हता का होना चाहिए।

9.4 परीक्षा अधीक्षक किसी परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संबंधित असमर्थ परीक्षार्थी को परीक्षा दिवसों में पृथक कक्ष में बैठाने एवं परीक्षक नियंत्रक द्वारा वीक्षकों की दी गई सूची में से एक पृथक वीक्षक नियुक्त करेगा।

9.5 परीक्षक नियंत्रक 3 घण्टे की समयावधि की परीक्षा हेतु दृष्टिहीन परीक्षार्थी को एक घण्टे का अतिरिक्त समय उस परीक्षा हेतु देगा।

9.6 श्रुतिलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षक नियंत्रक द्वारा प्रचलित अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

**10 एटीकेटी उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदण्ड**

10.1 एटीकेटी परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु निम्न पात्र होंगे :

(i) अभ्यर्थी जो किसी भी सेमेस्टर/वार्षिक अंत की परीक्षा में दो विषयों में अधिक में अनुत्तीर्ण हुये हो।

(ii) उपर्युक्त (अ) में उल्लेखित के अलावा जो अभ्यर्थी परीक्षा अध्यादेश के अनुसार एटीकेटी के पात्र माने गये है।

10.2 ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक भी सम्मिलित है की एटीकेटी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को केवल लिखित सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में परीक्षा में उपस्थित होना होगा यदि उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। इसी प्रकार से अभ्यर्थी को केवल प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा यदि वह मुख्य परीक्षा में केवल लिखित सैद्धांतिक परीक्षा में सफल हुआ है। ऐसा अभ्यर्थी जो सैद्धांतिक एक प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुआ है को परीक्षा के दोनों भागों में परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के संबंध में यह माना जायेगा की वे दो अलग–अलग प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हुए है।

10.3 जब तक इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित न हो एक परीक्षार्थी जो एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित है को एटीकेटी परीक्षार्थी के रूप में ठीक अगली सेमेस्टर परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा जिसके लिए वह

पात्र घोषित किया गया है। तत्पश्चात उसे अगली परीक्षा में सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा।

**10.4** ऐसा अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो यदि वह विषय या समूह जैसे भी स्थिति हो में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में सफल हो जाता हो तो उसे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। एटीकेटी सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन का निर्णय करने हेतु गणना में लिया जायेगा।

**10.5** यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे द्वितीय एटीकेटी परीक्षा के रूप में एक ओर प्रयास का अवसर उपलब्ध होगा। जिसमें उसे उक्त प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की नियमित परीक्षा को भी उत्तीर्ण करना होगा चाहे जब कभी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित की जाये।

**10.6** यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय एटीकेटी प्रयास में भी उक्त प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहेगा।

अध्याय–3

**11 विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन–**

11.1 समस्त विश्वविद्यायलयीन परीक्षाए परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेंगी।

11.2 परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यायलयीन परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिवस पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित कर दी जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन से संबंधित समस्त परीक्षकों की नियुक्ति कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कर दी जायेगी।

11.4 यह भी प्रावधानित है कि कुलपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुये परीक्षकों के नामों का अनुमोदन करने का अधिकार परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को भारोपित कर सकते है। विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल शैक्षणिक परिषद से मन्त्रणा एवं परीक्षा नियंत्रक से चर्चा कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर सकते है। इसके

अतिरिक्त वह अधीक्षक तथा सहायक परीक्षा अधीक्षक (यदि हों) ऐसे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए नियुक्त करेंगे तथा उनके मार्गदर्शन हेतु निर्देश जारी करेंगे। यह भी प्रावधानित है कि किसी केन्द्र में सहायक परीक्षा अधीक्षक की नियुक्ति हेतु परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 300 से कम नहीं होनी चाहिए।

(i) प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक प्रश्न पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उत्तर पुस्तिकाओं की अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे वें विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त/अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी संपूर्ण लेखा भेजते रहेंगे।

(ii) परीक्षा अधीक्षक परीक्षा में संलग्न वीक्षकों का पर्यवेक्षण करते

रहेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का परीक्षा संचालन कार्य में कड़ाई से पालन करेंगे।

11.5 विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो बिना कारण बतायें कोई भी परीक्षा केन्द्र अथवा परीक्षा समय में परिवर्तित कर सकता है।

11.6 विश्वविद्यालय परीक्षाओं के नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कड़ाई से संचालन सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर योग्य अंकेक्षकों के बोर्ड की नियुक्ति कर सकता है। योग्य अंकेक्षकों द्वारा परीक्षा संचालन में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटि इंगित किये जाने पर विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा के स्थगन अथवा निरस्ती जैसा भी आवश्यक हो संबंधित कदम उठा सकते है। परीक्षा की निरस्ती किसी केन्द्र के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक भी हो सकती है और यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना प्रबंध मण्डल को दी जानी चाहिये।

11.7 परीक्षा केन्द्र अधीक्षक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि परीक्षा में बैठ रहा व्यक्ति वहीं व्यक्ति है जिसके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरा गया था। ऐसा वे परीक्षा फार्म में चिपकाये गये अभ्यर्थी के फोटोग्राफ से मिलान कर करेंगे।

11.8 परीक्षा अधीक्षक जब कभी आवश्यक हो परीक्षा संचालन के संबंध में एक गोपनीय प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजेंगे जिसमें वीक्षकों का परीक्षा संबंधी निष्पादन एवं केन्द्र में परीक्षार्थियों के आचरण व्यवहार का उल्लेख होगा। उनके द्वारा एक दैनिक प्रतिवेदन भी भेजा जायेगा जिसमें प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर तथा परीक्षा संबंधित अन्य सूचनायें जो आवश्यक समझी जायें एवं अन्य कोई सूचना जो वे विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझते है का भी उल्लेख करेंगे। उनके द्वारा परीक्षा संबंधी लेखा–जोखा का संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य भी किया जायेगा जिसमें परीक्षा हेतु प्राप्त अग्रिम राशि एवं परीक्षा

संचालन में किए गए व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन परीक्षक नियंत्रक को सौंपा जायेगा।

**11.9** परीक्षा अधीक्षक को किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा से बाहर करने की शक्ति निम्न में से किसी भी आधार पर होगी–

(i) यह कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया गया हो।

(ii) यह कि परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र में कठोर बाधा एवं अशोभनीय आचरण किया है।

(iii) यह कि परीक्षार्थी द्वारा कठोर आक्रामक व्यवहार वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य सौंपे गए अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रति प्रदर्शित किया है।

(iv) यदि आवश्यक समझा जाये तो परीक्षा अधीक्षक पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन से निष्कासित किया गया हो तो इसकी तात्कालिक जानकारी परीक्षा नियंत्रक को दी जानी चाहिये।

**11.10** जब तक अन्यथा निर्देशित न हो परीक्षा अधीक्षक द्वारा परीक्षा हेतु केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा। परंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी वीक्षकों को वीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।

**11.11** कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे की समायवधि के भीतर चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकेगा तथा किसी भी विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घण्टे पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**11.12** ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा भवन अस्थायी रूप से छोड़ना चाहते है वे अनुमति दी जाने पर अधिकतम् 5 मिनट के लिए ऐसा कर सकेंगे।

**11.13** यदि विश्वविद्यालय के कुलपति इस बात से संतुष्ट है कि परीक्षा संबंधी प्रश्न पत्र लीक हुआ है या अन्य कोई कठोर अनियमितता हुई

है तथा उनकी राय में आवश्यक हो तो वे सभी केन्द्रों की परीक्षायें निरस्त कर सकते है। परंतु उनके द्वारा उठाये गये ऐसे कदम की जानकारी संबंधित प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**11.14** विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल, शैक्षणिक परिषद से संपर्क कर परीक्षा संबंधी ऐसे सामान्य निर्देश व मार्गदर्शन केन्द्र अधीक्षकों गणकों व कोलेटर्स के लिए जारी कर सकता है जो उसकी राय में परीक्षा संबंधी कर्तव्य के उचित निर्वाह के लिए आवश्यक है।

**11.15** यदि परीक्षा भवन में किसी परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्नपत्र से संबंधित किसी प्रकार की बातचीत अन्य परीक्षार्थियों से की गई हो तो इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक को सीधे भेजी जानी चाहिये।

**11.16** विश्वविद्यालय के विभागों में संचालित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षकों के नाम संबंधित अध्ययन मण्डलों से अनुशंसा कर प्राप्त किये जाएंगे। जब आपात स्थिति में अध्ययन मण्डल की बैठक संभव न हो तब अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा परीक्षकों के नामों की अनुशंसा की जा सकती है तथा बैठक न होने संबंधी कारण का स्पष्ट विवरण परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा।

**11.17** विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में संचालित अध्ययन पाठ्यक्रम में परीक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित कार्यक्रम समन्वय को/आकादमिक संस्थान प्रमुखों से प्राप्त की जायेगी।

**11.18** आपात परिस्थितियों में जब परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वय/आकादमिक संस्था प्रमुख से प्राप्त न की जा सकती हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी अनुशंसा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किसी शिक्षाविद् से प्राप्त की जा सकती है।

**11.19** परीक्षक नियंत्रक को अध्ययन मण्डल/कार्यक्रम समन्वयक/शैक्षणिक

संस्था प्रमुख या किसी अधिकृत शिक्षाविदों से प्राप्त पैनल में एक या अधिक परीक्षकों के नाम ऐसा पैनल कुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जोड़े जाने का अधिकार होगा।

**11.20** प्रश्नपत्र रचयिताओं से परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात मॉडेटरर्स के द्वारा माडरेट किया जायेगा जिन्हें परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम तीन प्रश्नपत्र मॉडरेट होने के पश्चात् प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध रहें।

**11.21** परीक्षा नियंत्रक द्वारा जो अनुमोदित परीक्षक पैनल में से प्रश्न पत्र रचना हेतु परीक्षक नियुक्त होंगे जो प्रश्न पत्र रचना करेंगे प्रश्न पत्र रचना हेतु विगत वर्ष का प्रश्न पत्र जहां कहीं लागू हो प्रश्न पत्र के प्रारूप संबंधी मार्गदर्शन हेतु संदर्भ किया जाना चाहिए यदि, प्रश्नपत्र का पैटर्न शैक्षणिक परिषद द्वारा परिवर्तित न किया गया हो। परीक्षकों को प्रश्न पत्र रचना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में से करनी होगी।

**11.22** परीक्षा भवन में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अथवा उसकी और से उसे कोई अधिमान्य उपचार उपलब्ध करने हेतु प्रयास किया गया है तो वस्तु स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को भेजा जायेगा जो आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उसे कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**11.23** परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उनके प्राप्त अंकों के पर्ण एवं प्रतिपर्ण को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा परंतु परीक्षार्थियों के तालिकाबद्ध परिणामों को सुरक्षित रखा जायेगा। यहां यह भी प्रावधानित है कि पुर्नमूल्यांकन में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुर्नमूल्यांकन की घोषणा के तीन माह पश्चात ही नष्ट किया जा सकेगा।

**11.24** परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के वेबसाईट के अतिरिक्त कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यायलयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा। परीक्षा परिणामों के प्रकाशित होते ही संबंधित संस्थानों को परिणाम सूचित कर दिये जायेंगे।

**11.25** विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा प्रश्नपत्र रचयिताओं, उत्तर पुस्तिका मुल्यांकनकर्ताओ परीक्षकों, परीक्षा अधीक्षकों, सहायक परीक्षक अधीक्षकों, वीक्षकों, गणकों एवं कोलेटर्स के द्वारा परीक्षा कार्य में की गई त्रुटि के विरूद्ध उन्हें देय पारिश्रमिक में समय–समय पर निर्धारितदर पर कटौतियाँ कर सकती है।

**11.26** पुर्नमूल्यांकन : जब छात्र द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन कराने हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित उत्तर पुस्तिका उस परीक्षक को छोड़कर जिसने प्रांरभ में मूल्यांकन किया है दो अन्य परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी। छात्र को प्रदत्त अंकों में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जायेगा यदि ऐसे पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् पाया गया अंतर मूल रूप से दिये गये अंकों से 10 % से अधिक हो।

**11.27** यह भी प्रावधानित है कि उक्त परीक्षक प्रबंध मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

**11.28** कोई भी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उपाधि हेतु एक ही अकादमिक सत्र में एक से अधिक उपाधि परीक्षा अथवा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा।

**11.29** ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासित अथवा अस्थायी रूप से निकाला गया हो अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो उसे ऐसी अवधि जिसमें सजा प्रचलन में रहेगी के दौरान इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**11.30** विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित

अध्यादेशों में निहित किसी बात के होते हुये भी कुलपति विशेष प्रकरण में जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब अभ्यर्थी की जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित विलंब शुल्क के साथ अनुज्ञात किया जायेगा। भले ही वह पन्द्रह दिनों की अवधि के अवसान के बाद ही क्यों न ही प्राप्त हुआ हो।

**11.31** कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक उसे निर्गमित वैध प्रवेश पत्र वह प्रस्तुत न कर सके। परीक्षा नियंत्रक परीक्षार्थी के पक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करेगा यदि –

(1) आवेदक का आवेदन पत्र प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है।

(2) परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(3) उसकी उपस्थिति 75 % से अधिक है।

**11.32** जहां प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा से पूर्व सम्पन्न हो गई हो वहां परीक्षार्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेशित तब तक नहीं माना जायेगा जब तक उसे प्रवेश पत्र जारी न कर दिया गया हो।

**11.33** किसी परीक्षार्थी के पक्ष में जारी किया गया प्रवेश पत्र निरस्त किया जा सकेगा यदि यह पाया जाता है कि–

(1) परीक्षार्थी को जारी किया गया प्रवेश पत्र त्रुटिपूर्वक जारी हुआ था अथवा वह परीक्षा में प्रविष्ट होने की अर्हता नहीं रखता है।

(2) परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए अभिलेख अथवा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यथा नामांकन संस्था में प्रवेश आदि झूठी अथवा गलत है।

**11.34** परीक्षक नियंत्रक यदि संतुष्ट हो कि परीक्षार्थी का परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है, नष्ट हो गया है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय निर्धारित शुल्क पर उसे कार्ड की डुप्लीकेट प्रति जारी कर सकता है। ऐसे द्वितीय प्रवेश पत्र के उपर पृथक से डुप्लीकेट शब्द लिखा

जायेगा।

**11.35** कोई भी परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ हो वह परीक्षा में प्राप्त अंकों का परीक्षण करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकता है। ऐसे परीक्षण हेतु आवेदन वह अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं जो कि किसी भी विषय की हो एवं अपने परीक्षा परिणाम की पुनः जांच के लिए कर सकता है। परीक्षार्थी का ऐसा आवेदन परीक्षा नियंत्रक को निर्धारित प्रारूप में परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर पहुंच जाना चाहिये।

**11.36** परीक्षार्थी को उसके परीक्षा परिणाम के परीक्षण के परिणाम की जानकारी दे दी जायेगी।

**11.37** प्रमाण पत्रों की डुप्लीकेट प्रति आवेदक को भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के अन्य अध्यादेश में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जायेगी।

**11.38** यह भी प्रावधानित है कि किसी भी विद्यार्थी को माईग्रेशन प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति प्रदान नहीं की जायेगी परंतु अपवाद के तौर पर जहां कुलपति आवेदक द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर जो उस समय कानून द्वारा प्रचलित व निर्धारित है में दिये गये शपथ पत्र से इस बात के प्रति संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल अभिलेख किसी अन्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु उपयोग में नहीं लाया गया और संबंधित अभिलेख गुम हो चुका है अथवा नष्ट हो गया है तथा आवेदक को वास्तव में ऐसे अभिलेख की डुप्लीकेट प्रति की आवश्यकता है। ऐसी डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार ही जारी की जायेगी।

**11.39** विश्वविद्यालय की मैरिट सूची में उपाधि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सफल हुये परीक्षार्थियों में से प्रथम दस परीक्षार्थियों के नाम (एटीकेटी परीक्षार्थियों को छोड़कर) जिन्होनें प्रथम श्रेणी में परीक्षा

उत्तीर्ण की प्रदर्शित किये जायेंगे।

**11.40** संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतरविष्ट किसी बात के होते हुये भी नियमित अभ्यर्थी के रूप में सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, मौखिकी, आंतरिक मूल्यांकन तथा क्षेत्र/ कार्य परियोजना में जो परीक्षार्थी उपस्थित हुये है एवं परीक्षा में तीन से कम विषयों में अधिकतम कुल पांच अंकों से अनुत्तीर्ण हुये हो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल पांच अंकों तक कृपांक दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जायेगी। कृपांक को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का विशेषाधिकार है। यह सुविधा उन अभ्यार्थियों को जो उस विशिष्ट सेमेस्टर (प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य में) में पांच कृपांक अंक प्राप्त करते उत्तीर्ण करता है के लिए उपलब्ध होगा। कोई भी कृपांक अंक सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य किसी भी प्रश्न पत्र पर एवं एटीकेटी/पूरक छात्रों को नहीं दिया जायेगा।

**11.41** यदि कोई परीक्षार्थी एक अंक से प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने से वंचित रह जाता है तो उसे एक अंक का कृपांक दिया जाकर उसकी श्रेणी में सुधार कर दिया जायेगा।

**11.42** प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। मण्डल में एक या अधिक परीक्षक होंगे। जहां प्रायोगिक परीक्षायें विश्वविद्यालय के कई संस्थानों में एक साथ सम्पादित की जानी हो वहां एक से अधिक ऐसे परीक्षक मण्डल नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक बनाया जायेगा जो समस्त परीक्षक मण्डलों के लिए परीक्षा संचालन की मार्गदर्शिका तैयार करेगा ताकि मूल्यांकन में समानता स्थापित हो सके।

**11.43** किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगा

ऐसी स्थिति में परीक्षा की पाठ्यचर्या परीक्षा योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगी जिसकी अनुपस्थिति में संबंधित अध्ययन मण्डल तथा समन्वय समिति की अनुशंसा पर तथा कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा उक्त हेतु प्रावधान निर्धारित किये जायेंगे।

**11.44** सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम (सत्रांत परीक्षा एवं शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन दोनों को सम्मिलित करते हुये) परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। यद्यपि विस्तृत परीक्षा परिणामों के परीक्षण के पश्चात यदि परीक्षा नियंत्रक यह समझते है कि समग्र परीक्षा के स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसा परिवर्तन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में हुआ है तो ऐसी स्थिति में वे यह प्रकरण मॉडरेशन कमेटी जो कुलपति द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित हो को सौंप सकते है।

**11.45** विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंर्तविष्ट करते हुये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अंकसूची जारी की जायेगी।

अध्याय–4

## 12 परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में मापदण्ड, अंक तथा श्रेणियां–

12.1 स्नातक उपाधि हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 40 % अंक जिसमें पृथक रूप से 40 % अंक सेमेस्टरांत परीक्षा में तथा शिक्षकों द्वारा छात्र के सतत् मूल्यांकन के 40 % परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा अभ्यर्थी जो किसी पाठ्यक्रम में उक्त में से किसी में भी 40 % से कम अंक अर्जित करता है उसे उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जावेगा।

12.2 किसी निर्धारित पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन हेतु विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से दो सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा। पुर्नमूल्यांकन का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र के द्वारा दिए गए सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है। इस हेतु कंडिका 11.26 में दर्शित प्रकिया अपनाई जावेगी।

12.3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 % अंक तथा शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन में 45 % अंक पृथक – पृथक प्राप्त करना पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा न्यूनतम क्रेडिट्स अर्जित करने हेतु आवश्यक है। पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्रों में अधिकतम् अंकों का कुल 45 % अंक अर्जित करने में विफल विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जावेगा।

12.4 सफल विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में निम्न प्रकार रखा जावेगाः

**<u>द्वितीय श्रेणी</u>–** अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 45 % अंक एवं अधिक परंतु 60 % से कम अंक अर्जित किए गए है उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जावेगा।

**<u>प्रथम श्रेणी</u>–** अभ्यर्थी जिनके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में 60 % अथवा अधिक अंक अर्जित है उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जावेगा।

**प्रावीण्यता के साथ सहित प्रथम श्रेणी**— अभ्यर्थी जिसके द्वारा अध्ययन कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में कुल अंकों का 75 % एवं अधिक अंक अर्जित हो "प्रावीण्यता सहित प्रथम श्रेणी" में रखा जावेगा।

13 **परिणामों की घोषणा :—**

13.1 परीक्षा परिणामों की घोषणा हेतु परीक्षा समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के निम्न कर्तव्य होंगे:

विश्वविद्यालय द्वारा संपादित परीक्षाओं के परिणामों का परीक्षण कर उन्हें यह संतुष्ट होने के पश्चात् पारित करना कि विभिन्न विषयों के घोषित परीक्षा परिणाम कुल मिलाकर प्रचलित स्तर/मानदंड के अनुरूप है तथा किसी प्रकरण में जहां परिणाम संतुलित नहीं प्रतीत होते वहां कुलपति को की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा करना।

प्रश्नपत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना।

ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरणों पर विचार करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं परिवहन में खो गई है एवं प्रकरणों का उचित समाधान करना।

शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

13.2 वह अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो, अपनी किसी भी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन अंकों की पुनः योग जांच हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर परीक्षा नियंत्रक को परिणामों की घोषणा से पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात 500/ रूपये के विलंब शुल्क के साथ अगले 30 दिवस तक ऐसा आवेदन किया जा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि पुर्नमूल्यांकन की दशा में कोई भी परीक्षार्थी कुल दो प्रश्नपत्रों का ही पुर्नमूल्यांकन करा सकता है।

यह भी प्रावधानित है कि प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं, फील्ड वर्क,

जांच परीक्षा, थीसिस एवं किसी परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र के स्थान पर प्रस्तुत परियोजना कार्य का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

**टीपः** किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या वीक्षक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही हेतु प्रकरण परीक्षा समिति की अनुशंसा सहित विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद में रखा जावेगा।

**14 अनुचित साधन का प्रयोग एवं अवांछित व्यवहार :**

**14.1** कोई भी अभ्यर्थी, परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित पुस्तक, प्रश्न–पत्र नोट्स, इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य सामग्री नहीं लायेगा जिसका वह परीक्षा के संबंध में उपयोग कर सकते हो, न ही वह परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई जानकारी देगा और न ही प्राप्त करेगा।

**14.2** कोई भी अभ्यर्थी उसे प्रदत्त उत्तर पुस्तिका को छोड़कर, स्याही सोख पत्र या प्रश्न–पत्र या किसी अन्य सामग्री पर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

**14.3** कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा और न ही सहयोग प्राप्त करेगा एवं परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग भी नहीं करेगा।

**14.4** किसी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षा अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जावेगा जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तथा अभ्यर्थी द्वारा पूर्व–सोच के साथ किया जाना प्रकट होता है तो वह ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने से अयोग्य कर किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से तीन वर्ष से अधिक अवधि हेतु वंचित कर दिया जावेगा।

**14.5** किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में नकल करते हुए या कोई गलत या

अनुचित साधन का प्रयोग करते पाए जाने पर परीक्षक, अधीक्षक या वीक्षक या विश्वविद्यालय कर्मचारी के माध्यम से जैसा भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जावेगा जो प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है परंतु अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सोच के साथ ऐसा नहीं किया गया है तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित करेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से परीक्षा में उपस्थित होने से दो वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु वंचित घोषित करेगी।

14.6 परीक्षा अधीक्षक की राय में यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का दोषी है जो उपरोक्त वाक्य 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भिन्न है तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे परीक्षार्थी को केवल उसी प्रश्न पत्र की परीक्षा से निष्कासित कर सकेगा। परीक्षा नियंत्रक इसकी सूचना परीक्षा समिति को देंगे। समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप संबंधी तथ्य सही हैं तो वह उस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित कर सकेगी।

14.7 कोई भी अभ्यर्थी उसे उचित रूप से प्राप्त हो सकने वाले अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से परीक्षक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है या ऐसे तरीके या साधनों का उपयोग करता है जिससे परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उनके कार्यालय में कार्यरत अन्य किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करना सिद्ध होने पर ऐसे प्रयास को अनुचित साधन माना जावेगा। ऐसा प्रकरण परीक्षा समिति को संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सूचित किया जावेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तो वह अभ्यर्थी को वह परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य घोषित कर विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में एक वर्ष की अवधि के लिए वंचित भी कर सकेगी।

14.8 यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अधीक्षक, वीक्षक या परीक्षा में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परीक्षा संचालन कार्य में अपने कर्तव्य के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करने धमकी देने या दबाव उत्पन्न करने का प्रयास करता हो तो उसके ऐसे प्रयास को अनुचित साधन एवं कठोर कदाचरण माना जावेगा। ऐसा प्रकरण की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से परीक्षा समिति को सूचित किया जावेगा। समिति यदि संतुष्ट हो कि आरोप के तथ्य सही है तो वह अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने से वंचित/विश्वविद्यालय से निष्कासित तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी आगामी परीक्षा में प्रवेश हेतु अयोग्य व्यक्ति घोषित कर सकती है।

14.9 ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे उपरोक्त कंडिका 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत दंडित किया गया है विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित नहीं किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके दंड की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूतपूर्व छात्र के रूप में अगली वार्षिक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

14.10 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी वीक्षक के समक्ष हिंसक तरीके से या बल प्रयोग अथवा बल प्रदर्शन करता है या उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालता है या उक्त दोनों तरीकों का प्रयोग कर कर्तव्य निर्वहन में परीक्षा प्राधिकारियों के लिए बाधा उत्पन्न करता हो तो परीक्षा अधीक्षक ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित कर पुलिस से भी आवश्यक सहायता ले सकेगा।

14.11 यदि कोई अभ्यर्थी घातक हथियार परीक्षा केन्द्र सीमा के भीतर लाने का दोषी हो तो उसे परीक्षा अधीक्षक के द्वारा परीक्षा केन्द्र से निष्कासित अथवा पुलिस को सुपुर्द किया जा सकेगा।

14.12 ऐसा अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त 14.10 तथा 14.12 के अंतर्गत परीक्षा से

निष्कासित किया गया हो उसे बाद के प्रश्न पत्रों की परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

**14.13** प्रत्येक प्रकरण में जहां उपरोक्त 14.10, 14.12, 14.14 तक के अधीन परीक्षा अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है उनके विवरण सहित प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जावेगा। ऐसे प्रकरणों में कार्य परिषद अपराध की गंभीरता अनुसार दंड दे सकेगी परंतु इसके पूर्व अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार कर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने तथाध्या एक या अधिक वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किया जा सकेगा।

**14.14** कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है यदि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, के संबंध में माना जायेगा कि वह प्रतिरूपण घटना कारित किया है तथा वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि संधि किया है तो ऐसे व्यक्ति तथा वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जायेगी:

(1) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है वह भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित रहेगा।

(2) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है यदि विश्वविद्यालय का छात्र है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा प्रतिरूप व्यक्ति बनने के इस प्रकरण को पुलिस को कार्यवाही हेतु सौंप दिया जावेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप बना है विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है तो समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस को सौंप दिया जावेगा।

14.15 यदि कोई अभ्यर्थी जो श्रेणी/अंक प्रतिशत में सुधार हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित हो रहा है एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके उन सभी प्रश्न पत्रों के परीक्षा परिणाम भी निरस्त होंगे जिसमें वह पहले ही प्रविष्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध श्रेणी/प्रतिशत अंक में सुधार हेतु परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप उचित कार्यवाही भी की जावेगी।

14.16 दोषी छात्र के विरूद्ध दण्ड उसके द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत कथन पर पूर्ण विचारोपरांत ही आरोपित किया जावेगा।

14.17 परीक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्ध जो परीक्षा भवन या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा में परीक्षा अवधि के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए या ऐसा करने का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है निम्न रीति से कार्यवाही की जावेगी:

(1) परीक्षार्थी को उसके पास स्थित समस्त आपत्तिजनक सामग्री मूल उत्तरपुस्तिका सहित परीक्षा अधीक्षक के समक्ष समर्पित करने हेतु बुलाया जावेगा एवं प्राप्त सामग्री का उल्लेख करते हुए तारीख व समय दर्शाते हुए एक मेमोरेंडम तैयार किया जावेगा।

(2) परीक्षार्थी एवं वीक्षक के कथन को अभिलिखित किया जावेगा।

(3) तत्पश्चात परीक्षा के शेष समय में उत्तर लिखने हेतु एक नई उत्तर पुस्तिका जिसके मुख्य पृष्ठ पर 'Second Copy Using Unfair Means' अंकित होगा ऐसे परीक्षार्थी को जारी कर दी जावेगी।

(4) उक्त परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी की मूल उत्तर पुस्तिका द्वितीय उत्तर पुस्तिका उसके पास से जप्त अनुचित साधन सामग्री तथा वीक्षक एवं परीक्षार्थी के हस्ताक्षरित अभिलिखित कथन को एक पृथक सील बंद लिफाफे में परीक्षा अधीक्षक को टीप सहित कुलसचिव को अग्रेषित किया जावेगा।

(5) कुलसचिव, अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की दोनों ही उत्तर पुस्तिकाएं अर्थात् मूल उत्तर पुस्तिका जिसे लिखते हुए उसे अनुचित साधान का प्रयोग करते पकड़ा गया तथा पकड़े जाने के बाद परीक्षार्थी को सौंपी गई द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकनर्ताओ को भेजेंगे जिसमें मूल्यांकन दोनों ही उत्तरपुस्तिकाओं का पृथक–पृथक मूल्यांकन कर निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन भी कुलसचिव को भेजेंगे जिसमें यह निष्कर्ष दिया जायेगा कि परीक्षार्थी ने उत्तर लेखन में अनुचित साधन का उपयोग किया है अथवा नहीं।

(6) केन्द्र अधीक्षक से परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी सूचित प्रकरणों के परीक्षण उपरांत, मुल्यांकनकर्ताओ से प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।परीक्षा समिति ऐसे प्रकरणों के परीक्षण उपरांत की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण कर सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से प्रबंध मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(7) कोई परीक्षार्थी यदि परीक्षा समय के मध्य अन्य परीक्षार्थियों से बातचीत करता पाया जाता है तो उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जावेगी। वीक्षक की चेतावनी के पश्चात् भी परीक्षार्थी निरंतर ऐसा करते पाए जाने पर उसकी उत्तर पुस्तिका जप्त की जाकर द्वितीय उत्तर पुस्तिका दी जावेगी एवं प्रथम उत्तर पुस्तिका निरस्त कर परीक्षा नियंत्रक को सौंप दी जावेगी तथा केवल द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन हेतु भेजा जावेगा। परंतु परीक्षार्थी को पुनः चेतावनी देने की आवश्यकता पड़ने पर उसे कोई दूसरी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जावेगी तथा उसे परीक्षा अधीक्षक द्वारा उस विशिष्ट प्रश्न पत्र की परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है।

14.18 यदि कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया जाता है जैसे

किसी पुस्तक या नोट्स से नकल, अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से नकल अन्य अभ्यर्थी को मदद करना या उससे सहायता प्राप्त करना या परीक्षा संबंधी सामग्री परीक्षा कक्ष में रखना या किसी अन्य प्रकार का कार्य चाहे जो भी हो करना, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा समिति या समिति द्वारा नियुक्त समिति संबंधित की ऐसी परीक्षा को रद्द कर सकेगी तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्षों हेतु प्रतिबंधित कर सकेगी।

**14.19** परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा संबंधी तथ्यों की गलत प्रस्तुति अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों द्वारा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त किया जाना सिद्ध होने की दशा में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर उसे आगामी एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होने से वर्जित कर सकती है।

**14.20** परीक्षा समिति किसी ऐसे परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त कर सकती है अथवा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित कर सकेगी यदि बाद में यह पाया जाता है वह परीक्षा के संबंध में किसी रूप में कदाचरण का दोषी है तथा वह विश्वविद्यालय के परीक्षा अभिलेखों जिनमें उत्तर पुस्तिका अंकसूची, नियम सारिणी, डिप्लोमा आदि शामिल है में छेड़छाड़ करने में सहायक रहा या ऐसे कार्य को उसके द्वारा अनावश्यक प्रोत्साहन दिया गया।

**14.21** परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर संबंधित परीक्षा परिणामों की घोषणा की तिथि से तीन वर्ष की अधिकतम् अवधि तक विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगा।

अध्याय–5

## 15 समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन विश्वविद्यालय भवन में होगा

**15.1** विभिन्न अध्ययन मण्डलों की सहायता से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय प्रत्येक विषय हेतु मूल्यांकन कार्य की आव्रजन रखने वाले शिक्षकों की संस्थावार सूची तैयार करेगा। ऐसी सूची दो भागों में होगी। प्रथम भाग में विश्वविद्यालय के विभागों महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाएं जिन्हें विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है में कार्यरत शिक्षकों के नाम दर्शित होंगे। द्वितीय भाग के विश्वविद्यालय शिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अर्हता प्राप्त शिक्षकों के नाम होंगे जिन्हें मूल्यांकनर्ताओ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

**15.2** सूची में यथासंभव ऐसे व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो निम्न बिन्दुओं से संबंधित हो:

(1) अकादमिक अर्हता एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यायपन का अनुभव।

(2) विशेषज्ञता का क्षेत्र

(3) विश्वविद्यालय की उन परीक्षाओं के नाम वर्ष सहित जिनमें वे पूर्व में परीक्षक रहे ।

**15.3** इस प्रकार से तैयार की गई सूची को प्रथम परिनियम की धारा 14 में दिये अनुसार गठित परीक्षा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

**15.4** परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा परीक्षा समिति को प्रत्येक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा केन्द्रों की सूची दी जायेगी जिसमें प्रायोगिक तथा मौखिकी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या भी दी गई होगी।

**15.5** परीक्षा समिति निम्न कंडिका में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी अनुशंसा देगी

(1) प्रत्येक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र रचियताओं का पैनल।

(2) जहां कहीं आवश्यक हो पैनल में तीन से अधिक के नाम भी विचार हेतु सम्मिलित किए जा सकते है।

**15.6** कुलपति साधारणतः अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से प्रश्न पत्र रचयिता, सह–परीक्षक तथा प्रायोगिक/ मौखिकी के परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। कुलपति को ऐसे व्यक्ति को भी परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा जो परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल नहीं है, यदि वे इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति वांछित न्यूनतम अकादमिक अर्हता एवं सात वर्ष के पूर्णकालिक अध्यायपन का अनुभव रखता है।

**16.** साधारणतः स्नातक स्तर की परीक्षाओं में 50 % प्रश्न पत्र रचियता विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

**17.** विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र रचियता एवं सहपरीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा जो वरिष्ठता एवं ऐसी नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य शर्तों को पूर्ण करते हो।

**18.** साधारणतः प्रत्येक विषय में दो प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किये जायेंगे जो अनिवार्यतः अलग–अलग केन्द्रों से संबंधित होंगे।

**19.** साधारणतः किसी एक विश्वविद्यालय, विभाग अथवा संस्था अथवा केन्द्र से एक विषय में एक परीक्षा हेतु एक से अधिक प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

**20.** कोई भी परीक्षक जिसे किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता नियुक्त किया गया है को उस परीक्षा में मौखिकी हेतु बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

**21.** किसी भी शिक्षक को साधारणतः प्रायोगिक परीक्षा हेतु दो से अधिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा। परंतु यह भी प्रावधानित है कि ऐसे केन्द्र जहां प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की

स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 120 से कम है वहां केवल एक बाह्य परीक्षक तीनों वर्षों की परीक्षाओं के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

22. स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षा में एक बाह्य परीक्षक साधारणतः 120 अभ्यार्थियों से अधिक की परीक्षा नहीं ले सकेगा।

23. लिखित परीक्षा के संबंध में एक परीक्षक साधारणतः 250 उत्तर पुस्तिकाओं से अधिक का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा। कुल परीक्षार्थियों की संख्या जहां 300 से अधिक होगी वहां मुख्य परीक्षक के साथ एक सह परीक्षक भी नियुक्त किया जायेगा।

24. परीक्षकों को साधारणतः एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुर्ननियुक्त किया जा सकेगा।

25. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिए परीक्षक (प्रश्न पत्र रचियता, सहपरीक्षक अथवा मौखिकी परीक्षक) के रूप में कार्य किया हो सामान्यतः पुर्ननियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की वह उस वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रूप में अंतिम रूप से कार्य किया हो एवं वह वर्ष जिसमें वह पुर्ननियुक्त किया जा रहा हो के बीच एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो।

किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी वर्जित किया जा सकता है यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य संतोषजनक नहीं है।

26 एक परीक्षक का कार्य असंतोषजनक माना जायेगा यदिः

(1) ऐसी प्रकृति की त्रुटि जो जांच एवं छानबीन में उसके कार्य में पायी गई हो जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होता हो, या

(2) वह परीक्षा समिति द्वारा बिना किसी कारण के कार्य में विलंब करने का दोषी पाया गया हो।

(3) मुख्य परीक्षक से उसके संबंध में विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो,

या

(4) परीक्षा समिति की राय में उसकी प्रमाणिकता या संनिष्ठता के बारे में कोई युक्तियुक्त ऐसा संदेह हो कि वह परीक्षार्थियों या उसके संबंधियों के पहुंच में है तथा

(5) यदि उसके द्वारा रचित प्रश्नपत्र के विरूद्ध कोई कठोर प्रकृति की शिकायत हो यथा उक्त प्रश्न पत्र निर्धारित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न स्तर का है या निर्धारित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न संबंधित प्रश्न पत्र में शामिल है या परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किसी शर्त के बाहर से प्रश्न उक्त प्रश्न पत्र में सम्मिलित है।

27. प्रश्न पत्र रचियता सभी सह परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिये एक निर्देशिका ज्ञापन तैयार करेगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित मानक के अनुरूप हो सके।

28. यदि किसी कारण से परीक्षक प्रश्न पत्र रचना करने के पश्चात मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु निर्धारित पारिश्रमिक की राशि की केवल आधी राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को भुगतान योग्य होगी जो तत्पश्चात् मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

परंतु यदि प्रश्न पत्र रचियता की मृत्यु उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रारंभ करने या मूल्यांकन पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये निर्धारित सम्पूर्ण मानदेय की राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जायेगी।

29. यदि किसी विषय में मौखिकी परीक्षा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में दो परीक्षकों का एक मण्डल बनाया जायेगा जिनमें एक परीक्षक बाह्य परीक्षक होगा तथा दूसरा आंतरिक परीक्षक होगा। दोनों परीक्षक मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करेंगे।

30. परीक्षायें यथा एम.बी.ए., एम.कॉम, एम.फिल, एम.ए. इत्यादि की दशा में जहां थीसिस कार्य प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है वहां थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी। थीसिस के लिये अंकों की अधिकतम संख्या दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दी जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से थीसिस पर अंक देंगे। यदि इन दो परीक्षकों द्वारा किये गये मूल्यांकन में 20 % से अधिक का अंतर है तो थीसिस का तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय शिक्षक से भिन्न) से मूल्यांकन कराया जायेगा जो थीसिस हेतु निर्धारित अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देगें। किये गये तीन मूल्यांकनों में से दो का कुल योग जो एक दूसरे के निकटस्थ हो उसे अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ में माना जाकर सही मूल्यांकन के रूप में लिया जायेगा।

31. किसी शोध उपाधि की परीक्षा हेतु परीक्षा समिति प्रत्येक ऐसी थीसिस हेतु न्यूनतम छः परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा करेगी जिनमें से कम से कम दो परीक्षक किसी बाहरी विश्वविद्यालय जो भारत या भारत के बाहर के हो सकते है सम्मिलित होंगे।

32. पैनल में सम्मिलित परीक्षक :

ऐसे परीक्षकों के पास संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि तथा न्यूनतम दस वर्ष का स्नातकोत्तर स्तरीय अध्यायपन अथवा शोध अनुभव होना चाहिये।

वें अपने विषय में ख्याति प्राप्त हो।

33. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र रचयिता अथवा सैद्धांतिक, प्रायोगिक या मौखिकी परीक्षा में परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होगा यदि उसका कोई भी निकट संबंधी उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो परंतु यह प्रावधान किसी परीक्षक को उस स्थिति में किसी केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के रूप में कार्य करने से वर्जित नहीं करेगा यदि उसके संबंधी

किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलत हो रहे हो।

34. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में मॉडरेटर या टेबूलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा यदि उसका कोई भी संबंधी उस परीक्षा में प्रविष्ट हो रहा हो अथवा हुआ हो।

35. इस अध्यादेश में शामिल प्रावधानों के होते हुये भी विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा समिति से सलाह कर जहां तक संभव हो विशिष्ट परीक्षा की कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कुछ नियमों में उपांतरण कर सकेंगे।

# अध्यादेश–3

## विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क

धारा 28 (1) (च)

1 विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव, कुलपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों द्वारा देय परीक्षा शुल्क अधिसूचित करेगा। विद्यार्थी जिसने परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है परीक्षा में उपस्थित होने के लिये सामान्य तौर पर पात्र नहीं होगा। कुलपति अपने विवेकानुसार कतिपय वास्तविक कठिनाईयों के प्रकरणों हेतु शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में वृद्धि कर सकेगा तथापि ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनके विरूद्ध देय समस्त राशियों के भुगतान होने तक रोके जा सकेंगे।

(1) विश्वविद्यालय की परीक्षा का शुल्क प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से समय–समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(2) ऐसा परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, उसके द्वारा चुकाये गये शुल्क की वापसी का पात्र नहीं होगा और न ही चुकायी गई ऐसी राशि को आगामी परीक्षा के लिये जमा के रूप में माना जायेगा। तथापि महिला परीक्षार्थी के संबंध में प्रसूति संबंधी कारण वश उपस्थित होने में असमर्थता के प्रकरण में उसके द्वारा जमा किया गया शुल्क आगामी परीक्षा के लिये रखा जा सकेगा बशर्ते की चुकाया गया शुल्क आगामी परीक्षा हेतु सुरक्षित रखने विषयक आवेदन पत्र परीक्षा नियंत्रक/ कुलसचिव के पास संबंधित परीक्षा की समाप्ति से तीन माह की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत हो जाना चाहिये

तथा ऐसा आवेदन पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिये।

(3) परंतु ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा फीस के आगामी परीक्षा में समायोजन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना संकाय या विषय परिवर्तित करता है।

(4) ऐसा नियमित परीक्षार्थी जिसे व्याख्यानों/ प्रायोगिक में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित रखा गया हो उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(5) पुर्नमूल्यांकन आवेदन शुल्क की राशि पुर्नमूल्यांकन पश्चात आवेदक के संबंधित विषयों में अंकों में परिवर्तन पाये जाने पर भी वापस नहीं की जायेगी।

(6) ऐसा परीक्षार्थी जो अस्वस्थता या अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित न हो सका हो तो उसके द्वारा चुकाया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परंतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की अनुशंसा पर, कुलपति तथ्यों पर विचार कर तथा दस्तावेजों से अपेक्षित जांच करने के पश्चात, यदि संतुष्ट हो तो वे संबंधित परीक्षा के ठीक पश्चात होने वाली परीक्षा में शुल्क के उस भाग के समायोजन के लिये आदेश दे सकेंगे।

(7) ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा शुल्क उनके अभिभावकों को वापस कर दिया जायेगा जिसकी मृत्यु परीक्षा में प्रविष्ट होने से ठीक पूर्व हो गई हो।

(8) किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में मिथ्यापूर्ण जानकारी देने एवं झूठें दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण यदि उसकी परीक्षा में प्रवेश पात्रता निरस्त कर दी गई हो तो ऐसे परीक्षार्थी द्वारा जमा किया गया सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

# अध्यादेश–4

## बैचलर ऑफ आर्ट्स ( बी.ए. / बी.ए. ऑनर्स )

| | | |
|---|---|---|
| 4.1 | शीर्षक | : बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए. / बी.ए. ऑनर्स ) |
| 4.2 | संकाय | : कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 4.3 | अवधि | : तीन वर्ष ( छः सेमेस्टर ) |
| 4.4 | पात्रता | : किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण। |
| 4.5 | सीट | : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 4.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश क्र. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 4.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 4.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर |

सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 4.9 | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 4.10 | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु प्रभारित जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 4.11 | पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 4.12 | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35 % अंक विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| **4.13** | परीक्षा एव मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| **4.14** | एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| **4.15** | सामान्य | : | पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–5

## मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | शीर्षक | : मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) |
| 5.2 | संकाय | : कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 5.3 | अवधि | : दो वर्ष ( चार सेमेस्टर ) |
| 5.4 | पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण |
| 5.5 | सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयॉ स्थापित कर सकता है। |
| 5.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 5.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 5.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की ज़ावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 5.9 | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 5.10 | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 5.11 | पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 5.12 | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| **5.13** | परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| **5.14** | एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| **5.15** | सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–6

## मास्टर ऑफ् सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू.)

| | | |
|---|---|---|
| 6.1 | शीर्षक | : मास्टर ऑफ् सोशल वर्क (एम.एस.डब्ल्यू.) |
| 6.2 | संकाय | : कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 6.3 | अवधि | : दो वर्ष ( चार सेमेस्टर ) |
| 6.4 | पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण |
| 6.5 | सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 6.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 6.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 6.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 6.9 | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 6.10 | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय-समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 6.11 | पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 6.12 | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| **6.13** | परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| **6.14** | एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| **6.15** | सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–7

## बैचलर ऑफ़ रूरल स्टडीज (बी.आर.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | शीर्षक | : बैचलर ऑफ़ रूरल स्टडीज (बी.आर.एस.) |
| 7.2 | संकाय | : कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 7.3 | अवधि | : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 7.4 | पात्रता | : किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 7.5 | सीट | : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 7.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 7.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 7.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 7.9 | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 7.10 | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 7.11 | पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 7.12 | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 7.13 | परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 7.14 | एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 7.15 | सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–8

## मास्टर ऑफ़ रूरल स्टडीज (एम.आर.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | शीर्षक | : मास्टर ऑफ़ रूरल स्टडीज (एम.आर.एस.) |
| 8.2 | संकाय | : कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 8.3 | अवधि | : दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 8.4 | पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण |
| 8.5 | सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 8.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 8.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 8.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

| | | |
|---|---|---|
| | | अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| **8.9** | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| **8.10** | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| **8.11** | पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| **8.12** | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 8.13 | परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 8.14 | एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 8.15 | सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–9

## भाषाओ/विदेशी भाषाओ में डिप्लोमा

| | | |
|---|---|---|
| 9.1 | शीर्षक | : भाषाओ/विदेशी भाषाओ में डिप्लोमा |
| 9.2 | संकाय | : कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 9.3 | अवधि | : एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 9.4 | पात्रता | : किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 9.5 | सीट | : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 9.6 | प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 9.7 | अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 9.8 | चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 9.9 | नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पंत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 9.10 | शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 9.11 | पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 9.12 | उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने |

| | | |
|---|---|---|
| | | होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| **9.13** | परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| **9.14** | एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| **9.15** | सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश—10

# डिप्लोमा इन सोशल वर्क

| | | |
|---|---|---|
| 10.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन सोशल वर्क |
| 10.2 संकाय | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 10.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 10.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 10.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 10.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 10.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 10.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

10.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

10.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

10.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

10.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| | | 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 10.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 10.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 10.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–11

# पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट

| | | |
|---|---|---|
| 11.1 शीर्षक | : | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट |
| 11.2 संकाय | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 11.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 11.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण |
| 11.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 11.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 11.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 11.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी |

परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 11.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 11.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 11.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 11.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को |

| | | |
|---|---|---|
| | | द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 11.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 11.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 11.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश—12

## डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन

| | | |
|---|---|---|
| 12.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन |
| 12.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त संकाय |
| 12.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 12.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 12.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 12.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 12.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 12.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के |

अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 12.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 12.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 12.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 12.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय |

| | | |
|---|---|---|
| | | श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 12:13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 12.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 12.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–13

## बैचलर ऑफ़ साइंस (ऑनर्स) (बी.एससी ऑनर्स)

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ़ साइंस (ऑनर्स) (बी.एससी ऑनर्स) |
| 13.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 13.3 अवधि | : | तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 13.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 13.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 13.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 13.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 13.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है. वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, |

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

13.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

13.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

13.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

13.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 13.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 13.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 13.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–14

## मास्टर ऑफ़ साइंस (एम.एससी.)

| | |
|---|---|
| 14.1 शीर्षक | : मास्टर ऑफ़ साइंस (एम.एससी.) |
| 14.2 संकाय | : विज्ञान संकाय |
| 14.3 अवधि | : दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 14.4 पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक उत्तीर्ण |
| 14.5 सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 14.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 14.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 14.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने |

संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

14.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

14.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

14.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

14.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक

तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 14.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 14.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 14.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–15

## बैचलर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (बी.स्टेट)

15.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (बी.स्टेट)

15.2 संकाय : विज्ञान संकाय

15.3 अवधि : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)

15.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

15.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

15.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

15.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

15.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने

| | |
|---|---|
| | संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 15.9 नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 15.10 शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 15.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 15.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा |

| | | |
|---|---|---|
| | | अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 15.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 15.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 15.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–16

## मास्टर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (एम.स्टेट)

| | |
|---|---|
| 16.1 शीर्षक | : मास्टर ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स (एम.स्टेट) |
| 16.2 संकाय | : विज्ञान संकाय |
| 16.3 अवधि | : दो वर्ष ( चार सेमेस्टर) |
| 16.4 पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण |
| 16.5 सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 16.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 16.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 16.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

16.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

16.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

16.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

16.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | |
|---|---|
| 16.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 16.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 16.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–17

# डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)

| | | |
|---|---|---|
| 17.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) |
| 17.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 17.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 17.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 17.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 17.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 17.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 17.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु |

अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

17.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

17.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

17.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

17.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 17.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 17.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 17.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–18

## बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.)

| | |
|---|---|
| 18.1 शीर्षक | : बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.) |
| 18.2 संकाय | : विज्ञान संकाय |
| 18.3 अवधि | : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 18.4 पात्रता | : किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 18.5 सीट | : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 18.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 18.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 18.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें |

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

18.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

18.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

18.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

18.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

18.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

18.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

18.15 सामान्य : पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

## अध्यादेश–19

## पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)

| | | |
|---|---|---|
| 19.1 शीर्षक | : | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) |
| 19.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 19.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 19.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक |
| 19.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 19.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 19.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 19.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित |

है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

19.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

19.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

19.11 पाठ्यक्रम रचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

19.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलम से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे।

| | |
|---|---|
| | 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 19.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 19.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 19.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–20

## डिप्लोमा इन योगा साइंस

20.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन योगा साइंस

20.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

20.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

20.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

20.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

20.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

20.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

20.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

| | |
|---|---|
| | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 20.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 20.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 20.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 20.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

20.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

20.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

20.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–21

## पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस

21.1 शीर्षक : पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस

21.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

21.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

21.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक

21.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

21.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

21.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

21.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 21.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 21.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 21.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 21.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 21.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

21.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

21.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–22

## डिप्लोमा इन डिजीटल मार्केटिंग

| | | |
|---|---|---|
| 22.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन डिजीटल मार्केटिंग |
| 22.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय |
| 22.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 22.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 22.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 22.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 22.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 22.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

| | |
|---|---|
| | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 22.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 22.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 22.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 22.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

22.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार
मूल्याकन

22.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार
पात्रता

22.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–23

## डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल साइंस

| | | |
|---|---|---|
| 23.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल साइंस |
| 23.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 23.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 23.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 23.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 23.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 23.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 23.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

23.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

23.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

23.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

23.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

23.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

23.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

23.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–24

## डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स

24.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स

24.2 संकाय : विज्ञान संकाय

24.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

24.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

24.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

24.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

24.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

24.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 24.9 नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 24.10 शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 24.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 24.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

24.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

24.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

24.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–25

## डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल पॉल्युशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी

| | | |
|---|---|---|
| 25.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन एनवायर्नमेंटल पॉल्युशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी |
| 25.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 25.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 25.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 25.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 25.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 25.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 25.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 25.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 25.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 25.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 25.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 25.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 25.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 25.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–26

## डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाईन

| | | |
|---|---|---|
| 26.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाईन |
| 26.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 26.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 26.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 26.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 26.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 26.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 26.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

26.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

26.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

26.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

26.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 26.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 26.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 26.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–27

## डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन

| | | |
|---|---|---|
| 27.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन |
| 27.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 27.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 27.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 27.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 27.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 27.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 27.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 27.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 27.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 27.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 27.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 27.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 27.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 27.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–28

## डिप्लोमा इन ई–कॉमर्स

| | | |
|---|---|---|
| 28.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन ई–कॉमर्स |
| 28.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय |
| 28.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 28.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 28.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 28.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 28.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 28.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

| | |
|---|---|
| | प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 28.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 28.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 28.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 28.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

28.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

28.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

28.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–29

## डिप्लोमा इन फोटोग्राफी

29.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन फोटोग्राफी

29.2 संकाय : विज्ञान संकाय

29.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

29.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

29.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

29.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

29.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

29.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

29.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

29.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

29.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

29.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

29.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

29.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

29.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–30

## डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन

| | | |
|---|---|---|
| 30.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन |
| 30.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 30.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 30.4 पात्रता | : | 10+2 विज्ञान संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण |
| 30.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 30.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 30.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 30.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

30.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

30.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

30.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

30.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

30.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

30.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

30.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–31

## बैचलर ऑफ कामर्स (बी.कॉम)

31.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ कामर्स (बी.कॉम)

31.2 संकाय : व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय

31.3 अवधि : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)

31.4 पात्रता : 10+2 विज्ञान / वाणिज्य संकाय में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उत्तीर्ण

31.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

31.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

31.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

31.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

31.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

31.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

31.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

31.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | |
|---|---|
| 31.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 31.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 31.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–32

## मास्टर ऑफ कामर्स (एम.कॉम)

| | | |
|---|---|---|
| 32.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ कामर्स (एम.कॉम) |
| 32.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त संकाय |
| 32.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 32.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी कामर्स संकाय में स्नातक |
| 32.5 सीट | : | आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 32.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 32.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 32.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 32.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 32.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 32.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 32.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

32.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

32.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

32.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–33

## बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.)

33.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.)

33.2 संकाय : व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय

33.3 अवधि : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)

33.4 पात्रता : किसी भी संकाय / विषयमें 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण

33.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

33.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

33.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

33.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 33.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 33.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 33.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 33.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 33.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 33.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 33.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–34

## मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)

34.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)

34.2 संकाय : व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय

34.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

34.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण

34.5 सीट : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

34.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

34.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

34.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 34.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 34.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 34.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 34.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

34.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

34.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

34.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–35

# पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन

| | | |
|---|---|---|
| 35.1 शीर्षक | : | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन |
| 35.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त संकाय |
| 35.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 35.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक |
| 35.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 35.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 35.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 35.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

35.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

35.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

35.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

35.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

35.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

35.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

35.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–36

## डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस

36.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस

36.2 संकाय : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय

36.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

36.4 पात्रता : किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण

36.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

36.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

36.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

36.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 36.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 36.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 36.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 36.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 36.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 36.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 36.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–37

## बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस (बी.लीब.आई.एससी.)

37.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस (बी.लीब.आई.एससी.)

37.2 संकाय : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय

37.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

37.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक

37.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

37.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

37.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

37.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 37.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 37.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 37.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 37.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 37.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 37.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 37.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–38

## मास्टर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस (एम.लीब.आई.एससी.)

| | |
|---|---|
| 38.1 शीर्षक | : मास्टर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस (एम.लीब.आई.एससी.) |
| 38.2 संकाय | : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय |
| 38.3 अवधि | : एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 38.4 पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि |
| 38.5 सीट | : आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 38.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 38.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 38.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

| | |
|---|---|
| | उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 38.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 38.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 38.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 38.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान |

किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 38.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 38.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 38.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले कां निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–39

## बैचलर ऑफ़ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.बी.)

39.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.बी.)

39.2 संकाय : विधि संकाय

39.3 अवधि : तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)

39.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक

39.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

39.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

39.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

39.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

39.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

39.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

39.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

39.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

39.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

मूल्याकन

39.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

39.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश—40

## मास्टर ऑफ़ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.एम.)

| | |
|---|---|
| 40.1 शीर्षक | : मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (एल.एल.एम.) |
| 40.2 संकाय | : विधि संकाय |
| 40.3 अवधि | : दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 40.4 पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक उपाधि |
| 40.5 सीट | : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 40.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 40.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 40.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम-वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

| | |
|---|---|
| | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 40.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 40.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 40.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 40.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 40.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 40.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 40.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–41

# इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (बी.ए.एल.एल.बी.)

| | | |
|---|---|---|
| 41.1 शीर्षक | : | इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (बी.ए.एल.एल.बी.) |
| 41.2 संकाय | : | विधि संकाय |
| 41.3 अवधि | : | पांच वर्ष ( दस सेमेस्टर ) |
| 41.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण। |
| 41.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 41.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 41.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 41.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

41.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

41.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

41.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

41.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

41.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

41.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

41.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

## अध्यादेश–42

# इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ़ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (बी.कॉम.एल.एल.बी.)

| | | |
|---|---|---|
| 42.1 शीर्षक | : | इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ़ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (बी.कॉम.एल.एल.बी.) |
| 42.2 संकाय | : | विधि संकाय |
| 42.3 अवधि | : | पांच वर्ष ( दस सेमेस्टर ) |
| 42.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण। |
| 42.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 42.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्र. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 42.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 42.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा कां परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

42.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

42.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

42.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

42.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

| | |
|---|---|
| | किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 42.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 42.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 42.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–43

# डिप्लोमा इन साइबर क्राइम / साइबर लॉ / साइबर सिक्योरिटी / ह्यूमन राइट्स / क्रिमिनोलॉजी

| | | |
|---|---|---|
| 43.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन साइबर क्राइम / साइबर लॉ / साइबर सिक्योरिटी / ह्यूमन राइट्स / क्रिमिनोलॉजी |
| 43.2 संकाय | : | विधि संकाय |
| 43.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 43.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण। |
| 43.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 43.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 43.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 43.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

43.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

43.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

43.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

43.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

# अध्यादेश–44

## डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ/बिज़नेस लॉ/टैक्सेशन लॉ/लेबर लॉ

44.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ / बिज़नेस लॉ / टैक्सेशन लॉ / लेबर लॉ

44.2 संकाय : विधि संकाय

44.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

44.4 पात्रता : किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण।

44.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

44.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

44.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

44.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

44.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

44.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

44.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

44.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

44.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

44.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

44.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–45

## बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन

## (बी.ए.जे.एम.सी.)

| | | |
|---|---|---|
| 45.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बी.ए.जे.एम.सी.) |
| 45.2 संकाय | : | पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय |
| 45.3 अवधि | : | तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 45.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण। |
| 45.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 45.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 45.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 45.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम |

| | |
|---|---|
| | प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 45.9 नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 45.10 शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 45.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 45.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक |

| | |
|---|---|
| | लेकिन 60 % से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 45.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 45.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 45.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–46

## मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन

## (एम.ए.जे.एम.सी.)

| | | |
|---|---|---|
| 46.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (एम.ए.जे.एम.सी.) |
| 46.2 संकाय | : | पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय |
| 46.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 46.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक |
| 46.5 सीट | : | आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 46.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 46.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 46.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

46.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

46.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

46.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

46.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

| | | |
|---|---|---|
| | | किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 46.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 46.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 46.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–47

## डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक एनीमेशन

| | | |
|---|---|---|
| 47.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक एनीमेशन |
| 47.2 संकाय | : | विज्ञान संकाय |
| 47.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 47.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 47.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 47.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 47.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 47.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

47.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

47.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

47.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

47.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक लेकिन 60 % से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

47.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

47.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

47.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–48

## डिप्लोमा इन एन.जी.ओ. मैनेजमेंट

| | | |
|---|---|---|
| 48.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन एन.जी.ओ. मैनेजमेंट |
| 48.2 संकाय | : | व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त संकाय |
| 48.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 48.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 48.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 48.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 48.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 48.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

48.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

48.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

48.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

48.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

48.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

48.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

48.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–49

## डिप्लोमा इन डांस/म्यूजिक

| | | |
|---|---|---|
| 49.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन डांस ध्म्यूजिक |
| 49.2 संकाय | : | कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय |
| 49.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 49.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 49.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 49.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 49.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 49.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 49.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 49.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 49.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 49.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 49.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 49.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 49.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–50

## डिप्लोमा इन न्यूज़ रीडिंग, मीडिया स्टडीज, एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग

| | | |
|---|---|---|
| 50.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन न्यूज़ रीडिंग, मीडिया स्टडीज, एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग |
| 50.2 संकाय | : | पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय |
| 50.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 50.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 50.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 50.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 50.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 50.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

50.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

50.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

50.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

50.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

| | | |
|---|---|---|
| | | किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 50.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 50.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 50.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–51

## पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म

| | | |
|---|---|---|
| 51.1 शीर्षक | : | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म |
| 51.2 संकाय | : | पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय |
| 51.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 51.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक |
| 51.5 सीट | : | आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 51.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 51.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 51.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 51.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 51.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 51.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 51.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

51.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

51.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

51.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–52

## डिप्लोमा इन एलिमेनटरी एजुकेशन (डी.एल.एड.)

52.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन एलिमेनटरी एजुकेशन (डी.एल.एड.)

52.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय

52.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

52.4 पात्रता : किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण

52.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

52.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

52.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

52.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रम्प्रण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

| | | |
|---|---|---|
| | | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 52.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 52.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 52.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 52.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

52.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

52.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

52.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–53

# बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड)

| | | |
|---|---|---|
| 53.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) |
| 53.2 संकाय | : | शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण संकाय |
| 53.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 53.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक |
| 53.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 53.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 53.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 53.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 53.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 53.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 53.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 53.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 53.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

53.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

53.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–54

## मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड)

54.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड)

54.2 संकाय : शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण संकाय

54.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

54.4 पात्रता : संबधित संकाय में स्नातक उपाधि

54.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

54.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

54.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

54.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

54.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

54.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

54.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

54.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

54.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

मूल्यांकन

54.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
पात्रता

54.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–55

# इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ.आर्ट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड)

| | | |
|---|---|---|
| 55.1 शीर्षक | : | इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ.आर्ट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड) |
| 55.2 संकाय | : | शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण संकाय |
| 55.3 अवधि | : | चार वर्ष ( आठ सेमेस्टर ) |
| 55.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 55.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 55.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 55.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 55.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

55.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

55.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

55.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

55.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 55.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 55.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 55.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–56

## इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ. साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन

## (बी.एससी.बी.एड)

| | | |
|---|---|---|
| 56.1 शीर्षक | : | इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ. साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड) |
| 56.2 संकाय | : | शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय |
| 56.3 अवधि | : | चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 56.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 56.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 56.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 56.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 56.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि |

उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

56.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

56.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

56.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

56.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान

किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

56.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

56.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

56.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–57

## डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन

| | | |
|---|---|---|
| 57.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन. |
| 57.2 संकाय | : | शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय |
| 57.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 57.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण |
| 57.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 57.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 57.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 57.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

57.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

57.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

57.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

57.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

57.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

57.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

57.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–58

## बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.)

| | | |
|---|---|---|
| 58.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) |
| 58.2 संकाय | : | शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय |
| 58.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 58.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक |
| 58.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 58.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 58.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 58.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

58.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

58.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

58.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

58.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

58.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

| | | |
|---|---|---|
| मूल्यांकन | | |
| 58.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 58.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–59

## मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.)

59.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.)

59.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय

59.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

59.4 पात्रता : संबधित संकाय में स्नातक उपाधि

59.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

59.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

59.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

59.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

59.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

59.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

59.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

59.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

59.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

मूल्यांकन

59.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

पात्रता

59.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–60

## डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग

| | | |
|---|---|---|
| 60.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग |
| 60.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 60.3 अवधि | : | तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 60.4.(अ) पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10वी परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 60.4.(ब) द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री हेतू योग्यता | : | मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल / संस्थान से 10वी कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित व्यावसायिक / तकनिकी ट्रेड में (एनसीवीटी / एससीवीटी से मान्यता प्राप्त) दो वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट उत्तीर्ण<br>अथवा<br>10+2 पद्धति से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान / मण्डल से 12वी कक्षा किसी व्यावसायिक / तकनिकी ट्रेड में उत्तीर्ण |
| 60.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 60.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 60.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 60.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची |

विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

60.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

60.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

60.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

60.12 उत्तीर्ण होने : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने

| | |
|---|---|
| के लिए पात्रता | के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 60.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 60.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 60.15 सामान्य | : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–61

## बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (बी.टेक)

61.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (बी.टेक)

61.2 संकाय : इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय

61.3 अवधि : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)

61.4(अ) पात्रता : विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

61.4(ब) द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री हेतू योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित इंजीयरिंग / टेक्नोलॉजी ब्रांच में 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) तीन वर्षीय डिप्लोमा / दो वर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एन्ट्री) उत्तीर्ण।

अथवा

डिप्लोमाधारी छात्र नहीं मिलने पर ऐसे छात्र जिन्होंने 12वी कक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.एससी डिग्री 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) उत्तीर्ण की हो।

टीपः बीएससी उपाधी धारक छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार इंजीयरिंग ड्राईंग,वर्कशाप,अप्लाईड मैकेनिक्स और बेसिक इंजीयरिंग और संबंधित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

डिप्लोमाधारी छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार गणित,भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र एवं संबंधित विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

61.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

61.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

61.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

61.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 61.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 61.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 61.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 61.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 61.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 61.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 61.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–62

## मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एम.टेक)

62.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एम.टेक)

62.2 संकाय : इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय

62.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

62.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

62.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

62.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

62.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

62.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 62.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 62.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 62.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 62.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 62.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

62.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

पात्रता

62.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–63

## डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क)

| | | |
|---|---|---|
| 63.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क) |
| 63.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 63.3 अवधि | : | तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) |
| 63.4 पात्रता | : | किसी भी संकाय / विषय में 10वी परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 63.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 63.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 63.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 63.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 63.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 63.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 63.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 63.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 63.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

63.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
पात्रता

63.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–64

## बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क)

| | | |
|---|---|---|
| 64.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क) |
| 64.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 64.3 अवधि | : | पांच साल (दस सेमेस्टर) |
| 64.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 64.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 64.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 64.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 64.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

64.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

64.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

64.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

64.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

64.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

मूल्यांकन

64.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
पात्रता

64.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

## अध्यादेश—65

# मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (एम.आर्क)

65.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (एम.आर्क)

65.2 संकाय : इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय

65.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

65.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

65.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

65.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

65.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

65.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 65.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 65.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 65.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 65.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 65.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

65.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

पात्रता

65.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–66

## बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन (बी.डेस)

| | | |
|---|---|---|
| 66.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन (बी.डेस) |
| 66.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 66.3 अवधि | : | चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 66.4(अ) पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 66.4.(ब) द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री हेतू योग्यता | | मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित इंजीयरिंग / टेक्नोलॉजी ब्रांच में 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) तीन वर्षीय डिप्लोमा / दो वर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एन्ट्री) उत्तीर्ण।<br>अथवा<br>डिप्लोमाधारी छात्र नहीं मिलने पर ऐसे छात्र जिन्होंने 12वी कक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.एससी डिग्री 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) उत्तीर्ण की हो।<br>टीपः बीएससी उपाधी धारक छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार इंजीयरिंग ड्राईंग,वर्कशाप,अप्लाईड मैकेनिक्स और बेसिक इंजीयरिंग और संबंधित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।<br>डिप्लोमाधारी छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार गणित,भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र एवं संबंधित विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। |

66.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

66.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

66.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

66.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 66.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 66.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 66.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 66.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 66.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 66.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 66.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–67

## मास्टर ऑफ डिज़ाइन (एम.डेस)

| | | |
|---|---|---|
| 67.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ डिज़ाइन (एम.डेस) |
| 67.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 67.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 67.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 67.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 67.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 67.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 67.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 67.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 67.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 67.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 67.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 67.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

67.14 एटीकेटी हेतु पात्रता — विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

67.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–68

# बैचलर ऑफ़ इंटीरियर डिज़ाइन (बी.आई.डी.)

| | | |
|---|---|---|
| 68.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ़ इंटीरियर डिज़ाइन (बी.आई.डी.) |
| 68.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 68.3 अवधि | : | चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 68.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 68.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 68.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 68.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 68.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 68.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 68.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 68.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 68.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

68.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

68.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

68.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–69

## मास्टर ऑफ़ इंटीरियर डिज़ाइन (एम.आई.डी.)

| | |
|---|---|
| 69.1 शीर्षक | : मास्टर ऑफ़ इंटीरियर डिज़ाइन (एम.आई.डी.) |
| 69.2 संकाय | : इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 69.3 अवधि | : दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 69.4 पात्रता | : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 69.5 सीट | : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 69.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 69.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 69.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 69.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 69.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 69.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 69.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

69.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

69.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

69.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–70

## बैचलर ऑफ़ प्लानिंग (बी.प्लान)

| | | |
|---|---|---|
| 70.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ़ प्लानिंग (बी.प्लान) |
| 70.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 70.3 अवधि | : | चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 70.4(अ) पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 70.4.(ब) द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री हेतू योग्यता | | मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से संबंधित इंजीयरिंग / टेक्नोलॉजी ब्रांच में 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) तीन वर्षीय डिप्लोमा / दो वर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एन्ट्री) उत्तीर्ण।<br>अथवा<br>डिप्लोमाधारी छात्र नहीं मिलने पर ऐसे छात्र जिन्होंने 12वी कक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.एससी डिग्री 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) उत्तीर्ण की हो।<br>टीपः बीएससी उपाधी धारक छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार इंजीयरिंग ड्राईंग,वर्कशाप,अप्लाईड मैकेनिक्स और बेसिक इंजीयरिंग और संबंधित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।<br>डिप्लोमाधारी छात्रों को विश्वविद्यालय नियमानुसार गणित,भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र एवं संबंधित विषयों की |

परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

70.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

70.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

70.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

70.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

70.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

70.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

70.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

70.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक लेकिन 60 % से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

70.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

70.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

70.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया

जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश—71

## मास्टर ऑफ़ प्लानिंग (एम.प्लान)

| | | |
|---|---|---|
| 71.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ़ प्लानिंग (एम.प्लान) |
| 71.2 संकाय | : | इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन संकाय |
| 71.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 71.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 71.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 71.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 71.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 71.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

71.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

71.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

71.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

71.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 71.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 71.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार |
| 71.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–72

## बैचलर ऑफ़ फिजियोथेरेपी (बी.पीटी)

| | | |
|---|---|---|
| 72.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ़ फिजियोथेरेपी (बी.पीटी) |
| 72.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 72.3 अवधि | : | चार वर्ष छः माह (नौ सेमेस्टर) |
| 72.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 72.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 72.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 72.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 72.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

72.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

72.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

72.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

72.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

72.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

72.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

72.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–73

## मास्टर ऑफ़ फिजियोथेरेपी (एम.पीटी)

| | | |
|---|---|---|
| 73.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ़ फिजियोथेरेपी (एम.पीटी) |
| 73.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 73.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 73.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 73.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 73.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 73.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 73.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

73.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

73.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

73.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

73.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

73.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

73.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

73.15 सामान्य पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–74

## डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म)

| | | |
|---|---|---|
| 74.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म) |
| 74.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 74.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 74.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 74.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 74.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 74.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 74.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 74.9 नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 74.10 शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 74.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 74.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 74.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 74.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 74.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–75

## बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म)

| | | |
|---|---|---|
| 75.1 शीर्षक | : | बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म) |
| 75.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 75.3 अवधि | : | चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 75.4(अ) पात्रता | : | विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 75.4.(ब) द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री हेतू योग्यता | | मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से 45 % अंको सहित (सामान्य वर्ग) एवं 40 % अंको सहित (एससी,एसटी,ओबीसी एवं दिव्यांग छत्तीसगढ़ के छात्र हेतू) फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण। |
| 75.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 75.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।<br>प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 75.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 75.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की |

जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

75.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

75.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

75.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

75.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 35 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं

कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

75.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

75.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

75.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–76

## मास्टर ऑफ़ फार्मेसी (एम.फार्म)

| | | |
|---|---|---|
| 76.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ़ फार्मेसी (एम.फार्म) |
| 76.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 76.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 76.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 76.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 76.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 76.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 76.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

76.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

76.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

76.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

76.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

76.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

76.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

76.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–77

## बैचलर ऑफ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)

77.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)

77.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

77.3 अवधि : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)

77.4 पात्रता : विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

77.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

77.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

77.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

77.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

| | | |
|---|---|---|
| | | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 77.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 77.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 77.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 77.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % से प्राप्त करने होंगे। 45 % से अधिक लेकिन 60 % से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक से अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

77.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

77.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

77.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–78

## मास्टर ऑफ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एम.ओ.टी.)

78.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एम.ओ.टी.)

78.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

78.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

78.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

78.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

78.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

78.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

78.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

78.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

78.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

78.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

78.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

78.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

78.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

78.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–79

## बैचलर ऑफ़ ऑप्टोमेट्री (बी.ऑप्टो)

| | |
|---|---|
| 79.1 शीर्षक | : बैचलर ऑफ़ ऑप्टोमेट्री (बी.ऑप्टो) |
| 79.2 संकाय | : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 79.3 अवधि | : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) |
| 79.4 पात्रता | : विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 79.5 सीट | : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 79.6 प्रवेश प्रक्रिया | : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 79.7 अकादमिक वर्ष | : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 79.8 चयन प्रक्रिया | : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

| | |
|---|---|
| | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 79.9 नामांकन पंजीयन | : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 79.10 शुल्क | : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 79.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 79.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

79.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

79.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

79.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–80

## मास्टर ऑफ़ ऑप्टोमेट्री (एम.ऑप्टो)

80.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ़ ऑप्टोमेट्री (एम.ऑप्टो)

80.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

80.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

80.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

80.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

80.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार।

प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

80.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

80.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 80.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 80.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 80.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 80.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

80.13 परीक्षा एवं मूल्यांकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

80.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

80.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–81

## मास्टर ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (एम.पी.एच.)

| | | |
|---|---|---|
| 81.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (एम.पी.एच.) |
| 81.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 81.3 अवधि | : | दो वर्ष (चार सेमेस्टर) |
| 81.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 81.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 81.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 81.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 81.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

81.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

81.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

81.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–82

## मास्टर ऑफ़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एम.एच.ए.)

82.1 शीर्षक : मास्टर ऑफ़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एम.एच.ए.)

82.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

82.3 अवधि : दो वर्ष (चार सेमेस्टर)

82.4 पात्रता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

82.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

82.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

82.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

82.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

82.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

82.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

82.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

82.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

82.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

82.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

82.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–83

## डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरटरी टेक्नोलॉजी (डी.एम.एल.टी.)

| | | |
|---|---|---|
| 83.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरटरी टेक्नोलॉजी (डी.एम.एल.टी.) |
| 83.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 83.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 83.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय/विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 83.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 83.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 83.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 83.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। |

| | |
|---|---|
| | ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। |
| | छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा |
| | 1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है। |
| | 2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है। |
| | 3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 83.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 83.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 83.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 83.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

83.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

83.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

83.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

## अध्यादेश—84

## डिप्लोमा इन एक्स—रे टेक्नोलॉजी / रेडियो डायग्नोसिस

84.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन एक्स—रे टेक्नोलॉजी / रेडियो डायग्नोसिस

84.2 संकाय : स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय

84.3 अवधि : एक वर्ष (दो सेमेस्टर)

84.4 पात्रता : विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

84.5 सीट : प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट

84.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

84.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

84.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

84.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

84.10 शुल्क : छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

84.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत।

84.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी।

84.13 परीक्षा एवं : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

| | | |
|---|---|---|
| मूल्यांकन | | |
| 84.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 84.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–85

## डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी

| | | |
|---|---|---|
| 85.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी |
| 85.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 85.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 85.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 85.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 85.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 85.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 85.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।<br>छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा<br>1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।<br>2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।<br>3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है। |
| 85.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 85.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 85.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 85.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 85.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्याकन

85.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं 2 के अनुसार

85.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–86

## डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन

| | | |
|---|---|---|
| 86.1 शीर्षक | : | डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन |
| 86.2 संकाय | : | स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान संकाय |
| 86.3 अवधि | : | एक वर्ष ( दो सेमेस्टर ) |
| 86.4 पात्रता | : | विज्ञान संकाय / विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 86.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 86.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 86.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 86.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी |

प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 86.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 86.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 86.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 86.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 86.13 परीक्षा एवं | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |

मूल्यांकन

86.14 एटीकेटी हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार
पात्रता

86.15 सामान्य : पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

## अध्यादेश–87

## बैचलर ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म

87.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म

87.2 संकाय : होटल प्रबंधन संकाय

87.3 अवधि : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)

87.4 पात्रता : किसी भी विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा

87.5 सीट : आधार इकाई 60 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है।

87.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित अनुसार।
प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

87.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

87.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| 87.9 नामांकन पंजीयन | : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 87.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 87.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 87.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |

87.13 परीक्षा एवं मूल्याकन : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

87.14 एटीकेटी हेतु पात्रता : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार

87.15 सामान्य : पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

# अध्यादेश–88

## मास्टर ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म

| | | |
|---|---|---|
| 88.1 शीर्षक | : | मास्टर ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म |
| 88.2 संकाय | : | होटल प्रबंधन संकाय |
| 88.3 अवधि | : | दो साल (चार सेमेस्टर) |
| 88.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 88.5 सीट | : | आधार इकाई 40 सीट होगी, प्रबंध मण्डल इस इकाई के गुणकों में अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित कर सकता है। |
| 88.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 01 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी। |
| 88.7 अकादमिक वर्ष | : | जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा। |
| 88.8 चयन प्रक्रिया | : | विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी |

प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।

2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

| | |
|---|---|
| 88.9 नामांकन पंजीयन : | प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 88.10 शुल्क : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 88.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 88.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 88.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 88.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 88.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश—89

## कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

| | | |
|---|---|---|
| 89.1 शीर्षक | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा |
| 89.2 संकाय | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रबंधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन संकाय |
| 89.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 89.4 पात्रता | : | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित संकाय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 89.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 89.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्र. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ |

शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

89.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

89.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

89.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये

| | | |
|---|---|---|
| | | जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 89.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 89.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 89.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 89.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 89.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 89.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

## अध्यादेश–90

# कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन/कामर्स/प्रंबधन/वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता/जनसंचार/मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत ` डिप्लोमा कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| 90.1 शीर्षक | : | कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन/कामर्स/प्रंबधन/वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता/जनसंचार/ मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत ` डिप्लोमा कार्यक्रम |
| 90.2 संकाय | : | कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन/कामर्स/प्रंबधन/वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता/जनसंचार/ मीडिया, होटल प्रबंधन |
| 90.3 अवधि | : | एक वर्ष (दो सेमेस्टर) |
| 90.4 पात्रता | : | किसी भी विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 90.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 90.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश कं. 1 में निर्धारित अनुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ |

शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

90.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

90.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

90.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये

| | | |
|---|---|---|
| | | जाने के पश्चात आबंटित होगा। |
| 90.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 90.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 90.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 90.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 90.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 90.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–91

## कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत सर्टिफिकेट कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| 91.1 शीर्षक | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन के अंतर्गत सर्टिफिकेट कार्यक्रम |
| 91.2 संकाय | : | कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन / कामर्स / प्रंबधन / वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया, होटल प्रबंधन |
| 91.3 अवधि | : | छः माह |
| 91.4 पात्रता | : | किसी भी विषय में 10+2 परीक्षा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण और प्रवेश परीक्षा |
| 91.5 सीट | : | प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा आवंटित सीट |
| 91.6 प्रवेश प्रक्रिया | : | अध्यादेश क्रं. 1 में निर्धारित नुसार। प्रवेश के समय प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। प्रावीण्य सूची, विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप ली गई |

प्रवेश परीक्षा या पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रावीण्यता के आधार पर बनाई जाएगी।

91.7 अकादमिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

91.8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश सूचना सीधे भी प्रेषित की जावेगी। अभ्यर्थी जिनकी विगत परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे तथापि उन्हें अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने संबंधी प्रमाण, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में छात्र को दिया गया अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

छात्र का प्रवेश निम्न में से किसी भी कारण से निरस्त किया जा सकेगा

1. देय तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रवेश हेतु आवश्यक समर्थित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

91.9 नामांकन पंजीयन : प्रवेश प्राप्त छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक छात्र द्वारा दिये गये समस्त अभिलेखों एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं वांछित नामांकन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आबंटित होगा।

| | | |
|---|---|---|
| 91.10 शुल्क | : | छात्रों से पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क का निर्धारण समय–समय पर प्रबंध मण्डल द्वारा CGPURC के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा। |
| 91.11 पाठ्यक्रम संरचना सामग्री एवं परीक्षा योजना | : | अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत एवं अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत। |
| 91.12 उत्तीर्ण होने के लिए पात्रता | : | सेमेंस्टर या वार्षिक सत्र के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में एवं प्रायोगिक में अलग से 40 % अंक प्राप्त करने होंगे एवं कुलयोग 45 % अंक से प्राप्त करने होंगे। 45 % तथा अधिक लेकिन 60 % अंक से कम को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाएगा एवं 60 % अंक तथा अधिक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। |
| 91.13 परीक्षा एवं मूल्याकन | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 91.14 एटीकेटी हेतु पात्रता | : | विश्वविद्यालय के अध्यादेश कं 2 के अनुसार |
| 91.15 सामान्य | : | पाठयक्रमों से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। परीक्षा के पेटर्न की प्रणाली में परिवर्तन हेतु कुलपति, कार्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर सक्षम होगा। पाठयक्रम में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा। विवाद की किसी भी स्थिति में मामले का निराकरण छ.ग. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा। |

# अध्यादेश–92

# डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी (पी.एच–डी)

**92.1 : पी.एच–डी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता संबंधी मानदण्ड**

पी.एच–डी. प्रवेश हेतु यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित विनियमों एवं शर्तो के परिप्रेक्ष्य में निम्न व्यक्ति पात्र होंगे

92.1.1 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में निर्धारित मानदण्ड को संतुष्ट करने वाले स्नातकोत्तर उपाधि धारक पात्र होंगे।

92.1.2 : पी.एच–डी. पाठ्यक्रम को न्यूनतम 55 % अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी उपाधि अर्जित कर सके। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) पृथक रूप से निशक्त से संबंद्ध है अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये 55 % से 50 % अंकों तक अर्थात् अंकों में 5 % की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

92.1.3 : कोई अभ्यर्थी जिसका एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है उसे उसी संस्थान के पी.एच–डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

92.1.4 : अभ्यर्थी जिनके पास भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थानों की

गुणवत्ता व मानकों की सुनिश्चित करने एवं उनके आकंलन, प्रत्ययन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पी.एच–डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

**92.2 : पाठ्यक्रम की अवधि :**

92.2.1 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष होगी जिसका अनुसरण किया जावेगा।

92.2.2 : उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश में विनिर्धारित है। ऐसा समय विस्तार, अपवाद प्रकरणों में शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन पर दिया जायेगा।

92.2.3 : महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (निशक्तता: 40 % से अधिक हो) उन्हें पी.एच–डी. में दो वर्ष की छूट दी जायेगी इसके अतिरिक्त महिला अभ्यार्थियों को पीएचडी की समग्र अवधि में 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

**92.3 : <u>प्रवेश हेतु प्रक्रिया</u> :**

92.3.1 : विश्वविद्यालय में पी.एच–डी. हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा । विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिये पी.एच–डी. प्रवेश हेतु पृथक नियम एवं शर्तों का निर्णय करेगा जिन छात्रों ने यूजीसी–नेट (जेआरएफ, यूजीसी–सी.एस. आई.आर. नेट, स्लेट/गेट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा जिन्होनें एम.फिल. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है), यू.जी.सी. की शर्ते यदि होगी तो अनुसरण किया जावेगा।

**92.3.2 : विश्वविद्यालय का कार्यः**

92.3.2.1 : वार्षिक आधार पर विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या मे पी.एच–डी. शोधार्थियों को प्रवेश देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी तथा छात्र शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रवेश देते समय मानदण्ड को ध्यान में रखा जायेगा।

92.3.2.2 : प्रवेश हेतु सीटो की संख्या, सीटो के विषय/विषयवार वितरण, प्रवेश का मानदण्ड, प्रवेश की प्रकिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी तथा अभ्यार्थियों के लाभ हेतु अन्य संगत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाईट तथा कम से कम (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिनमें (1) क्षेत्रीय भाषा का हो में जारी की जायेगी।

92.3.2.3 : राज्य सरकार की आरक्षण नीति का यथास्थिति पालन किया जायेगा।

92.3.3 : विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. कार्यक्रम में प्रवेश अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित संवैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुये समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुये किये जायेंगे।

92.3.4 : विश्वविद्यालय अभ्यार्थियों को द्विचरणीय प्रकिया के माध्यम से प्रवेश देगा।

92.3.4.1 : प्रवेश परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी जिसमें 50 % अर्हता अंक होगें। परीक्षा के पाठ्य विवरण के अनुसार 50 % शोध पद्धति तथा 50 % विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रवेश परीक्षा

निर्धारित केन्द्रों (परिवर्तन की दशा में समयपूर्व जानकारी दी जायेगी) में होगी।

92.3.4.2 : अभ्यार्थियों के लिये उनकी शोध रूची/क्षेत्र पर कोई चर्चा विधिवत गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण माध्यम से की जायेगी तथा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार भी संचालित किया जायेगा।

92.3.5 : साक्षात्कार/मौखिक में निम्न पहलुओं पर विचार होगा अर्थात् यदि :

92.3.5.1 : अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध हेतु क्षमता है।

92.3.5.2 : प्रस्तावित शोध सुगमता पूर्वक संस्थान/महाविद्यालय में कियान्वित हो सकता है।

92.3.5.3 : प्रस्तावित शोध क्षेत्र द्वारा क्या नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकेगा।

92.3.5.4 : विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पी.एच–डी. हेतु पंजीकृत छात्रों की सूची का रख–रखाव वार्षिक आधार पर करेगा जिसमें उनके नाम, शोध का विषय, पर्यवेक्षक/सहपर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि शामिल होगी।

**92.4 : शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण :**

शोध पर्यवेक्षक, सहपर्यवेक्षक हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रतिपर्यवेक्षक को आबंटित पी.एच–डी. छात्रों की संख्या आदि।

92.4.1 : विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित प्राध्यापक जिसने संदर्भ पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किये है, इसी तरह से कोई नियमित सह/सहायक प्राध्यापक जो विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय के रूप में मान्य संस्थान/महाविद्यालय में पी. एच–डी. धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते जिन क्षेत्रों में कोई भी संदर्भित

पत्रिका न हो अथवा सीमित संख्या में हो तो शोध पर्यवेक्षक की मान्यता संबंधी इस शर्त में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट दी जा सकती है।

92.4.2 : केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक का कार्य कर सकेंगे। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है तथापि उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबंद्ध संस्थानों से अंर्तविषयी क्षेत्रों में सहपर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

92.4.3 : किसी चयनित पी.एच–डी. छात्र के लिये पर्यवेक्षक निर्धारण हेतु विभाग द्वारा प्रतिशोध–पर्यवेक्षक शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता शोधार्थी की शोध रूचि जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार, मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

92.4.4 : शोध हेतु शीषर्क जो अंर्तविषयी स्वरूप के है जहां संबधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से पूर्ति होनी चाहिये वहां विभाग अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा तथा बाहर से एक सहपर्यवेक्षक को ऐसी शर्तो पर सहपर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा जैसा कि सहमति दाता संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाये ओर जिन पर आपसी सहमति हो।

92.4.5 : किसी एक समय के दौरान कोई भी प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक या सहपर्यवेक्षक के रूप मे (8) पी.एच–डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं करेगा तथा सह प्राध्यापक अधिकतम (6) पी. एच–डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन करेगा जबकि सहायक प्राध्यापक अधिकतम (4) पी.एच–डी. शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकेगा।

92.4.6 : विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पी.एच–डी महिला शोधार्थी के स्थानांतरण पर शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी जाना चाहता है। बशर्ते कि इन विनियमों की के अन्य सभी निबंधन शर्तो का शब्दशः पालन हो तथा यदि स्थानांतरित होने वाला शोध कार्य किसी मूल संस्था/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि शोधार्थी स्थानांतरण की दशा में मूल संस्थान द्वारा तब तक किये गये मार्गदर्शन तथा संस्थान में किये गये शोधकार्य के अंकों के लिये उसे पूर्ण श्रेय देगा।

**92.5 : कोर्स वर्क –**

92.5.1 : पी.एच–डी. हेतु पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 8 क्रेडिट व अधिकतम् 16 क्रेडिट होगें।

92.5.2 : पाठ्यक्रम कार्य को पी.एच–डी. तैयारी की पूर्वापेक्षा माना जायेगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम 4 क्रेडिट होंगे जैसे परिणामात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल है। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पी.एच–डी हेतु तैयार करेंगे।

92.5.3 : पी.एच–डी के लिए निर्धारित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक आवश्यकता के अनुरूप होगा और सामग्री, अनुदेशात्मक और मूल्यांकन विधियों को निर्दिष्ट करेगा। उन्हें अधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

92.5.4 : ऐसे विभाग जहां शोधार्थी शोध कार्य करते है, के द्वारा शोधार्थियों समिति की सिफारिशों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे।

92.5.5 : पी.एच–डी प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों को प्रथम दो सेमेस्टर के दौरान

पाठ्यकम संबंधी कोर्स वर्क पूर्ण करना होगा।

92.5.6 : एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पी.एच–डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है उन्हें विभाग द्वारा संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित पी.एच–डी. पाठ्यक्रम संबंधी व अपेक्षित होगा।

92.5.7 : शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध द्वारा समेकित मूल्यांकन किये जाने के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा जानकारी संस्थान/महाविद्यालय को प्रदान की जायेगी।

92.5.8 : किसी पी.एच–डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम कार्य में न्यूनतम 55 % अंक अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त कर पाठ्यक्रम को जारी रखने के पात्र हो तथा शोध प्रबंध जमा कर सके।

**92.6 : शोध सलाहकार समिति व उसके कार्य :**

92.6.1 : पी.एच–डी. शोधार्थी के लिये इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति के उत्तरदायित्व निम्न होंगे

92.6.1.1 : कुलपति या उनके नामिनी

92.6.1.2 : संबंधित संकाय के विभाग प्रमुख

92.6.1.3 : संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विषय प्रमुख

92.6.1.4 : विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष

एक बाहरी विषय विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक के स्तर का होगा, की नियुक्ति कुलपति द्वारा अध्ययन मण्डल के चेयरमेन द्वारा प्रस्तुत पांच नामों के पैनल में से की जायेगी।

बाह्य विषय विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्य इस समिति की बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

नोटः 1. शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक के अनुरोध पर कुलपति उन्हें

उनके शोधार्थी द्वारा आर.डी.सी. बैठक के प्रस्तुतिकरण में प्रेक्षक के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकते है।

2. इस बैठक में शामिल होने हेतु शोधार्थी अथवा उनके शोध पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का टी.ए., अथवा डी.ए. नहीं दिया जायेगा।

शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक उक्त समिति की बैठक के संयोजक होंगे। इस समिति के निम्न दायित्व होंगे

(i) शोध प्रस्ताव की समीक्षा एवं शोध शीर्षक का अंतिम रूप से निर्धारण करना।

(ii) शोधार्थी का मार्गदर्शन करना

(iii) अध्ययन योजना, शोध पद्धति विकसित करना तथा शोधार्थी द्वारा पूर्ण किये जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना।

(iv) शोधकाल की आवधिक समीक्षा कर शोधार्थी को प्रगति में सहायता करना।

92.6.2 : शोधार्थी छः माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष शोध मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन हेतु अपने कार्य की प्रगति की प्रस्तुति देगा। समिति छमाही प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तथा एक प्रति शोधार्थी को देगा।

92.6.3 : यदि शोधार्थी की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो समिति कारण दर्ज कर उपचारात्मक सुझाव देगी। शोधार्थी के इन सुझावों को कार्यान्वित करने में असफल रहने पर समिति विश्वविद्यालय को कारण दर्शाते हुये शोधार्थी का शोध पंजीयन समाप्त करने की अनुशंसा कर सकेगी।

**92.7 : उपाधि प्रदाय हेतु मूल्यांकन, न्यूनतम मानदण्ड/ क्रेडिट आदिः**

92.7.1 : पाठ्यक्रम कार्य के संतोषजनक समापन पर और निर्धारित अंक ग्रेड प्राप्त करने के बाद शोधार्थी को पीएचडी कार्य करना होगा। शोधार्थी को अनुसंधान कार्य शुरू करने और इन नियमों के

आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एक मसौद (शोध/प्रंबध/थीसीस) तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

92.7.2 : थीसीस जमा करने के पहले शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें संकाय के सभी सदस्य और अन्य शोधार्थी उपस्थित रह सकते है उनसे प्राप्त फीड बैक और टिप्पणियां अनुसंधाान समिति के परामर्श से ड्राफ्ट शोध प्रंबध थीसीस में उचित रूप से शामिल की जा सकती है।

92.7.3 : पी.एच–डी. छात्रों को रेफर्ड जर्नल में न्यूनतम एक शोध पत्र प्रकाशित करना होगा और सम्मेलन/संगोष्ठियों में दो शोध पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उपाधि प्रदाय संबधी निर्णय हेतु प्रस्तुति प्रमाण–पत्र /अथवा पुर्नमुद्रण का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

92.7.4 : विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् सुविकसित साफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा पायरेसी का पता लगायेगी। शोध प्रंबध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से वचन पत्र तथा पर्यवेक्षक से कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन का प्रमाण पत्र जमा कराया जायेगा जिससे आश्वस्त होता है कि किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालयों अथवा अन्य किसी संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा अवार्ड हेतु पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नही हुआ है।

92.7.5 : किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पी.एच–डी. शोध प्रंबध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा जो विश्वविद्यालय कार्यरत नही हो। अन्य बातों के साथ साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित आलोचना/सुझाव पर मौलिक साक्षात्कार दोनों पर्यवेक्षकों द्वारा एक साथ किया जायेगा। जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी

व विषय में रूचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भाग लेंगे।

92.7.6 : शोध प्रंबध के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा, शोध प्रंबध की मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षकों की रिपोर्ट संतोषजनक होने व उसमें मौखिकी आयोजित करने की सिफारिश निहित होने पर ही आयोजित होगी। बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अंसतोषजनक होने पर तथा मौखिक परीक्षा की सिफारिश न होने पर विश्वविद्यालय अनुमोदित पैनल में से अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रंबध भेजेगा। नये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित होगी। यदि नये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक है तो थीसिस अस्वीकार कर उसे उपाधि प्रदान करने के आयोग्य घोषित कर दिया जोयगा।

92.7.7 : विश्वविद्यालय उचित पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध जमा तिथि से छः माह की अवधि के भीतर थीसिस के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

**92.8 : इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी :**

92.8.1 : पी.एच–डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु थीसिस को सफलतापूर्वक मूल्यांकन हो जाने के पश्चात पी.एच–डी. उपाधि की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित करने हेतु जमा करेगा, ताकि सभी शोध संस्थानों महाविद्यालयों तक इसकी पहुंच बन सके।

92.8.2 : उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जमा करेगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन के अनुसार प्रदाय की गई है।

# अध्यादेश–93

# मास्टर ऑफ़ फिलॉसॉफी (एम.फिल)

## कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/डिज़ाइन, स्वास्थ्य और सम्बद्ध विज्ञान, व्यापार प्रशासन/कामर्स/प्रबंधन/वित्त, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विधि, पत्रकारिता/जनसंचार /मीडिया, होटल प्रबंधन

**93.1 : एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु मापदण्ड :**

93.1.1 : एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यवसायिक उपाधि हो जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 55 % अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर "बी' ग्रेड प्राप्त हुआ हो (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्राणाली अपनायी जाती है वहां बिन्दुं मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता व मानक सुनिश्चित करने एवं उनके आकंलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

93.1.2 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर

लाभान्वित श्रेणी) से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यार्थियों की अन्य श्रेणी के लिये अथवा 19' सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यार्थियों के लिये 55 % से 50 % अंकों तक अर्थात् अंकों में पांच प्रतिशत की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट दी जा सकती है। 55 % अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है वहां बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5 % अंकों की छूट केवल अर्हता अंकों के आधार पर ही मान्य है। जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

**93.2 : पाठ्यक्रम की अवधि :**

93.2.1 : एम.फिल. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम् चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

93.2.2 : उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अधिशासित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश में निर्धारित है। ऐसा समय विस्तार अपवाद प्रकरणों में शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन पर दिया जायेगा।

93.2.3 : महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (निशक्तताः 40 % से अधिक हो) उन्हें एम.फिल. में एक वर्ष की छूट दी जायेगी इसके अतिरिक्त महिला अभ्यार्थियों को समग्र अवधि में 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

**93.3 : प्रवेश हेतु प्रकिया :**

93.3.1 : विश्वविद्यालय में एम.फिल. हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा।

93.3.2 : विश्वविद्यालय का कार्य :

93.3.2.1 : वार्षिक आधार पर विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या मे एम.फिल. शोधार्थियों को प्रवेश देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी तथा छात्र शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रवेश देते समय मानदण्ड को ध्यान में रखा जायेगा।

93.3.2.2 : प्रवेश हेतु सीटो की संख्या, सीटो के विषय/विषयवार समवितरण, प्रवेश का मानदण्ड, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी तथा अभ्यार्थियों के लाभ हेतु अन्य संगत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाईट तथा कम से कम (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिनमें (1) क्षेत्रीय भाषा का हो जारी की जायेगी।

93.3.2.3 : राज्य सरकार की आरक्षण नीति का यथा स्थिति पालन किया जायेगा।

93.3.3 : विश्वविद्यालय अभ्यार्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश देगा।

93.3.4.1 : प्रवेश परीक्षा अर्ह परीक्षा होगी जिसमें 50 % अर्हता अंक होगें। परीक्षा के पाठ्य विवरण 50 %, शोध पद्धति तथा 50 %, विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रवेश परीक्षा निर्धारित केन्द्रों (परिवर्तन की दशा में समयपूर्व जानकारी दी जायेगी) में होगी।

93.3.4.2 : अभ्यार्थियों के लिये उनकी शोध रूची/क्षेत्र पर कोई चर्चा विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण माध्यम से की जायेगी तथा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जायेगा।

93.3.5 : साक्षात्कार/मौखिकी में निम्न पहलुओं पर विचार होगा अर्थात्

यदि :

93.3.5.1 : अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध हेतु क्षमता है।

93.3.5.2 : प्रस्तावित शोध सुगमता पूर्वक संस्थान/महाविद्यालय में क्रियान्वित हो सकता है।

93.3.5.3 : प्रस्तावित शोध क्षेत्र द्वारा क्या नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान दे सकेगा।

93.3.6 : विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर एम.फिल. हेतु पंजीकृत छात्रों की सूची का रख–रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। जिसमें उनके नाम शोध का विषय, पर्यवेक्षक/सहपर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि शामिल होंगे।

93.4 : शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण : शोध पर्यवेक्षक, सहपर्यवेक्षक हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रतिपर्यवेक्षक अनुमेय एम.फिल. छात्रों की संख्या आदि

93.4.1 : विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित प्राध्यापक जिसने संदर्भ पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किये है, इसी तरह से कोई नियमित सह/सहायक प्राध्यापक जो पी.एच.डी. धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते जिन क्षेत्रों में कोई भी संदर्भित पत्रिका न हो अथवा सीमित संख्या में हो तो शोध पर्यवेक्षक की मान्यता संबंधी इस शर्त में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट दी जा सकती है।

93.4.2 : केवल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक का कार्य कर सकेगा। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबंद्ध संस्थानों से अंर्तविषयी क्षेत्रों में सहपर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

93.4.3 : किसी चयनित एम.फिल. छात्र के लिये पर्यवेक्षक निर्धारण हेतु विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रूचि जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

93.4.4 : शोध हेतु शीर्षक जो अंतरविषयी स्वरूप के हैं जहां संबधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से पूर्ति होनी चाहिये वहां विभाग अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक नियुक्त कर उसे शोध पर्यवेक्षक बनायेगा एवं बाहर से एक सहपर्यवेक्षक को ऐसी शर्तो पर सहपर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा जैसा कि सहमतिदाता संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाये ओर जिनपर आपसी सहमति हो।

93.4.5 : किसी एक समय के दौरान कोई भी प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक या सहपर्यवेक्षक के रूप मे तीन एम.फिल. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं करेगा तथा सह प्राध्यापक अधिकतम (2) एम.फिल. शोधार्थियों को मार्गदर्शन करेगा जबकि सहायक प्राध्यापक अधिकतम एक एम.फिल. शोधार्थी का मार्गदर्शन कर सकेगा।

93.4.6 : विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी एम.फिल. महिला शोधार्थी के स्थानांतरण पर शोध अंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी जाना चाहता है। बशर्ते कि इन नियमों की शर्तो का शब्दशः पालन हो तथा स्थानांतरित होने वाला शोध कार्य किसी मूल संस्था/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि शोधार्थी स्थानांतरण की दशा में मूल संस्थान द्वारा तब तक दिये गये मार्गदर्शन तथा संस्थान में किये गये शोधकार्य के अंकों के लिये उसे पूर्ण श्रेय देगा।

93.5 : **कोर्स वर्क** - क्रेडिट अंको की आवश्यकता, अवधि, पाठ्यक्रम पूर्ण

करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड आदि विश्वविद्यालय के नियमानुसार।

93.5.1 : एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 8 क्रेडिट व अधिकतम् 16 क्रेडिट होगें।

93.5.2 : पाठ्यक्रम कार्य को एम.फिल. तैयारी की पूर्वापेक्षा माना जायेगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट होंगे। जिसमें परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल है। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के होंगे जो छात्रों को एम.फिल. हेतु तैयार करेंगे।

93.5.3 : एम.फिल. हेतु निर्धारित उक्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम कार्य क्रेडिट घण्टे संबंधी अनुदेषात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियो को निर्धारित करेगी।

93.5.4 : ऐसे विभाग जहां शोधार्थी शोध कार्य करते है के द्वारा शोधार्थियों को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारितकिये जायेंगे।

93.5.5 : एम.फिल. प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों को एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यकम संबंधी कार्य पूर्ण करना होगा।

93.5.6 : शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किये जाने के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा तथा तद्नुसार ग्रेड जानकारी प्रदान की जायेगी।

93.5.7 : एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य में शोधार्थी को न्यूनतम 55 % अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात बिन्दु मानक पर उसके समकक्ष ग्रेड (जहां ग्रेडिंग प्रणाली हो वहां समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी

रखने के पात्र हो सके तथा शोध प्रबंध जमा कर सके।

**93.6 : शोध सहालकार समिति व उसके कार्य :**

93.6.1 : प्रत्येक एम.फिल. शोधार्थी हेतु एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

(1.) कुलपति या उसके नामित

(2.) संबंधित संकाय के विभाग प्रमुख

(3.) संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विषय प्रमुख

(4.) विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष

(5.) एक बाहरी विषय विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक के स्तर का होगा की नियुक्ति कुलपति द्वारा अध्ययन मण्डल के चेयरमेन द्वारा प्रस्तुत पांच नामों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा।

बाह्य विषय विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्य की बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

**टीप :**

1. शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक के अनुरोध पर कुलपति उन्हें उनके शोधार्थी द्वारा आर. डी.सी. बैठक के प्रस्तुतिकरण में प्रेक्षक के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकते है।

2. इस बैठक में शामिल होने हेतु शोधार्थी अथवा उनके शोध पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का टी.ए., अथवा डी.ए. नहीं दिया जायेगा।

शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक उक्त समिति की बैठक के संयोजक होंगे। इस समिति के निम्न दायित्व होंगे।

(1.) शोध प्रस्ताव की समीक्षा एवं शोध शीर्षक का अंतिम रूप से निर्धारण करना ।

(2.) शोधार्थी का मार्गदर्शन करना

(3.) अध्ययन योजना शोध पद्धति विकसित करना तथा शोधार्थी द्वारा पूर्ण किये जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना।

(4.) शोधकाल की आवधिक समीक्षा कर शोधार्थी को प्रगति में सहायता करना।

93.6.2 : शोधार्थी छः माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष शोध मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन हेतु अपने कार्य की प्रगति की प्रस्तुति देगा। समिति छमाही प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तथा एक प्रति शोधार्थी को देगी।

93.6.3 : यदि शोधार्थी की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो समिति कारण दर्ज कर उपचारात्मक सुझाव देगी। शोधार्थी के इन सुझावों को कार्यान्वित करने में असफल रहने पर समिति विश्वविद्यालय को कारण दर्शाते हुये शोधार्थी का शोध पंजीयन समाप्त करने की अनुशंसा कर सकेगी।

93.7 : उपाधि प्रदाय हेतु मूल्यांकन, न्यूनतम मानदण्ड क्रेडिट आदिः

93.7.1 : एम.फिल. हेतु पाठ्यक्रम कार्य केडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होगी।

93.7.2 : पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण करने तथा निर्धारित अंक ग्रेड प्राप्त करने पर एम.फिल. शोधार्थी शोध प्रारंभ करेगा। तथा इन विनियमों के आधार पर विश्वविद्यालय यथानिर्धारित समय में शोधार्थी से शोध प्रबंध /थीसिस का मसौदा प्राप्त करेगा।

93.7.3 : शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व शोधार्थी शोध सहालकार समिति के समक्ष प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य व अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि व टिप्पणियों को समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध में उचित रूप से शमिल किया जायेगा।

93.7.4 : मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व एम.फिल. शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में न्यूनतम एक शोध पत्र प्रस्तुत करेगा

एवं दो शोधपत्र शोधपत्र/थीसिस जमा करने के पूर्व प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्रस्तुतिकरण का प्रमाण पत्र और /अथवा पुनःमुद्रण का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

93.7.5 : विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद सुविकसित साफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी व शिक्षा संबंधी छल कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से वंचन पत्र तथा पर्यवेक्षक से कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन का प्रमाण पत्र जमा कराया जायेगा जिससे आश्वस्त होता हो कि किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं कि गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में अथवा अन्य किसी संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा अवार्ड हेतु पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

93.7.6 : किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक बाह्य पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा जो विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हो। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित आलोचना/सुझाव पर मौखिक साक्षात्कार दोनों पर्यवेक्षकों द्वारा एक साथ किया जायेगा। जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी व विषय में रूची लेने वाले अन्य विशेषज्ञ / शोधकर्ता भाग लेंगे।

93.7.7 : शोध प्रबंध के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक होने व उसमें मौखिकी आयोजित करने की सिफारिश निहित होने पर ही आयोजित होगी। बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा मौखिक परीक्षा की सिफारिश न होने पर विश्वविद्यालय अनुमोदित पैनल में से अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध भेजेगा। नये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर ही मौखिक परीक्षा

आयोजित होगी। यदि नये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक है तो शोध प्रबंध अस्वीकार कर उसे उपाधि प्रदान करने के आयोग्य घोषित कर दिया जोयगा।

93.7.8 : विश्वविद्यालय उचित पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध थीसिस जमा तिथि से छः माह की अवधि के भीतर एम.फिल. हेतु शोध प्रबंध के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

93.8 : इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी :

93.8.1 एम.फिल. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु शोध प्रबंध का सफलतापूर्वक मूल्यांकन हो जाने के पश्चात एम.फिल. उपाधि की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने हेतु जमा करेगा, ताकि सभी शोध संस्थानों महाविद्यालयों तक इसकी पहुंच बन सके।

93.8.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जमा करेगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमियन 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान कि गई है।

## अध्यादेश–94

## डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अलंकरणों का प्रदान किया जाना

((धारा 28(1)(ग))

1 : विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा विशिष्ट प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिये निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यथा स्थिति क्रमशः प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिये पात्र हो सकेंगे।

2 : परीक्षा परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तुत किया जायेगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात संबंधित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अनंतिम प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा उपाधि कुलसचिव द्वारा जारी की जायेगी।

3 : विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या उपाधियों पर कुलपति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

4 : डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के नामकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जायेंगे विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश के अनुरूप होंगे एवं वे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदाय किये जाएंगे।

# अध्यादेश–95

# फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, मेडल और पुरूस्कारों, को प्रदान करने हेतु शर्ते

((धारा 28 (1) (घ))

1 : (अ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विज्ञापन एवं वेबसाईट में जारी अधिसूचनाओं द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले अवार्ड, फेलोशिप, छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले फेलोशिप, शोध छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां निम्न समिति की अनुशंसा पर दिये जायेंगे

| | |
|---|---|
| (i) कुलाधिपति | अध्यक्ष |
| (ii) कुलपति | सदस्य |
| (iii) कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष | सदस्य |
| (iv) कुलसचिव | सदस्य सचिव |

2 : नीचे वर्णित पैरा 4 में उल्लेखित सभी शोध फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति पर लागू सामान्य शर्तों के अध्याधीन रहते हुये अखिल भारतीय फेलोशिप प्रदान करने के लिये मूल अवधि एवं शर्ते वैसी ही होंगी जैसा कि प्रदायक निकाय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हो।

3 : छात्रवृत्ति/फेलोशिप जो विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा संस्थापित किये गये है के मूल्य एवं अवधि का निर्धारण शैक्षणिक परिषद द्वारा किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जायेगा

(i) अभ्यार्थियों का चयन इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) संबंधित फेलो/शोधार्थी द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षक के निर्देशन में भारती विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर पूर्णकालिक शोध किया जायेगा।

(iii) संबंधित फेलो/स्कॉलर शोध उपाधि अवार्ड होने तक न कोई नियुक्ति स्वीकार या धारित करेगा और न ही अन्य किसी शोध से परिलाभ, वेतन, छात्रवृत्ति आदि ही प्राप्त करेगा और शोध अवधि के दौरान स्वयं को किसी भी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न भी नहीं करना चाहिये तथापि संस्था में एक सप्ताह में 9 घण्टे से अधिक का अध्यापन कार्य प्राप्त कर सकेगा परंतु वह बिना कोई पारिश्रमिक स्वीकार किये यह कार्य करेगा। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित शोधार्थी अन्यत्र कोई फेलोशिप/ छात्रवृत्ति या भुगतान सहित सेवा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी फेलोशिप/छात्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी जायेगी तथा उसे अब तक विश्वविद्यालय से इस हेतु प्राप्त सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी।

(iv) कोई भी फेलो/शोधार्थी विश्वविद्यालय में फेलोशिप/ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं कर सकेगा और न ही अन्य किसी परीक्षा में ही बैठ सकेगा।

तथापि शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा ऐसे फेलो/शोधार्थी को किसी भाषा/कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दे सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसी छूट उन शोधार्थियों को भी दी जा सकती है जो ऐसे विषय अथवा परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहते है या जो उनकी शोध समस्या से सीधे संबंधित हों तथा किसी उपाधि के लिये न हो।

(v) जब तक शोध पर्यवेक्षक द्वारा किसी निर्धारित समय के लिये अन्य स्थान पर कार्य करने की अनुमति न दी जाये तब तक संबंधित फेलो/शोधार्थी उसी संस्थान में सभी कार्य दिवसों में कार्य करता रहेगा जिस संस्था में शोध हेतु वह पंजीकृत हुआ है।

(vi) यदि फेलो/शोधार्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत, अपूर्ण तथा भ्रामक पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में शोध उपाधि का प्रदाय विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यार्थी को सुनवाई का

अवसर देने के पश्चात निरस्त की जा सकती है।

(vii) यदि किसी भी समय विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट होता है कि फेलो/शोधार्थी की प्रगति अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसी स्थिति में फेलोशिप/छात्रवृत्ति सुविधा निलंबित अथवा वापस ली जा सकती है।

(viii) (A) फेलो/शोधार्थी को विशेष प्रकरण में अवार्ड अवधि के दौरान अधिकतम तीन माह का बिना फेलाशिप/छात्रवृत्ति भुगतान के शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर अवकाश दिये जाने का प्रावधान है।संबंधित फेलो/शोधार्थी द्वारा शोध पर्यवेक्षक एवं भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग के विधिवत अनुमोदन के पश्चात ही अधिकतम तीस दिनों का अवकाश जो सामान्य अवकाश के अतिरिक्त होगा लिया जा सकता हैं। घोषित वेकेशन अवधि यथा ग्रीष्मकालीन, विजयादशमी, दीपावली एवं क्रिसमस वेकेशन में सामान्य अवकाश सम्मिलित नहीं होगें। फेलो/शोधार्थी को कोई भी अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होंगे।

'परंतु महिला अभ्यार्थियों को अवार्ड की अवधि के दौरान एक बार तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये पूर्णकालिक दर पर प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। जैसा कि उस अवधि में राज्य शासन द्वारा निर्धारित होंगे।

(B) फेलो/शोधार्थी को विशेष प्रकरण में अवार्ड अवधि के दौरान अधिकतम तीन माह का बिना फेलाशिप/छात्रवृत्ति भुगतान के शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर अवकाश दिये जाने का प्रावधान है।

(ix) शोधार्थी/फेलो को उस संस्था का जहां पर वह शोध कार्य करता है निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा।

4 : विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति साधारणतः दो शैक्षणिक सत्र अर्थात् प्रथम वर्ष में 12 माह एवं द्वितीय वर्ष में 10 माह के लिये देय होगी बशर्ते छात्रवृत्ति धारक संबंधित विषय में अध्ययन की दक्षता का प्रमाण पत्र संबंधित अध्ययन के विषय के विभाग प्रमुख से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

5 : छात्रवृत्ति एक अगस्त से मान्य होगी यदि संबंधित छात्र उस सत्र में ग्रीष्म अवकाश समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय /महाविद्यालय प्रारंभ होने से एक माह की अवधि के भीतर ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है तथा देय ट्यूशन फी का भुगतान सत्र प्रारंभ होते ही करता है। अन्य किसी प्रकरण में शोध छात्रवृत्ति उस तिथि से देय होगी जिस तिथि पर छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण करता है।

6 : छात्रवृत्ति आगामी वर्ष में प्रत्याहरित हो जायेगी यदि छात्रवृत्ति धारक संबंधित पाठ्यक्रम की पूर्व परीक्षा में कम से कम 60 % अंक अर्जित करने में विफल रहता है।

7 : यदि छात्रवृत्ति धारक अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो छात्रवृत्ति तभी भुगतान की जायेगी, जबकि संस्था प्रमुख यह प्रमाणित करे कि शोधार्थी द्वारा परीक्षा के लिये सामान्य तत्परता से अध्ययन किया गया है परंतु उसके नियंत्रण से परे किसी कारणवश वह परीक्षा देने में असमर्थ था। ऐसा स्कॉलर आगामी सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेगा किन्तु उत्तरगामी वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा यदि वह प्रथम प्रयास में उत्तरवर्ती सत्र में अपेक्षित मानक के साथ पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

8 : छात्रवृत्ति धारक विश्वविद्यालय में सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा एवं सभी नियमों का पालन करेगा।

9 : (9.1) छात्रवृत्ति समाप्त की जा सकेगी यदि

(i) छात्रवृत्ति धारक द्वारा मध्य सत्र में अध्ययन कार्य छोड़ दिया जाता है या

(ii) छात्रवृत्ति धारक को शैक्षणिक परिषद की राय में इस अध्यादेश के पैरा 8 के उल्लघंन या दोषी पाये जाने पर उसके आचरण हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत यदि शैक्षणिक परिषद इस प्रकार निर्देशित करे तो छात्रवृत्ति धारक उसके द्वारा आहरित छात्रवृत्ति की राशि वापस करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(9.2) शैक्षणिक परिषद द्वारा छात्रवृत्ति समाप्ति संबंधित पारित आदेश अंतिम होगा।

# अध्यादेश–96

## विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवास आबंटन हेतु नियम

((धारा 28 (1) (छ))

1 : विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

2 : विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा नियमित छात्रावास प्रेरणा दायक एवं रहवासी पर्यावरण से युक्त होंगे।

3 : छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ मुख्य वार्डन को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। वह व्यक्तिगत तौर पर अपने माता–पिता/स्थानीय अभिभावक के साथ मूल दस्तोवजों सहित छात्रावास समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

4 : छात्रावास में प्रवेश वार्डन के विवेकानुसार प्रदान किया जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा दी जाने के संबंध में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

5 : छात्रावास में छात्र का प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात छात्र के अभिभावक निर्धारित प्रारूप में एक प्रपत्र भरेंगे जिसमें स्थानीय अभिभावक तथा विजिटर्स छात्रावास में प्रवेश कर सकेंगे।

6 : विद्यार्थी उसे आबंटित कक्ष का उपयोग करेगा वह बिना वार्डन के लिखित अनुज्ञा के अपना कक्ष परिवर्तित नहीं करेगा तथा फर्नीचर आदि भी कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा।

7 : रहवासी छात्र उसके कक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया फर्नीचर, फर्नीशिंग तथा फिक्शचर आदि की यथोचित देखभाल और रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। छात्रवास संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचने पर रहवासी छात्र ही उसे सुधार कर रखेगा।

8 : रहवासी छात्र वार्डन द्वारा छात्रावास में उपलब्ध कराये गये विघुत उपकरण

से भिन्न अन्य किसी भी उपकरण का प्रयोग वार्डन की अनुमति के बिना करने से वर्जित होगा।

9 : रहवासी छात्रों पर छात्रावास के भीतर अग्नेयास्त्र, हथियार या अन्य विशेष रूप से खतरनाक औजार तथा निर्धारित लंबाई से अधिक लंबा चाकू रखना प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में चूक करने वाले विद्यार्थियों को गंभीरता से लिया जाकर निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

10 : छात्रावास परिसर के भीरत रहवासी छात्रों द्वारा ड्रग्स/अल्कोहल/मादक पदार्थ/धूम्रपान कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर कठोर कार्यवाही निष्कासन सहित कोई भी कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

11 : ऐसे छात्रावासी जो परिसर के भीतर बर्बरता अथवा हिंसक व्यवहार करने के दोषी होंगे उन पर भी निष्कासन सहित कठोर कार्यवाही की जायेगी।

12 : रहवासी छात्र प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित हॉस्टल शुल्क देय तिथि से पूर्व विश्वविद्यालय में भुगतान करते रहेंगे।

13 : प्रत्येक छात्रावास में वार्डन होंगे, कुलपति द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु वार्डन नियुक्त किये जायेंगे जिनका कार्यकाल विस्तारित भी किया जा सकता है।

# अध्यादेश–97

## विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासानात्मक संबंधी प्रावधान

((धारा 28 (1) (ज))

1 : विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र सदैव अच्छा आचरण करेगा, अध्ययन में लगन प्रदर्शित करेगा तथा शिष्टता एवं गरिमा बनाये रखेगा। वह सहपाठ्यचर्या गतिविधियों में यथोचित रूचि लेगा तथा राष्ट्रीय उच्चता संस्थान के विद्यार्थी के रूप में परिसर के भीतर एवं बाहर आचरण संहिता का अनुसरण करेगा एवं विश्वविद्यालय के संस्थान जिसका वह विद्यार्थी है के भी सभी नियमों का अनुसरण करेगा।

2 : प्रत्येक छात्र अपने शिक्षकों, विश्वविद्यालय के प्रशासको एवं संस्था के भीतर एवं बाहर के समस्त कर्मचारियों को यथानुसार आदर देगा एवं विनम्रता प्रकट करेगा तथा अपने सहपाठियों से अच्छा निकटस्थ व्यवहार रखेगा।

3 : विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय की आचरण सहिता का उल्लघंन या अन्य किसी नियम/विनियम का उल्लघंन अनुशासनहीनता मानी जाकर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

4 : निम्नलिखित कार्य कठोर अनुशासनहीनता मानी जायेंगी जिनमें लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा

(i) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर शिक्षकों के आदेश की अवज्ञा एवं उनसे दुर्व्यव्हार प्रदर्शित करना।

(ii) विश्वविद्यालय तथा/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी विद्यार्थी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एवं बर्बता/हिंसा में लिप्त होना।

(iii) छात्र द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों/केंटीन तथा मेस कार्यकर्ताओं पर चिल्लानाए लड़ाई करना तथा अपमानजनक

शब्द व्यक्त करना।

(iv) छात्र द्वारा अग्नेयास्त्र, हथियार एवं खतरनाक उपकरण अपने पास रखना।

(v) छात्र द्वारा ड्रग्स/अल्कोहल/नशीले पदार्थो/तम्बाखू का उपयोग अथवा विक्रय करना।

(vi) छात्र का रैगिंग में संलिप्त पाया जाना जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित है।

(vii) अन्य कोई भी ऐसा कार्य जिसे विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति अवंछनीय मानती हो।

5 : यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय या संस्था के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन के उल्लघंन का दोषी पाया गया हो अथवा लगतार आलस्य अथवा कदाचरण का दोषी पाया जाता हो तो वह जिस विभाग में अध्ययनरत् है उस विभाग से संबधित विभाग/संस्थान प्रमुख द्वारा अनुशासन समिति एवं कुलपति सहित कुलसचिव को तत्संबंधी प्रतिवेदन भेजेगा। अनुशासन समिति द्वारा कुलपति के अनुमोदन पर अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार निम्न कार्यवाही की जा सकती है

(i) ऐसे छात्र को तीन सप्ताह से अनाधिक समयावधि के लिये कक्षा में सम्मिलित होने से निलंबित किया जा सकता है।

(ii) ऐसे छात्र को संस्था से निष्कासित किया जा सकता है।

(iii) ऐसे छात्र को आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के अपात्र घोषित किया जा सकता है।

(iv) ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित करना।

6 : उक्त सजा दी जाने से पूर्व संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुख, छात्र को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का एक अवसर देगा। ऐसी सजा आरोपित की जाने की स्थिति में सजा दिये जाने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

7 : संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख को दोषी छात्र को ऐसी अवधि के लिये

निलंबित करने का अधिकार होगा जो उसके विरूद्ध निर्धारित आरोपों की जांच पूर्ण होने तक आवश्यक होगी।

8 : अवधि जिसके दौरान विद्यार्थी जांच पूर्ण किये जाने हेतु निलंबित रहता है उस अवधि को परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसकी उपस्थिति की गणना में सम्मिलित किया जायेगा यदि वह जांच में निर्दोष पाया जाये।

9 : संस्थान से विद्यार्थी का निष्कासन होने से नामांकित विद्यार्थी के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जायेगा।

10 : विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त कर दिया जायेगा।

11 : इस प्रकार से विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी को उसके निष्कासन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या निर्धारित अवधि (जो पहले हो) के पूर्ण होने से पूर्व विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि निष्कासित विद्यार्थी उसके निष्कासन की तिथि से निर्धारित अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश चाहता है तो उससे अच्छा व्यवहार करने का शपथपत्र लिया जायेगा।

12 : प्रॉक्टर/डीन छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय/विभाग/संस्थाओं में कार्यरत शिक्षण स्टाफ में से छात्रों में अनुशासन स्थापना हेतु की जायेगी। शिक्षक की सक्षमता के आधार पर संबंधित शिक्षक को कुलपति के अनुमोदन से आगे जारी रखा जा सकेगा।

13 : प्रॉक्टर/डीन छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) की शक्तियां एवं कर्तव्य का निर्धारण समय–समय पर कुलपति द्वारा किया जायेगा।

# अध्यादेश–98

## विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण के उन्नयन हेतु अन्य निकायों का सृजन

**((धारा 28 (1) (झ))**

1 : विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु निम्न निकाय होंगे

(i) नीति समिति

(ii) मानद उपाधि प्रदाय समिति

2 : शैक्षणिक नीति समिति में निम्न सदस्य होंगे

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) प्रतिकुलपति (यदि हों)

(iii) शैक्षणिक मामलों के संकायध्यक्ष

(iv) स्नातक स्तरीय अध्ययन के अध्यक्ष

(v) स्नातकोत्तर स्तर अध्ययन के अध्यक्ष

(vi) कुलपति द्वारा नामित तीन संकायाध्यक्ष

(vii) कुलपति संयोजक को नामित करेंगे

3 : मानद उपाधि प्रदाय समिति :

मानद उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार होगा

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष

(iii) कुलसचिव

3.1 उक्त समिति ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों जिनके द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय अकादमिक अंशदान किया गया है के नामों पर विचार कर उसे अंतिम रूप देने हेतु प्रबंध मण्डल के पास भेजेगी। प्रबंध मण्डल ऐसे व्यक्तियों के नामों को कुलाधिपति को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा।

3.2 उक्त के पश्चात समिति द्वारा ऐसे नाम शासी निकाय को अंतिम

निर्णय हेतु भेजेगी।

3.3 मानद उपाधियों का प्रदाय विश्वविद्यालय द्वारा नियमित दीक्षांत समारोह में अथवा विशेष रूप से आयोजित दीक्षांत समारोह में किया जायेगा।

## अध्यादेश–99

# अन्य विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों व निकायों के साथ एम.ओ.यू. के अंतर्गत समन्वय एवं सहयोग

((धारा 28 (1) (ञ))

1 : विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत विश्वविद्यालयों एवं भारत के और विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग निर्मित किया जायेगा एवं इस आशय का एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया जायेगा जिसमें परस्पर सहमति से समन्वय एवं सहयोग के विस्तार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होगा।

2 : विश्वविद्यालय भारत एवं विदेशों में उच्च शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालयों और उत्कृष्ठ संस्थानों से अनुसंधान नवाचार संबंधी मार्गदर्शन, परीक्षा कार्य तथा समय–समय पर छात्र/शिक्षक का आपसी स्थानांतरण परस्पर सहमति से कर सकेगा।

3 : विश्वविद्यालय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को तथा राज्य के विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये मान्य संगठनों एवं संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग कर सकेगा।

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 3–31/2021/38–2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22–10–2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भूवनेश यादव**, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 22nd October 2021

NOTIFICATION

No. F 3-31/2021/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 10346/प्र.परि./प्र.अ./भारती वि.वि./2021/16327, Dated 13-10-2021 has approved the First Statutes No. 01 to 29 and First Ordinances No. 01 to 99 of Bharti University, Village-Chandkhuri, Post-Tahsil and District-Durg (Chhattisgarh) under Section 26 (5) and Section 28 (4) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statutes and Ordinances in Official Gazette.

3. The above Statutes and Ordinances Shall come into force the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Special Secretary.

# FIRST STATUTES

In exercise of the power conferred by the sub section (I) of section 26 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Governing Body makes the following First Statutes.

## (I) Short title and commencement:

1. These Statutes may be called first statutes of Bharti University, Durg.
2. They shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

## (II) Definition:

In these Statutes unless the otherwise requires:

1. "Act" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act 2005"
2. "Visitor" means the Honorable Governor of Chhattisgarh.
3. "CGPURC" means 'Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.'
4. "Academic Year" means a Period of nearly twelve month devoted to completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned course(s) and apportioned into "terms" as stipulated in the Ordinances.
5. "Board of Studies" means the Board of Studies of the different subjects of the University.
6. "Convocation" means the convocation of the University.
7. "Course(s)" means prescribe area(s) or course(s) of study or programme(s) and /or any other components(s) leading to the conferment or award of Degree, Diploma, Certificate or rather academic distinction or title of the University.

8. Employee" means any person working on the payroll of the University.
9. "Faculty" means Faculty of the University.
10. "Regular Education" means and includes a system in which delivering instruction, teaching, learning, educating and related to Students in the classes or otherwise at the campus of the University and for which an attendance of seventy five percent of lectures and practical's separately is required.
11. "Regulation" means regulation of the University.
12. "Rules" means the "Chhattisgarh Privates Universities (Establishment & Operation) Rule, 2005".
13. "Scheme and Curriculum" means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility and such other related details (by whatever name it may be called) for the concerned courses(s) of the University.
14. "Seal" means the common seal of the University.
15. "Subject" means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research etc. by whatever name it may be called as prescribed under the scheme and curriculum.
16. "University" means Bharti University, Durg.
17. All words and expressions used herein and defined in the Act and Rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and the Rules.

**(III) The first Statutes are as under:-**


| Statutes | Title | Page No. |
|---|---|---|
| Statute No. 01 | OBJECTIVES OF UNIVERSITY | 1 |
| Statute No. 02 | UNIVERSITY SEAL AND EMBLEMS | 2 |
| Statute No. 03 | APPOINTMENT OF THE CHANCELLOR- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 3-4 |
| Statute No. 04 | APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 5-6 |

| | | |
|---|---|---|
| Statute No. 05 | APPOINTMENT OF THE REGISTRAR- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 7-8 |
| Statute No. 06 | APPOINTMENT OF THE CHIEF FINANCE AND ACCOUNTS OFFICER- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 9-11 |
| Statute No. 07 | CONSTITUTION OF THE GOVERNING BODY- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 12-14 |
| Statute No. 08 | CONSTITUTION OF BOARD OF MANAGEMENT- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 15-18 |
| Statute No. 09 | CONSTITUTION OF ACADEMIC COUNCIL- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 19-21 |
| Statute No. 10 | CONSTITUTION OF BOARD OF STUDIES- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 22-23 |
| Statute No. 11 | CONSTITUTION OF BOARD OF EXAMINATION- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 24-26 |
| Statute No. 12 | CONSTITUTION OF FINANCE AND BUDGET COMMITTEE- TERMS, CONDITIONS AND POWERS | 27-28 |
| Statute No. 13 | OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY | 29-31 |
| Statute No. 14 | SUBJECTS UNDER VARIOUS FACULTIES & DEPARTMENTS | 32-35 |
| Statute No. 15 | CONSTITUTION AND FUNCTIONS QUALITY ASSURANCE AND RESEARCH COMMITTEE | 36 |
| Statute No. 16 | MANNERS, TERMS AND CONDITIONS OF APPOINMENT OF CONTROLLER OF EXAMINATION | 37-38 |
| Statute No. 17 | MANNERS, TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF LIBRARIAN, FORMATION AND FUNCTION OF LIBRARY COMMITTEE | 39-40 |
| Statute No. 18 | APPOINTMENT OF ACADEMIC STAFF | 41-43 |
| Statute No. 19 | MANNER, TERMS AND CONDITIONS FOR APPOINTMENTS OF OFFICERS OF THE UNIVERSITY | 44-45 |
| Statute No. 20 | APPOINTMENT OF NON-TEACHING STAFF | 46-47 |

| | | |
|---|---|---|
| Statute No. 21 | ARBITRATION/GRIEVANCE COMMITTEE | 48 |
| Statute No. 22 | HONORARY DEGREES AND DISTINCTIONS | 49 |
| Statute No. 23 | FEE EXEMPTIONS, SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS | 50 |
| Statute No. 24 | PROVISION REGARDING POLICY OF ADMISSION AND RESERVATIONS | 51 |
| Statute No. 25 | FEE REGULATION | 52 |
| Statute No. 26 | NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES | 53 |
| Statute No. 27 | REMOVAL OF ACADEMIC STAFF, ADMINISTRATIVE STAFF AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY | 54 |
| Statute No. 28 | PROTECTION OF ACT, PROCEEDINGS AND ORDERS | 55 |
| Statute No. 29 | REGARDING APPOINTMENT OF STAFF UNDER HOLISTIC FOUNDATION FOR NEWLY ESTABLISHED BHARTI UNIVERSITY | 56 |

## STATUTE No. 1

## OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY

The University has the following objectives:

1. To provide instructions, teaching and training in higher education, vocational and professional education and make provisions for research, innovation advancement and dissemination of knowledge.
2. To create higher levels of intellectual and innovative abilities.
3. To establish state of the art facilities for education, training and research.
4. To carry out training and research and offer continuing education programmes.
5. To create center of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application.
6. To provide consultancy to the industry and public organizations.
7. To establish new courses institutions and courses as per the need of the community.
8. To award Degrees, Diplomas, Certificates and other Academic Distinctions on the basis of Examination or any other method of evaluation.
9. To maintains standards of the Degrees, Diplomas, Certificate and other Academic Distinctions in accordance with the norms laid down by UGC and related Regulatory Bodies or Councils.
10. To collaborate with other Universities, Research Institutions, Government and Non-Government organization towards fulfillment of objectives of University.
11. To provide meaningful learning opportunities to Students of India and overseas.
12. To set up collaborative provisions with Foreign/International Universities to enable Students of the University to leverage the advantages of faculty and Students exchange, dual degree options and semester abroad programmes.
13. To pursue any other objectives as may be approved by the Sponsoring Body.
14. To ensure that academic distinctions are not lower than those laid down by the All India Statutory Bodies such as the AICTE, NCTE, UGC, MCI, DCI, PCI, Council of Architect, Bar Council of India, Indian Nursing Council etc.

# STATUTE No. 2

## UNIVERSITY SEAL AND EMBLEMS

1. The University shall have a common seal to be used for the purpose of the University and the design of the seal shall be as decided by the University, subject to further change or amendments as deemed necessary from time to time after obtaining the approval of the CGPURC.
2. The University shall make and use such flag, group song, landmark, vehicle flag and other insignia or graphic expressions, monogram, signature tune for such purposes as may be considered necessary from time to time. These Symbols and other exclusives shall not allow violation of any laws of the land.

## STATUTE No. 3

## APPOINTMENT OF THE CHANCELLOR- TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**(Reference to Section 16 of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act 2005)**

1. Chancellor shall be the head of the Private University.
2. Appointment of Chancellor by the sponsoring body will be done for 3 years with the prior approval of the Visitor.

   However, in order to set up a University and make it functional, the Sponsoring Body will appoint the Chancellor in consultation with the State Government for a period not exceeding 3 years.
3. The Sponsoring Body shall by simple majority finalize the name of the Chancellor. The finalized name along with bio data of the proposed Chancellor shall be sent to the Visitor for approval. After such approval, the Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body.
4. The Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re- appointment with the approval of the Visitor following the procedure laid down in this Statute. Provided that the Chancellor shall not withstanding the expiry of the term, continue to hold his office until either he is re-appointed or his successor steps in his office.
5. In case of emergency like illness, absence or death of the Chancellor, the Pro-Vice Chancellor shall perform his duties till the Chancellor re assumes his office or the new Chancellor is appointed. However, this period shall not exceed six months.
6. The Chancellor shall exercise the powers specified in section 16 of the Act.
7. The Chancellor will have the duty to ensure that the University Act, Statutes, Ordinances and Regulations are followed in the University in letter and spirit.
8. The Chancellor will keep general control over the activities of the University.
9. The Chancellor will be entitled to receive such remuneration/honorarium, expenses and allowances as determined by the sponsored body

10. The Chancellor, will be able to resign from his post by handwritten letter addressed to the Visitor. One copy of the resignation will be sent to the Chairman of the sponsoring body.

11. The Chancellor will have special power to take decision on behalf of Governing Body in case of emergency but he will have to take the approval for such action in the immediate next meeting of the Governing Body. If the Governing Body rejects his action, the decision taken will stand cancelled.

# STATUTE No. 4

## APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR, TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**(Reference to Section 17 of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act 2005)**

1. The Vice-Chancellor will be the main Academic and Administrative Officer of the University.
2. The Vice Chancellor will be appointed by the Visitor as defined in section 17 (1, 2, 3 and 4) of the Act of Chhattisgarh Private University (Establishment & Operation) 2005
3. On the expiry of the first term, the Vice Chancellor will be eligible for reappointment for the second term. In the event of an emergency like absence suspension, sacking, abdication or death of the Vice Chancellor of the University, the Chancellor will entrust the responsibility and duty of the Vice-Chancellor to the University's one of the Senior Teacher of his choice. Normally this period of interim arrangement will not be more than six months.
4. In addition to all the powers described in Section 17 of the Act, the Vice Chancellor will also exercise the powers conferred in the various Statutes, Ordinance and Regulations of the University.
5. The Vice Chancellor shall be appointed according to the provisions of section 17 of the Act and shall be full time salaried Officers of the University and will receive the allowances also fixed by the sponsoring body from time to time.
6. The Vice-Chancellor will be the Chairman of the Academic Council, Board of Examination and Finance Committee. He can chair meeting of any body of the University as per need except Governing Body.
7. The Vice Chancellor will observe that the University's Statutes, Ordinances, rules and Regulations are followed strictly along with adopted notification of the State Government and UGC.
8. The Vice-Chancellor will convene meetings of all Authorities and bodies as defined in theAct.

9. The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he may deem fit.

(I) In case of emergency, the Vice-Chancellor can take decision on behalf of any body or authority of the University where he is Chairman, but Vice-Chancellor will have to submit a reason of such decision to the concern Authority or Committee for approval in the next meeting of the body. In the event of deference between Vice-Chancellor and body Members it will be referred to the Chancellor, whose decision will be final.

(II) The Vice-Chancellor will have the power to constitute the Committees, which he thinks fit, for the discharge of the duties assigned to it by the Act.

(III) Vice-Chancellor's age of superannuation will be seventy years complete.

(IV) The Vice-Chancellor will resign by a hand written letter addressed to the Visitor, with a copy of it to the Chancellor.

(V) The agenda of the meeting will be finalized by the Vice-Chancellor where he is ex- officio Chairman.

## STATUTE No. 5

## APPOINTMENT OF THE REGISTRAR, TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**(Referring to Section 18 of the Chhattisgarh Private University (Establishment andOperations) Act 2005)**

1. The appointment of the Registrar will be done by the Governing Body for four years on the recommendation of the Expert Committee constituted for this task as per the provisions ofthe Act. The appointment of the first Registrar will be done by the Chancellor for two years.
2. Registrar will be the salaried officer of the University, who can be removed by Act and he will perform the work under the supervision of the Vice-Chancellor. Registrar will be the Chief Administrative Officer of the University. All contracts will be signed and all documents and records will be certified by the Registrar on behalf of the University.
3. The registrar shall receive salary and other allowances as prescribed by the sponsoring body.
4. The Registrar can be appointed for any number of terms of four years up to his superannuation age of 65years. The selection Committee will be as follows:
   (A) Vice- Chancellor-Chairman
   (B) Chancellor's nominee-Member
   (C) An expert Member nominated by the Vice-Chancellor.
   (D) Two expert Members nominated by the Sponsoring Body.
   (E) One expert Member Nominated by the CGPURC not below the rank of a Professor.

5. Duties and powers of the Registrar:
   A. Maintenance of records, general property and such other assets of the University as the Governing Body may decide.
   B. To conduct official correspondence of the Governing Body, Board of Management, Academic council and any other Body or Committee in which he is a secretary.

C. Issue the notices conveying the date and agenda of meeting of the University Committees & Other Bodies, Authorities and make necessary arrangements for organizing such meetings. He will provide necessary assistance to perform the other duties entrusted to him by the Governing Body.

D. He will act as the Member Secretary of the Governing Body, Board of Management, Academic Council and such other Bodies, where Vice-Chancellor or Statues have appointed him as secretary without power of vote.

E. Such other duties assigned to him by the Governing Body and Board of Management from time to time.

F. To provide copies of the agenda of the meetings of the Governing Body, Academic council, Board of Management and such other bodies those are formed as per the direction of the Chancellor, Vice- Chancellor. He is also responsible to record the minutes of the meetings and send them to the appropriate Authorities.

G. He shall make available all such papers, documents and information as the Visitor/Chancellor, Vice Chancellor may desire.

H. He shall supervise and control the work of the staff working in departments/offices and units of the University. He shall also be empowered to write confidential reports of the staff under his control.

I. He shall also be responsible for issuing of Marks Sheet, Migration Certificate and other relevant important documents under his Seal and Signature. He will also record his Signature with the Seal of his office on the back of the Degree Certificate before issue.

## STATUTE No. 6

## THE CHIEF FINANCE AND ACCOUNTS OFFICER

**[Refer Section 19 (1 and 2) & 26 (1) (c) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The Chief Finance and Accounts Officer (CFAO) shall be appointed by the Chancellor of the Bharti University on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. His appointment will be for a period of three years and he can be re-appointed for any number of terms up to his age of superannuation i.e. 65years complete. The Selection Committee shall consist of:

(i) The Vice-Chancellor-Chairman
(ii) One Nominee of the Chancellor-Member
(iii) One Professor nominated by the Vice-Chancellor-Member
(iv) Two outside experts nominated by the Governing Body, out of which one should be expert of Finance and another should be expert of Accounts-Member
(v) One representative of the CGPURC, not below the rank of professor-Member
(vi) Registrar as Member Secretary

2. The Qualifications of the CFAO shall be as under:
(i) Post graduate in Commerce/Economics/MBA in Financial Management with minimum 55% marks in post graduate exam and 15 years of working experience in any University or Institute/Organization of Higher Education with the capability to manage Accounts/Finance independently.
(ii) Desirable Charted Accountant or having equivalent attainments.

3. The CFAO shall receive pay plus other allowances as fixed by the Governing Body of the University.
4. Subject to the control of Vice-Chancellor, it shall be the duty of the CFAO:
(a) to ensure that the limits fixed by the Governing Body for recurring and nonrecurring expenditure for a financial year are not exceeded and that all

money are expended for the purpose for which they are allocated.

(b) to keep a constant watch on the state of the cash and bank balances on the state of investment;

(c) to suggest measures of additional revenue generation for the University;

(d) To bring donations to the University;

(e) To assist Finance Committee in making the budget.

5. The CFAO may call from any Office or Institution of the University any financial information that he may consider necessary for the performance of his duties.

6. The CFAO shall see that all bills for payments be pre-audited.

7. The responsibilities of the CFAO shall also be as follows:

(a) To exercise general supervision over the funds of the University and advise the Vice-Chancellor on the University's financial policies;

(b) To hold and manage property and investments including trust and endowed property for furthering the objects of the University;

(c) To receive all money for the use and benefit of the University within the mandate and objectives of the University;

(d) To watch the progress of collection of revenue and to advice on the methods of collection.

(e) To make payments sanctioned under each head of budget as approved by the Governing Body or Board of Management or as authorized by a competent authority designated by the Vice-Chancellor;

(t) To prepare interim reports for the Vice-Chancellor and Finance and Budget Committee;

(g) To prepare in consultation with the Vice-Chancellor and Registrar and subject to amendments and approval of the Finance and Budget Committee, an annual budget of income and expenditure of the University for submission to the Board of Management;

(h) To invest the University funds in consultation with the Finance and Budget Committee and the approval of the Governing Body;

(i) To see that the registers of buildings, land, furniture, equipment and all assets are updated and that the stock-checking is updated of equipment and other

consumable materials in all offices, centers, laboratories, libraries, departments and Institutions maintained by the University;

(j) To call for explanation from concerned officers or Authorities, Bodies, Committees or Boards for unauthorized expenditure and for other financial irregularity that is brought to his/her notice and to suggest disciplinary action against the persons at fault;

(k) To represent the University in all legal matters pertaining to finance and taxation;

(l) To provide for at least one internal audit in a year and statutory annual audit of all the accounts of the University;

(m) To review the reports and findings of the Internal Audit Unit;

(n) To make recommendations to the Governing Body on the appointment of Auditors and oversee the Financial Audit of the University accounts;

(o) To perform such other duties as may be required by the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules of the University or the Vice- Chancellor or his other Delegate; and

(p) To call for from any Office or Institution under the University any information or returns that he or she may consider necessary to discharge his or her financial responsibilities.

8. Notwithstanding anything contained in the Statute, the CFAO shall perform such other duties as assigned by the Vice-Chancellor/Governing Body/Board of Management of theUniversity.

## STATUTE No. 7

## CONSTITUTION OF THE GOVERNING BODY- TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**[Refer Section 21 (1) (a), 22 & 26 (1) (a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The constitution of the Governing Body of the Bharti University and its term shall be as per the provisions of section 21 and 22 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005.
2. Any Member may resign from the Governing Body by informing in writing to the Chairman of the Governing Body or the nominating authority as the case may be. The resignation shall be effective from the date of its acceptance.
3. In discharging its powers and responsibilities it shall carry out the mission and vision of the Sponsoring Body and shall consult the Sponsoring Body in taking major decisions.
4. The Governing Body shall exercise powers as per the provisions of subsection (3) of section 22 of the Act. In addition, following shall also be its powers and duties:
   (i) To promote over all administration of the University and appoint, discipline or dismiss officers of the University in accordance with the provisions of the Statutes, Ordinances, Regulations or rules of the University framed under the Act.
   (ii) To approve creation of new Committees, Offices and Boards in accordance with the procedure laid down under the Statutes, Ordinances, Regulations or Rules of the University;
   (iii) To approve the creation and abolition of units of Studies, Departments and Programmes of study, on the recommendations of the Board of Management and the Academic Council;
   (iv) To review any decision, as the case may be, taken by the Board of Management, the Academic Council or any other authority of the University;

(v) To hold, control and administer the property and funds of the University;

(vi) To adopt the annual accounts together with the audit report;

(vii) To borrow and lend funds on behalf of the University Provided that funds shall not be borrowed on University's Securities.

(viii) To hold, buy, sell, hypothecate, mortgage, take on lease, accept as gift or otherwise acquire any land, buildings or property, movable, immovable or intellectual, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may deem fit and proper, and to construct, alter and maintain any such land, building or property;

(ix) To enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers and performance of duties assigned to it by the Act and the Statutes of the University;

(x) To select the common seal of the University and provide for its custody and use;

(xi) To make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying out the works of the University;

(xii) To accept on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfers of any movable or immovable property to the University;

(xiii) To manage and to regulate the finances, accounts and investments of theUniversity;

(xiv) To call for reports, returns and other information from the Officers, Authorities, Bodies, Teaching Departments, Centers of research of specialized studies, Laboratories, Libraries, Museums and Hostels of the University;

(xv) To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions, Medals and Prizes;

(xvi) To appoint:

(a) Representatives of the University to other Institutions or Organizations as may be desirable;

(b) any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit in order to execute an instrument or transact any business of the University.

(xvii) to approve the amendment and cancellation of the Statutes,

Ordinances and Regulations of the University within the confines of the Act, as proposed by the Board of Management;

(xviii) to delegate by Regulation any of its powers to the Vice-Chancellor, Registrar or such other Officer of the University or a Committee appointed by it as itmay deem fit.

## STATUTE No. 8

## CONSTITUTION OF BOARD OF MANAGEMENT- TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**[Refer Section 21 (1) (b), 23 & 26 (1) (a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The constitution of the Board of Management (BOM) of Bharti University shall be as per the provisions of subsection (1) and (2) of section 23 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005.
2. The term of the nominated Members of the BOM shall be three years.
3. The BOM shall meet at least once in every two months.
4. The quorum for meetings shall be five.
5. Subject to the provisions of the Act and Statutes, Ordinances and Regulations of the University made there under, the BOM shall be the Principal Executive body of the University and shall have the following powers and duties to perform:
   - (i) to review the decisions of Authorities and Bodies, other than the Governing Body of the University in case they are not in conformity with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations of the University made there under;
   - (ii) to prepare the subsequent statutes of the University;
   - (iii) to approve the annual budget and annual report of the University recommended/ forwarded by Finance and Budget Committee;
   - (iv) to give direction for the preparation of annual accounts including BalanceSheet of the University;
   - (v) to appoint the Auditors for the audit of annual accounts including Balance Sheet of the University;
   - (vi) to approve the subsequent ordinances of the University;
   - (vii) to scrutinize all proposals of the Academic Council with a view to their execution within the framework of the budget with the prior approval of the Governing Body;
   - (viii) to create posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or other Teaching posts as may be recommended by the Academic

Council, with the prior approval of the Governing Body;

(ix) to create Administrative, Ministerial and other posts with the prior approvalof the Governing Body;

(x) to abolish or suspend, any post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or any other Teaching or Non-Teaching post in the University, with the prior approval of the Governing Body;

(xi) to establish, maintain and manage Teaching Departments, Centers of Research of Specialized Studies, Laboratories. Libraries, Museums and Hostels in the University with the prior approval of Governing Body;

(xii) to appoint Committees with the approval of the Governing Body for such purposes and with such powers as it may deem fit and to appoint such person these Committees as it thinks fit to review and approve, reject or alter recommendations made by any or all Committees connected with the University;

(xiii) to maintain Hostels and Housing accommodations for the Teachers of the University;

(xiv) to supervise and control the admission, conduct and discipline of Students in the University and Hostel and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xv) to recommend to the Chancellor the conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions in the manner prescribed by the Statute;

(xvi) to confer or withdraw Degrees, Diplomas, Certificates and other Academic Distinctions in the manner prescribed by the Statute;

(xvii) to regulate and enforce discipline among Members of Teaching, Administrative and Ministerial staff of the University in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

(xviii) to fix remuneration of Examiners and to arrange for the conduct of and for publishing the results of the University Examinations;

(xix) to cancel Examinations in the event of malpractices, partially or wholly, and to take action against any person or group of persons found guilty of such malpractices, including rustication of Students;

(xx) to take disciplinary action against Students enrolled in the University where ever necessary;

(xxi) to take disciplinary action against Staff, persons appointed as

Invigilators, Examiners etc. on the ground of indiscipline or for involvement in malpractices;

(xxii) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;

(xxiii) With the approval of the Governing Body, to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other securities based on any of the properties and assets of the University or without any securities on approved terms and conditions and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;

(xxiv) to fix emoluments and travelling and other allowances of Internal and External Examiners, Moderators and such other personnel appointed for Examinations, in consultation with Board of Examination.

(xxv) to approve conferment of Degrees, Diplomas, Certificates, Awards and Fellowships;

(xxvi) to delegate all or any of its powers to any Committee or Sub-Committee constituted by it or the Vice -Chancellor of the University;

(xxvii) to authorize the Registrar or any other Officer, Authority, Body, Committee or Board to Institute, conduct, defend, compound or abandon legal proceedings by or against the University or its Officers;

(xxviii) Save for the First Statutes, it shall have the power to make, amend and cancel the Statutes, Ordinances and Regulations with the approval of Governing Body. To accept, reject; amend or return to the Academic Council for consideration, the Ordinances or Regulations framed by the Academic Council.

(xxix) to entertain, adjudicate upon and, if deemed fit, to redress grievances of the Employees and Students of the University;

(xxx) The Board of Management may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-third of the Members present and voting, withdraw any Degree or Academic Distinction conferred on, or any Certificate, or Diploma granted to any person by the University for good and sufficient cause.

In such cases no resolution shall be passed against any person until a notice

given to the person and a chance to show cause within the specific time. The person shall be given a chance for his objection and/or for evidence, if any, he may produce in support of him, have been considered by the Board of Management.

# STATUTE No.9

## CONSTITUTION OF ACADEMIC COUNCIL- TERMS, *CONDITIONS AND POWERS*

**[Refer Section 21 (1) (c), 24 & 26 (1) (a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)**

1. The Academic Council of Bharti University shall consist of the following Members:
   (a) The Vice-Chancellor, Chairman
   (b) 3 Deans out of all the Deans in rotation as per seniority;
   (c) 3 HOD's out of all the HODs in rotation as per seniority;
   (d) Chairman of Board of Studies whom matter is listed to be discussed in AC meeting.
   (e) Four Academicians of repute not related to the University, two nominated by the Vice Chancellor and two nominated by Chancellor;
   (f) Two eminent Scientists/Technologists or experts from the Industry nominated by the Chancellor;
   (g) The Registrar shall be the Member Secretary of the Academic Council but without a right to vote.
2. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson and the Registrar shall be the Member Secretary of the Academic Council, but the Registrar shall not have the right to vote.
   a. The quorum for meetings of the Academic Council shall be one third of the Members. Provided that, no quorum shall be necessary for adjourned meeting.
   b. Ordinarily fifteen clear days notice shall be given for all the meetings of the Academic Council and agenda shall be issued at least 7 days before the date of meeting. However the notice for an emergent meeting shall ordinarily be of 3 days.
   c. All the Members of the Academic Council other than ex-officio Members shall hold office for a term of three years;

d. The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of Chhattisgarh Private Universities Act, 2005, and Statutes, Ordinances and Regulations made there under, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;

e. The Academic Council shall have the power to co-opt, as Members, two persons having expertise or experience in the field of any particular business, which may come before the Council for consideration. Both these Members should belong to different businesses. The Members so co-opted, shall have all the rights of the Members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted;

3. The Academic Council shall have the following powers and shall perform the following duties:

   (i) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among the Faculties and Departments of the University, valuation of research and improvements in academic standards;

   (ii) to prescribe courses of study leading to Degrees, Diplomas and Certificates of the University;

   (iii) to approve the curricula for various courses and courses of studies;

   (iv) to promote research within the University and acquire reports on such research from time to time;

   (v) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a Faculty or the Board of Management and to take appropriate action thereon;

   (vi) to make proposals for allocation of Departments to the Curriculum and Academic Policy Committee;

   (vii) to make subsequent Ordinances with the approval of Board of Management;

   (viii) to make proposals to Institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Exhibitions, Medals and Prizes and to make rules for their Award;

(ix) to recognize persons of eminence in any subject to guide research in that subject;

(x) to prescribe qualifications in consonance with the provisions made by the respective Statutory Bodies in this regard, for recognition of persons as Teachers of the University and to accord such recognition.

# STATUTE No. 10

## CONSTITUTION OF BOARD OF STUDIES- TERMS, CONDITIONS & POWERS

**(Reference to Section 21 (l)(d)& 26 (l)(a) of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act 2005)**

1. There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects.
2. The Board of Studies shall consist of-
   (a) The Head of the University Department or Institution in the relevant subjects.
   (b) Two Faculty Members of Department in the University nominated by Vice-Chancellor.
   (c) Two Faculty Members of that subject from other Universities nominated by Vice-Chancellor.
3. The Board of Studies, at its first meeting, shall co-opt:
   (a) Two Faculty Members from amongst the Faculty in the University Department who are not the Head of the Department.
   (b) Two Faculty Members having not less than ten years teaching experience from amongst the faculty from other Universities having teaching in the same subject.
4. The Chairman of the Board shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst its Members.
5. The term of the Board of Studies shall be three years.
6. The meetings of the Board of Studies shall be arranged at least once in a year. Half number of total Members shall constitute the quorum. The meetings notice shall be served on Member 15 clear days of the meetings.
7. The Vice- Chancellor can constitute the Board of studies for the subjects to be started by the University as and when required.
8. The Board of Studies shall prepare detailed syllabus along with the pattern of Examinations, Assessment and other necessary instructions before seeking approval from the Academic council.
9. Contents of the syllabi shall be revised and update by the Board of studies from

time to time and be submitted before the Academic Council for its approval prior to its publication.

**POWERS AND DUTIES OF BOARD OF STUDIES**

The Board of Studies shall have the following powers and duties, namely:

(a) To recommend, upon reference to it by the Academic Council, the courses of study in the subject or group of subjects within its purview;

(b) To recommend books, including text-books, supplementary reading, reference books and other material for such courses of study;

(c) To recommend to the Academic Council for its approval for the preparation and publication of selections of anthologies or work of renowned authors and other masters as well as material consequent to curriculum development by the Teachers of the University for its introduction in the syllabi of the courses of study under the purview of the Board; in accordance with the Regulations made by the Academic Council in that respect;

(d) To advise the Faculty or Faculties concerned regarding improvement in the coursesof study;

(e) To recommend to Board of Examination names of suitable persons for inclusion in the panels for appointment of Paper-setters, Examiners and Moderators at the University Examinations in the subject.

(f) To recommend to the Board of Examinations, names of persons suitable for appointment as Referees for evaluation of theses and dissertations and for conduct of viva-voce Examinations, wherever prescribed, for awarding Post-graduate, Doctorate and Higher Degrees;

(g) To suggest organization of orientation and refresher courses in the subject.

# STATUTE No. 11

## CONSTITUTION OF BOARD OF EXAMINATION- TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**(Reference to Section 21 (1) (d)& 26 (l)(a) of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operations) Act 2005)**

(1) The Board of Examinations shall be the authority for conducting the Examinations and making policy decisions in regard to appointing the Paper setters, Examiners, Moderators and also prepare the schedule of dates of holding Examinations and declaration of the results. The Board of Examinations shall also oversee and regulate the conduct of Examinations in the University Departments.

(2) The Board of Examinations shall deal with all the matters in relation to Examinations and shall hear and decide the complaints received pertaining to any matter arising out of conduct of Examinations.

(3) The Board of Examinations shall consist of the following Members namely:

- (a) Four HOD's of the Departments as Members for a period of 3 years.
- (b) One of the HOD mentioned above shall act as Chairperson of the Board to be nominated by VC for a term of 2 years.
- (c) Two Senior Faculties as Member for a period of 2 years.
- (d) Controller of Examination as secretary of the Committee.

(4) Members of the Board including Chairperson shall constitute quorum for the meeting.

## POWER AND DUTIES OF BOARD OF EXAMINATION

(1) The Board of Examinations shall ensure proper organization of Examinations and tests of the University, including moderation, tabulation and the declaration of results.

(2) The Board shall meet at least once in each academic term.

(3) In particular and without prejudice to the generality of duties as mentioned in sub-section (1), the Board of Examination shall exercise the following duties,

namely:

(a) The question paper setters, Examiners and Moderators will be appointed from amongst the panel prepared by Board of studies, Also as and when required on the recommendation of Board of studies may debar some of the examiner names.

(b) To undertake, exercise and experiment in Examination reforms;

(c) To exercise such other powers in relation to Examinations as may be assigned to it by or under the Ordinance.

(4) In case of any emergency requiring immediate action to be taken, the Chairman of the Board or any other officer or person authorized by him in that behalf, shall take such action as he thinks fit and necessary, and shall report at the next meeting of the Board the action taken by him.

(5) (a) In order to appoint paper-setters, Examiners and Moderators, the Board of Examination shall constitute Committee, for every subject consisting of:

(i) The Vice -Chancellor or Pro-Vice -Chancellor if any-Chairman

(ii) The Dean of the concerned faculty

(iii) The Chairman of the concerned Board of Studies

(iv) One Member of the Board of Studies nominated by it from amongst its Members

(b) The Controller of Examination shall act as Secretary of such Committees.

(c) The Committee shall finalize the Examination time table after collating the proposed time tables from all the Departments.

(d) It will give accord to the final number of Students who shall take their coming next Examination as Regular/ATKT/supplementary candidate.

(e) It will scrutinize and appear the results of the Examination conducted by the University and satisfy itself that the results are in conformity with the usual standard. In case of unbalance found in any subject, it may recommend to the Vice-Chancellor for proper action.

(f) The Committees shall prepare lists of persons for various Examinations and tests, from amongst persons, included in the panels to be prepared by the Board of Studies; and shall submit them to the Board of Examination, which shall then appoint Paper-setters, Examiners and Moderators, and where necessary Referees.

(g) The Committee shall obtain three sets of question papers in sealed covers in the respective subject. The Chairman of the Committee shall draw at

**random one** of such sealed covers containing question papers. This sealed cover **with** seals intact shall then be sent to the press.

6. (a) In order to investigate and take disciplinary action for malpractices and lapses on the part of Candidates, Paper-setters, Examiners, Moderators, Referees, Faculty or any other person connected with the conduct of Examinations, Board of Examination shall constitute a Committee of not more than five persons of whom one shall be Chairman.

   (b) Such a Committee shall submit its report and recommendations to the Board of Examination, which shall take disciplinary action in the matter as it deem fit.

7. The Board of Examination shall prepare the financial estimates for incorporation in the budget of the University and shall submit the same to the Finance Officer.

8. The Board shall arrange for strict vigilance during the conduct of the Examinations so as to avoid use of unfair means by the Students, Faculty, Invigilators, Supervisors, etc.

# STATUTE No. 12

## CONSTITUTION OF FINANCE AND BUDGET COMMITTEE-TERMS, CONDITIONS AND POWERS

**[Refer Section 21 (l)(d)&26 (l)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)**

1. The Finance and Budget Committee shall consist of the following Members:
   (a) A Member of the Governing Body as Chairman to be nominated by the Sponsoring Body
   (b) Vice-Chancellor
   (c) Two experts nominated by the Chancellor
   (d) Registrar of the University
   (e) The Chief Finance and Accounts Officer as Secretary to the Finance and Budget Committee
2. The Finance and Budget Committee shall meet at least twice each year to prepare the budget, examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure.
3. All Members of the Finance and Budget Committee other than ex-officio Member shallhold office for a term of three years.
4. Three Members of the Committee including Chairman shall constitute the quorum.
5. Powers and Responsibilities of the Finance and Budget Committee:
   (a) It shall prepare the annual budget and mid-term financial forecasts, which will then be submitted to the Governing Body for its consideration, after it has been accepted by the Board of Management.
   (b) It shall with the approval of the Board of Management fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year, based on the income and resources of the University.
   (c) It shall ensure that no expenditure be incurred by the University in excess of the limits so fixed. Any expenditure in excess of the fixed limits for that year, or one which has not been provided for in the budget, shall be incurred only after the approval of the Finance Committee and the Board of Management.

(d) It will recommend mechanism, ways and means to generate resources for the University

(e) It will consider the annual accounts of the University and place it before the Governing body for consideration and approval.

(f) Shall recommend the Governing Body to accept bequests and donations of the property to the University on appropriate terms.

(g) It shall monitor the progress of the University's performance against the approved budget and submit a six-monthly report to the Governing Body after it has been approved by the Board of Management.

(h) It shall, on behalf of the Governing Body, investigate aspects of the financial situation, which require further analysis or action.

(i) It shall approve and monitor the University's treasury management policy.

(j) It shall advise the Governing Body on borrowing policy; proposals for borrowing and related external funding arrangements and the details of their terms.

(k) It shall oversee the University's arrangements for pensions if any; tax payments, purchases, and financial relationships with external bodies.

(l) It shall be responsible for determining the University's Financial Regulations.

# STATUTE No. 13

## OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY

**The following May be the other Officers of the University as per the provisions in section 14 (6) of theAct of 2005.**

**1. Pro-Vice -Chancellor**

1. The Pro-Vice- Chancellor shall be appointed by a Selection Committee for a term of four years. The selection Committee shall be headed by the Chancellor of the University and include Vice- Chancellor and 2 nominees of Chairman, Sponsoring Body.
2. The Pro-Vice-Chancellor shall be eligible for re appointment for subsequent term by following the procedure as laid down above in the clause (1).
3. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice -Chancellor shall perform the duties of theVice-Chancellor.
4. The Pro-Vice- Chancellor shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Sponsoring Body from time to time.
5. The Pro-Vice -Chancellor shall discharge the responsibilities and duties as assigned by the Chancellor/ Vice-Chancellor from time to time.
6. The Pro-Vice -Chancellor may resign from his office by hand writing under his/her hand addressed to the Chancellor. The Pro-Vice -Chancellor shall hold office till the date decided bythe Chancellor

**2. Controller of Examination**

1. The Controller of Examination will be an Officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor amongst the Teachers/Officers of the University.
2. When the office of the Controller of Examination is either vacant by reasons of either illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice- Chancellor may appoint any one among the Teachers / Officers for the purpose.

3. The Controller of Examination shall control the conduct of Examination and all other necessary arrangements and execute all processes connected with Examination and declaration of results after approval from the competent authority.

4. The powers and duties of the Controller of Examinations shall be specified by Registrar.

5. The Controller of Examinations shall work under the direct supervision of and subordination to Registrar of the University.

**3. Librarian**

The Librarian shall be a full time salaried Officer of the University and his appointment will be made following the procedure as laid down in Statute No. 19 for the Teachers. The qualification of Librarian shall be as per UGC norms and approved by the Governing Body / Academic Council from time to time.

**4. Director of Physical Education**

The PE Director shall be a full time salaried Officer of the University and his appointment will be made following the procedure as laid down in Statute No. 19 for the Teachers. The qualification ofthe PE Director shall be as per UGC norms and approved by the Governing Body / Academic Council from time to time.

**5. Deputy/ Assistant Director of Physical Education**

The Deputy/Assistant Director of Physical Education shall be the other Officer of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as by the Vice-Chancellor time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

**6. Deputy/ Assistant Librarian**

The Deputy/Assistant Librarian shall be the other Officer of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as prescribed by the Vice-Chancellor from time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

**7. Deputy/ Assistant Registrar**

The Deputy/Assistant Registrars shall be the other Officers of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as prescribed by the Vice-Chancellor from time to time preferably on UGC lines, with the final consent of the Chancellor.

# STATUTE No. 14

# SUBJECTS UNDER VARIOUS FACULTIES AND DEPARTMENTS

**Refer Section 4 (2) (h), 21 (1) (d) & 26 (1) (a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

## FACULTIES & DEPARTMENT

1. The University shall include the following Faculties with various Departments associated with them:

### I. Faculty of Arts and Humanities

1. English and other European Languages
2. Hindi
3. Sanskrit, Pali, Prakrit and Oriental Studies
4. Philosophy
5. Urdu, Arabic, Japanese, French and Persian
6. Linguistics
7. Marathi and other modern Indian Languages
8. History
9. Comparative Religion and Philosophy
10. Economics
11. Fine Arts including Music, Dance and Painting
12. Sociology
13. Social Science
14. Social Work
15. Home Science
16. Geography
17. Political Science and Public Administration
18. Psychology
19. Defense Studies

### II. Faculty of Science

1. Physics
2. Chemistry
3. Mathematics
4. Geology
5. Statistics
6. Criminology and Forensic Science
7. Electronics
8. Nanoscience & technology
9. Nanotechnology
10. Polymer Chemistry
11. Industrial Chemistry
12. Non-Conventional Energy
13. Fashion Design & Technology
14. Allied Science
15. Engineering Physics
16. Computational Physics

17. Computational Chemistry
18. Computational Mathematics
19. Actuarial Science
20. Animation Science & technology
21. Biotechnology
22. Microbiology
23. Bioinformatics
24. Botany
25. Zoology
26. Bio-Chemistry
27. Bio-Science
28. Anthropology

**III Faculty of Engineering & Technology/ Design**

1. Civil Engineering
2. Mechanical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Electronics and Communication Engg.
5. Electrical & Electronics Engg.
6. Chemical Engineering
7. Information Technology
8. Computer Science Engineering
9. Applied Mathematic
10. Applied Physics
11. Applied Chemistry
12. Applied Geology
13. Functional English
14. Mining Engineering
15. Metallurgy Engineering
16. Architecture
17. Biotechnology
18. Biomedical Engineering
19. Automobile Engineering
20. Aeronautic Engineering
21. Artificial Intelligence
22. Data science

**IV. Faculty of Commerce / Management**

1. Commerce
2. Applied Economics and Business Management
3. Commerce including Accounting/Financial/Business/Insurance Mgt.)

**V. Faculty of Education/ Teacher Training**

1. Education
2. Applied Psychology
3. Physical Education
4. Yogic Science
5. Adult and Continuing Education

**VI. Faculty of Law**

1. Law

**VII. Faculty of Hotel Management**

1. Hotel Management

**VIII Faculty of Health and Allied Science**

**IX Faculty of Journalism and Mass Communication**

1. Journalism and Mass communication

**X Faculty of Library and information science**

1. Library and information science

Such other Faculties as may be approved by the State Govt./UGC shall be added from time to time.

(2) Each Faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Academic Council from time to time.

1. The University shall have such faculties as are prescribed by the Statutes.
2. The Faculties shall be principal academic coordinating authority of the University in respect of studies and research in relation to the subjects included in the faculty, and also in respect of studies and research in multi/interdisciplinary faculties.
3. Faculty shall be constituted, divided, combined with or abolished only on the recommendation of the Academic Council and on approval of the Governing Body.
4. The faculty shall consist of the following members:
   (a) Chairman of each Board of Studies under the faculty.
   (b) The Dean shall be the Chairman of the faculty, to be nominated by the Vice- Chancellor from amongst the Professors or the Associate Professors having not less than ten years teaching experience.-Chairman
   (c) Two Subject experts of the subjects in the faculty, nominated by Vice-Chancellor/Chancellor.
5. The Faculty shall have the following powers and duties namely:
   (a) To consider and report on any matter referred to it by the Board of Management and Academic Council.
   (b) To consider and approve recommendations of the Board of Studies in the faculty, and matters related to more than one Board of Studies not affecting any other faculty and recommend to the Academic Council for

action as it thinks fit.

(c) To consider and recommend to the Academic Council, the academic matters within its purview, which affect any other faculty or faculties or which involve administrative or financial implications.

(d) To consider and recommend to the Academic Council establishment of new courses, inter-disciplinary courses and short-term training programmes, referred to it by the Board of Studies.

(e) To make recommendations to the Academic Council in respect of the requirements regarding the conduct of post-graduate or under-graduate instructions, teaching, research and training in the university institutions or departments.

(f) To ensure that guidelines and rules framed for the following matters by the Academic Council are implemented, namely:

(i) Long-term curriculum development;

(ii) Faculty development;

(iii) Teaching and/or learning material development;

(iv) Research in educational matters.

(g) To plan and organize inter-departmental and inter-faculty programs in consultation with the Board of studies, other faculties.

(h) To recommend to the Academic Council regarding organization of refresher and orientation course for teachers of university departments especially for the revised or newly introduced or inter-disciplinary courses of studies.

(i) To prepare and submit the annual report of the functioning of the faculty to the Vice-Chancellor.

(j) To consider any other academic matter which may be referred to it.

# STATUTE No.15

# CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF QUALITY ASSURANCE AND RESEARCH COMMITTEE

There shall be a quality assurance and Research Committee to maintain quality of curriculum/syllabus and overall education in the University and to maintain standards of Research in the University. The Committee is formed to look after assessment parameters and accreditation of all wings of the University especially the teaching. The Committee comprises of:

(1) Vice-Chancellor-Chairman

(2) One Dean of Faculty nominated by Vice-Chancellor

(3) Chairman of the Board of Studies of relevant subjects

(4) One Faculty Member of the University nominated by Vice-Chancellor

(5) Librarian of the University

(6) One Senior Faculty nominated by the Vice-Chancellor-Secretary

The Committee shall do the following function.

1. Holding of meeting at least once in every quarter to have a review of academic and extra-curricular activities and relevant problems with their possible solutions.
2. To create effective Student feedback system.
3. To discuss the problems of research Students/fellows and find solutions;
4. To assess the curriculum standards and help to make it updated as per global standards;
5. To establish mentor mentee system;
6. To start extra-coaching for weak Students;
7. To publish research magazines;
8. To ask librarian to purchase latest research publications as recommended by head of thedepartment.
9. Help Faculty to acquire various research grants from different Nodal agencies;
10. For maintaining of updated standards in the field of games, sports, Examination, cultural activities, library usage through latest systems, Digital culture, latest gadget assisted teaching methods and to look after Students with formal teaching standard;
11. To formulate best practices for library operations.

# STATUTES No. 16

## MANNERS, TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF CONTROLLER OF EXAMINATION

The qualification for Controller of Examination shall be as prescribed by the University and his selection shall be done by the Committee mentioned in this statute.

(1) (a) The Controller of Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendations of a selection Committee constituted for the purpose; he can be given any number of terms of 4years till his superannuation age i.e.65years complete.

(b) The Controller of Examination shall be the principal officer-in-charge of the conduct of Examinations and tests of the University and declaration of their results. He shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Board of Examination. He shall be a full-time salaried Officer of the University and shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) The Controller of Examination shall be the Member Secretary of the Examination Board appointed by the Board of Management for appointment of paper-setters, Examiners and Moderators. He shall be responsible for prompt and proper implementation of policies on Examinations.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub- section (1) (b), the Controller of Examination shall be responsible for making all arrangements necessary for holding Examinations and tests and declaration of results. It shall be his responsibility:

(a) To prepare and announce in advance the calendar of Examinations;

(b) To arrange to get performance of the candidates at the Examinations properly assessed, and process the results;

(c) To postpone or cancel Examinations, in part or in whole, in the event of malpractices if the circumstances so warrant, and take disciplinary action or initiate any civil or criminal proceedings against any person or a group of persons or a college or an institution alleged to be indulged in malpractices;

(d) To take disciplinary action on the recommendation of Disciplinary Action Committee against the Candidates, Paper setters, Examiners, Moderators, or any other persons connected with Examinations and found guilty of malpractices in relation to the Examinations;

(e) To review from time to time, the results of University Examinations and forward reportsthere on to the Examination Committee and/or Board of Management and/or Governing Body.

Notwithstanding anything contained in the statute, the Controller of Examinations shall perform such other duties as assigned by the Vice-Chancellor from time to time.

# STATUTES No. 17

# MANNERS, TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF LIBRARIAN, FORMATION AND FUNCTION OF LIBRARY COMMITTEE

**Librarian appointment and duties**

(1) The Librarian shall be full time salaried Officer of the University. His superannuation age shall be 65years. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) The Librarian shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of a selection Committee constituted for the purpose. His qualifications as per UGC norms, emoluments, and terms and conditions of service shall be as prescribed bythe Governing Body of the University.

(3) When the office of the Librarian falls vacant, or when the Librarian is by reason of illness or absence or any other cause unable to perform the duties of his office, such duties shall be performed for the time being, by such person as the Vice-Chancellor may appoint, for the purpose, for a period not exceeding six months or until a new Librarian is appointed, or the Librarian resumes his duties, whichever is earlier.

(4) The Librarian shall be responsible for the development, modernization, upkeep, management and security of the University library and/or libraries and shall be responsible for collections and preservation of manuscripts.

(5) The Librarian shall be custodian of all books, periodicals, manuscripts, journals and library equipment, shall ensure that no irregularities take place and that the books, periodicals, manuscripts, journals and library equipment are not damaged or lost. He shall conduct periodical verification of books. He shall have the right to advise the University on all matters including those for mobilizing additional resources to meet the developmental expenditure of the University library and/or libraries.

(6) The Librarian shall be the Member secretary of the Library Committee and shall ensure proper implementation of the decisions taken by the Library Committee. He will not have right to vote.

(7) His appointment shall be done by the Committee formed for appointment for Officers of the University.

**Library Committee**

1. (a) There shall be a Library Committee for administering, organizing and maintaining the libraries and library services of the University. It shall consist of the following Members, namely:

(i) The Vice-Chancellor - Chairman.

(ii) Dean of one of the faculties, nominated by the Vice-Chancellor.

(iii) One head of the Department from Relevant Subject nominated by the Vice-Chancellor.

(iv) One teacher, nominated by the Academic council, from amongst its Members.

(v) The Registrar.

(vi) The Librarian-Secretary.

(b) All Members of the Library Committee other than ex-officio Members, shall hold office for a period of three years.

(c) The duties of the Committee shall be as follows, namely:

i. To ensure proper management and functioning of the library, documentation services and updating the stock of books.

ii. To initiate for modernization and improvement of library and documentation services.

iii. To recommend to the Board of Management, fees and other charges for the use of library services by Students and others.

iv. To prepare the annual budget proposals for development of the library for approval of the Finance Committee.

v. To form a sub-Committee for preservation of manuscripts and other historical documents under the guidance of the Vice-Chancellor

# STATUTE No. 18

## APPOINTMENT OF ACADEMIC STAFF

**(Refer Section 26 (1) (d), (e) & (f) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The University shall fill-up all the teaching posts required for different subjects as and when required. The required qualifications for Teachers shall be as per the recommendations of the concerned Regulatory bodies.
2. Minimum Qualifications for Appointment of Academic Staff:
   (a) The University shall meet the minimum qualification requirements for Teachers as prescribed by the UGC Regulations and subsequent amendments on Minimum Qualifications for appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Higher Education or as per the policy of Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh.
   (b) The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated by the UGC and any other body constituted by the central government. For the Teachers of different subjects, conditions of appointment shall be as prescribed by respective regulatory authorities. Similarly, for the other subjects, the minimum eligibility criteria shall be as prescribed by the concerned regulatory bodies.
3. Selection Committee for Appointment of Academic Staff:
   (i) There shall be a Selection Committee for making recommendations for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, research staff and other academic posts excluding temporary Teachers.
   (ii) The Academic Council shall be the approving authority for all academic staff appointments.

(iii) A Selection Committee for Appointment of Academic Staff shall consist of the following Members:

1. Vice-Chancellor, Chairman
2. Two Subject experts to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of experts approved by the Governing Body
3. One Member nominated by the Chancellor.
4. One representative of CGPURC, either its Member or a person not below the rank of University professor.
5. The Registrar as Secretary (without right to vote).

3.1 Meetings of the Selection Committee:

(i) The meetings of the Selection Committee shall be convened by the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.

(ii) Three Members of the Selection Committee with at least one subject expert shallform the quorum.

(iii) The Chairman of the Selection Committee shall have both a deliberative and a casting vote.

4. Special Mode of Appointment:

Notwithstanding anything contained in the section 3 of this Statute:

1. The Vice-Chancellor may invite an eminent person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of Pro-Vice Chancellor, Professor or Associate Professor or any other academic post in the University, on such terms andconditions as the Vice-Chancellor deems fit, and on the person agreeing to do so, appointhim or her to the post for a period of one year. However, this appointment has to be approved by the Governing Body.

2. Where an appointment is to be made on a temporary vacancy of a Teacher of theUniversity, the appointment shall be made on the recommendation of the selection Committee on Merit basis.

If the Vice-Chancellor is satisfied that, in the interest of teaching, it is necessary to fill in the vacancy immediately, he may make the appointment of a person duly qualified for a period not exceeding one year for one term on the recommendation of a Local Selection Committee constituted as follows and shall inform the Board of Management of such appointments:

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Dean of the faculty concerned; and

(iii) One expert nominated by the Vice-Chancellor, except that, where the head of the department is also the Dean, the Vice-Chancellor shall nominate two persons instead of one.

5. Remuneration Policy for Faculty:

The pay and other allowances payable to all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Management may adopt or decide from time to time.

6. Code of Conduct:

All Members of the faculty shall adhere to the code of conduct established by the University as outlined within the rules and regulations.

7. Provident Funds:

The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or should subscribe to EPF Scheme.

# STATUTE No. 19

# MANNERS, TERMS AND CONDITIONS FOR THE APPOINTMENTS OF OFFICERS OF UNIVERSITY

**[Refer Section 20& 26 (1) (c) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. In addition to the Officers mentioned in clause (1) to (5) of section 14 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005, the Governing Body may appoint, or give authority to Vice-Chancellor to appoint and decide duties and functions of the following officers in accordance with Norms, Statutes, Ordinances and Regulations of the Bharti University:
   i. Deans of Faculties
   ii. Director(s) different programmes
   iii. University Engineer
   iv. Any other Officers such as: Deputy Registrar, Astt. Registrar, Librarian, Controller of Examination, Regional Coordinators, Director Student Welfare, Hostel Warden, Medical Officer.
2. The officers mentioned in clause (1) above, may be appointed by the Vice-Chancellor of the University on the recommendation of the Selection Committees constituted for the purpose. Selection Committee shall follow procedure, qualification, and salary as per decision of Governing Body or Board of Management or Academic Council of the University as the case may be.
3. The Governing Body of the University may appoint one or more Deputy Registrars and Assistant Registrars according to the requirements of the University, whose qualifications shall be as laid down by competent authority.

4. The Officers mentioned in clause 1 above, shall receive the pay, fixed by the Governing Body.

5. The powers and duties of the Officers mentioned in clause (1), shall be such as the Governing Body of the University may determine.

6. Notwithstanding anything contained in the Statute the officers mentioned in clause 1 above shall perform such other duties as assigned by the Vice-Chancellor/Board of Management of the University.

7. The Governing Body, on the recommendation of the Sponsoring Body, may appoint any other academic and administrative officers if required.

8. The appointment will be done as per the recommendation of selection Committee provided in statutes.

# STATUTE No. 20

## APPOINTMENT OF NON-TEACHING STAFF

**[Refer Section 26 (1) (c),(e) & (f) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)**

1. Minimum Qualifications for Appointment of Non-Teaching Staff
   (a) The University shall meet the minimum qualification requirements for Non - Teaching staff as prescribed by the UGC (if any) or Government of Chhattisgarh.
   (b) The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated by the UGC (If any) or by the Government of Chhattisgarh.

2. Selection Committees for Appointment of Non-Teaching Staff - Officers
   (a) There shall be a selection Committee for the Appointment of Officers of the University and Controller of Examination (other than for Registrar and Chief Finance and Accounts Officer). The Committee shall consist of the following Members:
      (i) The Vice-Chancellor- Chairman
      (ii) One Professor or Associate Professor nominated by the Vice-Chancellor
      (iii) Two outside experts nominated by the Governing Body
      (iv) Registrar as Member Secretary
   (b) University Selection Committee for Appointment of other administrative, Non-Teaching and Office staff:

There shall be a Selection Committee for the appointment of other administrative/ Non- Teaching and office Staff of the University consisting of the following:

(i) The Registrar as Chairman
(ii) Two experts nominated by the Vice-Chancellor.
(iii) Two outside experts nominated by Governing Body.

(c) Meetings of the Selection Committee:
   (i) The meetings of the Selection Committee shall be convened by

the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.

(ii) Three Members of the Selection Committee shall form the quorum.

(iii) The Chairman of the Selection Committee shall have both a deliberative and a casting vote.

(iv) After the approval of appointment as recommended by the selection Committee and approved by the Governing Body, the appointment letter shall be issue by the Registrar of the University.

3. Pay Policy

3.1 The pay and other allowances payable to all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Management may adopt or decide from time to time,

3.2 The Governing Body shall frame terms and conditions of service of the employees of the University.

4. Code of Conduct

All staff Members shall adhere to the code of conduct established by the University as outlined within the Rules and Regulations.

5. Provident Funds

The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or subscribeto the EPF scheme.

## STATUTE No. 21

## ARBITRATION/GRIEVANCE COMMITTEE

1. There shall be Arbitration/ Grievance Committee in the University to deal with grievances of Students, Teachers and other employees of the University. The Grievance Committee shall consist of the following Members namely:
   - (i) Vice-Chancellor-Chairman
   - (ii) Four Members of the Board of Management nominated by the Board of Management from amongst themselves
   - (iii) The Registrar - Member Secretary(without voting right)
   - (iv) The Committee shall entertain and consider the grievances or complaints submitted to it.
   - (v) It shall be lawful for the Member Committee to entertain and consider grievances or complaints. The Grievance Committee shall hear and settle grievances as far as may be possible within three months, extendable to one more month, if required the report shall be submitted before the Board of Management to take such action as it deems fit. The decision of the Board of Management on such reports shall be final.

# STATUTE No. 22

## HONORARY DEGREES AND DISTINCTIONS

**[Refer Section 26 (1) (g) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005)**

1. A proposal for conferment of Honorary Degree may be made by the Academic Council unanimously. The proposal shall be placed before a Committee consisting of the Vice- Chancellor, nominee of the Chancellor and the Deans of the faculty concerned. If the Committee unanimously recommends that an Honorary Degree be conferred on any person on the ground that he is, in its opinion, a fit and proper person to receive such Degree, its recommendation shall be placed before the Governing Body.
2. If not less than two-third of the Members of the Governing Body recommends for the conferment of Honorary Degree, then the same shall be placed before the Chancellor for confirmation. The Chancellor in turn, shall place the proposal before the Visitor, for final approval.

## STATUTE No. 23

## FEE EXEMPTIONS, SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

**[Refer Section 26 (1) (h) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The exemption of fee, award of Scholarship and fellowships to the Students will be given based on academic merit cum extracurricular merit. The identification of such Students shall be made by the Committee chaired by the Vice-Chancellor with concerned Dean of faculty as the Member, and Registrar as the Member Secretary.
2. The approval for fee exemptions, Scholarship and Fellowships to the Students shall be given by the Governing Body on the basis of list received from the Committee constituted for the purpose.

# STATUTE No. 24

# PROVISION REGARDING ADMISSIONS POLICY AND RESERVATIONS

**[Refer Section 26 (1) (i) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

The University is open to all those holding requisite eligibility qualifications. The admission policy of the University shall be formulated by the Governing Body and norms fixed by the Chhattisgarh Higher education department subject to state reservation policy and other applicable laws and regulation in force and the relevant ordinance framed for the subject concerned.

Admission to all courses in the University departments shall be made on the basis of competitive merit in accordance with the rules, if any, made by the State Government.

Provided that, where model rules have been framed by the State Government in the interest of Students throughout the State, the University shall adopt the same and such rules shall be published in the official Gazette as the case may be, before the start of any academic session.

Provided further that having regard to the maintenance of discipline, the authority concernedshall have the power to refuse admission to a Student on the basis of his records.

The University shall follow the prevailing reservation policies of the State Government applicable to educational institutions, especially for private Universities in the State, and any specific commitments asked by the State Government from the University.

If the seats reserved for admission in the University for Students domiciled in Chhattisgarh or belonging to SC/ST/OBC/PWD/Women remain vacant due to their non-availability, then the same shall be filled by other Students according to merit.

# STATUTE No. 25

# FEE REGULATIONS

**[Refer Section 26 (1) (i) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The University shall abide by the recommendations of the Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC) and guidelines under any applicable laws and regulations of the relevant authority and prior approval of CGPURC.
2. The tuition fees for various programmes of the University shall be prescribed by the Board of Management.
3. The University shall also prescribe number of other fees from time to time, such as admission fee, hostel fee, mess fee, sports fee, library fee, Examination fee, medical fee and usage charges for services such as laundry, printing etc.
4. The fee structure shall be made available to the Students along with the prospectus for the concerning session.
5. Any change in the fee structure of any Courses/Programme shall require prior approval of the Governing Body any the relevant statutory authority including the CGPURC.

# STATUTE No. 26

## NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES

**[Refer Section 26 (1) (k) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. The number of seats available in each program for an academic year shall be determined by the Board of Management in consultation with the Academic Council & Regulatory Authority if any.
2. The University will inform the Private Universities Regulatory Commission and other relevantstatutory bodies in case of any change in the number of seats allocated in each course/subject.

## STATUTE No. 27

## REMOVAL OF ACADEMIC STAFF, ADMINISTRATIVE STAFF AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

**[Refer Section 26 (1) (e) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. Notwithstanding anything contained in the terms of contract of service of the appointment of an Academic Staff, Administrative Staff and Non-Academic and Non-Administrative Staff of the University, such person may be removed from the University by the appointing authority where such person is found to be:
   (a) of unsound mind;
   (b) had been convicted by a court of law of any offence, moral turpitude and sentenced inrespect thereof to imprisonment; or
   (c) otherwise guilty of serious misconduct in discharging his or her powers and functions.
   (d) direction of duly established by enquiry Committee.

2. Where the removal of such Academic Staff-, Administrative Staff or Non-Academic and Non- Administrative Staff is for a reason other than that specified in the previous Section (1) above, such person shall be terminated as per the terms of employment contract.

3. Every employee charged with any reason mentioned in (a) to (d) above will be given full chance to defend himself/herself as a principal of natural justice before any final action is -taken against him/her.

# STATUTE No. 28

## PROTECTION OF ACT & PROCEEDINGS AND ORDERS

**[Refer Section 26 (1) (e) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]**

1. No act or proceeding of the Governing Body, Management Board or any other Officer, Authority, Body, Committee or Board of the University shall be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof.

2. In case of any litigation, the jurisdiction shall be the Chhattisgarh High Court.

## STATUTE No. 29

## REGARDING APPOINTMENT OF STAFF UNDER HOLISTIC FOUNDATION FOR NEWLY ESTABLISHED BHARTI UNIVERSITY

In the newly established Bharti University, the present staff working under Holistic Foundation shall be appointed/ transferred/ promoted depending upon the vacancy available and qualification requirement for Bharti University on the terms and condition of Bharti University giving protection to their present salary structure.

# ORDINANCE No. – 01

## Admission of Students and Enrollment

**[Act Section 28 (1) (a)]**

Admission and Enrollment of students in the University shall be regulated in the manner hereinafter provided.

**Definitions:**

(a) "University" means Bharti University, Durg, Chhattisgarh.

(b) "AIU" means Association of Indian Universities.

(c) "AICTE" means All India Council for Technical Education.

(d) "NCTE" means National Council for Teachers Education.

(e) "ICCR" means Indian Council for Cultural Relations.

(f) "Qualifying Examination" means an examination, the passing of qualifying examination makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelor's, Master's, M. Phil., Doctorate Degrees or Diplomas or Certificates conferrable by the University.

(g) "ATKT" Candidate means a candidate who has failed in not more than 35 % of the total number of papers in the semester examination where the calculation of 35 2% shall always be rounded off and is appearing in the examination of the same semester again which is conducted with the next semester examination.

(h) "Equivalent Examination" means an equivalent examination conducted by:

   (i) Any recognized Board of Secondary Education.

   (ii) Any Indian or International University or Organization or Institution recognized by any statutory authority or

   (iii) Any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.

(i) 'Gap Period' means the period between the last date of attendance in previous recognized educational institution and the date of taking the admission in the University.

**1. Eligibility for Admission:**

**1.1** Eligibility of admission to each course will be specifically mentioned in respective syllabus. Unless otherwise provided, no person shall be eligible for admission to the under-graduate courses in the University, unless he/she has passed the HSSC Examination from any recognized Board, or an Examination recognized as equivalent by the Academic Council of the University from time to time.

**1.2** Save otherwise provided, no person shall be eligible for admission to the courses of the University beyond age limit fixed by the Chhattisgarh Higher Education Department.

**1.3** Provided further that the Vice-Chancellor may on the basis of individual merit/ attainments; relax the age limit as per the government directives if any.

**1.4** No person shall be admitted to any post-graduate course, unless he/she has passed UG degree examination of a recognized University or an examination recognized as equivalent to a degree and possesses such further qualifications as may be prescribed for such admission.

**1.5** Provided that no person shall be eligible for admission to any post-graduate course of the University unless he/she has passed degree course examination or its equivalent examination after Higher Secondary School Certificate (10+2) Course.

**1.6** The maximum number of seats in each course shall be determined by the Academic Council from time to time as per the norms of concerning Regulatory Authority and State Government guidelines if any.

**1.7** Guidelines issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.

**2. Provisions for Admission:**

**2.1** No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right.

**2.2** The procedure of admission shall be approved by the University from time to time.

**2.3** Save otherwise provided, all the admissions to under-graduate and post-

graduate courses shall be made on the basis of merit and/or entrance test by an Admission Committee constituted for the said purpose.

**2.4** Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission.

**2.5** Admission will be offered only once in an academic year or as prescribed by the academic council.

**2.6** The application for admission shall among others be accompanied by

(i) Original School or College Leaving Certificate signed by the Head of the Institution, last attended by the student.

(ii) True copy of the statement of marks showing that the applicant has passed the qualifying examination.

(iii) If an applicant for admission, as aforesaid, has passed the qualifying examination from a Board other than the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh/Chhattisgarh, or a University other than this University, he shall submit in addition to the school or College Leaving Certificate an eligibility and a Migration Certificate from the Secretary or Registrar of such Board or University, as the case may be together with migration fee. If any of the certificates are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated.

**2.7** The mode of sending application for admission of students can be direct/through counseling/through Guidance/information center/through post/through University/Admission website. Any student from India or abroad seeking admission in the University can be contacted online with the University.

**2.8** The Admission Committee will process the applications and selected applicants will be awarded provisional admission.

**2.9** At the time of admission, every student and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student submits himself/herself to the disciplinary & pecuniary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

**2.10** A student who has passed a part of any Degree or Diploma from another Recognized University/recognized awarding body shall be admitted to

subsequent higher class for such examination after its equivalence has been determined by the Academic Council.

**2.11** A student who wishes to be admitted after a gap period of one year and/or more shall along with his application for admission submit an affidavit duly Notarized, justifying the reasons of gap period and certifying that he/she had not taken admission in any college/institute/university and had not been rusticated or had not been sentenced to Jail for a criminal offence.

**2.12** The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each semester every year or the date decided by the Academic Council of the University.

**2.13** Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council, as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day will be the last day of admission.

**2.14** The Vice-Chancellor shall have power to admit student in a course after the last date of admission up to one month in transfer cases only.

**2.15** The validity of the Registration will be for two additional attempts after the original attempt. The failing students will have to take the changed syllabus if any for examination after total 3 attempts.

**3. Restrictions for admission on certain grounds:**

**3.1** No student shall be admitted in two full time regular courses simultaneously.

**3.2** Unless otherwise provided, a student may join Certificate or part-time course provided he/she fulfills the eligibility requirements as per procedure laid down for the purpose.

**3.3** No student shall be admitted after passing the same professional course of the University. However, he/she may be admitted to a higher course of the same faculty or for an additional Diploma/Degree in a different field at the same level provided he/she fulfills the eligibility requirements.

**3.4** The list of faculties is provided in the Statutes No.14, provided that any addition or deletion in the list of Professional Courses shall be decided by the University from time to time

**3.5** Anyone who has been suspended, rusticated, debarred, expelled etc. by a

competent authority of the Bharti University, Durg shall be prohibited from claiming admission in any course whatsoever.

**3.6** Admission to any course of the Bharti University, Durg can be cancelled, at any time, if any information furnished by the candidate is found to be false / incorrect or on behavioral ground.

**3.7** A person who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University/Institution will not be admitted to any course of study in this University during the period of rustication or disqualification.

**3.8** No student migrating from any other university shall be admitted to any course of this Institution unless he/she has passed the examination, which has been declared by the University as equivalent to the qualifying examination for a student of the University.

**3.9** No student who has passed a part of any Degree or Post Graduate Examination from any other University shall be admitted to subsequent higher examination without the prior approval of the Vice Chancellor or competent authority.

**3.10** Candidates coming on transfer basis from other Universities, because of the transfer of their parents/guardians or any other genuine hardship will be given admission beyond the last date of admission by the permission of the Vice-chancellor.

**3.11** A student seeking admission to an institution after the commencement of the session shall be required to pay tuition and other fees for full academic year.

**4. Enrollment/Registration of Students:**

**4.1** Head of Center/Faculty/Department/Institute shall submit the details of admitted students in a prescribed form within 45 days from the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrolment fee as specified by the Academic Council from time to time to the Registrar.

**4.2** The Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the Bharti University, Durg.

**4.3** Enrolled students will be issued new Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal of Bharti University, Durg at the time of leaving the

University.

**4.4** No person shall be admitted to any Examination of the Bharti University, Durg, unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

**4.5** The Registrar shall maintain a register of all enrolled students studying in the various Faculties or Institutions or carrying out research work in the Bharti University, Durg.

**4.6** In the said register, the Registrar shall be required to incorporate all material details regarding the student including the date of admission and leaving the Institution and details about various examinations of Degree / Diploma / Certificate awarded to him /her.

**4.7** The student shall be informed on enrollment, the enrolled number under which his/her name has been entered in the Register and that number be quoted by the student in all communications with the University and in subsequent applications for admission to an examination of the Bharti University, Durg.

**4.8** All applications for admissions to the University Examinations shall be scrutinized with reference to the Enrollment Register. Exam Department may refuse the application of a candidate about whom complete particulars have not been furnished and requires him/her to submit a complete statement of the particulars and documents together within the prescribed time limit.

**4.9** Any enrolled student may obtain a certified copy of the entries relating to him/her in the Enrollment register on payment of the prescribed fee.

**4.10** A student shall be enrolled as a member of an Institution as soon as he/she is admitted by the Admission Committee/Head of the Institution and has paid the prescribed fees.

**5. Change of Name:**

**5.1** A student applying for the change of his/her name in the register of enrolled department shall submit his/her application to the Registrar through the Dean of the Faculty concerned or the Head of the center, accompanied by

(i) The prescribed fee;

(ii) An Affidavit relating to his/her present and proposed name, duly sworn in the presence of a Magistrate by his/her parent or guardian, in case he/she

is minor, or by himself/herself, in case he/she is major;

(iii) A publication in a newspaper in which the proposed change of name has been advertised. However, the provision relating to publication shall not be applicable in case where a woman candidate wants to change her name following her marriage.

The Registrar on considering such applications and taking decisions thereon shall report to the Academic Council.

**6. Change of Subject(s):**

**6.1** A student shall not ordinarily be allowed to change the optional/ subsidiary/ specialization Subject(s) of a course, unless the same is applied for and permitted within four weeks from the date of admission. Such applications should be submitted through the Dean of the Faculty with the consent of the Head(s) of the Department(s) concerned before the Registrar of the University.

**7. Consideration for admissions to students belonging to schedule casts, schedule tribes, handicapped /divyang and girls categories:**

**7.1** A student belonging to schedule casts, schedule tribes, handicapped/divyang and girls categories shall be admitted every year under reservation category on the terms, conditions and provisions prescribed by the State Government and University from time to time.

Note: In case of any ambiguity regarding revisions relating to admissions in various courses, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

**8. Admission Committee:**

**8.1** There shall be an Admission Committee headed by Admission Coordinator for M. Phil., Post- Graduate, Graduate, Diploma and Certificate courses in each Faculty/Institution for regulating the admissions in the Bharti University, Durg.

**8.2** The Committee shall:

(i) Scrutinize the Application Forms for admission of the candidates in accordance with the conditions of admission prescribed by the University from time to time;

(ii) Conduct the Admission Test(s) and/or Interview; or as otherwise provided;

(iii) After the evaluation of the Admission test(s), should call from each category candidates, three times the number of seats available for admission to the course concerned; Provided. that only those candidates shall be called for Interview, who have obtained at least 34% marks in the admission Test(s);

(iv) Prepared the merit list based on the marks obtained by the candidates in the Admission Test and/or Interview;

(v) Prepared list of the candidates selected for provisional admission to be submitted by the Chairperson of the Committee to the Dean of the Faculty
concerned;

(vi) Be duty bound to regulate admissions in accordance with the principles laid down for the purpose by the University from time to time;

(vii) Suggest methods to improve reliability and standard of the admission/ entrance test(s).

**8.3** The Admission Committee shall be constituted for different courses by the Vice- Chancellor.

**8.4** The Admission Coordinator may co-opt not more than three members of the Department/Centre/Institute representing different areas of specialization with the permission from the Vice-Chancellor.

**8.5** Not less than three-fourth of total number of members of the Committee shall form the quorum.

## 9. Admission of International Students:

**9.1** **Introduction:** These rules are framed to formulate the procedure to be followed to determine the eligibility for admission of International students to various courses of Bharti University.

9.2 **Office:** There will be an International Students cell set up to deal with admissions and guidance of International students. This Cell will not only control the admissions of the students but will also provide necessary guidance and counseling to them for securing admissions. All correspondence regarding the International students should be addressed to the International Student's Adviser of the Institution.

9.3 **International Students:** Under these Guidelines, 'International Students' will include the following:

(i) **Foreign students:** Students holding passports issued by Foreign countries including People of Indian Origin who have acquired the nationality of Foreign countries are included as Foreign students.

(ii) **Non-Resident Indians (NRI's):** Only those Non-Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in Foreign countries will be included as International students. This will include the students studying in the schools or colleges situated in International countries even if affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities located in India, but will not include students studying in those schools or colleges (situated in India) and affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities of the Foreign countries. Students passing the qualifying examinations from Boards or Universities located in Foreign countries as external students and dependents of NRI studying in India will not be included as International students.

Entry level status of International students on entry to the country will be maintained by immigration department or the Foreign ministry.

9.4 Documents required for admission of International Students:

(i) **Visa:** All the International students will require a student visa endorsed to this Institution for joining full time courses. No other endorsement is acceptable. Students willing to join a research programmes will require a research visa endorsed to this Institution. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI students. Students who are doing full time courses, in some other Institutions, do not require a separate visa for joining part

time/Certificate/Diploma courses provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.

(ii) **No Objection Certificate (NOC):** Students no longer require a No Objection Certificate, for joining professional courses. (This has been withdrawn by the Government of India vide letter No. F.No.33-17/2002-U.4 dated 20th August 2004.)All International students willing to undertake any research work or join a Ph.D. or M. Phil. Program will have to obtain prior security clearance from the Ministry of Home or External Affairs and the approval of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India and this must be on the research visa endorsed to this Institution.

**9.5 Eligibility Qualifications:**

The qualifications required for eligibility for admission to different courses can be checked in detail from the prospectus or University website. Only those students who have qualified from Foreign Universities or Boards of Higher Education, recognized as equivalent by the Association of Indian Universities (AIU) are eligible for admission. When required, a reference will be made to AIU to check the equivalence.

**9.6 Admission of International Students:**

Admission of the International students will be done through-the International Students' Cell of the University. The students will generally be admitted in the beginning of the course. However, students can also be admitted as transfer cases in the middle of the course from other Institutes if the candidate is eligible. The admission of International students is done in two stages. First, a student willing to join the Institute gets the application form and the information on the eligibility requirements, courses available and admission procedure from the prospectus or the website of the University/Institution. The application for provisional admission is then submitted to the International Student's Cell along with the prescribed fees. The Cell will then check the eligibility and issue the provisional admission letter. This is required to get the visa and to complete other formalities.

After getting provisional admission, the student should get the student visa and complete all other formalities. The student should then report for final

admission to the University/Institute where he/she wants to join the course. The next step is to fill up the admission form from the concerned Institute and pay the required fees. After this, the student should undergo the medical examination. The students may have to appear for the English proficiency test conducted by University or some other agency and produce the scores. Once this is done, the final admission is given.

The International students will have to pay the fees in US dollars. In special cases, permission will be given for payment of fees in the equivalent Indian Rupees. Following fees are normally payable to secure final admission. Form Fees (included in the cost of prospectus, if purchased); Eligibility fee and Administrative fee (could be different for direct admissions and for transfer cases).

9.7 **Remedial Course in English:**

In addition, the students will have to pay the tuition and other fees as prescribed by the University/Institution. Students, who are required to take the proficiency test in English or undergo the foundation course, will have to pay the prescribed fees as applicable. This will have to be paid when the students are finally admitted. The fee differs from course to course from time to time. In case the student does not get/take the admission to the course after obtaining provisional admission, then the administrative fees will be refunded after deducting the processing fee and bank commission and postage as applicable.

An International student who has been granted admission to any of the courses after passing the qualifying examination from a statutory Board or University outside India may have to appear at the Proficiency Test in English conducted by the University/Institution or any other Organization. International students who have passed the qualifying examination in English medium are exempted from this test.

An International student, who either fails in the Proficiency Test in English or fails to appear at this test, shall be required to join the Remedial English Course for International students (RECIS) or the foundation course conducted by the University/Institution.

The students will continue the course and they will have to successfully

complete the RECIS or foundation course, at the earliest.

**9.8 Transfers and Change of Course:**

An International student who has been granted admission to a particular course shall not be allowed to change the course. Transfer from one Institution in India to another is also not allowed ordinarily. In exceptional cases, the International Students Cell may permit this based on the availability of the course, eligibility rules and permission of the Competent Authority of the University/Institution.

**9.9 Government of India scholars:**

International students who are awarded scholarships by the ICCR, New Delhi shall be given preferential granting admission and for hostel accommodation. Sponsored candidates from different International governments for training, studies and research are also given preference for the same.

**9.10 Stepwise procedure for admission of International students for full time courses:**

**Step 1:** Students should purchase or download from website the International Student's Prospectus (including the eligibility form) of the University/Institute.

**Step 2:** Fill up the eligibility form for International students and submit it, along with the copies of certificates listed in the eligibility form and the required fees. This should be done well in time so that the student is able to obtain the visa and NOC before the due date of admission.

**Step 3:** Get the provisional admission letter from the International Students Cell, in order to obtain the visa.

**Step 4:** Show this letter to the Indian Embassy in the respective country and get a student visa endorsed to the University/Institution. NRI students do not require a visa.

**Step 5:** Report to the Institution for admission. Fill the permanent admission form and submit it with the following documents in original along with a Xerox copy:

(a) Degree/Pass Certificate of the qualifying examination.

(b) Mark list of qualifying examination.

(c) Student visa in original.

(d) A Xerox copy of their passport duly attested by a notary.

**Note:** The original Certificates will be returned to the students immediately after making an endorsement to this effect.

**Step 6:** Undergo the medical examination and get the medical fitness certificate. As per government rules all International students entering India on student visa have to be tested for HIV/COVID19 and will not be given admission if found to be positive. All International students will be required to pay medical fees. In addition International student will have to pay for medical insurance cover.

**Step 7:** Appear for the proficiency test in English if any, as per admission requirements of the University/Institution. This is only applicable, if the qualifying examination is not in the English medium.

**Step 8:** Admission of International students will be confirmed only after verification of original certificates, medical fitness test and payment of required fees.

**Step 9:** Within 48 hours of arrival in India students should register their names with the police in the Foreigner Regional Registration Office (FRRO) of the local Police.

International students who are studying for full time courses in any other Institution can be given admission to part time courses only if they hold a valid visa for the duration of the course. A separate visa is not required. They will pay the fees as applicable. The Institutions may admit such cases directly but in consultation with International Students Cell if they meet the prescribed eligibility qualifications.

**9.11 Discipline:**

The International students will abide by all the rules of Bharti University, Durg and the code of conduct as applicable to Indian students doing same courses.

**9.12 Examination and Award of Degrees, Diplomas & Certificates:**

The procedure for examination, payment of examination fees, issue of mark list, issue of passing certificates and award of degrees will be same as for the Indian students doing same courses.

**9.13 Conclusion:**

The above rules will be applicable for admissions.

In case, there are any differences on the interpretation of rules then the opinion of the International Students Cell will be final. The fees are liable to revision and students will have to pay the revised fees when applicable. On the points not specifically covered, the decision of the University/Institution will be final. For any kind of dispute, the matter will be settled only in the committee appointed by the Vice-Chancellor to resolve the issue. In case of failure of resolution within stipulated period, and if need to be to move the court, it will be only Court of Law at Durg (C.G.).

**10. Medium of Instruction:**

The medium of Instruction in BU will be Hindi/English, except for the subjects related to the specific languages.

# ORDINANCE No. – 02

## The University Examinations

[Act Section 28 (1) (e)]

## CHAPTER-I

**1. Definitions:**

**1.1** **Academic Programme** means a Programme of courses and/or, any other component leading to a Bachelor Degree, Master Degree, Post-graduation and Graduation Diplomas, M. Phil, Ph. D Degrees and Certificates. An Academic Year is a period of nearly 12 months devoted to the completion of requirements specified in the Scheme of Teaching and the related examinations.

**1.2** **Semester System** - A Programme wherein each academic year is divided into two semesters each of six months. Course means a component of the academic Programme, carrying a distinctive code no. and Specific credits/Marks assigned to it.

**1.3** **External examiner** means an examiner who is not in the employment of the University or its Institutions/Centers/Departments.

**1.4** **Internal Examiner** means an examiner who is in the employment of the University or its Institutions /Centers/Departments.

(i) In case of theory paper, an examiner including a paper setter who is a teacher of the University, Departments/Study Centers or Institution identified as Centers of the University for that Location.

(ii) In case of practical and viva-voce examination, an examiner who is a teacher in the University, Departments, Study Centers or Institution whose candidates are being examined at that examination centre.

**1.5** **Co-Examiner** means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.

Student means a person admitted to the Departments of the University and its affiliated College/Institutions or associated Institutions/Centers for any of the academic Programs to which this Ordinance is applicable.

1.6 **Regular Candidate** means a person who has pursued regular course of study in the BU Teaching Department /Institutes/Centers and seek admission to an examination of the BU as such.

1.7 **Ex-student** means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate and was not declared successful there at or was not able to appear in the examination though admission card was correctly issued to him by the BU and seeks admission again to the said examination.

1.8 **ATKT Candidate** means a candidate who failed in not more than 35% of the total number of papers in the Semester Examination and allowed to keep higher term and is appearing in the Examination of failed semester again which is organized with the next Semester Examination.

1.9 **A regular course** of study means a regular full time course of study in a University Teaching Department /Institutes/Centers in each subject which a candidate intends to offer for an examination.

1.10 The students shall have to fulfill the following requirement of attendance as follows:

To appear in any examination candidate will be eligible only after having 75% attendance.

1.11 **Forwarding Officer:** The forwarding officer means the Head of the Department/Institute/Center where the candidate had pursued a regular course of study as a regular student or was a regular student and wants to appear in an examination as an Ex-Student.

1.12 **Attested** means attested by the Forwarding Officer.

1.13 **University** means Bharti University, Durg.

## CHAPTER-II

### 2. University Examination

2.1. The University shall hold examinations for all such academic Programs as are approved by the Academic Council and as it may notify from time to time for awarding Bachelor's/Master's Degrees, Under-graduate/Post-graduate Diplomas and Certificates, as the case may be, as per the prescribed Schemes of Teaching & Examinations and Syllabi as are approved by the Academic Council.

2.2 Examinations of the University shall be open to regular students and Ex-students to take the University Examination for any specified academic Program subject to the fulfillment of such conditions as may be laid down by the Academic Council from time to time.

2.3 No person who has been expelled or rusticated from the University or has been debarred from appearing at the University Examination shall be admitted to any Examination during the period for which the sentence is in operation.

Provided further that a student may be debarred from appearing in the Semester/Year end examination due to shortage of attendance and other reasons as provided in any other Ordinance of the University.

### 3. Programs Content & Duration

3.1 A Bachelor Degree will be of 3 years (6 semesters) duration, Master Degree will be of 2 years (4 semesters) duration, M. Phil Degree of 1 Year duration and Under-graduation/Post- graduation Diploma Programmes shall comprise of a number of courses and/or, other components as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi of the concerned Programme, as are approved by the Academic Council. Each course shall have a provision of weight-age in terms of specified Credits/Marks from time to time.

3.2 The minimum period required for completion of a Programme shall be the Programme duration as specified in the Scheme of Teaching, Examination and Syllabi for the concerned Programme.

3.3 The maximum permissible period for completing a Programme under semester system shall be (n + 4) semesters where 'n' is the total number of semesters prescribed for the programme. All the programme requirements shall have to be completed in (n + 4) semesters.

**4. Semesters**

4.1 An academic year shall be apportioned into two semesters. Each of the two semesters shall be of a working duration of about 23 weeks.
The Academic Calendar shall be notified by the University each year, before the start of Academic session.

4.2 The academic break-up of the semesters devoted to instructional work shall be as given below:

(a) Imparting of instructions and/or, laboratory work- 19 Weeks (Including class tests)

(b) Preparation Leave -01 Week

(c) Semester-end Examination, including Practical/Laboratory -03 Weeks Examination

**5. Submission of Internal Marks**

The results of assignments, class tests and attendance shall be submitted to the Controller of Examinations at least ten days before the commencement of Semester End examination. The internal marks should carry prescribed weight-age of Class test, Assignments and Attendance.

**6. Admission to the University Examination**

6.1 All the students for permission to appear at any of the Examinations of the University shall have to fill up the prescribed examination Forms and forwarded to the Controller of Examinations through the Dean of the Faculty/Head of the concerned Institution/Department.

6.2 In forwarding the applications of the Regular Students, the Dean of the

Faculty/the Head of the Institution or School concerned shall certify:

(i) That the candidate has satisfied him/her by the production of the Certificate from a competent authority that he/she has passed the Examination, which qualifies him/her for admission to the next Examination;

(ii) That the candidate has studied a regular course of study for the period prescribed and that he/she fulfills attendance requirements;

(iii) That his/her conduct is satisfactory;

(iv) Certificate at Sub-Para 6.2 (ii) above will be provisional and can be withdrawn at any time before the Examination, if the applicant fails to attend the prescribed percentage of lectures, tutorials, practical, N.C.C. parades etc. before the end of his/her University terms.

**6.3** An application along with the Receipt for the payment of the prescribed Examination Fee, set out in these Ordinances submitted by a Regular Student, Ex-Student, for permission to appear at the Examination shall reach the office of the Controller of Examinations on or before the date announced.

**6.4** A candidate may be permitted by the Controller of Examinations/Registrar to submit his/her Application form for semester Examination along with the Examination Fee with the prescribed Late fee within 7 days of the specified last date after the official late fees period it will be the safe decision of control of exam to except a form or not and decide the amount of late fee.

**6.5** Application for ATKT Examinations wherever applicable shall reach the office of the Controller of Examinations/Registrar within 30 days of the announcement of the result through the forwarding officer of the Institute wherein he has pursued a regular course of study.

**6.6** Application for appearing in Second-ATKT Examination shall reach to the Office of the Controller of the Examination 30 days before the commencement of the regular Semester End Examination through Dean of the Faculty/ Head of the Institution or Department concerned, in the prescribed form and specify therein:

(i) The subject or subjects in which he/she desires to present himself/herself for the Examination.

(ii) Submit with the application evidence of having been admitted to the

Examination earlier.

(iii) An ex-student shall offer the subjects or optional papers which he/she had previously offered as a regular candidate unless on account of a change in the scheme of Examination the subject /paper offered by him earlier ceases to be a part of the scheme of Examination or syllabus for the Examination and he is permitted by the University to offer instead a different subject or paper.

(iv) An Ex-Student will be required to appear in the Examination in accordance with the syllabus specifying the scope of studies in different subjects.

Every ex-student shall appear at the Examination centre at which the regular candidates from the Department/Institute/Center Institute in which he/she had pursued a regular course of study shall be appearing. Provided that the Controller of Examination may for sufficient reasons, require or allow a candidate to change his/her Examination Centre.

**6.7** No regular candidate shall be admitted to an examination of the University unless he/she:

(i) Has been enrolled as a student in the University Teaching Department/Institute/Center in accordance with the provisions of the Ordinances.

(ii) Possesses the minimum qualification for admission to the examination to which he/she seeks admission and has pursued regular courses of study for that examination.

(iii) Satisfies all other provisions, applicable to him/her, of this ordinance and any other ordinances governing admission to the examination to which he/she seeks admission.

**6.8** Where a regular candidate offers an additional subject for an examination in accordance with the provisions of the Ordinance relating to the examination, the minimum attendance requirement shall apply equally in case of such additional subject.

**6.9** In computing the attendance for fulfillment of the condition regarding persuasions of a regular course of study:

(i) Attendance at lectures delivered and practical's / clinical / sessional, if

any, held during the academic session shall be counted.

(ii) Attendance kept by a regular candidate in a higher class shall be counted towards percentage of attendance for the examination of the lower class to which he/she may revert as a result of his /her failure to pass in the second/ATKT examination

**6.10** A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces the Admission card before the Superintendent of the Examination Centre or the Invigilator or satisfies such officers that it shall be produced. A candidate shall produce his Admission Card whenever required by the Superintendent or the Invigilator.

**6.11** In the Examination Hall, the candidate shall be under the disciplinary control of the Superintendent of the Centre and he/she shall obey his/her instructions. In the event of a candidate disobeying the instructions of the Superintendent or his undisciplined conduct or ignorant behavior towards the Superintendent or any Invigilator, the candidate may be excluded from that day's Examination and if he/she persists in misbehavior he may be excluded from the rest of the Examinations by the Superintendent of the Examination. The Superintendent of the Examination will send a detail account of the action and the reasons leading to such action to the Controller of the Examination/Registrar on the same day.

**7. Attendance**

**7.1** A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the University if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject will be at least 75% in the aggregate of lectures tutorials and practical classes in order to be eligible to appear at the Examination. Provided that the Academic Council may in special circumstances condone any shortage in such attendance except otherwise provided by the Academic Council.

**7.2** A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice-Chancellor on account of sickness attendance at N.C.C./N.S.S. camp and parades participation as a member of the University team in any inter or intra University competition participation on

the University functions and the prescribed educational tours/field trips/field work provided that the attendance record duly counter signed by the Teacher-in-charge is sent to the Head of the Department concerned within two weeks of the function/activity etc.

**7.3** Provided further in case of sickness/medical disability an application for the condonation shall be supported by a Medical Certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health Centre or Official doctor of BU/Institute/Department/Study Centre. Such applications must be submitted either during the period of treatment /hospitalization or within two weeks following recovery.

## 8. Evaluation & Examination

**8.1** The overall weightage of a course in the Syllabi and Scheme of Teaching & Examination shall be determined in terms of Credits/Marks assigned to the course.

**8.2** The evaluation of students in a course shall have two components unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi:

(i) Evaluation through a semester-end examination

(ii) Continuous evaluation by the teacher(s) of the course.

### 8.3 Continuous Evaluation

**APPORTIONED MARKS**

**Bachelor's Degree/Master's Degree/Diplomas/Certificate**

**COURSE COMPONENTS**

| **Theory Courses: The teacher's continuous evaluation shall be based on the following:** | **Under-graduate diploma** | **Post-graduate diploma** |
|---|---|---|
| Three Class Tests* | Mark Assigned: 70% of the Internal | Mark Assigned: 80% of the Internal |

| | | |
|---|---|---|
| Assignment/Group Discussion/Viva-Voce/Additional Test/Quizzes, etc. | Mark Assigned: 30% of the Internal | Mark Assigned: 20% of the Internal |

*The three class tests shall ordinarily be held after 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks of teaching in accordance with the University Academic Calendar.

(iii) **Practical/Laboratory Courses:**

The teachers' continuous evaluation shall be based on performance in the laboratory, regularity, practical Total Internal Marks exercises/assignments, quizzes, etc. The assessment shall be given at three nearly equi-spaced intervals.

**8.4 Assignments**

(i) The Issue, submission and evaluation of assignments will be the responsibility of the Deans or /Departments. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of the assignments.

(ii) The entire class shall be divided in groups.

(iii) Each group will be given a separate assignment with minimum commonality.

(iv) A minimum of two assignments per subject per semester will be given to the students.

(v) Each student will be required to defend his assignment after submission through a process of presentation/viva-voce.

(vi) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to different departments.

(vii) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue.

(viii) Assignments submitted after the due date will not be assessed for more than 50 % marks.

## 8.5 Dissertation/Thesis

For dissertation/thesis for Master's Degree Programs, wherever specified in the syllabus, the evaluation shall be done and marks awarded by a Committee comprising of an Internal Examiner, who will ordinarily be the supervisor, and one or more External Examiners. The Internal examiner shall award marks out of 40%, and the External Examiner(s) out of 60%. The Examiners shall be appointed by the Vice-Chancellor, out of a panel of three or more names suggested as specified in clause 10(d) (iii) of this Ordinance.

The University shall have the right to call for all the records of teacher's continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if it deems fit in any specific case(s).

## 8.6 Evaluation through a semester-end examination

The distribution of weight-age for various components of evaluation shall be as given below:

| S.No. | Particulars | Bachelors Degree / Under Graduate Diploma | Masters Degree / Post Graduate Diploma |
|---|---|---|---|
| A | **Theory Courses** | | |
| | 1) Semester-End Examination | 70% | 70% |
| | 2) Continuous Evaluation by Teachers | 30% | 30% |
| B | **Practical / Laboratory Courses** | | |
| | 1) Semester-End Examination | 70% | 70% |
| | 2) Continuous Evaluation by Teachers | 30% | 30% |
| C | **Dissertation / Thesis** | | |
| | 1) Assessment by External Examiner | 70% | 70% |
| | 2) Assessment by Internal Examiner | 30% | 30% |

**D.** For any other component of a Program not covered by the above, the weight-age shall be prescribed by the Board of Studies ratified by Governing Body.

**9. Appointment of Amanuensis/ Writer**

**9.1** An amanuensis shall be allowed in case of:

(i) Blind Candidates; and

(ii) The candidates, who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands

Candidates under 9.1 above shall have to produce a medical certificate from the Medical Officer, Bharti University, Durg.

**9.2** The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate one week before commencement of Examination, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Superintendent of Examination concerned.

**9.3** The amanuensis shall be a person of a lower academic qualification than the candidate concerned.

**9.4** The Superintendent of Examination shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.

**9.5** One extra hour will be given to the blind candidates for exams of 3 hrs. Duration.

**9.6** The remuneration to the amanuensis will be given by the Office of the Controller of Examination at the existing approved rate.

**10. Eligibility Criteria for ATKT candidate.**

**10.1.** The following shall be eligible to appear at ATKT examination

(i) Candidate who has failed at any Semester/Year End Examination in not more than two subjects.

(ii) Candidate for examination other than those enumerated above, who are declared eligible to appear at an ATKT examination in accordance with

the provisions of the respective Examination Ordinance.

**10.2** In the case of subject ATKT examination in which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passed in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject. Failing in practical and theory papers will be taken as failure to pass in two different papers.

**10.3** Except when provided otherwise in this Ordinance, a candidate who has been declared eligible for a ATKT examination may appear as ATKT Examination candidate in the next examination immediately following the examination in which he was declared to be so eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination.

**10.4** A candidate appearing in the ATKT Examination shall be declared to have passed the examination if he/she secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in this examination Ordinance. The marks obtained by the candidate in the ATKT/Semester End Examination shall be taken into account in determining the final division obtained by the candidate at the examination.

**10.5** In case a candidate fails to pass his ATKT Examination in first attempt, he/she will be provided one more attempt known as Second ATKT Examination for that particular Candidate, to pass those papers along with the regular Examination of that particular semester, whenever it is conducted by the University.

**10.6** If such a candidate fails to pass his papers even in the second attempt known as Second ATKT then He/She shall cease to be a student of the University.

## CHAPTER-III

### 11. Conduct of University Examinations

**11.1** All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations

**11.2** The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examinations at least 10 days prior to the first day of the commencement of the University examinations.

**11.3** For theory as well as practical examinations and dissertation/thesis/project report/training report all examiners shall be appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.

**11.4** Provided that the Vice-Chancellor may, at his discretion, delegate his authority for approval of examiners. The Board of Management shall determine in consultation with the Academic Council the Centers of Examination in accordance with the provisions of the Act and the Controller of Examination shall in consultation with the Center, which have been declared as examination centers, appoint Superintendent and Assistant Superintendents, (if any) for each examination center and shall issue instructions for their guidance.

Provided that for the purpose of appointment of an Assistant Superintendent at a center, the minimum strength of examinees appearing there-from shall be at least 300.

(i) The Superintendent of the Examination at each center shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer-books sent to him and shall render to the University office a complete account of used / unused papers and answer books.

(ii) The Superintendent shall supervise the work of Invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.

**11.5** The University may change the Examination Centre or the examination time if it deems proper without assigning any reason.

**11.6** The University may from time to time appoint Board of Quality Auditors to

see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures laid down. In the event of the Academic Auditors pointing out a breach of rules or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

**11.7** It shall be the duty of the Centre Superintendent to ensure that an examinee is the same person who has filled in the form of application for appearing at the examination, by way of checking the photograph pasted on the form.

**11.8** The Superintendent of the Examination shall, whenever necessary send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the Invigilators and the general behavior of the Examinees. He/She shall send a daily report on the number of the Examinees attending each of the examinations, absentees roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the centre as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the Examination, of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.

**11.9** The Centre Superintendent shall have the power to expel an Examinee from examinations on subsequent examination days on any of the following grounds:

(i) That the Examinee has adopted unfair means in the Examination.

(ii) That the Examinee created a nuisance or serious disturbance at the Examination Centre.

(iii) That the Examinee showed a seriously aggressive attitude towards an Invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.

(iv) If necessary, the Superintendent may get police assistance. Where a candidate is expelled, the Controller of the Examination shall be informed immediately.

**11.10** Unless otherwise directed, only teachers of University Teaching Departments

shall be appointed as Invigilators by the Superintendents. Invigilators can also be drawn from other educational Institutions if so required.

**11.11** No Examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination for any purpose whatever and no late comer will be permitted in the Examination Hall after half an hour of its commencement.

**11.12** Examinee desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so for a maximum period of 5 minutes.

**11.13** The Vice Chancellor may cancel an Examination at all centers if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity, which in his opinion warrants such a step and reports the action taken at the next meeting of Board of Management

**11.14** The Board of Management in consultation with the Academic Council may issue such general instruction for the guidance of the Examiners, Centre Superintendents, Tabulators and Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

**11.15** If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.

**11.16** For Programs being run in the University Departments, recommendations for names of Examiners shall be obtained from the concerned Boards of Studies. Where there is an exigency and the Board of Studies cannot meet, the Chairman, Board of Studies may recommend the names, stating clearly why the meeting of Board of Studies could not be convened.

**11.17** For Programs being run in any of the University Institutions, recommendations for names of Examiners shall be obtained from the respective Program coordinator/Head of the Academic Institute.

**11.18** In emergent situations, where, for some reason the recommendations cannot be obtained from the Board of Studies/Program coordinator/Head of the Academic Institute as stipulated above, recommendations may be obtained from one of the Academician from the University nominated by the Vice-Chancellor.

**11.19** The Controller of Examinations shall be authorized to add one or more names in the panel of Examiners received by him from Boards of Studies/Program

Coordinator/Head of the Academic Institute/authorized Academician before the list is submitted to the Vice-Chancellor for approval.

**11.20** After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the Moderator(s) who are to be appointed subject wise by the Controller of Examination with the approval of Vice Chancellor. Controller of Examination shall ensure that minimum of three question papers duly moderated in each subject are available in the question paper bank.

**11.21** The Examiner appointed by the Controller of Examination, out of the approved panel for setting the Question paper shall set the Question paper, using the last year question papers wherever applicable, as a guide for the format of the question paper only if the pattern of the question paper is not changed by the Academic Council. The question paper shall be set out of the entire syllabus of a course.

**11.22** Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination, the matter shall be reported to the Controller of Examination who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

**11.23** Except as otherwise decided by the Examination committee, the examination answer books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed off after 6 month from the date of declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books of revaluation shall be destroyed I disposed off only after 3 months of the declaration of the revaluation result.

**11.24** The Controller of Examination shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the Internet. The result when published shall simultaneously be communicated to the Institutions concerned.

**11.25** The remuneration of the question paper setters, answer scripts evaluators, Examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and Collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as prescribed from time to time by the

Examination Committee.

**11.26** For revaluation - Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to two examiners other than the one who evaluated it initially. The marks of the students will be changed only if the difference in the marks after revaluation is more than 10%.

**11.27** Provided that such an examiner will receive remuneration as prescribed by the Board of Management.

**11.28** No candidate shall appear, in more than one-Degree examination or in more than one subject for the Master's Degree in the same year.

**11.29** No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

**11.30** Notwithstanding anything contained in the Ordinances relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack of attentiveness or negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects. Such application shall be entertained with the late fee as prescribed by the University Officer which may differ from case to case even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

**11.31** A Candidate shall not be admitted into the Examination hall unless he/she produces a valid admission card duly issued to him / her by the Controller of Examination. The Controller of Examination shall issue an admission card in favor of a candidate if:

(i) The application of the candidate is complete in all respects.

(ii) The fee as prescribed has been paid by the candidate.

(iii) The attendance shall normally be more than 75%.

**11.32** Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the

theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

**11.33** The admission card issued in favor of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:

(i) The admission card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

(ii) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or ith the application for enrolment, admission to the Institute, College or School is false, fake or incorrect.

**11.34** The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the Payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place the word "Duplicate".

**11.35** Any candidate who has appeared at an Examination conducted by the University may apply to the Controller of the Examination for the scrutiny of his marks. In the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of the Examination in the prescribed format within 15 working days of the publication of the result of the Examination.

**11.36** The result of the scrutiny will be communicated to the candidate.

**11.37** Duplicate copy of the Certificate shall be granted on payment of the fee as mentioned in the other ordinance of the BU.

**11.38** Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper of proper value required by law for the time being in force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate copy. Duplicate copy shall be issued only once.

**11.39** The names of the first ten successful candidates in each final Degree Examination other than ATKT examination who obtain first division shall be declared in order of Merit.

**11.40** Notwithstanding anything contained in the concerned Ordinance, an

examinee who has appeared in all the theory papers, practical, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination as a regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the Graduate examinations, may be given a grace of up to five marks in total to enable him to pass the examination. These marks shall not be counted towards the total. The grace consideration shall not be a matter of right of a candidate and is the prerogative of the Vice-Chancellor. No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT/Suppl. Students.

**11.41** If a Candidate misses first or second division by one mark, he/she shall be given a maximum grace of one mark to enable him/her to improve his/her division.

**11.42** Semester-end practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each course. The Board shall consist of one or more examiners. Where practical examinations have to be conducted simultaneously in a number of Institutions, more than one Board may be appointed. One of the Examiners in that case may be designated as Head Examiner. The Head Examiner shall draw the guidelines for the conduct of examinations to be followed by various Boards to ensure uniformity of evaluation.

**11.43** For any other type of examination, not covered above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/scheme of examination and in the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies/Coordination Committee concerned, with the approval of the Vice-Chancellor.

**11.44** The results of a semester (including both the semester-end examinations and teacher's continuous evaluation) shall be declared by the Controller of Examination. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by Controller of Examination that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or in a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice- Chancellor.

11.45 The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations, at the end of each semester, after the declaration of the result.

## CHAPTER-IV

### 12. Criteria For Passing Courses, Marks And Divisions

**12.1** For undergraduate students, obtaining a minimum of 40 % marks in aggregate in each course including 40 % in semester-end examination and 40 % in the teacher's continuous evaluation separately, shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 40 % of marks in a course in either of these, shall be deemed to have failed in that course.

**12.2** Student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for re- checking of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Rechecking shall mean verifying whether all the answer have been correctly valued. For the purpose the procedure mentioned in 11.26 shall be followed.

**12.3** For Post-graduate students, obtaining a minimum of 45 % marks in each paper in the semester-end examination and 45 % marks in each paper in the teacher's continuous evaluation separately shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than an aggregate of 45 % of maximum marks in a course in either of these, shall be deemed to have failed in that course

**12.4** Further, the successful candidates will be placed in Divisions as below:

**Second Division**: A candidate obtaining at the end of the Program 45 % Marks and above but below 60 % Marks shall be placed in Second Division.

**First Division**: A candidate obtaining at the end of the Program 60 % Marks and above shall be placed in the First Division.

**First Division with Merit:** A candidate obtaining at the end of the Program 75 % Marks in aggregate and above shall be placed in First Division with Merit in the subject having obtained 75 % marks and above.

### 13. Declaration of Result

**13.1** The Examination Committee will be responsible for the declaration of the

result. In this regard the functions of the Examination Committee will be as follows:

(i) To scrutinize and pass the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Vice-Chancellor the action to be taken in any case where the result is unbalanced.

(ii) To scrutinize the complaints against the question papers and to take necessary action. To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit.

(iii) To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.

**13.2** A candidate whose result has been declared may apply for revaluation of his any answer book/ re-totaling marks or results to the Controller of Examination in the prescribed format within fifteen days after which a late fee of Rs.500/- shall be charged up to a delay of next 30 days.

Provided that in case of revaluation no candidate shall be allowed to have more than two papers revalued.

Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional works, tests, thesis & Project Work submitted in lieu of a paper at the Examination.

**NOTE:** If any action is to be taken against any Examiner, Centre Superintendent or Invigilator, the matter shall be referred to the Executive Council with the recommendation of the Examination Committee.

**14. Use of Unfair Means & Misbehavior:**

**14.1** No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book; paper, notes electronic gadgets or other materials which may be used by him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate to or receive from any other candidate or person any information in the Examination Hall.

**14.2** No candidate shall note or write anything on the blotting paper or Question

Paper or on any other object/material, except the answer book supplied to him/her.

**14.3** No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.

**14.4** Any candidate detected cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an Invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration, which may, if satisfied that the facts alleged are true and disclose premeditation on the part of the candidate, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding three years.

**14.5** Any candidate detected using unfair means in an Examination Hall shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an Invigilator or by an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration, which may if satisfied that the facts alleged are true, but do not disclose any premeditation, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding two years.

**14.6** Any candidate, who in the opinion of the Superintendent of Examinations is guilty of any misconduct in the Examination Hall, other than the misconduct within the meaning of the aforesaid Sub-Paras 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of this Ordinance, may be expelled by the Superintendent of Examinations for that Paper and shall be reported to the Examination Committee by the Controller of Examinations. The said Committee may, if satisfied that the facts alleged are true, disqualify him/her from passing the Examination for that year.

**14.7** Any candidate approaching an Examiner directly or indirectly or seeking ways or means of bringing pressure to bear on the Examiner, so that higher marks may be awarded to him/her than his/her answers justify or attempting

to influence the Controller of Examinations or any person employed in his office for the same purpose shall be deemed to have used unfair means. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the facts alleged are true, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any Examination for a period not less than one year.

**14.8** Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing or pressurizing or using or threatening to use force to make any Superintendent of Examinations or Invigilator or any official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examination ns. The Examination Committee may, if satisfied that the facts alleged are true, disqualify the candidate from passing that Examination and/or expel him/her from the University and declare him/her to be not a fit and proper person to be admitted to any future Examination of the University.

**14.9** Any candidate who has been punished under Sub-Para's 4, 5, 6, 7, 8 and 9 above of Para 14 shall not be admitted to any Course as a Regular Student. Such a student may be allowed to appear at the next Annual Examination only, in which he/she is entitled to appear as an Ex- Student after the expiry of the period of punishment.

**14.10** If a candidate acts in a violent manner or uses force or makes a display of force towards the Superintendent or any Invigilator at the Centre or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner likely to the authorities in the discharge of their duties, the superintendent may expel the candidate from the Centre and he may take police help.

**14.11** If a candidate brings any dangerous weapon within the precincts of the Examination Centre, he may be expelled from the centre and/or handed over to the police by the Superintendent.

**14.12** A candidate expelled on any of the grounds mentioned in 14.10 & 14.12

above will not be allowed to appear in the subsequent papers.

**14.13** In every case where action is by the Superintendent under 14.10, 14.12, 14.14 above a full report shall be sent to the University and the Executive Council may according to the gravity of the offence further punish a candidate by canceling his examination and/or debarring him appearing at any of the Examination of the University for one or more years after giving the candidate an opportunity to show the cause and considering any explanation submitted by the candidate.

**14.14** In case, a person, who is not a bonafide candidate, is found to be taking an Examination on behalf of a bona fide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the connivance of the bona fide candidate and action against such person and such bonafide candidate would be taken as under:

(i) The bonafide candidate, who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from pursuing any course of studies or from appearing at any Examination of the University in future.

(ii) In case, the person, who has impersonated the bonafide candidate, is a student of the University, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future the case of impersonation will be reported to police.

(iii) If the person, who has impersonated the bonafide candidate, is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

**14.15** In case, a candidate is appearing at the Examination for improvement of Division/Percentage of Marks and is found to be using unfair means, the result of his/her Examination in the Paper(s) in which he/she has already appeared, would also be cancelled, in addition to the action that might be taken against him/her for using unfair means, while reappearing for improvement of his/her Division/ Percentage of Marks.

**14.16** Any punishment imparted on the erring student shall be following due consideration of the defiance presented by him/her.

**14.17** The Superintendent of an Examination centre shall take action against an Examinee who is found using or attempting to use unfair means in the

examination hall or within the premises of the Examination Centre during the hour of Examination, in the following manner:

(i) The Examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found in his or her possession including the answer book and a memorandum shall be prepared with date and time.

(ii) The Statement of the Examinee and the Invigilator shall be recorded.

(iii) The Examinee shall be issued a fresh answer book marked 'Duplicate Using Unfair Means' to attempt answer within the remaining time prescribed for the Examination.

(iv) All the materials so collected and the entire evidence along with a statement of the Examinee and the answer book duly signed shall be forwarded to the Registrar by name in a separate confidential sealed registered packet marked 'Unfair means' along with the observations of the Superintendent.

(v) The material so collected from the Examinee together with both the answer books, viz. the answer book collected while using unfair means and the other supplied afterward will be sent to the Examiner by the Registrar for assessing both the answer books separately and to report if the Examinee has actually used unfair means in view of the material collected.

(vi) The cases of the use of unfair means at the Examination as reported by the Centre Superintendent along with the report of the Examiner shall be examined by the Examination Committee. The Committee shall after examining the cases, decide the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.

(vii) A candidate found talking during the Examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues to do so in spite of the warning by the Invigilator, the answer book of such Examinee shall be withdrawn and a second answer book shall be supplied. Only the second answer book shall be sent for valuation. The first book shall be cancelled and sent to the Controller of the Examination. In case the student is required to be warned again no second copy shall be given and the Examinee may be expelled by the Superintendent from that

particular paper.

**14.18** If a candidate is found guilty of using or attempting to use or having used unfair means at an Examination such as copying from some book or notes or from the answer of some other candidate or helping or receiving help from any other candidate or keeping with him in the Examination hall material connected with the examination or in any other manner whatsoever, the Examination Committee or the Committee appointed for the purpose by the Examination Committee may cancel his Examination and also debar him from appearing at any of the Examination of the University for one year or more years according to the nature of the offence.

**14.19** The Examination Committee may cancel the Examination of a candidate and/or debar him from appearing at any Examination of the University for one or more years, if it is discovered afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his Examination and/or was instrumental in/or has abetted the tempering of University records including the answer book, mark sheet, rule charts, Diplomas and the like.

**14.20** The Examination Committee may cancel the Examination of a candidate and/ or debar him from appearing at any exam of the University for in or more years, if it is discovered afterwards that the candidate had obtained admission to the Examination by misrepresenting the facts or by submitting or forged Certificates/Documents.

**14.21** All the records of Examination and results will be retained by the University for a maximum period of three years from the date of declaration of results of the concerned Examination.

## CHAPTER-V

### 15. All Evaluation of exam papers will be centralized in University Building

**15.1** The office of the Controller of Examination with the help of concerned Board of Studies shall prepare for every subject an Institution wise list of names of persons qualified for appointment as Examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University Department and Colleges or in the Institution identified as centers of the University and the second part containing names of persons other than the teachers of the University qualified for appointment as Examiners.

**15.2** The list shall contain as far as possible information relating to the persons included therein on the following points namely.

- (i) The academic qualifications and teaching experience at Undergraduate and Post- graduate levels.
- (ii) The field of specialization.
- (iii) The name of the examinations of the University and years in which they have acted as Examiners in the past.

**15.3** The list so prepared shall be made available to the Examination Committee, as constituted under Section 14 of the First Statutes.

**15.4** The office of the Controller of Examinations shall also give the Examination Committee the approximate number of candidates expected to appear at each Examination Centre and the list of centers of each practical Viva - examination together with the estimated number of candidates there at.

**15.5** The Examination Committee shall in the light of the provisions of the following paragraphs, recommend.

- (i) A panel of three names for the appointment of the paper - setter of each written paper.
- (ii) Wherever necessary the panel may contain more than three names for consideration.

**15.6** The Vice-Chancellor shall appoint paper-setters, co-examiners, practical/viva-voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the Board of Studies. He may, however, appoint a person whose name is

not included in the list of names recommended by the Examination Committee if he is satisfied that the person in question possesses the minimum academic qualification and full time teaching experience of relevant level of seven years his appointment will not be contrary to the provisions of the following paragraphs.

**16** Ordinarily 50% of the paper setter at the Post graduate and Degree examinations in any subject shall be External.

**17** For appointment as Paper-setter and Co-Examiners, the teachers in the University Departments and Colleges and Centers of the University shall ordinarily be considered on the basis of seniority subject to fulfillment of other conditions for such appointment.

**18** Ordinarily at least two Paper-setters shall be appointed for every subject. They shall necessarily belong to different centers.

**19** Ordinarily not more than one paper-setter shall be appointed from anyone University Department or Institute or Center in the same subject at any one examination.

**20** No one who is a Paper-setter at any Post-graduate examination shall be appointed as an External Viva-Voce examiner at that Examination.

**21** No one shall ordinarily be given more than two External Examiner ship for practical exams provided that in case of centre where the total strength of candidates appearing at I, II, and III years of first Degree examination is less than 120, one External Examiner may be appointed for all the three examinations.

**22** In case of under graduate practical examinations, one External Examiner shall not ordinarily examine more than 120 candidates.

**23** In case of written examination an Examiner shall not ordinarily evaluate/ value more than 250 scripts and a Co-examiner shall be appointed if the number of candidates appearing in the paper is more than 300.

**24** Examiner shall ordinarily be appointed for a duration of one year only however, if needed they shall be eligible for re-appointment.

**25** Any person who has acted as an Examiner (paper-setter, Co-examiners or External, Viva- Voce examiner) for three consecutive years shall ordinarily not be eligible for re- appointment until at least a period of one year elapses

between the year in which he last acted as an Examiner and the year in which he is re-appointed.

An Examiner may be discontinued any time even before the expiry of the three-year period if in the opinion of the Examination Committee, his work is found to be unsatisfactory.

26 An Examiner's work shall be deemed to be unsatisfactory if:

(i) Mistakes of such nature are found in his work in the course of checking and scrutiny which affect the result or

(ii) He/She is found by the Examination Committee to have inordinately delayed the work without good cause or

(iii) There is an adverse report from the Head Examiner or

(iv) In the opinion of the Examination Committee, there are reasonable doubts about his/her integrity or suspicion that he/she is accessible to examinees or their relations and

(v) If there are serious complaints against his/her paper e.g. that this paper was much above or below the standard or contained questions outside the prescribed course or the branch any such condition prescribed by the Examination Committee.

27 The paper-setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the Co- examiners so that the latter may be in conformity with standard of the former in the evaluation of the answer-books.

28 If for any reason an Examiner is unable to evaluate the answer-books or to perform the duties of the Head Examiner after setting the question paper, he shall be entitled to receive only one-half of the amount of fees for paper setting and the balance shall be payable to the Examiner who performs the duties of the Head Examiner subsequently.

Provided that if the paper-setter dies before he is able to take up or complete the evaluation of the answer-books, full fee prescribed for paper setting shall be paid to his heirs.

29 In any subject, if a Viva-Voce Examination is prescribed board of two Examiners of whom one shall be an External Examiner and the other the Internal Examiner shall conduct the same.

30 In the case of Examinations like MBA, M.Com, M. Phil., MA where there is

permissible in lieu of a paper or a project, there shall be a Board of two Examiners for evaluating the thesis. The maximum number of marks for the thesis shall be equally divided between the two Examiners each of whom shall mark the thesis independently. If the evaluations of these two Examiners differ by 20%, the thesis shall be referred to the third Examiner, (other than a teacher of the University) who shall award marks out of half of the maximum marks for the thesis. The aggregate of two (of the three) awards nearest to each other and to the best advantage of the candidate shall be taken as the correct evaluation.

**31** In case of an examination for a research Degree, the Examination Committee shall recommend for each thesis to be examined by a panel of at least six persons, out of which at least two persons shall belong to an outside University, whether in India or Abroad.

**32** The panelists:

a. Shall possess a Doctoral Degree in the subject and have at least ten years teaching experience at the post graduate level or research experience.

b. Are scholars of repute in the subject.

**33** No person shall act as a paper-setter or Examiner either in theory, viva-voce or practical examination, if any of his relatives is taking the examination provided that this provision shall not debar from acting as an Examiner for practical at a centre other that at which his relation is appearing.

**34** No person shall act as Moderator or Tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that Examination.

**35** Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, the Vice-Chancellor in consultation with the Examination Committee may in so far as that particular examination is concerned modify all or some of the rules of meet the constraints.

# ORDINANCE No. - 03

## Examination fees to be charged for various courses of the University

**[Act Section 28 (1) (t)]**

1. The Controller of Examination/Registrar of the University shall notify the fees payable by the students for various courses of examinations, after the same is approved by the Vice-chancellor. A student who has not paid the prescribed fees before the start of examination shall not ordinarily be eligible to appear in the examination. The Chancellor may at his discretion allow, in certain cases of genuine hardship, an extension in the last date of payment of fees. The result of such students shall, however, be withheld till all the dues are cleared.
   - (i) The Examination Fees shall be decided by the Academic Council and approved by the Board of Management from time to time
   - (ii) The Candidate, who fails to present himself/herself for Examination, shall not be entitled to any refund offers or to have it kept in deposit for a subsequent Examination. However, if a woman candidate is unable to appear at the Examination for maternity reasons her fees may be held over for the next Examination, provided that the application for crediting the Fees for the next Examination must be made to the Controller of Examinations/Registrar of the University for the Examinations within three months of the completion of the Examination concerned and shall be supported by a Medical Certificate.
   - (iii) Provided, however, that a candidate shall not be entitled to the adjustment of examination fees if he/she changes the faculty or his subject in case of Under Graduate and Post Graduate examination.
   - (iv) The fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage in attendance at lectures/practical, will not be refunded under any circumstances.
   - (v) There shall be no refund of revaluation fees irrespective of change in the marks of a candidate.
   - (vi) A candidate who due to sickness or other cause is unable to present himself/ herself at an examination shall not receive a refund of fees, provided that the Vice Chancellor on the recommendation of the

Controller of Examinations/Registrar of the University, made after feeling satisfied by considering the facts and making required investigation through documents submitted to him, about the genuineness or merit of it, order of it, order for adjustment of the following portion of the fees towards the immediately next Examination.

(vii) The Examination fees of a candidate who dies before appearing at the Examination may be refunded in full to his/her guardian.

(viii) The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an Examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.

# ORDINANCE No. - 4

## Bachelor of Arts (B.A. / B.A. Hon's)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Title | : | Bachelor of Arts (B.A. / B.A. Hon's) |
| 4.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 4.3 | Duration | : | Three Years (Six Semesters) |
| 4.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education. |
| 4.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set upby the Board of Management. |
| 4.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 4.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 4.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | and his / her parents. |
| | | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 4.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 4.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 4.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 4.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 4.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 4.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 4.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the. Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 5

## Master of Arts (M.A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Title | : | Master of Arts (M.A) |
| 5.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 5.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 5.4 | Eligibility | : | Graduate degree in relevant discipline from any recognized University. |
| 5.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by The Board of Management. |
| 5.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 5.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 5.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 5.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 5.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 5.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 5.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 5.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 5.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 6

## Master of Social Work (MSW)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Title | : | Master of Social Work (MSW) |
| 6.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 6.3 | Duration | : | Two Year (Four Semester) |
| 6.4 | Eligibility | : | Graduate degree in relevant discipline from any recognized University. |
| 6.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by The Board of Management. |
| 6.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 6.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 6.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | |
|---|---|---|
| | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 6.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 6.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 6.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 6.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 6.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 6.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 6.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 7

## Bachelor of Rural Studies (BRS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Title | : | Bachelor of Rural Studies (BRS) |
| 7.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 7.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 7.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline or equivalent examination from recognized board. |
| 7.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by The Board of Management. |
| 7.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 7.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 7.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and |

his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 7.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 7.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 7.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 7.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 7.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 7.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellors of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 8

## Master in Rural Studies (MRS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Title | : | Master in Rural Studies ( MRS ) |
| 8.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 8.3 | Duration | : | Two Year (Four Semester) |
| 8.4 | Eligibility | : | Graduate degree in relevant discipline from any recognized University. |
| 8.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by The Board of Management. |
| 8.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 8.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 8.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 8.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 8.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 8.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 8.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 8.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 8.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 9

## Diploma in Languages / Foreign Languages

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Title | : | Diploma in Languages / Foreign Languages |
| 9.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 9.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 9.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education. |
| 9.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 9.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 9.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 9.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 9.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the universityafter verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 9.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 9.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 9.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 9.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 9.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 9.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 10

## Diploma in Social Work

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Title | : | Diploma in Social Work |
| 10.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 10.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 10.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 10.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 10.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 10.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 10.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 10.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 10.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 10.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 10.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 10.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 10.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 11

## PG Diploma in Women Empowerment & Development

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.1 | Title | : | P.G Diploma in Women Empowerment & Development |
| 11.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/ Humanities/Social Science |
| 11.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 11.4 | Eligibility | : | Any Under Graduate degree from any recognized University. |
| 11.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 11.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 11.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 11.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 11.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 11.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 11.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 11.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 11.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 11.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 12

## Diploma in Office Management and Business Communication

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Title | : | Diploma in Office Management and Business Communication |
| 12.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management/Finance |
| 12.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 12.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education. |
| 12.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 12.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 12.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 12.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 12.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 12.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 12.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 12.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 12.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 12.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 12.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 13

## Bachelor of Science (Hon's) (B.Sc Hon's)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Title | : | Bachelor of Science (Honors) (B.Sc. Hons) |
| 13.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 13.3 | Duration | : | Three Years (Six Semesters) |
| 13.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 13.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 13.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 13.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 13.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | |
|---|---|---|
| | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 13.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 13.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 13.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 13.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 13.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 13.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 13.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 14

## Master of Science (M.Sc)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 | Title | : | Master of Science (M.Sc.) |
| 14.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 14.3 | Duration | : | Two Years (Four Semesters) |
| 14.4 | Eligibility | : | Bachelor's degree from a recognized university in related discipline or equivalent examination. |
| 14.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set upby the Board of Management. |
| 14.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 14.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 14.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 14.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 14.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 14.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 14.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40 % Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 14.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 14.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 14.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall becompetent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 15

## Bachelor of Statistics (B. Stat)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.1 | Title | : | Bachelor of Statistics (B. Stat) |
| 15.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 15.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 15.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 15.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 15.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 15.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 15.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 15.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 15.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 15.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 15.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 15.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 15.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 15.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 16

## Master of Statistics (M. Stat)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.1 | Title | : | Master of Statistics ( M. Stat ) |
| 16.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 16.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 16.4 | Eligibility | : | Bachelor's degree from a recognized university in related discipline. |
| 16.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 16.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 16.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 16.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 16.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 16.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 16.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 16.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 16.13 | Evaluation &Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 16.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 16.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 17

## Diploma in Computer Application (DCA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.1 | Title | : | Diploma in Computer Application (DCA) |
| 17.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 17.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 17.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 17.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 17.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 17.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 17.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1 The fee is not paid by the due date. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 17.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 17.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 17.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 17.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 17.13 | Evaluation &Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 17.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 17.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 18

## Bachelor of Computer Application (BCA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.1 | Title | : | Bachelor of Computer Application (BCA) |
| 18.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 18.3 | Duration | : | Three Years (Six Semesters) |
| 18.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 18.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 18.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 18.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 18.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 18.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 18.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 18.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 18.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 18.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 18.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 18.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 19

## P.G. Diploma in Computer Application (PGDCA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19.1 | Title | : | P.G. Diploma in Computer Application (PGDCA ) |
| 19.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 19.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 19.4 | Eligibility | : | Graduation in any discipline on merit from a recognized University. |
| 19.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management |
| 19.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 19.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June |
| 19.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 19.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 19.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 19.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40 % Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 19.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 19.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 19.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 20

## Diploma in Yoga Science

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.1 | Title | : | Diploma in Yoga Science |
| 20.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Scien |
| 20.3 | Duration | : | One Years (Two semesters) |
| 20.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 20.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 20.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 20.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 20.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 20.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 20.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 20.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 20.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 20.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 20.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 20.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 21

## P.G. Diploma in Yoga Science

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.1 | Title | : | P.G. Diploma in Yoga Science |
| 21.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 21.3 | Duration | : | One Year (Two Semester) |
| 21.4 | Eligibility | : | Graduation in any discipline on merit from a recognized University. |
| 21.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 21.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 21.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 21.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 21.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 21.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 21.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 21.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 21.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 21.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 21.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of CG. |

## ORDINANCE No. – 22

## Diploma in Digital Marketing

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.1 | Title | : | Diploma in Digital Marketing |
| 22.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/ Management/ Finance |
| 22.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 22.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 22.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 22.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 22.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 22.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 22.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.\ |
| 22.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 22.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 22.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 22.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 22.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 22.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 23

## Diploma in Environmental Science

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.1 | Title | : | Diploma in Environmental Science |
| 23.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 23.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 23.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 23.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 23.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 23.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 23.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 23.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 23.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 23.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 23.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 23.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 23.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 24

## Diploma in Nutrition and Dietetics

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.1 | Title | : | Diploma in Nutrition and Dietetics |
| 24.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 24.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 24.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 24.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 24.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 24.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 24.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 24.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 24.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 24.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 24.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 24.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 24.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 24.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 25

## Diploma in Environmental Pollution Control Technology

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.1 | Title | : | Diploma in Environmental Pollution Control Technology |
| 25.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 25.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 25.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 25.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 25.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 25.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 25.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 25.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 25.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 25.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 25.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 25.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 25.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 25.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 26

## Diploma in Interior Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.1 | Title | : | Diploma in Interior Design |
| 26.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 26.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 26.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 26.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 26.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 26.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 26.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 26.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 26.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 26.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 26.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 26.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 26.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 26.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 27

## Diploma in Fashion Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27.1 | Title | : | Diploma in Fashion Design |
| 27.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 27.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 27.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 27.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 27.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 27.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 27.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 27.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 27.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 27.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 27.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 27.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 27.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 27.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 28

## Diploma in e-Commerce

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.1 | Title | : | Diploma in e-Commerce |
| 28.2 | Faculty | : | Faculty of Business Administration/Commerce/Management/Finance |
| 28.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 28.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 28.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 28.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 28.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 28.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 28.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 28.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 28.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 28.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 28.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 28.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 28.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 29

## Diploma in Photography

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29.1 | Title | : | Diploma in Photography |
| 29.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 29.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 29.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 29.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 29.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 29.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 29.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 29.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 29.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 29.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 29.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 29.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 9.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 9.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 30

## Diploma in Jewellery Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30.1 | Title | : | Diploma in Jewellery Design |
| 30.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 30.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 30.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 30.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 30.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 30.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 30.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 30.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 30.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 30.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 30.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 30.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 30.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 30.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 31

## Bachelor of Commerce (B. Com)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31.1 | Title | : | Bachelor of Commerce (B.Com) |
| 31.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management/ Finance |
| 31.3 | Duration | : | Three Years (Six Semesters) |
| 31.4 | Eligibility | : | 10+2 in Science/Commerce on merit from a recognized board of secondary education. |
| 31.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management |
| 31.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 31.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 31.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 31.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 31.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 31.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 31.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 31.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 31.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 31.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 32

## Master of Commerce (M.Com)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32.1 | Title | : | Master of Commerce (M.Com) |
| 32.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/ Management/ Finance |
| 32.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 32.4 | Eligibility | : | B.Com Graduate on merit from a recognized university. |
| 32.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 32.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 32.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 32.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed bv the candidate |

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 32.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 32.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 32.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 32.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40 % Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 32.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 32.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 32.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 33

## Bachelor of Business Administration (BBA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33.1 | Title | : | Bachelor of Business Administration (BBA) |
| 33.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management /Finance |
| 33.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 33.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education. |
| 33.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 33.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 33.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 33.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 33.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 33.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 33.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 33.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 33.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 33.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 33.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 34

## Master of Business Administration (MBA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34.1 | Title | : | Master of Business Administration (MBA) |
| 34.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management/ Finance |
| 34.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 34.4 | Eligibility | : | Graduates in any subject on merit from a recognized university. |
| 34.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 34.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 34.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 34.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 34.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 34.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 34.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 34.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 34.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 34.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 34.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 35

## P.G. Diploma in Business Administration

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35.1 | Title | : | P.G. Diploma in Business administration |
| 35.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management/ Finance |
| 35.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 35.4 | Eligibility | : | Graduates in any subject on merit from a recognized university. |
| 35.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 35.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 35.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 35.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. .<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 35.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 35.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 35.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 35.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 35.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 35.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 35.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 36

## Diploma in Library and Information Science

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36.1 | Title | : | Diploma in Library and Information Science |
| 36.2 | Faculty | : | Faculty of Library and Information Science |
| 36.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 36.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 36.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 36.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 36.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 36.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |
| | | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 36.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 36.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 36.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 36.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 36.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 36.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 36.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 37

## Bachelor of Library and Information Science

## (B. Lib. I. Sc)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37.1 | Title | : | Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc) |
| 37.2 | Faculty | : | Faculty of Library and Information Science |
| 37.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 37.4 | Eligibility | : | Graduates any discipline on merit from a recognized university. |
| 37.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 37.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 37.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 37.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 37.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 37.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 37.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 37.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 37.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 37.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 37.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 38

## Master of Library and Information Science (M. Lib. I. Sc)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38.1 | Title | : | Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc) |
| 38.2 | Faculty | : | Faculty of Library and Information Science |
| 38.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 38.4 | Eligibility | : | Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc). |
| 38.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 38.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 38.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 38.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 38.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 38.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 38.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 38.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40 % Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 38.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 38.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 38.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 39

## Bachelor of Legislative Law (LLB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39.1 | Title | : | Bachelor of Legislative Law (LLB) |
| 39.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 39.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 39.4 | Eligibility | : | Graduation in any discipline on merit from a recognized University. |
| 39.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 39.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 39.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 39.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 39.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 39.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 39.11 | Course Structure & Examination Scheme | : The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure and scheme of the examination shall design accordingly. |
| 39.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 39.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 39.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 39.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 40

## Master of Legislative Law (LLM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40.1 | Title | : | Master of Legislative Law (LLM) |
| 40.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 40.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 40.4 | Eligibility | : | LLB degree on merit from a recognized University. |
| 40.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 40.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 40.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 40.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | not enclosed. |
| 40.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 40.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 40.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure and scheme of the examination shall design accordingly. |
| 40.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40 % Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 40.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 40.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 40.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 41

## Integrated Program in Bachelor of Arts and Bachelor of Legislative Law (B.A. LLB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41.1 | Title | : | Integrated Program in Bachelor of Arts and Bachelor of Legislative Law(B.A. LLB) |
| 41.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 41.3 | Duration | : | Five Year (Ten Semesters) |
| 41.4 | Eligibility | : | 1O+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education and as per norms of Bar Council of India (BCI) |
| 41.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 41.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 41.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 41.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 41.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 41.10 | Fees | : | Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 41.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure and scheme of the examination shall design accordingly. |
| 41.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 41.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 41.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 41.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 42

## Integrated Program in Bachelor of Commerce and Bachelor of Legislative Law (B.Com LLB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42.1 | Title | : | Integrated Program in Bachelor of Commerce and Bachelor of Legislative Law (B.Com LLB) |
| 42.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 42.3 | Duration | : | Five Year (Ten Semesters) |
| 42.4 | Eligibility | : | 1O+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education and as per norms of Bar Council of India (BCI) |
| 42.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 42.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 42.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 42.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 42.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 42.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 42.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure and scheme of the examination shall design accordingly. |
| 42.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 42.13 | Evaluation &Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 42.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 42.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 43

## Diploma in Cyber Crime/ Cyber Law/ Cyber Security /Human Rights/Criminology

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43.1 | Title | : | Diploma in Cyber Crime/Cyber Law/ Cyber Security /Human Rights/ Criminology |
| 43.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 43.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 43.4 | Eligibility | : | 1O+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education and as per norms of Bar Council of India (BCI) |
| 43.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 43.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 43.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 43.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 43.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the universityafter verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 43.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 43.11 | Course Structure & Examination Scheme | : The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure and scheme of the examination shall design accordingly. |
| 43.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 43.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 43.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 43.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 44

## Diploma in Corporate Law/ Business Law/Taxation Law/Labor Law

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44.1 | Title | : | Diploma in Corporate Law/Business Law/Taxation Law/Labor Law |
| 44.2 | Faculty | : | Faculty of Law |
| 44.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 44.4 | Eligibility | : | 1O+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education and as per norms of Bar Council of India (BCI) |
| 44.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 44.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 44.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 44.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. .<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 44.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 44.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | The guideline provided by the Bar Council of India (BCI) from time to time shall be followed the course structure andscheme of the examination shall design accordingly. |
| 44.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 44.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 44.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 44.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 45

## Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication

## (B.A. JMC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45.1 | Title | : | Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication |
| 45.2 | Faculty | : | Faculty of Journalism/ Mass Communication/Media |
| 45.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 45.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 45.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 45.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 45.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 45.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. .<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 45.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 45.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 45.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 45.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 45.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 45.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 45.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 46

## Master of Arts in Journalism and Mass Communication

## (M.A. JMC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46.1 | Title | : | Master of Arts in Journalism and Mass Communication |
| 46.2 | Faculty | : | Faculty of Journalism/ Mass Communication/Media |
| 46.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 46.4 | Eligibility | : | Graduation in Journalism and Mass Communication from any recognized university |
| 46.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 46.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 46.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 46.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 46.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 46.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 46.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 46.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 46.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 46.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 46.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The |

course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

# ORDINANCE No. – 47

## Diploma in Multimedia and Graphic Animation

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47.1 | Title | : | Diploma in Multimedia and Graphic Animation |
| 47.2 | Faculty | : | Faculty of Science |
| 47.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 47.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 47.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 47.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 47.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 47.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 47.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 47.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 47.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 47.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 47.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 47.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 47.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 48

## Diploma in NGO Management

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48.1 | Title | : | Diploma in NGO Management |
| 48.2 | Faculty | : | Faculty of Business administration/Commerce/Management/ Finance |
| 48.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 48.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 48.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 48.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 48.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 48.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any of the following reasons: 1. The fee is not paid by the due date. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 48.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 48.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 48.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 48.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 48.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 48.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 48.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 49

## Diploma in Dance/Music

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49.1 | Title | : | Diploma in Dance/Music |
| 49.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/Humanities/Social Science |
| 49.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 49.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 49.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 49.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 49.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 49.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 49.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 49.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 49.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 49.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 49.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 49.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 49.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 50

## Diploma in News Reading, Media Studies, Anchoring and Reporting

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50.1 | Title | : | Diploma in News Reading, Media Studies, Anchoring and Reporting |
| 50.2 | Faculty | : | Faculty of Journalism/ Mass Communication/Media |
| 50.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 50.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board ofsecondary education. |
| 50.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 50.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 50.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 50.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 50.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 50.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 50.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 50.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 50.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 50.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 50.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 51

## P.G. Diploma in Mass Communication and Journalism

| | | |
|---|---|---|
| 51.1 | Title | : P.G. Diploma in Mass Communication and Journalism |
| 51.2 | Faculty | : Faculty of Journalism/ Mass Communication/Media |
| 51.3 | Duration | : One Year (Two Semesters) |
| 51.4 | Eligibility | : Graduate in any discipline on merit from a recognized University. |
| 51.5 | Seats | : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 51.6 | Admission Procedure | : As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 51.7 | Academic Year | : There would be one academic year from July to June. |
| 51.8 | Selection Procedure | : The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and |

| | | |
|---|---|---|
| | | his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 51.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 51.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 51.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 51.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 51.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 51.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| .15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 52

## Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52.1 | Title | : | Diploma in Elementary Education (D.El.Ed) |
| 52.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 52.3 | Duration | : | Two Years (four Semesters) |
| 52.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 52.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 52.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 52.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 52.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 52.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 52.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 52.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 52.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 52.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 52.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 52.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 53

## Bachelor of Education (B.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53.1 | Title | : | Bachelor of Education (B.Ed) |
| 53.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 53.3 | Duration | : | Two Years (four Semesters) |
| 53.4 | Eligibility | : | Graduates in any discipline on merit from a recognized university. |
| 53.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 53.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 53.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 53.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 53.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 53.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 53.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 53.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 53.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 53.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 54

## Master of Education (M.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54.1 | Title | : | Master of Education (M.Ed) |
| 54.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 54.3 | Duration | : | Two Years (four Semesters) |
| 54.4 | Eligibility | : | Graduates (B.Ed) or equivalent. |
| 54.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 54.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 54.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 54.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are

| | | |
|---|---|---|
| | | not enclosed. |
| 54.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 54.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 54.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 54.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 54.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 54.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 54.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 55

## Integrated Program in Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A. B.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55.1 | Title | : | Integrated Program in Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A. B.Ed.) |
| 55.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 55.3 | Duration | : | Four Years (Eight Semester) |
| 55.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 55.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body.. |
| 55.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 55.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 55.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University. Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 55.8 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 55.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 55.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 55.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 55.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 55.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 55.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 56

## Integrated Program in Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc. B.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56.1 | Title | : | Integrated Program in Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc. B.Ed.) |
| 56.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 56.3 | Duration | : | Four Years (Eight Semester) |
| 56.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education. |
| 56.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 56.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 56.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 56.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons: |

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 56.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 56.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 56.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 56.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 56.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 56.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 56.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 57

## Diploma in Physical Education

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57.1 | Title | : | Diploma in Physical Education |
| 57.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 57.3 | Duration | : | Two Years (four Semesters) |
| 57.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation. |
| 57.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body.. |
| 57.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 57.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 57.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 57.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 57.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 57.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 57.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 57.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 57.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# *ORDINANCE No. – 58*

## Bachelor of Physical Education (B.P.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58.1 | Title | : | Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) |
| 58.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 58.3 | Duration | : | Two Years (four Semesters) |
| 58.4 | Eligibility | : | Graduation in any Discipline |
| 58.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body.. |
| 58.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 58.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 58.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | not enclosed. |
| 58.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 58.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 58.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 58.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 58.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 58.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 58.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 59

## Master of Physical Education (M.P.Ed)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59.1 | Title | : | Master of Physical Education (M.P,Ed) |
| 59.2 | Faculty | : | Faculty of Education/Teachers Training |
| 59.3 | Duration | : | Two Years (Four Semesters) |
| 59.4 | Eligibility | : | B.P.Ed Degree or Equivalent. |
| 59.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 59.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 59.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 59.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are |

| | | |
|---|---|---|
| | | not enclosed. |
| 59.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 59.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 59.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 59.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 59.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 59.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 59.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 60

## Diploma in Engineering

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60.1 | Title | : | Diploma in Engineering. |
| 60.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 60.3 | Duration | : | Three Years (Six Semesters) |
| 60.4 | Eligibility | : | $10^{th}$ in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 60.4 | Eligibility for Lateral Entry to second year | : | Passing class 10th examination from recognized institution/board and also must have passed 2 years ITI certificate (issued from NCVT/SCVT) in relevant Technical/Vocational trade.<br>or<br>Passing 10+2 (12th) examination with relevant vocational/Technical subject from a recognized institution/board is essential. |
| 60.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 60.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 60.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 60.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are |

| | | |
|---|---|---|
| | | awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 60.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 60.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 60.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 60.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 60.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 60.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 60.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. |

However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

# ORDINANCE No. – 61

## Bachelor of Technology (B. Tech)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61.1 | Title | : | Bachelor of Technology (B.Tech). |
| 61.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 61.3 | Duration | : | Four Years (Eight Semesters) |
| 61.4 (a) | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 61.4 (b) | Eligibility for Lateral Entry to second year | : | Passing Three years/Two years (Lateral Entry) Diploma in any branch of Engineering and Technology from any recognized Board/University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and 40% for SC, ST, OBC category and PWD candidates of Chhattisgarh is essential.<br>Or<br>Passing B.Sc. exam from recognized University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and with 40% for SC, ST and OBC category and PWD candidate of Chhattisgarh is essential. In addition, passing 10+2 (12") with mathematics as subject is essential. B.Sc. candidate shall be considered only when diploma candidates are not available.<br>Note: - B.Sc. graduates shall have to study and qualify additional subjects like Engineering Drawing, Workshop, Applied Mechanics, and Basic Engineering etc. as per Concerned University norms. Diploma holders have to study and qualify additional subjects like Mathematics, Physics, and Chemistry etc. and other subjects. This information can be obtained from Concerned University. |
| 61.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 61.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of |

admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 61.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 60.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 61.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 61.11 | Course Structure & Examination | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |

| | | |
|---|---|---|
| | Scheme | |
| 61.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 61.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 61.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 61.15 | General | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 62

## Master of Technology (M.Tech)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62.1 | Title | : | Master of Technology (M.Tech) |
| 62.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 62.3 | Duration | : | Two Years (Four Semesters) |
| 62.4 | Eligibility | : | Bachelor's degree from a recognized university in related discipline or equivalent examination and entrance exam. |
| 62.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 62.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 62.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 62.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 62.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 62.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 62.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 62.13 | Evaluation & Examination | | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 62.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 62.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. - 63

## Diploma in Architecture (D. Arch)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63.1 | Title | : | Diploma in Architecture (D.Arch) |
| 63.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 63.3 | Duration | : | Three Year (Six Semesters) |
| 63.4 | Eligibility | : | $10^{th}$ in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 63.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 63.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will beprepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 63.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 63.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are

not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 63.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 63.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 63.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 63.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 63.13 | Evaluation & Examination | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 63.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 63.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 64

## Bachelor of Architecture (B.Arch)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64.1 | Title | : | Bachelor of Architecture (B.Arch) |
| 64.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 64.3 | Duration | : | Five Year (Ten Semesters) |
| 64.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 64.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 64.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 64.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 64.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 64.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 64.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 64.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 64.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 64.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 64.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 64.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 65

## Master of Architecture (M.Arch)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65.1 | Title | : | Master of Architecture (M.Arch) |
| 65.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 65.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 65.4 | Eligibility | : | B.Arch and entrance exam. |
| 65.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 65.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 65.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 65.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 65.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 65.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 65.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 65.13 | Evaluation & Examination | | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 65.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 65.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 66

## Bachelor of Design (B.Des)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66.1 | Title | : | Bachelor of Design (B. Des) |
| 66.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 66.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 66.4(a) | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 66.4(b) | Eligibility for Lateral Entry to second year | | Passing Three years/Two years (Lateral Entry) Diploma in any branch of Engineering and Technology from any recognized Board/University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and 40% for SC, ST, OBC category and PWD candidates of Chhattisgarh is essential. |

Or

Passing B.Sc. exam from recognized University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and with 40% for SC, ST and OBC category and PWD candidate of Chhattisgarh is essential. In addition, passing 10+2 (12") with mathematics as subject is essential. B.Sc. candidate shall be considered only when diploma candidates are not available.

Note: - B.Sc. graduates shall have to study and qualify additional subjects like Engineering Drawing, Workshop, Applied Mechanics, and Basic Engineering etc. as per Concerned University norms. Diploma holders have to study and qualify additional subjects like Mathematics, Physics, and Chemistry etc. and other subjects. This information can be obtained from Concerned University.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 66.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of |

admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission.

66.7 Academic Year : There would be one academic year from July to June.

66.8 Selection Procedure : The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

66.9 Registration : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees.

66.10 Fees : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC.

66.11 Course Structure & : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

| | | |
|---|---|---|
| | Examination Scheme | |
| 66.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 66.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 66.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 66.15 | General` | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 67

## Master of Design (M.Des)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67.1 | Title | : | Master of Design (M.Des) |
| 67.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 67.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 67.4 | Eligibility | : | B.Des and entrance exam. |
| 67.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 67.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 67.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 67.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 67.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 67.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 67.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 67.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 67.13 | Evaluation & Examination | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 67.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 67.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 68

## Bachelor of Interior Design (B.I.D)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68.1 | Title | : | Bachelor of Interior Design (B.I.D) |
| 68.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 68.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 68.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam |
| 68.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 68.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 68.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 68.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 68.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 68.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 68.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 68.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 68.13 | Evaluation & Examination | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 68.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 68.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 69

## Master of Interior Design (M.I.D)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69.1 | Title | : | Master of Interior Design (M.I.D) |
| 69.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 69.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 69.4 | Eligibility | : | B.ID and entrance exam. |
| 69.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 69.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 69.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 69.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission |

| | | |
|---|---|---|
| | | are not enclosed. |
| 69.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 69.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 69.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 69.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 69.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 69.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 69.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 70

## Bachelor of Planning (B.Plan)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.1 | Title | : | Bachelor of Planning (B.Plan) |
| 70.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 70.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 70.4 (a) | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 70.4 (b) | Eligibility for Lateral Entry | | Passing Three years/Two years (Lateral Entry) Diploma in any branch of Engineering and Technology from any recognized Board/University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and 40% for SC, ST, OBC category and PWD candidates of Chhattisgarh is essential.<br>Or<br>Passing B.Sc. exam from recognized University/Institute with minimum 45 % marks for UR category and with 40% for SC, ST and OBC category and PWD candidate of Chhattisgarh is essential. In addition, passing 10+2 (12") with mathematics as subject is essential. B.Sc. candidate shall be considered only when diploma candidates are not available.<br>Note: - B.Sc. graduates shall have to study and qualify additional subjects like Engineering Drawing, Workshop, Applied Mechanics, and Basic Engineering etc. as per Concerned University norms. Diploma holders have to study and qualify additional subjects like Mathematics, Physics, and Chemistry etc. and other subjects. This information can be obtained from Concerned University. |
| 70.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 70.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 70.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 70.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 70.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 70.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 70.11 | Course Structure & | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |

| | | |
|---|---|---|
| | Examination Scheme | |
| 70.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 70.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 70.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 70.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 71

## Master of Planning (M. Plan)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.1 | Title | : | Master of Planning (M. Plan) |
| 71.2 | Faculty | : | Faculty of Engineering/ Technology/Design |
| 71.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 71.4 | Eligibility | : | B. Plan and entrance exam. |
| 71.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 71.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 71.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 71.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 71.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 71.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 71.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 71.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 71.13 | Evaluation & Examination | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 71.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 71.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 72

## Bachelor of Physiotherapy (BPT)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72.1 | Title | : | Bachelor of Physiotherapy ( BPT ) |
| 72.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 72.3 | Duration | : | Four Year & Six Months (Nine Semesters) |
| 72.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 72.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 72.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 72.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 72.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | |
|---|---|---|
| | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 72.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification &' submission of all the necessary documents and fees. |
| 72.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 72.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 72.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 72.13 | Evaluation & Examination | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 72.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 72.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 73

## Master of Physiotherapy (MPT)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73.1 | Title | : | Master of Physiotherapy (MPT) |
| 73.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 73.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 73.4 | Eligibility | : | Graduate in same discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 73.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 73.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 73.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 73.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 73.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 73.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 73.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 73.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 73.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 73.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 74

## Diploma in Pharmacy (D. Pharma)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74.1 | Title | : | Diploma in Pharmacy (D. Pharma). |
| 74.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied science |
| 74.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 74.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 74.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 74.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 74.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 74.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 74.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 74.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 74.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 74.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 74.13 | Evaluation & Examination | | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 74.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 74.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 75

## Bachelor of Pharmacy (B.Pharma)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75.1 | Title | : | Bachelor of Pharmacy (B.Pharma) |
| 75.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 75.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 75.4 (a) | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 75.4 (b) | Eligibility for Lateral Entry | : | Passing 2 year diploma course in Pharmacy from recognized Board/University/Institute with at least 45 % for UR category and with 40% for SC, ST and OBC category and PWD candidate of Chhattisgarh is essential. |
| 75.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 75.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 75.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 75.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 75.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 75.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 75.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 75.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 35% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 75.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 75.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 75.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 76

## Master of Pharmacy (M. Pharma)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76.1 | Title | : | Master of Pharmacy (M. Pharma) |
| 76.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 76.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 76.4 | Eligibility | : | Bachelor of Pharmacy course from a recognized university/Entrance exam |
| 76.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 76.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 76.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 76.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 76.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 76.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 76.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 76.13 | Evaluation & Examination | | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 76.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 76.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 77

## Bachelor of Occupational Therapy (B.O.T.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77.1 | Title | : | Bachelor of Occupational Therapy (B.O.T.) |
| 77.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 77.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 77.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 77.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 77.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 77.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 77.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 77.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 77.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 77.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 77.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 77.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 77.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 77.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 78

## Master of Occupational Therapy (M.O.T.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78.1 | Title | : | Master of Occupational Therapy (M.O.T.) |
| 78.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 78.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 78.4 | Eligibility | : | Graduate in same discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 78.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 78.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 78.7 | Academic Year. | : | There would be one academic year from July to June. |
| 79.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 79.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 79.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 79.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 79.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 79.13 | Evaluation & Examination | : | As As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 79.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 79.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 79

## Bachelor of Optometry (B. Optom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79.1 | Title | : | Bachelor of Optometry (B. Optom) |
| 79.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 79.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 79.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 79.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 79.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 79.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 79.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 79.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 79.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 79.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 79.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 79.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 79.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 80

## Master of Optometry (M. Optom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80.1 | Title | : | Master of Optometry (M. Optom) |
| 80.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 80.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 80.4 | Eligibility | : | Graduate in same discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 80.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 80.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 80.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 80.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 80.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 80.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Managementfrom time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 80.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 80.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 80.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 80.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University. |
| 80.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No - 81

## Master of Public Health (MPH)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81.1 | Title | : | Master of Public Health (MPH) |
| 81.2 | Faculty | : | Faculty of Health & Alliance |
| 81.3 | Duration | : | Two Years (Four Semesters) |
| 81.4 | Eligibility | : | Bachelor's degree in any Health Science discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 81.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 81.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 81.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 81.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 81.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 81.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 81.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 81.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 81.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 81.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE-82

## Master of Hospital Administration (MHA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 82.1 | Title | : | Master of Hospital administration (MHA) |
| 82.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 82.3 | Duration | : | Two Years (Four Semesters) |
| 82.4 | Eligibility | : | Graduates in any subject on merit from a recognized university |
| 82.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 82.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 82.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 82.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 82.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 82.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 82.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 82.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division: |
| 82.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 82.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 82.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE-83

## Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 83.1 | Title | : | Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) |
| 83.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 83.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 83.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 83.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 83.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 83.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 83.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 83.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 83.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 83.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 83.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory & practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 83.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 83.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 83.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 84

## Diploma in X-Ray Technology / Radio Diagnosis

| | | | |
|---|---|---|---|
| 84.1 | Title | : | Diploma in X-Ray Technology / Radio Diagnosis |
| 84.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 84.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 84.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 84.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 84.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 84.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 84.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 84.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 84.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 84.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 84.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 84.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 84.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 84.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 85

## Diploma in Operation Theatre Technology

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85.1 | Title | : | Diploma in Operation Theatre Technology |
| 85.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 85.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 85.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 85.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 85.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 85.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 85.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 85.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 85.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 85.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 85.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 85.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University |
| 85.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University |
| 85.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No.–86

## Diploma in Medical Transcription

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86.1 | Title | : | Diploma in Medical Transcription |
| 86.2 | Faculty | : | Faculty of Health and Allied Science |
| 86.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 86.4 | Eligibility | : | 10+2 in science discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 86.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 86.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 86.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 86.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by the candidate

and his / her parents.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 86.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 86.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 86.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 86.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 86.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 86.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 87

## Bachelor of Hotel Management, Travel and Tourism

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87.1 | Title | : | Bachelor of Hotel Management, Travel and Tourism |
| 87.2 | Faculty | : | Faculty of Hotel Management |
| 87.3 | Duration | : | Four Year (Eight Semesters) |
| 87.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 87.5 | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 87.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 87.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 87.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | |
|---|---|---|
| 87.9 | Registration | : Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 87.10 | Fees | : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 87.11 | Course Structure & Examination Scheme | : As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 87.12 | Eligibility to Pass | : The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 87.13 | Evaluation & Examination | : As per Ordinance no. 2 of the University |
| 87.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : As per Ordinance no. 2 of the University |
| 87.15 | General | : In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 88

## Master of Hotel Management, Travel and Tourism

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88.1 | Title | : | Master of Hotel Management, Travel and Tourism |
| 88.2 | Faculty | : | Faculty of Hotel Management |
| 88.3 | Duration | : | Two Year (Four Semesters) |
| 88.4 | Eligibility | : | Graduate in same discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 88.5 | Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can alsobe set up by the Board of Management. |
| 88.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 88.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 88.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. |

The admission may be rejected due to any .of the following reasons:

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 88.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 88.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 88.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 88.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 88.14 | Eligibility Criteria for ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 88.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall becompetent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 89

### P.G. Diploma Under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty

| | | | |
|---|---|---|---|
| 89.1 | Title | : | P.G. Diploma Under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty |
| 89.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management |
| 89.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 89.4 | Eligibility | : | Graduate in any discipline on merit from a recognized university and entrance exam. |
| 89.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 89.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | followed at the time of admission. |
| 89.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 89.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 89.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 89.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 89.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 89.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and |

45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 89.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 89.14 | Eligibility Criteria For ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 89.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 90

**Diploma under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90.1 | Title | : | Diploma under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty |
| 90.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management |
| 90.3 | Duration | : | One Year (Two Semesters) |
| 90.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondary education and entrance exam. |
| 90.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 90.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be |

followed at the time of admission.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 90.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 90.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 90.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 90.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |
| 90.12 | Eligibility to | : | The student is required to obtain 40% Marks in each paper in theory and practical examination separately and |

45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 90.14 | Eligibility Criteria For ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 90.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice -Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

## ORDINANCE No. – 91

**Certificate Program under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 91.1 | Title | : | Certificate Program under Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty |
| 91.2 | Faculty | : | Faculty of Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management |
| 91.3 | Duration | : | 6 Months |
| 91.4 | Eligibility | : | 10+2 in any discipline on merit from a recognized board of secondaryeducation and entrance exam. |
| 91.5 | Seats | : | Seat allotted by Relevant Regulatory body. |
| 91.6 | Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. Reservation policy of State Government will be followed at the time of admission. Merit list will be prepared on the basis of merit of qualifying examinations or entrance |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | examination conducted by University and Guideline issued by CG Higher Education Department will be followed at the time of admission. |
| 91.7 | Academic Year | : | There would be one academic year from July to June. |
| 91.8 | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the notice board and the students will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce proof of appearing in the final year of qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.<br>The admission may be rejected due to any of the following reasons:<br>1. The fee is not paid by the due date.<br>2. The application form is not signed by the candidate and his / her parents.<br>3. The supporting documents required for admission are not enclosed. |
| 91.9 | Registration | : | Registration number will be assigned to the student by the university after verification & submission of all the necessary documents and fees. |
| 91.10 | Fees | : | The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval from CGPURC. |
| 91.11 | Course Structure & Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 91.12 | Eligibility to Pass | : | The student is required to obtain 40% **Marks in** each paper in theory and practical examination separately and 45% in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination. 45% and above but below 60% will be awarded second division, 60% and above will be awarded first division. |
| 91.13 | Evaluation & Examination | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 91.14 | Eligibility Criteria For ATKT | : | As per Ordinance no. 2 of the University |
| 91.15 | General | : | In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice -Chancellor of the university shall be final. However on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination. The course content is subject to change from time to time. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh. |

# ORDINANCE No. – 92

## Doctor of Philosophy (Ph.D)

**92.1 Eligibility criteria for admission to Ph.D Programme:**

**92.1.1** Candidates for admission to the Ph.D program shall have a Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a International educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions. Provided that a relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures. OR Candidates who have cleared the M.Phil. Course work with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and successfully completing the M.Phil. Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph. D. Degree in the same Institution. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/differently-abled 2 and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time. OR A person, who's

M.Phil. dissertation has been evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the Ph.D. program of the same Institution. OR Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a International Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. program.

**92.1.2** Subject to the conditions stipulated in UGC Regulations, the following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. Programme:

**92.1.3** Master's Degree holders satisfying the criteria stipulated in UGC Regulations.

**92.1.4** Candidates who have cleared the M.Phil. Course work with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and successfully completing the M.Phil. Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph. D. Degree in the same Institution in an integrated Programme. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/differently- abled and other categories of candidates as per the decision of the University Grant Commission from time to time.

**92.1.5** A person who's M.Phil. Dissertation has been evaluated and the viva-voce is pending may be admitted to the Ph.D. Programme of the same Institution

**92.1.6** Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a International Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved,

recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. Programme.

**92.2 Duration of the Programme:**

**92.2.1** Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three years according to UGC Regulations if any will be followed.

**92.2.2** Extension in very exceptional cases on the recommendation of Research Advisory Committee and approval by the Academic Council.

**92.2.3** The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

**92.3 Procedure for admission:**

**92.3.1** University shall admit Ph.D. students through an Entrance Test conducted by it. The Academic Council of the University shall decide separate terms and conditions for those students who qualify UGC-NET (including JRF/UGC-CSIR NET, SLET/GATE/Teacher Fellowship holder or have passed M.Phil. Programme)/ UGC Norms if any shall be followed.

**The University shall:**

**92.3.1.1** Decide on an annual basis through its academic council, a predetermined and manageable number of Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar- teacher ratio (as indicated in Para 4.5), laboratory, library and such other facilities;

**92.3.1.2** Notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

**92.3.1.3** Adhere to the State-level reservation policy, as applicable.

**92.3.2** The admission shall be based on the criteria notified by the University, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

**92.3.3** The University shall admit candidates by a two stage process through:

**92.3.3.1** The qualifying marks for clearing entrance test shall be 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centre, if any, also to be notified well in advance); and

**92.3.3.2** An interview, viva-voce to be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Department Research Committee.

**92.3.4** The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether:

**92.3.4.1** The candidate possesses the competence for the proposed research;

**92.3.4.2** The research work can be suitably undertaken at the Institution/College;

**92.3.4.3** The proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

**91.3.4.4** The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidates, topic of his/her research, and name of his /her supervisor/co supervisor and date of enrollment/registration.

**92.4** **Allocation of Research Supervisor:** Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co- Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

**92.4.1** Any regular Professor of the University/Institution Deemed to be a University/College with at least five research publications in referred journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university/institution deemed to be a university/college with a Ph.D. degree and at least two research publications in referred journals may be recognized as Research Supervisor. Provided that in very exceptional case if any.

**92.4.2** Only a full time regular teacher of the concerned University/Institution shall act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, areas from other departments of the same institute or from other related Institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

**92.4.3** The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

**92.4.4** In case of topics which are of interdiseiplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research

Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co- Supervisor from outside the Department/Faculty/College /Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

**92.4.5** A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars and UGC norms if any should be followed.

**92.4.6** In case of relocation of an Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

**92.5** **Course Work:** Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

**92.5.1** The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.

**92.5.2** The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.

**92.5.3** All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

**92.5.4** The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee.

**92.5.5** All candidates admitted to the Ph.D. Programmes shall be required to complete the course work prescribed by the Department during the initial one or two semesters.

**92.5.6** Candidates already holding M. Phil. degree and admitted to the Ph.D. Programme, as per UGC Regulations or those who have already completed the coursework and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the Department from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. Programme shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department/ UGC Rules if any shall be followed.

**92.5.7** Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the Institution/College.

**92.5.8** A Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale in the course work in order to be eligible to continue in the Program and submit the dissertation/thesis.

**92.6 Research Advisory Committee and its functions:**

**92.6.1** There shall be a Research Advisory Committee, for each Ph.D. scholar consisting of the following members.

**92.6.1.1** Vice-Chancellor or his nominee.

**92.6.1.2** Head of the Institute of the concerned faculty.

**92.6.1.3** Head of University Teaching Department in the subject.

**92.6.1.4** Chairman, Board of Studies in the subject.

One external subject expert of the rank of University Professor to be appointed by the Vice-Chancellor ordinarily out of a panel of 5 experts given by the Chairman of the Board of Studies. The external expert and two other members shall form the quorum.

Note: 1. on the request of the supervisor (s), Vice-Chancellor may permit him to present as an observer during the oral presentation of his candidate in RDC meeting.

2. No T.A. & D.A. shall be payable to the candidate and the supervisor for attending the Research Degree Committee meeting.

The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. This Committee shall have the following responsibilities:

(i) To review the research proposal and finalize the topic of research;

(ii) To guide the research scholar

(iii) To develop the study design and methodology of research and identify thecourse(s) that he/she may have to do.

(iv) To periodically review and assist in the progress of the research work of theresearch scholar.

**92.6.2** A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the

progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the Institution/College with a copy to the research scholar.

**92.6.3** In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

**92.7 Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:**

**92.7.1** Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 7.8 above, as the case may be, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on these Regulations.

**92.7.2** Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

**92.7.3** Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in referred journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

**92.7.4** The Academic Council of the University shall evolve mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

**92.7.5** The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are not in employment of the University, of whom one examiner may be from outside the country. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.

**92.7.6** The public *viva-voce* of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) n the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination. If one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce,* the University shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the *viva-voce* examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the dissertation/ thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

**91.7.7.** The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D. thesis within a period of six months from the dateof submission of the thesis.

**92.8 Depository with INFLIBNET:**

**92.8.1** Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree, the Institution concerned shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

**92.8.2** Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of the UGC Regulations.

# ORDINANCE No. – 93

## Master of Philosophy (M. Phil)

**Arts/Humanities/Social Science, Science, Education/Teachers Training, Engineering/Technology/Design, Health and Allied Science, Business Administration/ Commerce/ Management/Finance, Library and Information Science, Law, Journalism/Mass Communication/Media, Hotel Management Faculty**

### 93.1 Eligibility criteria for admission to the M.Phil. Programme:

**93.1.1** Candidates for admission to the M.Phil. programme shall have a Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a International educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency, which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

**93.1.2** A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently- Abled and other categories of candidates as per the decision of the University Grants Commission from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of

5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

**93.2 Duration of the Programme:**

**93.2.1** M.Phil. programme shall be for a mm1mum duration of two (2) consecutive semesters / one year and a maximum of four (4) consecutive semesters *I* two years.

**93.2.2** Extension for submission of dissertation beyond the above duration will be given in exceptional cases on the recommendation of Research Advisory Committee and approval by the Academic Council.

**93.2.3** The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of one year for M.Phil. in the maximum duration.

In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil. for up to 240 days.

**93.3 Procedure for admission:**

**93.3.1** University shall admit M.Phil students through an Entrance Test conducted by it.

**93.3.2** The University shall:

**93.3.2.1** Decide on an annual basis through its academic council, a predetermined and manageable number of M.Phil. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available. keeping in mind the norms regarding the scholar- teacher ratio (as indicated in Para 4.5), laboratory, library and such other facilities;

**93.3.2.2** Notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one

(1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

**93.3.2.3** Adhere to the State-level reservation policy, as applicable.

**93.3.3** The admission shall be based on the criteria notified by the University, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

**93.3.4** The University shall admit candidates by a two stage process through:

**93.3.4.1** The qualifying marks for clearing entrance test shall be 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centre, if any, also to be notified well in advance); and

**93.3.4.2** An *interview/viva-voce* to be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Department Research Committee.

**93.3.5** The interview/viva *voce* shall also consider the following aspects, viz. whether:

**93.3.5.1** The candidate possesses the competence for the proposed research;

**93.3.5.2** The research work can be suitably undertaken at the Institution/College;

**93.3.5.3** The proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

**93.3.6** The University shall maintain the list of all the M.Phil. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidates, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

**93.4** **Allocation of Research Supervisor:** Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of M.Phil. scholars permissible per Supervisor, etc.

**93.4.1** Any regular Professor of the University/Institution Deemed to be a University/College with at least five research publications in referred journals and any regular Associate/ Assistant Professor of the university/institution deemed to be a university/college with a Ph.D. degree and at least two research publications in referred journals may be recognized as Research Supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of referred journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

**93.4.2** Only a full time regular teacher of the concerned University/Institution Deemed to be a University/College shall act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor is allowed in inter-disciplinary topics of research.

from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

**93.4.3** The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

**93.4.4** In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

**93.4.5** A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of Time, cannot guide more than three (3) M.Phil. Scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of two (2) M.Phil. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of one (1) M.Phil. Scholar.

**93.4.6**

In case of relocation of an M.Phil. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency.

The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution forthe part of research already done.

**93.5** **Course Work:** Number of Credit Requirements, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc. as per university norms.

**93.5.1** The credit assigned to the M.Phil. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.

**93.5.2** The course work shall be treated as prerequisite for M.Phil.

preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for M.Phil. degree.

**93.5.3** All courses prescribed for M.Phil. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

**93.5.4** The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee.

**93.5.5** All candidates admitted to the M.Phil. Programmes shall be required to complete the course work prescribed by the Department during the initial one or two semesters.

**93.5.6** Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the Institution/College.

**93.5.7** A M.Phil Scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale in the course work in order to be eligible to continue in the Program and submit the dissertation/thesis.

**93.6 Research Advisory Committee and its functions:**

**93.6.1** There shall be a Research Advisory Committee, for each M.Phil. scholar consistingof the following members.

(i) Vice-Chancellor or his nominee.

(ii) Head of the Institute of the concerned faculty.

(iii) Head of University Teaching Department in the subject.

(iv) Chairman, Board of Studies in the Subject.

(v) One external subject expert of the rank of University Professor to be appointed by the Vice- Chancellor ordinarily out of a panel of 5 experts given by the Chairman of the Board of Studies.

The external expert and two other members shall form the quorum.

**Note:** 1. On the request of the supervisor (s), Vice-Chancellor may permit him to present as an observer during the oral presentation of his candidate in RDC meeting.

2. No T.A. & D.A. shall be payable to the candidate and the supervisor for attending the Research Degree Committee meeting.

The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. This Committee shall have the following responsibilities:

(i) To review the research proposal and finalize the topic of research;

(ii) To guide the research scholar

(iii) To develop the study design and methodology of research and identify thecourse(s) that he/she may have to do.

(iv) To periodically review and assist in the progress of the research work of theresearch scholar.

**93.6.2** A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the

Research Advisory Committee to the Institution/College with a copy to the research scholar.

**93:6.3** In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

**93.7 Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:**

**93.7.1** The overall minimum credit requirement, including credit for the course work, for the award of M.Phil. degree shall not be less than 24 credits.

**93.7.2** Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 83.5.7 above, as the case may be, the M.Phil. Scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on these Regulations.

**93.7.3** Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

**93.7.4** M.Phil scholars shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

**93.7.5** The Academic Council of the University shall evolve mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and

a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other Degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

**93.7.6** The M.Phil. Dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the Institution/College. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by both of them together, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/ researchers.

**93.7.7** The open viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of the external examiner in case of M.Phil dissertation is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the dissertation to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the dissertation/ thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

**93.7.8** The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. Dissertation within a period of six months from the date of submission of the dissertation/thesis.

**93.8 Depository with INFLIBNET:**

**93.8.1** Following the successful completion of the evaluation process and

**before** the announcement of the award of the M.Phil. **degree(s), the** University concerned shall submit an electronic copy of the M.Phil. Dissertation to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

**93.8.2** Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of the UGC Regulations-2016.

# ORDINANCE No. - 94

## Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions

**[Act Section 28 (1) (c)]**

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree shall become entitled for the award of the said certificate, diploma or degree respectively as the case may be.
2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of certificates, diplomas or degrees before the Academic Council soon after the declaration of the results. On approval by the Academic Council, the Provisional Certificates, Diplomas and Degrees shall be issued to the respective candidates by the Registrar.
3. The Certificates, Diplomas and Degrees shall be signed by the Vice-Chancellor of the University.
4. The nomenclature of the Degree /Diploma/Certificate that would be conferred by the University shall be as per the ordinance and they will be conferred in the convocation of the University.

# ORDINANCE No - 95

## The Conditions for the Award of Fellowships and Scholarships, Stipends, Medals and Prizes

**[Act Section 8 (1) (d)]**

1. (a) Every year the University shall invite applications through advertisement and notifications in University Web Site for the awards instituted, Fellowships, Scholarships and Studentships.

   (b) All awards of Fellowships, Research Scholarships and other scholarships shall be made on the recommendation of a committee consisting of:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | The Chancellor | Chairperson |
| (ii) | The Vice-Chancellor | Member |
| (iii) | Dean nominated by the Vice-Chancellor | Member |
| (iv) | The Registrar | Member Secretary |

2. Subject to the general conditions applicable to all Research Fellowships and Scholarships as laid down in paragraph 4 below, the value, duration and conditions for the award of All India Fellowships shall be such as are laid down by the Awarding Body and University.

3. The value and duration of Scholarships/Fellowships instituted by the Governing body of the University shall be laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management.

   (i) The Selection of the candidates shall be made in accordance with the regulations laid down by the University.

   (ii) The Fellow/Scholar will do full time Research Work under an

approved guide on a subject approved by the BU.

(iii) The Fellow/Scholar shall not accept or hold any appointment paid or otherwise or receive any emolument, salary, stipend etc. from any other source during the tenure of the award nor all engage himself/herself in any profession or trade during the period. He shall,

However, undertake teaching assignment of not more than nine hours a week in the institution, where he is working without accepting any remuneration. If he is found availing of fellowship/scholarship while doing paid service his fellowship/scholar will be discontinued forthwith and he will have to return the full amount received so far with interest to the university.

(iv) The Fellow/Scholar shall not join any other course of study or appear in any examination after commencing work under the Fellowship/Scholarship.

Provided that the Vice-Chancellor may, on the recommendation of the guide, permit the Fellow/Scholar to join a Language/Computer Diploma Course and appear in an examination.

Provided further that exemption could be provided for those also who wish to appear in an examination or a subject relevant to the problems of research without supplicating for a degree.

(v) Unless permitted by the guide to work for a specified period at some other place, the Fellow/Scholar shall be required to attend the institution, where he is to work, on all working days.

(vi) If any information submitted by the Fellow/Scholar in his application is found to be incorrect, incomplete or misleading, the award may be terminated by the University after giving him opportunity of being heard.

(vii) If at any time it should appear to the University that the progress or conduct of the Fellow/Scholar has not been satisfactory, the Fellowship/Scholarship may be suspended or withdrawn.

(viii) (A) The leave for a maximum of Thirty Days in a year in addition to general holiday may be taken by a Fellow/Scholar with the approval of the guide and the Bharti University, Durg. The general holidays, however, do not include the vacation period e.g. summer, Vijaya Dashmi, Deepawali, and Christmas vacations. No other leave with Fellow/Scholar shall be admissible.

Provided that the women awardees would be eligible for Maternity Leave as prescribed by the State Government Rules ones during the tenure of the award..

(B) The Fellow/Scholar may, in special case, be allowed by the BU leave without Fellowship/Scholarship for a period not exceeding Three Months during the tenure of the award on the recommendation of the guide.

(ix) The Fellow/Scholar shall be required to pay the fees prescribed by the institution where he works.

4. Graduate and Postgraduate Scholarships instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve months in the first year and ten months in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Department in the subject of study.

5. The scholarship shall be tenable from 1st of August if the scholarship holder joins the course within one month of the date of the opening of the University/College after the summer vacation and pays the tuition fees from the commencement of the session. In any other case, it shall be tenable from the date on which the candidate joins the course.

6. A scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 60% marks in the Previous Examination of the concerned course.

7. If a scholarship-holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause, the scholarship shall be paid only if the Head of the Institution certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reasons beyond his / her control. Such a scholar shall not receive scholarship during the next session but shall be entitled to the scholarship for the subsequent year if the scholar passes the previous examination with the requisite standard in the succeeding year in the first attempt.

8. A scholarship-holder shall at all time exhibit good behavior and observe all rules of discipline.

9. (9.1) A scholarship shall be liable to termination, if-

(i) The scholarship-holder discontinues studies during the middle of a session or

(ii) The scholarship-holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct is in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of Para 8 of this ordinance and if the Academic Council so directs, the scholarship-holder also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him/her.

(9.2) the order of termination passed by the Academic Council shall be final.

# ORDINANCE No – 96

## Rules for allotment of Residence to the Students of the University

**[Act Section 28 (1) (g)]**

1. The University may provide Hostel Facility
2. The hostel maintained by the University/Department shall provide congenial academic environment.
3. Each student desirous of taking admission in the hostel shall submit his application on the prescribed form to the Warden after admission in the university/ along with proof of admission. He shall appear before hostel committee in person along with his/ her parents/local guardian and the original documents.
4. The admission to the hostel shall be granted at the discretion of the Warden. Special care will have to be taken to accommodate students belonging to weaker economic section of the society.
5. On admission to the Hostel, the parents shall fill up the requisite forms; nominate the local guardian and visitors to be allowed to the hostel.
6. The student shall occupy the room allotted to him/her. He/she shall not change the room or shift the furniture in/out of his/her room without the written permission of the hostel Warden.
7. The concern students shall be responsible for the care and maintenance of the furniture, furnishing, fixtures, etc. Any damage to hostel property shall be made good by the concerned students.
8. The residents are debarred from using any electrical appliances other than provided or specifically permitted by the Warden in writing.
9. The students are prohibited to possess firearms, weapons or potentially dangerous instruments and knives of non-permissible length defaulters will be dealt with seriously including rustication.
10. Consumption of drugs/alcohol/intoxicants/smoking are strictly prohibited in the hostel premises. Defaulters will be severely dealt with including expulsion.

11. The residents indulging in vandalism/violence within the hostel premises will be severelydealt with including expulsion.

12. The students residing in the University Hostel shall pay such fee-s before the due date asmay be prescribed by the board of Management from time to time.

13. Each Hostel shall have Warden(s), who shall be appointed by the Vice-Chancellor for aperiod of three years. He can be given extension.

# ORDINANCE No – 97

## Provisions Regarding Disciplinary Actions against the Students

**[Act Section 28 (1) (h)]**

1. Every student in the University shall at all times has to be of good in behavior, show diligence in studies, maintain decorum and dignity, take proper interest in co-curricular activities, shall observe a code of conduct both within and outside the campus in a manner befitting to the student of an institute of national stature and observe all rules of discipline of the Institution of which he/she is a student and of the University.

2. Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators , and other employees in and outside of the institute and good neighborly behavior towards fellow students.

3. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by the student shall constitute an act of indiscipline and shall make him/her liable for disciplinary action.

4. The following acts shall constitute acts of gross indiscipline and students indulging in any of them shall be liable to disciplinary action against them:

(i) Disobeying the teachers and displaying unacceptable act within and outside the University premises.

(ii) Indulging in Vandalism Violence and damaging University and/or Public property or property of a fellow student.

(iii) Quarrelling, fighting and passing derogatory remarks in the University premises against itsteachers/employees/canteen and mess workers, etc.

(iv) Possession and use of firearms, weapons and potentially dangerous instruments, etc.

(v) Consumption and sale of drugs/alcohol/intoxicants/tobacco etc.

(vi) Indulging in ragging, which is strictly prohibited as per Supreme Court Ruling

(vii) Any other act which the Disciplinary Committee may determine to be undesirable.

5. When a student has been found guilty of breach of discipline within or outside the premises of the University or an institution, or persistent idleness or has been guilty of misconduct, the Head of the concerned department/institution at which such student is studying will report to the Discipline Committee and Vice Chancellor along with the Registrar. The Discipline Committee

With the approval from the Vice-Chancellor, may according to the nature and gravity of theoffence-

1. Suspend such student from attending the classes for not more than three weeks,

2. Expel such student from the institution,

i. Disqualify such a student from appearing at the next ensuing Examination

ii. Rusticate such student.

6 Before inflicting such punishment as aforesaid, the Head of the concerned department/institution shall give the student concerned an opportunity of personal hearing and record the reasons of inflicting the punishment in writing.

7 The Head of the Institution concerned shall have the power to temporarily suspend the student from the Institution for such a time as may be necessary to conduct an inquiry into his/her conduct in connection with the alleged offence.

8 The period during which a student remains suspended for completion of an enquiry shall be reckoned in the calculation of his/her attendance for appearing at an Examination provided he/she is found innocent.

9 The rustication of a student from an institution shall entail the removal of his/her name from the register of the enrolled students.

10 The fees of the student rusticated from the University will be confiscated

11 A student so rusticated will not be re admitted to the University before the completion of a period of three years or prescribed duration (whichever is earlier) from the date of his/her rustication. A rusticated student seeking re admission after the prescribed duration from the date of his/her rustication will submit an affidavit of maintaining good behavior during his / her stay in the university as a student.

12 The Proctor/Dean of Students' welfare (DSW) shall be appointed from amongst the teaching staff of the University Departments and Institutes by the Vice-Chancellor for a period of two year to maintain the discipline. In view of competence, the teacher concern may continue with the approval of the Vice Chancellor.

13 The powers and duties of the Proctor/ Dean of Students' welfare (DSW) shall be determined by the Vice Chancellor from time to time.

## ORDINANCE – 98

# Creation of Other Bodies for Improvement of Academic Environment of the University

**[Act Section 28 (1) (i)]**

1. The University shall have the following bodies for the improvement of the academic quality of the University:

   (i) Policy Committee

   (ii) Honorary degrees award committee

2. Education Policy Committee shall comprise of the following:

   (i) The Vice-Chancellor -Chairperson

   (ii) The Pro Vice Chancellor if any

   (iii) The Dean, Academic Affairs

   (iv) The Chairperson UG Studies

   (v) The Chairperson PG Studies

   (vi) Three Deans nominated by the Vice-Chancellor.

   (vii) Vice-Chancellor shall have nominated the convener.

4. **Honorary Degree Award Committee:**

The constitution of the committee shall be as under:

(i) The Vice-Chancellor-Chairman

(ii) **Dean,** Nominated by the Vice-Chancellor(iii) The Registrar

4.1 The committee shall consider names of those distinguished persons who have made significant contribution in their field. The Board of Management shall finalize the name/names and shall forward it to the Chancellor for final approval.

4.2 The committee shall forward the names so considered to the Governing Body for final decision.

4.3 The convenient of honorary degree shall be made in regular or special convocation of theUniversity.

# ORDINANCE No. - 99

## Cooperation and Collaboration under MOU with other Universities and Institutions and bodies of Higher Education

**[Act Section 28 (1) (j)]**

1. The University shall seek cooperation and collaboration with the existing Universities and Institutes of Higher Education in India and abroad and execute a Memorandum of Understanding (MoU) detailing the extent and area of cooperation and collaboration mutually agreed upon.
2. The University may collaborate with Universities and Institutes of Excellence engaged in Higher Education in the country and abroad for the Research innovation consultancy and examination work and exchange of teachers and students from time to time.
3. The University may collaborate with the Recognized Organizations/Institutes for providing training, teaching and guidance to the weaker students and also to the teachers of schools and colleges.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.